अष्टम माला, खंड 49, अंक 36

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989
5 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 49 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989/5 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
1	8	""विनिर्मल खत्री" के स्थान पर "श्री निर्मल खत्री" पढ़िये ।
40	नीचे से 3	प्रश्न संख्या "723" के स्थान पर "733" पढ़िये।
55	19	प्रथम शब्द "साचर" के स्थान पर "संचार" पढ़िये।
52	2	प्रश्न संख्या "6908" के स्थान पर "6808" पढ़िये ।
69	17	"भद्रेश्वरी" के स्थान पर "भद्रेश्वर" पढ़िये।
113	नीचे से 10	"एन0 प0 झांसी लक्ष्मी" के स्थान पर "एन0 पी0 झांसी लक्ष्मी" पढ़िये ।
205	13	"(क)" के स्थान पर "(ज)" पढ़िये ।
249	नीचे से 13	"चिलों" के स्थान पर "जिलों" पढ़िये ।
52	अन्तिम पंक्ति	"ग्यारह" के स्थान पर "ग्यारह" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 36, मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989/5 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—27
* तारांकित प्रश्न संख्या : 717 से 719, 722, 723, 725, 726 और 731	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—228
तारांकित प्रश्न संख्या : 716, 721, 724, 727 से 730 और 732 से 736	27—46
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6788 से 7002	47—220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	228—231
प्राक्कलन समिति	231
77वां और 78वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	231—232
155वां, 156वां और 161वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	232
56वां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	232—233
अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	
46वां और 47वां प्रतिवेदन	
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	233
8वां प्रतिवेदन	
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	233
23वां प्रतिवेदन	233
कार्यवाही सारांश	233

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
चीनी उद्योग के लिए तीसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में याचिका	233—234
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	234—248
तम्बाकू के वसूली मूल्य के बारे में तम्बाकू निर्यातकों/विनिर्माताओं और तम्बाकू उत्पादकों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन	
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	234
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	234
श्री के० एस० राव	236
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	238
श्री चिन्तामणि जेना	242
कार्य मंत्रणा समिति	248—249
70वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	249—253
(एक) राजस्थान के बाड़मेर जिले में ब्लाक स्तर पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने तथा बाड़मेर और बालोतरा शहरों में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	249
(दो) विदर्भ और मराठवाड़ा में कुओं के निर्माण के लिए उतनी ही धनराशि, जितनी महाराष्ट्र के अन्य जिलों को जीवन धारा योजना के अन्तर्गत दी गई है, मंजूर किए जाने की मांग	
श्री केशवराव पारधी	249
(तीन) उत्तर प्रदेश में बांदा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाई जाने अथवा अतर्रा और कर्वी के बीच कम शक्ति का एक ट्रांसमीटर लगाए जाने की मांग	
श्री भीष्म देव दुबे	250
(चार) मध्य प्रदेश में खुरई में एक कृषि महाविद्यालय और सागर में एक कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री नन्दलाल चौधरी	250
(पांच) बच्चों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता	
श्री एस० बी० सिदनाल	251

(छः) उत्तर बंगाल में सिलिगुड़ी, मालदा और कूच बिहार तथा पश्चिम बंगाल में आसनसोल, बर्दवान, रानीगंज और अन्य स्थानों में दूरसंचार प्रणाली के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक 251

(सात) "धोदर अली" और "नगांव-दबोका" तथा "बिहु" मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पराग चालिहा 251

(आठ) मैसर्स कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इंडिया लिमिटेड, रमन नगर (तमिलनाडु) में तालाबन्दी समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री कादम्बुर जनार्दनन 252

(नौ) देश के हरिजन-आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी 252

कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 253—252

और

कर्नाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव

श्री बी० आर० भगत 253

श्री सोमनाथ चटर्जी 263

श्री सी० के० जाफर शरीफ 269

प्रो० मधु दंडवते 274

श्री जनार्दन पुजारी 290

श्री इन्द्रजीत गुप्त 297

श्री एच० के० एल० भगत 304

श्री सी० जंगा रेड्डी 313

श्री ओस्कर फर्नान्डीज 315

श्री सन्तोष मोहन देव 317

श्री पीयूष तिरकी 327

श्री सैयद शाहबुद्दीन 328

श्री डी० के० नायकर 330

विषय	पृष्ठ
श्री जी० एस० बासवराजू	333
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	335
श्री एस० बी० सिदनाल	340
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	342
प्रो० पी० जे० कुरियन	344
डा० दत्ता सामंत	348
श्री विजय एन० पाटिल	351

लोक सभा

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989/5 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"राजभाषा पखवाड़ा" कार्यक्रम

[हिन्दी]

*717. **विनिर्मल खत्री** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हिन्दी के प्रसार और प्रचार के लिए प्रतिवर्ष "राजभाषा पखवाड़ा" के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राजभाषा विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को एवं उनके माध्यम से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि को वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस या हिन्दी सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। तथापि राजभाषा पखवाड़ा मनाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

सरकारी उद्यमों द्वारा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरन्तर किए जा रहे उपायों के अतिरिक्त राजभाषा का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए वे हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाते रहे हैं। हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाए जाने के सम्बन्ध में आयोजित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों में शामिल हैं :—

(1) सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना ताकि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जा सके।

(2) हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

(3) हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

(4) निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

(5) हिन्दी भाषी कर्मचारियों के साथ-साथ अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए वाक-प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

(6) कवि सम्मेलन, नाटक तथा गीत प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता आदि समेत हिन्दी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

(7) प्रचार सामग्री जैसे शब्दावलियों, पत्रिकाओं आदि का प्रदर्शन करना और वितरण करना ।

(8) तकनीकी राजभाषा सम्मेलन का आयोजन करना ।

(9) हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र आदि का वितरण करना ।

(ख) अनेक उपक्रमों में हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह मनाए जाने पर हुए खर्च के लिए कोई पृथक वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है और राजभाषा के प्रचार तथा उसे लोकप्रिय बनाने पर किए गए व्यय को सामान्य प्रशासनिक व्यय लेखे के नामे डाल दिया जाता है । अत:, सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने विशेष रूप से इस कार्य के लिए किए गए व्यय का उल्लेख कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । तथापि, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाने पर किए गए व्यय के लिए पृथक लेखा रखते रहे हैं । इन उपक्रमों के सम्बन्ध में जितनी जानकारी उपलब्ध हो सकी है उनका वर्णन अनुबंध में दिया गया है ।

अनुबन्ध

गत तीन वर्ष अर्थात् 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान हिन्दी दिवस/सप्ताह के आयोजन पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खर्च की गई राशि

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	(राशि रुपयों में)		
		1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	आर्टिफिशियल लिम्स मैन्यु० कारपो० आफ इण्डिया	1,500	1,500	2,000
2.	भारत एल्युमिनियम कं० लि०	9,130	अनुपलब्ध	11,394
3.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	750	1,000	1,500
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	22,000	22,000	23,000

1	2	3	4	5
5.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	अनुपलब्ध	1,10,000	2,00,000
6.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	7,000	7,000	8,500
7.	ब्रिटिश इंडिया कारपो० लि०	5,210	6,338	अनुपलब्ध
8.	सीमेंट कारपो० आफ इंडिया लि०	2,050	3,450	3,340
9.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	3,786	2,602	4,867
10.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	1,000	18,876	19,470
11.	कोल इण्डिया लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10,000
12.	कोचिन रिफाइनरीज लि०	2,895	6,080	5,976
13.	कोचीन शिपयार्ड लि०	2,100	3,000	3,000
14.	भारतीय रूई निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30,000
15.	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	5,000	5,000	5,000
16.	इलैक्ट्रानिक्स कारपो० आफ इंडिया लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	8,000
17.	इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नो० डिवे० कारपो०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	550
18.	इंजीनियरिंग इंडिया लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	25,000
19.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०	अनुपलब्ध	3,000	3,000
20.	भारत निर्यात ऋण एवं प्रत्याभूति निगम लि०	3,400	7,050	8,000
21.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	9,000	9,000	9,000
22.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	3,500	4,525	4,994
23.	भारतीय खाद्य निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,100
24.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	7,400	7,100	अनुपलब्ध
25.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	12,000
26.	हिन्दुस्तान कापर लि०	60,000	60,000	60,000
27.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०	1,200	1,750	3,800
28.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	8,000
29.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,000
30.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	43,171
31.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि०	3,193	3,147	6,956
32.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०	650	1,100	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5
33.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	568
34.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र० लि०	12,000	18,000	35,000
35.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	777	1,884	4,000
36.	हिन्दुस्तान वेजीटेबिल आयल कारपो०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,220
37.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	1,40,000	1,50,000	1,57,000
38.	आवास एवं नगर विकास निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,475
39.	भारत पर्यटन विकास निगम लि०	3,750	4,400	4,300
40.	इण्डियन एयरलाइन्स	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	31,054
41.	इण्डियन आयल कारपो० लि०	अनुपलब्ध	44,229	45,240
42.	इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10,500
43.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	425	425	350
44.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	18,000	18,000	18,000
45.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि०	अनुपलब्ध	9,164	12,873
46,	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,361
47.	भारतीय पटसन निगम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	35,8 00
48.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	2,800	3,300	3,010
49.	ल्यूब्रिजोल इंडिया लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3,018
50.	महानगर टेलीफोन निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	26,450
51.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०	770	17,950	27,304
52.	मारुति उद्योग लि०	अनुपलब्ध	24,000	35,000
53.	माझगाव डाक लि०	15,225	12,467	15,196
54.	रद्दी धातु व्यापार निगम लि०	6,000	8,500	11,000
55.	खनिज गवेषण निगम लि०	2,075	3,200	4,000
56.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	8,000	8,000	8,000
57.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	500
58.	नेशनल एल्युमिनियम कं० लि०	200	450	900
59.	नेशनल बाइसिकल कारपो० आफ इण्डिया लि०	अनुपलब्ध	2,303	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5
60.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	235
61.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	14,500	14,500	14,500
62.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3,500
63.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	500	500	1,800
64.	नेशनल इन्स्ट्रूमैंट्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	500
65.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	25,000	25,000	25,000
66.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	73,429	75,828	71,214
67.	नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	8,000
68.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,564
69.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	19,350
70.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	259	675	325
71.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,500
72.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	95,000	95,000	2,25,000
73.	पवन हंस लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,400
74.	भारतीय परियोजना एव विकास लि०	अनुपलब्ध	3,800	4,080
75.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,615
76.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट लि०)	2,053	2,505	4,611
77.	सेमी-कण्डक्टर काम्पलैक्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	750
78.	भारतीय नौवहन निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15,000
79.	स्पंज आयरन इंडिया लि०	900	2,300	3,200
80.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	1,37,573	1,02,708	1,57,798
81.	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो० आफ इंडिया लि०	500	500	940
82.	टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटैंट्स (इण्डिया) लि०	10,000	10,000	10,000
83.	वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	225
84.	भारत प्रोसैस एण्ड मैकैनिकल ईंजी० लि०	150	150	150
85.	भारत वेगन एण्ड इंजी० क० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5,000

1	2	3	4	5
86.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,470
87.	बर्न स्टैण्डर्ड कं० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	500
88.	जेसप एण्ड कं० लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	50,000
89.	ब्रिज एण्ड रूफ कं० (इं) लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3,200
90.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30,000
91.	सैन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	12,400
92.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	20,000	20,000	20,000
93.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	6,600
94.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	4,171	8,605	7,154
95.	महाराष्ट्र एण्टिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	151
96.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	12,000
97.	माइका ट्रेडिंग कारपो० लि०	अनुपलब्ध	3,300	3,670
98.	ने० टे० का० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	12,279	11,298	17,279
99.	ने० टे० का० (गुजरात) लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,500
100.	ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10,480
101.	ने० टे० का० (तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी) लि०	अनुपलब्ध	29,179	29,255
102.	ने० टे० का० (उत्तर प्रदेश) लि०	5,000	5,000	6,000
103.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	14,200
104.	गोवा शिपयार्ड लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4,735
105.	ने० टे० का० (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,150

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में सरकारी उपक्रमों द्वारा राजभाषा के संबंध में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण रखा है। मैं जानना चाहूंगा कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए सरकारी कामकाज की भाषा में महज हिन्दी सप्ताह या हिन्दी

दिवस के आयोजन तक ही उसका लक्ष्य रख दिया गया है या हम हिन्दी सप्ताह और हिन्दी दिवसों से आगे भी इसके प्रचार-प्रसार के बारे में सोच रहे हैं। इन आयोजनों में कुछ शुभ कामनाएं रखने से हमें ऐसा लगता है कि हम इन दिवसों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या मंत्री जी किसी ठोस योजना पर विचार कर रहे हैं जिसके माध्यम से सरकारी कामकाज की भाषा में हिन्दी राजभाषा बढ़े, उसका प्रचार-प्रसार हो और सरकारी उपक्रमों से जुड़े विभाग ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में अपने कामकाज की भाषा में हिन्दी को अपनाएं, अगर ऐसी कोई योजना मंत्री महोदय के समक्ष है तो वे बताएं।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, सरकार इसे बढ़ावा देने की बहुत इच्छुक है ! माननीय सदस्य श्री तुलसी राम हिन्दी समिति की उप-समिति के सभापति हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस संबंध में हमारा विभाग कैसा काम कर रहा है, वह आपको बताएंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसी राम जी पर तो मोहर लगा दी आपने, इससे बड़ी गवाही नहीं मिल सकती, पक्का गवाह है।

श्री निर्मल खत्री : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि राजभाषा के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी माननीय मंत्री जी द्वारा राजभाषा में नहीं दिया जा रहा, बल्कि अंग्रेजी में दिया जा रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिस संविधान की शपथ उन्होंने ली है, उस संविधान में राजभाषा हिन्दी वर्णित है, उस हिन्दी भाषा को सीखने के लिए क्या वह प्रयास करेंगे, चाहे आपके मंत्रालय में आयोजित होने वाले हिन्दी दिवसों में शरीक होकर, हिन्दी पखवाड़े के कार्यक्रमों में भाग लेकर या उसके अलावा भी।

अध्यक्ष महोदय : ये हिन्दी जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हिन्दी नहीं तो तेलुगु में जवाब दे दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, हिन्दी के संबंध में उत्तर भारतीयों से अधिक रुचि दक्षिण भारतीय रखते हैं।

महोदय, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मैं हिन्दी दिवस पर अंग्रेजी से लिप्यान्तर करके हिन्दी में भाषण देता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस उप-समिति की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है कि तुलसीराम जी से पूछ लिया जाए, उस समिति के वे स्वयं भी एक सदस्य कभी-न-कभी रहे हैं। उनके मंत्रालय के अधीन जो सरकारी उपक्रम हैं उनमें राजभाषा अधिनियमों का सर्वाधिक उल्लंघन होता है। हिन्दी के अखबारों को अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाते हैं। सैकड़ों विज्ञापनों की कतरनें मैंने स्वयं प्रस्तुत की हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो वार्षिक कार्यक्रम होता होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने उपक्रमों को इस बात के लिए ताकीद करेंगे कि वे राजभाषा अधिनियमों का पूरा पालन करें और कम-से-

कम जितना कार्यक्रम दिया हुआ है उसका वे अनुपालन करेंगे। इस बारे में आप कोई आश्वासन देंगे क्या।

प्रो० मधु दण्डवते : कम-से-कम हिन्दी में "हां" कहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, हम सभी सरकारी उपक्रमों को हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए हिदायतें दे रहे हैं। किन्तु हमारा विभाग, हिन्दी के कार्य पर निगरानी रखने वाला विभाग नहीं है। निगरानी रखने वाला विभाग गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग है।

मोटर वाहनों के टायरों का मूल्य निर्धारण नीति

*718. **श्री इन्द्रजीत गुप्त† :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने मोटर वाहनों के टायरों के मूल्य ढांचे को विनियमित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने आटोमोटिव टायर उद्योग अपनी रिपोर्ट (चरण-II अध्ययन) में कुल 100% शुल्क पर सामान्य खुले लाइसेंस के अधीन टायर तथा ट्यूबों के आयात की सुविधा हेतु सिफारिश की। यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और विशेष श्रेणी के ट्रक व बस टायरों के आयात को विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए कम शुल्क दर पर सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत रख दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सर मैं हिन्दी में पूछ सकता हूं···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : आप बंगाली भी जानते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं बंगाली में भी पूछ सकता हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

[हिन्दी]

सर कुछ समय पहले, भूल गया हूं गत अधिवेशन में या उसके पहले···**(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी : सचमुच हिन्दी में पूछ रहे हो···**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक प्रश्न यहां आया था इसी सवाल पर और हमारे मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो टायर बनाती हैं, उन्होंने आपस में मिल जुलकर एक गुट बनाया है और उसका फायदा उठाकर वे बाजार में टायरों का दाम हमेशा बढ़ाती रहती हैं। उस समय मैंने यह भी पूछा था कि यह जो ब्यूरो आफ इंडस्ट्रीयल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस है

उससे जांच करवाई गई है या नहीं और उनसे कुछ दरख्वास्त की गई है या नहीं । क्या वे लोग जो सही दाम होना चाहिए विभिन्न किस्मों के टायरों के लिए, वह निर्धारण करेंगे, तो उस समय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि यह जो ब्यूरो आफ इंडस्ट्रीयल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस है, उसके पास हमने टायरों का हवाला नहीं किया है। इसमें उनका कोई संबंध नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्यूरो आफ इडस्ट्रीयल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस ने यह कहा है कि यह जो सिस्टम चल रहा है जिसमें ये टायर कंपनियां अपने आप मनमाने दाम बढ़ा सकती हैं । उस पर कोई रोक नहीं लगाया गया है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ हो रही है खासकर जो लॉरी ट्रक ओनर्स हैं । उन्होंने यह सिफारिश की है या नहीं कि स्टेच्युटरी कंट्रोल कानूनी ढंग से ये दाम बांध दिए जाएं टायर और ट्यूब पर तो फिर लोगों को कुछ इससे सहूलियत होगी । वरना उसका कोई समाधान नहीं होगा । यह रिकमन्डेशन है या नहीं ब्यूरो फार स्टेचुटरी प्राइस कंट्रोल अगर हैं तो उसको सरकार ने क्यों नहीं अभी तक माना ?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने किसी सांविधिक उपबंध की सिफारिश नहीं की है । सिफारिश केवल इस उत्पादक संघ को नियंत्रित करने के लिए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात करने के बारे में थी, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा था कि यह चार या पांच बड़े औद्योगिक गृहों के हाथ में है । उनके प्रभाव को कम करने के लिए हम टायर बनाने वाली नई फैक्टरियों को उदार आशय पत्र दे रहे हैं । एक या दो वर्षों के भीतर हम उन लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं । देश में ट्रकों और बसों के टायरों का उत्पादन 40 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया है । हमारी वास्तविक मांग केवल 40 लाख है । इस उत्पादक संघ के कारण कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं । अब हम ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की अनुमति दे रहे हैं । आर० टी० सी० ने मलेएशियाई डनलप कम्पनी को 30,000 टायरों का आदेश दिया है । हम स्थिति की ध्यानपूर्वक जांच करेंगे । मैं सदन को इस बारे में फिर बताऊंगा ।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार ने इसकी कोई जांच की है या नहीं कि जो उत्पादन का खर्च है इन कम्पनियों का उसमें और जिस दर पर वह बाजार में टायर को वेचते हैं इनमें क्या अन्तर है ? यह अन्तर बढ़ता जा रहा है या नहीं, क्या यह सरकार को मालूम है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एण्ड प्राइस ने यह कहा है या नहीं कि आप कार्टल की बात कर रहे है और दूसरी कम्पनी को लैटर्स आफ इटेंट दे रहे हैं या नहीं ? जैसे बिड़ला साहब की केशोराम इंडस्ट्री को लाइसेंस मिला है टायर बनाने के लिए, जो कि पहले टायर नहीं बनाती थी । इसका मतलब यह है कि कार्टल के अन्दर जो सदस्य हैं उनकी संख्या और बढ़ जायेगी और पांच-सात कम्पनीज की संख्या दस-बारह होकर बड़ी कार्टल कम्पनी हो जायेगी । इससे कैसा समाधान होगा, मुझे तो मालूम नहीं है । आप भी कह रहे हैं कि बाहर से लायेंगे, मलेशिया की डनलप से ला रहे हैं । डनलप एक इंटरनेशनल मोनोपलि है, मल्टी नेशनल कार्पोरेशन है, वह भी कार्टल वाली है । वह भी जानती है कि दाम कैसे मेनीपुलेट किये जा सकते हैं इसलिए वहां से लाकर सस्ते में नहीं बेच सकेंगे । आप कार्टल को तोड़ने के लिए कुछ सोचें कि क्या तरीका अपनाया जाए ।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : मैं माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त से सहमत हूं । हम इस ग्रुप को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु इसमें समय लगेगा । हम 24 घंटे के भीतर इस ग्रुप को तोड़ नहीं सकते ।

डा० दत्ता सामन्त : आप 24 साल का समय लें।

श्री जे० वेंगल राव : क्योंकि वह बम्बई में श्रमिकों के नेता हैं ।

डा० दत्ता सामन्त : 100 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम उत्पादन 4000 टायर प्रति-दिन है । इसके बावजूद मूल्य बढ़े हैं ।

श्री जे० वेंगल राव : अब मूल्य, वास्तविक उत्पादन लागत से लगभग 400 रुपये अधिक है । टायर निर्माताओं की शिकायत यह है कि रबर के मूल्य बढ़ गए हैं ।

डा० दत्ता सामन्त : क्या आपने इसका अध्ययन किया है ?

श्री जे० वेंगल राव : जी हां ।

डा० दत्ता सामन्त : आपका क्या विचार है ?

श्री जे० वेंगल राव : रबड़ की लागत बढ़ रही है । अब वित्त विभाग आयायित रबड़ पर भी अधिक कर लगा रहा है । भारतीय रबड़ की लागत भी बढ़ गई है । कार्बन ब्लाक के मूल्य भी बढ़ गए हैं । देशी बाजार में टायरों की वृद्धि के कुछ कारण है ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, टायरों की कीमतें दर साल बढ़ जाती हैं । अब तक हमारे सामने एक ही कारण बताया गया है कीमतें बढ़ने का कि कार्टल है और कुछ लोगों ने संगठन बना लिया है इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं।

परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि टायर यूजर्स एसोशिएशन ने अपने मेमोरैंडम में माननीय मंत्री जी को कुछ अन्य लोगों को रीजन्स दिये हैं, उनके आधार पर क्या माननीय मंत्री जी ऐसा महसूस करते हैं कि टायर की कीमत बढ़ाने में कारटेल वालों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए इम्पोर्ट के अलावा क्या कुछ और कदम भी उठाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि टायरों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और मुनाफा कुछ ज्यादा बढ़ सके ।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, टायर प्रयोक्ता संघ ने टायरों के मूल्य में वृद्धि के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है । इसीलिए हमने उन्हें ओ० जी० एल० पर आयात करने की छूट दी है । हमने टायर प्रयोक्ता संघों को भी अनुमति दी । हमने यह अनुमति संघों को दी । हमने सभी सड़क परिवहन निगमों को अन्य देशों से ओ० जी० एल० के अन्तर्गत टायरों का आयात करने अनुमति दी । अब वह आयात कर रहे हैं ।

श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल : क्या यह सच है कि थोड़ी-सी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

कम्पनियां हमारे देश के टायर उद्योग को नियन्त्रित कर रही हैं। क्या वह उपभोक्ताओं से अपनी शर्तें मनवा रही हैं ? दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि प्राकृतिक रबड़ के मूल्य बढ़े हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि रबड़ एक ऐसी कृषि वस्तु है जिसके मूल्य पिछले 6 वर्षों से स्थिर हैं। रबड़ उत्पादक टायर निर्माताओं की दया पर हैं क्योंकि वह रबड़ उत्पादकों से अपनी शर्तें मनवाते हैं। क्या यह सच है कि वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का फायदा उठा रहे हैं।

श्री जे० वेंगल राव : यह हमारे बड़े व्यापार गृह हैं। यह एम० आर० टी० पी० कम्पनियां हैं। यही मूल्यों को बढ़ा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह रबड़ के मूल्यों के बारे पूछ रहे हैं।

श्री जे० वेंगल राव : रबड़ में मूल्य केरल में भी बढ़ रहा है।

श्री जार्ज जोजफ मुण्डाकल : पिछले 6 वर्षों से रबड़ ही एक ऐसी वस्तु है जिसके मूल्य स्थिर हैं।

शिप कन्टेनर उद्योग का विकास

*719. **श्री सोमनाथ रथ** :
श्री हरिहर सोरन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर ने शिप कंटेनर उद्योग के विकास के लिए प्रौद्योगिकी एवं इक्विटी-पूंजी उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोमनाथ रथ : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि सिंगापुर ने जहाज उद्योग के विकास के लिए प्रौद्योगिकी और ईक्विटी की पेशकश की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शिप कन्टेनर उद्योग के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, इन कन्टेनरों से निर्माण के लिए पहले से ही सात यूनिटें मौजूद हैं। दो आवेदन हमारे पास लम्बित हैं। मेरे विचार से घरेलू तथा निर्यात बाजार के लिए यह पर्याप्त है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक शिप कन्टेनर उद्योग का संबंध है क्या हम आत्मनिर्भर हैं। यदि नहीं, तो कितनी मांग है और यदि मांग सरकार और उद्योग चाहे यह सरकारी क्षेत्र के दो या गैर सरकारी क्षेत्र के द्वारा किस प्रकार पूरी की जाएगी।

श्री एम० अरुणाचलम : हमारे मंत्रालय द्वारा मांग का आकलन नहीं किया गया है। किन्तु हम, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमरीका, हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया गणतंत्र, नैपाल, चीन आदि जैसे प्रमुख देशों को निर्यात कर रहे हैं। इसलिए हमारी घरेलू आवश्यकता भी हमारे निर्माताओं द्वारा पूरी की जाती है।

श्री हरिहर सोरन : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में शिप कन्टेनर उद्योग में प्रौद्योगिकी तथा ईक्विटी के संबंध में कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है। यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शिप कन्टेनर उद्योग को विकसित करने का है और उद्योग के सुधार के लिए वर्ष 1988-89 में कितनी राशि आबंटित की गई है।

श्री एम० अरुणाचलम : सभी शिप कन्टेनर उद्योगों ने सहयोग किए हुए हैं। उनके सहयोग करार भी समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने वह तकनीक विकसित कर ली है।

रेलवे के फेब्रिकेटिड कांटा तथा क्रासिंगों के निर्माण की क्षमता तथा इनकी आवश्यकता

*722. **श्री राज करन सिंह † :**
श्री मदन पांडे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के एककों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े, मझौले और लघु औद्योगिक एककों में रेलवे के फैब्रिकेटिड कांटा तथा क्रासिंगों के निर्माण के लिए अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष फैब्रिकेटिड कांटा तथा क्रासिंगों की औसत आवश्यकता कितनी होती है;

(ग) इस उद्योग के लिए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कांटा तथा क्रासिंगों के विद्यमान सप्लायरों की लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत क्षमता निम्न प्रकार है :

		एककों की सं०	लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत क्षमता
1	2	3	4
1.	सरकारी क्षेत्र	2	15,000 सैट प्रति वर्ष

1	2	3	4
2.	निजी क्षेत्र	2 (दोनों एम० आर० टी० पी० कंपनियां)	12,556 सैट प्रति वर्ष
3.	लघु एकक	1	3,600 सैट प्रति वर्ष

इसके अलावा, दो लघु एककों को, जिनकी पंजीकृत क्षमता 1440 सैट प्रति वर्ष है, विकास संबंधी आदेश दिए गए हैं।

(ख) आगामी कुछ वर्षों में फैब्रिकेटिड कांटों तथा क्रासिगों की आवश्यकता 15,000 से 18,000 सैट प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) इस विभाग की तारीख 30-6-88 की अधिसूचना घोषित की गई लाइसेंसमुक्त करने संबंधी सुविधा रेलवे कांटों तथा क्रासिगों के निर्माताओं को भी उपलब्ध है। भावी निर्माताओं को आशय पत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता केवल तभी होती है जब इस अधिसूचना के छूट संबंधी मानदंड पूरे नहीं होते हैं। तीन एककों द्वारा आशय पत्र की मंजूरी हेतु अपने आवेदनों के नामंजूर हो जाने के संबंध में अभ्यावेदन विचारार्थ पड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री राजकरन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 30 जून, 1988 की लाइसेंस मुक्ति की घोषणा के बाद आज तक कितनी क्षमता के और लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन आपने जारी किए हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : यह बिना लाइसेंस मुक्त मद है। 'एम० आए० टी० पी०' कम्पनी और 'फेरा' कम्पनी के अतिरिक्त कोई भी कम्पनी इसे बिना किसी लाइसेंस के आरम्भ कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री राजकरन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार रेलवे की वार्षिक आवश्यकता 15 हजार से 18 हजार सैट की है तो और अधिक उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करते, इसके बजाए क्या मौनोपोली घरानों को इस क्षेत्र में प्रवेश कराने का विचार है ? यदि नहीं तो इस लाइसेंस वृद्धि की आवश्यकता किसलिए है ?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : इस क्षेत्र में दो एकाधिकार घराने पहले से है। वह सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों से अधिक सप्लाई कर रहे हैं। दो एम० आर० टी० पी० सहयोगी कम्पनियां एक ही परिवार के स्वामित्व में हैं और 56 प्रतिशत से अधिक सप्लाई कर रही हैं। रेल मंत्री श्री माधव राव सिंधिया के अनुरोध पर हमने रेलवे क्रासिंग प्वाइंट और

वैगन जैसी वस्तुओं को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। वह रेलवे को अपने मूल्यों पर माल दे रही थी। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है इसमें सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता 15 हजार सैट है और निजी क्षेत्र में 12556 सैट प्रति वर्ष है जिसमें एम० आर० टी० पी० घराने भी हैं और स्माल स्केल की जो क्षमता है वह 3,600 सैट प्रति वर्ष है। इसके बाद इसको डी-लाइसेंसिंग कर दिया गया है जबकि आवश्यकता केवल 15 हजार सैट से 18 हजार सैट के बीच में है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपका जो पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है, क्या इस प्रकार से लाइसेंसिंग नीति में बदलाव करने के पहले आपने डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से परामर्श कर लिया है जिसमें उन्होंने यह सहमति दे दी हो जिससे इस क्षेत्र में एम० आर० टी० पी० घराने आएं चाहे कोई और आए, उससे उनको कोई ऐतराज नहीं है और क्या इसके फलस्वरूप जो आपने लाइसेंसिंग क्षमता में वृद्धि करा दी है, चाहे डी-लाइसेंसिंग कर के या लाइसेंस देकर के, तो क्या जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं, जिसमें सरकारी क्षेत्र के भी दो कारखाने हैं, इन कारखानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और क्या उनको इससे क्षति नहीं उठानी पड़ेगी ?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : यह पृथक मंत्रालय नहीं है। वह इसे इस्पात उद्योग में भी बना सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में दो कम्पनियां कार्य कर रही हैं और उनकी कुल सप्लाई क्षमता 36 प्रतिशत है। और यह दो एम० आर० टी० पी० कम्पनियां 58 प्रतिशत सप्लाई कर रही हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी केवल 5.12 प्रतिशत सप्लाई कर रही है। इन एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए हमने इसे लाइसेंस मुक्त किया और छोटी कम्पनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी।

डा० दत्ता सामन्त : मेरा तात्पर्य—बम्बई की रिचर्डसन और करुडास—सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी से है। यह बीमार कम्पनी थी जिसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और इसमें 2000 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। कुल 1500 सैटों की आवश्यकता है। वे रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। इसका लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद एक नई बिरला कम्पनी खुल गई। होगा यह कि रेलवे यह काम उन्हें दे देगी। इस संबंध में रेलवे कर्मचारी मेरे पास आए थे। इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले तीन-चार महीनों में रिचर्डसन और कुरुडास कम्पनी का कार्य कम हो गया है। मैं सार्वजनिक क्षेत्र की इस यूनिट में विनिर्मित कुल माल आदि बातों का उल्लेख करके रेलवे मंत्री को पहले ही लिख चुका हूं। अन्यथा मंत्री महोदय हमेशा यह कहते हैं : आपके लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम पूर्ण उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। किन्तु रेलवे विभाग इस वर्ष इस कार्य को बिरला कम्पनी को दे रहा है। और वे इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे रेलवे प्राधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे और क्या इस बात के लिए कोई कदम उठाए जायेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की मांगों को पहले पूरा किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी सस्ता हो, क्या नीति यही नहीं है ?

डा० दत्ता सामन्त : ये मूंधड़ा की बीमार यूनिटें हैं, जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में लिया है। कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है और इस क्षेत्र में प्रतियोगिता भी नहीं है। दो यूनिटें हैं—एक उत्तर प्रदेश में और एक बम्बई में।

श्री जे० वेंगल राव : मैं श्री माधव राव सिंधिया के पत्र से एक वाक्य पढ़ूंगा :—

> "यह मत इस तथ्य से और भी दृढ़ हो जाता है कि निजी क्षेत्र के केवल दो प्रमुख निर्माता अर्थात मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मैसर्स जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, दोनों ही सहयोगी संस्थाएं हैं और उन्हें अन्य दो प्रमुख निर्माताओं, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, के साथ किसी प्रकार की गंभीर प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती है।"

इसलिए रेल मंत्री ने हमने इस मद से लाइसेंस हटाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, डीलाइसेंसिंग जो किया गया उसके पीछे यह उद्देश्य है जो बड़े-बड़े घराने हैं, उनकी मनोपली खत्म हो और नये-नये इन्टरप्रिन्योर फील्ड में आयें और वे इंडस्ट्री लगायें। अभी मैंने रबड़ और टायर की बातचीत सुनी। टायर में क्या हुआ? मेरा कहना यह है कि एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत बिड़ला को बैन किया जाना चाहिए। आपने बिड़ला को लाइसेंस दिया और यहां इन्होंने अभी बताया कि बिड़ला को फिर लाइसेंस दिया गया। यह डीलाइसेंसिंग का कंसेप्ट नहीं है। डीलाइसेंसिंग का कंसेप्ट है कि छोटे-छोटे नये इन्टरप्रिन्योर होने चाहिये और बड़े लोगों की मनोपली खत्म होनी चाहिए। आप इनको क्यों एनकरेज कर रहे हैं? क्या इनके लिए एम० आर० टी० पी० का प्रावीजन नहीं है? आप कैसे इनको क्लीअरेंस देते हैं? यह नये लोगों को देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : शायद माननीय सदस्य टायर उद्योग के बारे में यह कह रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जी नहीं। उसके बारे में श्री दत्ता सामन्त बता चुके हैं।

श्री जे० वेंगल राव : इस उद्योग में बिड़ला वाले नहीं हैं।

सीधा डायल करने की सुविधा उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

*723. **श्री केशवराव पारधी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन नए स्थानों पर सीधा डायल करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ख) अन्य किन-किन स्थानों पर सीधा डायल करने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश के उन स्थानों के नाम अनुबंध "क" में दिए गए हैं जिन्हें 1989-90 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ख) उन अन्य स्थानों के नाम अनुबंध "ख" में दिए गए हैं जिन्हें भविष्य में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अनुबंध-क

ए. अलांग, अनिनी, अमलापुरम, अकीवीडू, अत्तिली, औरंगाबाद (बिहार), अरसेकेरा, अम्बलघेरा, अलीबाग, आजमगढ़, अंबाजीपेटा।

बी. बोमडिला, बारपेटा शहर, भुज बोटड़, भड़ौच, बिलासपुर (हि० प्र०), बदगांव, बेतुल, बालाघाट, भण्डारा, भीड, बुल्डाना, बासिल, बिसनपुर, भवानीपटना, बोलनगिर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बलिया, बहराइच, बाराबंकी, बालुरघाट, बांकुरा, बेरहामपुर (पं० बंगाल)।

सी. चन्द्रपुर, चापी, सिखली, चम्बा, चेलागी, चिंगाला, छिंदवाड़ा, छत्तरपुर, चन्देल, चुराचांदपुर, चुरू, चित्तौड़गढ़, कुड्डालोर, चमोली, कार निकोबार।

डी. दपोरिजी, धर्मावरम्, दिफू, दुमका, डुंगरी, डबवाली, डोडा, दमोह, डूंगरपुर, देवरिया, दीव।

ई. इलाधुर।

एफ. फरुखाबाद।

जी. गोलपाड़ा, गोलाघाट, गुट्टी, गढ़वाल, गोपालगंज, गोड्डा, गुमला, गंगावती, गुना, गोंडिया, गड-चिरौली, गुरदासपुर, गोराया, गेजिंग।

एच. हिम्मत नगर, हरदोई, हरिद्वार, होडल, हसकोट, हरिपद।

जे. जहानाबाद, जडकेरला, जींद, झबुआ, जालौर, जैसलमेर, झालाबाड़, झुनझुनू, झांसी, जलपाईगुड़ी, जाजपुर रोड।

के. खांसा, कोडाडा, करीमगंज, कोकराझार, खगरिया, कोडिनार, कुरुक्षेत्र, कैथल, कुम्टा, काम्पली, कल्पा, केलोंग, कुल्लू, कठुआ, कारगिल, कुपवाड़ा, कासरगोड, कंजीरापल्ली, कनामंगलम, करनागपल्ली, कोंडाट्टी, कोण्डासन, कडाव, कुठाट्टूकुलम, खरगांव, कटनी, कैलाशहर, कन्नौज, कोठापेटा, खुर्दा।

एल. लखीमपुर, लोहारडागा, लेह।

एम. मनचेरियल, मदनापुरम, मंगलडोई, माधोपुरा, महमदाबाद, मोदता, मण्डी, माण्डिया, मवेलीकारा, मंजेश्वर, मुंडूर, मुलानकुनारुकावू, मंडाला, मापूसे, मोन, मकोकचुंग, मोगन, मनारपरई, मेमारी।

एन. नलगाड़ी, नौगांव, नरसापुर, नन्देमारी, नारनोल, नरवाना, नरसिंहपुर, नंगस्टोनइन, नया बाजार, नरेन्द्र नगर।

पी. पासीघाट, पुत्तूर, पीथापुरम, पदरा, पलवल, पुलवामा, पारापंगाडी, पम्पेडी, पोंकूलम, पन्ना, परभनी, फेक, पुंछ, पातालगंगा, पोण्डा ।

क्यू. क्विलाण्डी ।

आर. राजौरी, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, राजनन्दगांव, रतनागिरि, रोपड़, राधाकिशोर, रुद्रपुर ।

एस. सहरसा, सीतामढ़ी, साहेबगंज, समालका, सकलेशपुर, शहडोल, शाजापुर, सिद्धि, शिवपुरी, सेनापति, सीकर, सवाई माधोपुर, सेलन, सिरपुर कागजनगर, शादनगर ।

टी. तेजू, त्वांग, तेजपुर, तिप्तुर, त्रिकारपुर, टीकमगढ़, तमेनलोंग, थुबल, त्येनसांग; टोंक, तुमसर ।

यू. ऊना, उखरुल, उत्तरकाशी, उरूली, कंचन ।

वी. वसाड, वेडाकोंचेरी, वलपाड, वृद्धाचलम ।

डब्ल्यू. विलियम नगर, वोखा ।

वाई. येरगुण्टला ।

जेड. जरो, जुन्हेगीटो ।

अनुबंध-ख

ए. अंकलेश्वर, अंजार, अमेठी, अरनकडानल्लूर ।

बी. भोंगिरी, बोला ।

सी. चेरला, चेन्नीमलाई, कोर्टालम, कन्टई ।

डी. दमनजोडी ।

जी. गोदावरीखानी, गोंडल, गामदेवी, गोंडा ।

आई. इचलकरंजी ।

जे. जटनी, जामखेडी ।

के. कोठाकोटा, कटरसगढ़, कोनाजी, खामगांव, खोपोली, कायलपट्टीनम, कृष्णागिरि, कल्लाकुरिचि ।

एल. लोयावाद ।

एम. मनावदार, मंडीदीप, मेलूर, मेत्तूरदम, मळनाथभंजन, मालेगांव ।

एन. नंदापेट्टा ।

पी. पोन्नूर, परवानू, पिलानी, पलटन ।

आर. रावकवि ।

एस. सेप्पा, सिद्दीपेट, सतारा, सेहा, संकरनगर ।

टी. तारापुर, तिरुचेंदूर, टकाले ।

श्री. विक्रमसिंहपुरम।

वाई. येरकॉड।

[हिन्दी]

श्री केशवराव पारधी : अध्यक्ष महोदय, भंडारा डिस्ट्रिक्ट यहां से मैं आता हूं एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। भंडारा, तुमसर और गोंदिया इन तीनों स्थानों में केवल डाले डेढ़ साल से ऊपर हो गया है लेकिन अभी तक एस० टी० डी० की सुविधा वहां प्रदान नहीं की गई है। स्टेटमेंट में देश के उन स्थानों के नाम हैं जहां 1989-90 में यह सुविधा प्रदान किए जाने की सम्भावना है। 'सम्भावना' का मतलब मुझे समझ नहीं आता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वह कम से कम पिछड़े जिलों में अवश्य ही यह सुविधा 1989-90 के दौरान प्रदान कर दें। हमारी सरकार भी यह चाहती है कि पिछड़े जिलों में उद्योग धंधे लगें। लेकिन जब तक वहां संचार की सुविधा नहीं होगी तब तक वहां उद्योग धंधे नहीं लग सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भंडारा, तुमसर और गोंदिया में एस० टी० डी० की सुविधा कितनी जल्दी प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : मान्यवर, जो हमारे स्टेट कैपिटल थे, वह सबके पहले सारे एस० टी० डी० से जोड़ दिए गए थे। अब यह प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर हैं देश के 447 इन्हें इस साल हम स्टेट के हैडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर को जोड़ दें। अभी तक 309 जिले जोड़े जा चुके हैं। बाकी इस साल जोड़ने की सम्भावना है। माननीय सदस्य जिस बात के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में प्रयास किया जा रहा है। जहां-जहां भी कर सकेंगे वहां उसे करने का प्रयास किया जायेगा। जिले जोड़ने के बाद हमारे पास जो भी काम बचेगा उसको पूरा किया जायेगा। लेकिन हमारी फस्ट प्रायरटी डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर को देने की है।

श्री केशवराव पारधी : अध्यक्ष मोहदय, अनुबन्ध 'क' में भंडारा, गोंदिया और तुमसर तीनों जगहों के नाम हैं। ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। यहां पर केवल डाले डेढ़ साल से ऊपर हो गया है। इतना ही नहीं माइक्रोलाइन भी यहां से गई है और इसके खम्भे भी बने हुए हैं। ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इनको अभी तक एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं और विनती करता हू मैं यहां पर हाउस में भी कई दफा प्रश्नों के माध्यम से तथा नियम 377 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठा चुका हूं और मुझे आश्वासन दिया गया कि यह जल्दी होगा, लेकिन इसको नौ साल हो गए हैं, आप इसको कितनी जल्दी कर सकेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न 'क' के जवाब दिया गया है, उसको इस साल करने का है। जो आप कह रहे हैं, वह इस साल करने के लिए हैं।

श्री केशवराव पारधी : इस साल का मतलब मार्च, 1990 भी हो सकता है।

श्री वीर बहादुर सिंह : 1989-90 में।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, इस मामले का संबंध एस० टी० डी० सुविधा से है। मैं

असम राज्य के गोलाघाट जिले से संबंधित हूं। ऐसा नहीं है कि वहां टेलीफोन नहीं है। वहां टेलीफोन तो हैं किन्तु वे हमेशा बन्द रहते हैं। पिछली दो बार असम-नागालैंड सीमा पर दो घटनाएं घटीं। संचार के अभाव और इसकी खराब व्यवस्था के कारण दिल्ली और दिसपुर के प्राधिकारियों से ठीक समय पर घटना के बारे में सम्पर्क नहीं हो सका। बहुत से लोगों को जान-माल से हाथ धोना पड़ा। हाल ही में 30 लोगों की जानें गईं। संचार व्यवस्था के अभाव में उन्हें बचाया नहीं जा सका। धनसरी सब-डिवीजन के सरूपथर नामक स्थान पर टेलीफोन लगाए जाने के वक्त से ही वे बन्द पड़े हैं। लोगों ने अर्थात् व्यापारी समुदाय ने अपने टेलीफोन उनकी शवयात्रा निकालकर प्राधिकारियों को वापस कर दिये हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई कारंवाई नहीं की गई है। जब स्थानीय टेलीफोन ही काम नहीं कर रहे हैं तो राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक एस० टी० डी० सुविधा की बात क्या करें? आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी हम नहीं समझते कि कुछ करेंगे। असम में पूरी संचार व्यवस्था बदतर है। हम इस मामले को बार-बार उठा चुके हैं। हमें मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है किन्तु कोई कारंवाई नहीं की गई है। क्या इन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कोई प्राधिकारी नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैं सवाल बन्द कर दूंगा।

[अनुवाद]

यह कोई तरीका नहीं है।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, यह तो प्रश्न करने से पूर्व की प्रस्तावना है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से गोलाघाट और पूरे असम में संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित कारंवाई के बारे में जान सकता हूं। महोदय, यह सीमान्त जिला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बात को पांच दफा बोला है। इस प्रकार आपके सवाल का क्या मतलब रहता है। एस० टी० डी० का मामला है, आप सहारा दे दीजिए।

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे जो पुराने टेलीफोन एक्सचेंज और हमारी जो पुरानी टेक्नालॉजी स्ट्रोजर की है, वह खराब पड़ी हुई है, उसको बदला जा रहा है। जो पुरानी टेक्नालाजी है, उसको बदल कर हम नई टेक्नालाजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात जरूर है कि उसको बदलने में समय लग रहा है और उसमें दिक्कत आ रही है। मैं खुद भी महसूस करता हूं कि जहां पर पुराने एक्सचेंज लगे हुए हैं, आज उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उनको बदलकर इलैक्ट्रोनिक इक्वीपमेंट लगाकर बनाया जाए ताकि हमारे सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, वह दिक्कतें न आएं। जहां तक आपके गोलाघाट का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको ठीक कराया जाए।

जहां तक असम का ताल्लुक है, एक चीज हमने की है। वह पूरे नार्थ-ईस्ट और असम की ही बात नहीं है, वैसे पूरे नार्थ-ईस्ट व असम को हमने प्राथमिकता दी है। हम यहां पर टेलीफोन की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए काम करने जा रहे हैं···(व्यवधान)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना रिकार्ड में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से नहीं।

श्री आशुतोष लाहा : महोदय, यह सच है कि अब एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से केवल 15 कि० मी० दूर ऐसे जिले हैं—बारासत और बैरकपुर जिला मुख्यालय—जहां एस० टी० डी० सुविधा की बात तो दूर रही नियमित सेवा भी उपलब्ध नहीं है। कलकत्ता से 15 कि० मी० दूर से विशेषकर बारासत और बैरकपुर से, टेलीफोन पर सम्पर्क नहीं किया जा सकता। ऐसी ही और भी बहुत-सी कठिनाइयां हैं। एस० टी० डी० सुविधा के अलावा वास्तव में हम एस० टी० डी० के बारे में खुश हैं—क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों के 15 कि० मी० घेरे के भीतर नियमित सुविधाओं में सुधार करने के लिए उनका क्या विचार है? वे इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है जो श्री तांती पहले ही पूछ चुके हैं। यह तो पुराना उपकरण है जिसे बदला जाना है। वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री आशुतोष लाहा : एस० टी० डी० सुविधाएं चाहे दी जाएं चाहे न दी जाएं, किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या नियमित सेवा में सुधार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि इसी सदन में काफी सदस्यों ने यह शिकायत आपके सामने पेश की थी कि जब संसद सदस्य का सत्र समाप्त होने के बाद अपने-अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और जब वापिस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके टेलीफोन कनैक्शन पर कई दूसरे लोग अपना कनैक्शन जुड़वाकर उससे एस० टी० डी० का काम लेते हैं?

मेरी जानकारी है कि दिल्ली शहर में कई व्यापारियों में बातचीत की जाती है तो किसी न किसी तरह व्यवहार के जरिए वे दूसरों के टेलीफोन कनैक्ट करते हैं और ज्यादातर संसद-सदस्य जब रिसेस में चले जाते हैं और वापिस आते हैं तो उनका टेलीफोन बिल आप चैक कीजिए तो पता लगेगा। महीनों तक के लिए जब हम चले जाते हैं और कई ऐसे सांसद हैं कि जिनके निवास स्थान पर कोई रहता भी नहीं है, उस वक्त टेलीफोन का काफी बिल पड़ता है। यह शिकायत मैंने पेश की थी और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि प्रो० रंगा ने भी उसका समर्थन किया था और कहा था कि इसके बारे में तलाश कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सिलसिले में क्या सरकार ने कोई जांच की है? अगर की है तो इसमें क्या किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह : जो भी कम्पलेंट आती हैं, उनकी जांच की जाती है और उनके जवाब भी दिये जाते हैं। हमने नई प्रणाली अपनाई है, जहां-जहां पर हमारे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लग गए हैं, वहां-वहां पर हम लोगों को कोड दे रहे हैं। जब कोड दे दिये जाएंगे तो चाहे जब नम्बर लगा लीजिए और जब चाहे एस०टी०डी० सुविधा बन्द कर दीजिए, चाहे खोल लीजिए। उसके बाद जो कम्पलेंट अब आती हैं, उनकी संभावना नहीं रहेगी। हम यह सोच रहे हैं कि कहां-कहां किस

तरह कार्यवाही करें जिससे यह शिकायतें न होने पाएं और यह देखेंगे कि किस तरह से इन शिकायतों को बन्द किया जाए इसका प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरा यह भी कर सकते हैं कि उनके नम्बर नहीं होते हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट । मैं बोल रहा हूं । आप इसे ठीक ढंग से क्यों नहीं रह सकते हैं ? बिलों में संख्या दर्शायी जानी चाहिए जैसा कि अन्य देशों में किया जाता है । आप जितने भी नंबर मिलाएं वे बिलों पर आ जाएंगे । यहां केवल स्थानीय कालें हैं और आप उन्हें भी ठीक-ठाक अंकित नहीं कर पाए ।

[हिन्दी]

श्री वीर बहादुर सिंह : इलैक्ट्रिक एक्सचेंज में हो जाते हैं, दूसरों में नहीं होते हैं ।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर जिला मुख्यालयों में यह व्यवस्था की जा रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी औद्योगिक नगरी, जैसे मेरे क्षेत्र में, कोरबा है, अहां सार्वजनिक उपक्रम में संचार विभाग को पैसे दिये हैं, वहां पर कोल है और सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला स्थान है, जो कि एस० टी० डी० से आज तक नहीं जुड़ा है तो क्या सार्वजनिक उपक्रमों से पैसा लेने के बाद भी संचार विभाग ने आज तक वहां एस० टी० डी० की सुविधा नहीं दी है ? क्या इस बारे में कोई प्रयास किए जा रहे हैं और कोई कदम उठाया जा रहा है क्योंकि वहां के अधिकारियों को संचार व्यवस्था न होने से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली में आकर बातचीत करके वापिस जाना पड़ता है, इसका भार उन पर पड़ता है । क्या इसकी कोई व्यवस्था की जा रही है ? (व्यवधान) ।

श्री वीर बहादुर सिंह : यह बात सही है । आपकी जो कम्पलेंट है, उसको मैं देखूंगा ।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : सातवीं योजना में राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी । एस० टी० डी० के संबंध में हम अब तक 700 से अधिक स्थानों को यह सुविधा प्रदान कर चुके हैं । मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण कोरबा में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करना आवश्यक है कि हम सातवीं योजना में निर्धारित की गई प्राथमिकता और उपकरणों की उपलब्धता तथा तकनीकी सम्भाव्यता के आधार पर एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। औद्योगिक शहर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है किन्तु सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए उपकरण उपलब्ध न होने के कारण हम केवल उन जिला मुख्यालयों को मुख्य रूप से ही एक-दूसरे से जोड़ रहे हैं । जहां यह तकनीकी रूप में संभव है ।

आंध्र प्रदेश में ज्वार तरंगों से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना

*725. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वार तरंगों से विद्युत पैदा करने हेतु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट के कुछ स्थान उपयुक्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन स्थानों पर ज्वार तरंगों से विद्युत पैदा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अभी तक देश के सिर्फ गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ खाड़ी एवं काम्बे खाड़ी तथा पश्चिमी बंगाल के सुन्दरबन में गंगा का डेल्टा ही ऐसे स्थान पर पाए गए हैं, जहां ज्वार तरंगों से बिजली उत्पादन की संभानाएं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर बहुत बार चक्रवात और ज्वार तरंगें उठती रहती हैं। वस्तुतः जब हमने काफी समय तक चक्रवात और ज्वार तरंगों के प्रभाव क्षेत्र की जांच की तो यह पाया गया कि ये चक्रवात और ज्वार तरंगें मच्छलीपटनम और कृष्णा नदी के डेल्टा के पास पूर्वी तट पर ही बहुत बार उठती हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आंध्र प्रदेश में मच्छलीपटनम और कृष्णा डेल्टा के निकट पूर्वी तट पर उठने वाली ज्वार तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की संभावनाओं पर गहन अध्ययन करेगी ?

श्री कल्पनाथ राय : आंध्र प्रदेश तट की ज्वार तरंगों की विभिन्नता बहुत कम बतायी गई है और इसे वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ मितव्ययता से काम नहीं लाया जा सकता। सरकार फिलहाल केवल कच्छ और खम्बात की खाड़ी पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है किन्तु यहां यह किफायती नहीं है। एक सर्वेक्षण किया गया है और सी० ई० ए० ने भी इसकी जांच की है किन्तु उन्हें यह किफायती नहीं लगा इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : कोयला भण्डारों के कम होने के कारण और केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बावजूद लोगों द्वारा परमाणु विद्युत संयंत्रों का प्रतिरोध किए जाने के कारण हमें ज्वार तरंगों की ऊर्जा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि यह महंगी नहीं है। मंत्री ने इसे इस क्षेत्र में किफायती नहीं बताया है। क्या सरकार इस क्षेत्र में ज्वार तरंगीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए छोटे पैमाने पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ?

श्री कल्पनाथ राय : सरकार इसकी जांच करेगी और दोबारा सर्वेक्षण का आदेश देगी कि क्या ऐसा संभव है या नहीं।

डा० कृपासिंधु भोई : मेरे माननीय दोस्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है; क्या मंत्री जी ने मान-दण्ड स्वयं ही रखे हैं अथवा उन्होंने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अनुसंधानशाला, हैदराबाद की सहायता ली है, क्योंकि तमिलनाडु बिजली बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष, डा० चोक्कालिंगम ने भी पूर्वी तट तथा तमिलनाडु के आधार पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या जानकारी प्राप्त की है और किस मंत्रालय से प्राप्त की है। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी चाहता हूं। कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र, जिसमें ज्वार तरंगें पैदा करने के लिए रसायनिक विलायक माध्यम के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, में 1 किलोवाट विद्युत पैदा करने की लागत ताप संयंत्र तथा आणविक ऊर्जा संयन्त्र में आने वाली लागत

से अधिक है। इसलिए, क्या मंत्री महोदय तट से दूर तथा 'अन्तर महाद्वीपीय शेल्फ' में तरंग पैदा करने वाले क्षेत्र को तैयार करने में भूगर्भशास्त्रियों की सहायता करेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि डा० चोक्कालिंगम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुरानी है तथा उन्होंने इसमें नये मापदण्ड शामिल किये हैं और इसे नई रूपरेखा दी है। मैं जानना चाहता हूं कि डा० चोक्कालिंगम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और क्या वह तट से दूर 'जोन आफ फारमेशन' का निरूपण करेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, 1975 में देश के तीन स्थानों पर यू० एन० डी० पी० के विशेषज्ञों ने 8000 मेगावाट से 9000 मेगावट तक की विद्युत क्षमता का पता लगाया है। इसमें से लगभग 7000 मेगवाट गुजरात में खम्भात की खाड़ी में थी और 1000 मेगावाट कच्छ में थी। लघु योजनाओं के लिए अतिरिक्त क्षमता का पता सुन्दरबन में लगाया गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुबारा सर्वेक्षण किया जा सकता है और विशेषज्ञों को भेजा जा सकता है।

डा० कृपासिंधु भोई : आप डा० चोक्कालिंगम की परियोजना रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो केवल देश में ही अग्रणी नहीं थे बल्कि विश्व भर के पथ प्रदर्शक थे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस काम में हमारे वैज्ञानिकों को लगाया जा सकता है और क्या एन० आर० एस० आर० एल० को 'जोन आफ फारमेशन' तैयार करने के काम में लगाया जा सकता है।

श्री कल्पनाथ राय : मैं आपको बता चुका हूं कि फिर से एक सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया जायेगा और विशेषज्ञ की राय ली जायेगी। यदि इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया तो हम आपके सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री के० एस० राव : महोदय, हाल ही में, मैंने समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा था कि एक विदेशी कम्पनी ने ऊर्जा मंत्रालय के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि वे भारत सरकार द्वारा निवेश किए बिना ज्वार विद्युत पैदा करने के लिए तैयार हैं, अर्थात् अपने निवेश से विद्युत तैयार करेंगे और उसी दर पर विद्युत की सप्लाई करेंगे जिस दर पर अब सरकार विभिन्न उपभोक्ताओं को सप्लाई कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि नहीं तो प्रस्ताव में क्या दोष हैं।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और जब कभी हमारे पास आयेगा तो हम इसकी जांच करेंगे।

केरल में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता

*726. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केरल में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) इस अवधि के दौराम केरल में कितने यूनिट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सातवीं योजना के दौरान केरल राज्य में 530 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई थी। अप्रैल, 1988 में किए गए मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार, इस लक्ष्य को संशोधित करके 480 मेगावाट कर दिया गया है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान अब तक 465 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने का वर्ष
1.	इदुक्की जल विद्युत परियोजना (चरण-दो)	3 × 130 = 390	1985-87
2.	इदामलयार जल विद्युत परियोजना	2 × 37.5 = 75	1985-86
		465	

(ग) 465 मेगावाट की अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता से ऊर्जा के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता, इन यूनिटों को वास्तविक रूप से चलाए जाने के घंटों की संख्या पर निर्भर करेगी।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, केरल के लिए एक वर्ष हेतु विद्युत की कुल आवश्यकता लगभग 65000 लाख यूनिट है। उसमें से हम केरल में केवल 42000 लाख यूनिट विद्युत पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार लगभग 23000 लाख यूनिट विद्युत की कमी है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय स्रोत से लगभग 14000 लाख यूनिट विद्युत आवंटित की है। हमें यह आंध्र प्रदेश से लेनी पड़ती है परन्तु वास्तव में हमें यह मात्रा मिल नहीं रही है। इस विद्युत के विपथन के बारे में आरोप लगाये गये हैं परन्तु मैं इन विवादास्पद बातों में नहीं पड़ना चाहता। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह देखने के लिए कड़े कदम उठायेगी कि आवंटित विद्युत की सप्लाई केरल को की जाये और पूरी मात्रा में विद्युत वहां पहुंचे।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, केरल को आवंटित विद्युत आंध्र प्रदेश में रामागुन्डम से तथा मद्रास से आती है। इस वर्ष केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से केरल को विद्युत को और अधिक मात्रा दी गई है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : पर हमें यह नहीं मिल रही है। यही समस्या है। एक आरोप लगाया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा केरल को आवंटित विद्युत राज्य सरकार द्वारा विपथन के कारण केरल में नहीं पहुंच पा रही है।

श्री कल्पनाथ राय : कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार पर आरोप लगा सकता है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : परन्तु यह आरोप राज्य सरकार के विरुद्ध लगाया गया है कि वे विद्युत का विपथन कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : केरल में विद्युत की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने कमानगुलाम में पहले ही एक सुपर ताप विद्युत गृह की स्वीकृति दे दी है। 2400 मेगावाट की क्षमता वाला यह ताप विद्युत घर भारत में सबसे बड़ा है। एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है और भारत तथा सोवियत संघ के बीच पहले ही समझौता हो चुका है। निकट भविष्य में भारत सरकार केरल की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होगी।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसे विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यह ताप विद्युत गृह केरल को आवंटित करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। परन्तु एक ताप विद्युत संयंत्र चालू होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए केरल सरकार का गैस पर आधारित ताप विद्युत संयन्त्र का प्रस्ताव है, जो मेरे विचार में दो वर्ष में शुरू किया जा सकता है। क्या सरकार राज्य सरकार के इस निवेदन पर विचार करेगी और यथाशीघ्र इसे स्वीकृति देगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : एल० एस० एच० एस० के साथ गैस पर आधारित संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव था। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने कोचीन तेल शोधक कारखाने से एल० एस० एच० एस० प्राप्त करने के सम्पर्क के बारे में अभी तक पुष्टि नहीं की है। जहां तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) का सम्बन्ध है, सैद्धान्तिक तौर पर हमने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। परन्तु जब तक उन्हें एल० एस० एच० एस० नहीं मिल जाता तब तक वे संयंत्र नहीं लगा पायेंगे।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है और ऊर्जा राज्य मन्त्री ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसे बोनस के रूप में नहीं रख सकते ?

श्री सुरेश कुरूप : अब केरल को घोर विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : टेलीफोन जैसा हो गया, 197 लगाया तो 199 लग गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ भी ऐसा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : वास्तव में केरल सरकार ने यह मांग की थी कि केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से आवंटित विद्युत के अतिरिक्त, राज्य में घोर विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को अरक्षित पूल से और अधिक विद्युत आवंटित करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री इस पर ध्यान देंगे और आरक्षित पूल से केरल को और अधिक विद्युत आवंटित करेंगे।

श्री वसन्त साठे : यहां तक कि 15 प्रतिशत विद्युत जो केन्द्र के पास आरक्षित है उसे भी क्षेत्रीय बोर्ड के साथ विचार-विमर्श से राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित कर दिया गया है। आरक्षित विद्युत का आवंटन स्वेच्छा से नहीं किया जाता है। हमने पहले ही क्षेत्रीय बोर्ड को निर्देश

दे दिया है कि उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कम से कम विभिन्न राज्यों को आवंटित विद्युत का भाग उन राज्यों तक पहुंचे। एन० टी० पी० सी० द्वारा नई पारेषण प्रणाली बिछाने के लिए भी हम उनकी सहायता कर रहे हैं जिससे केरल जैसे राज्य को अपना विद्युत का हिस्सा शीघ्र तथा निश्चित रूप से मिलने में सहायता मिलेगी। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि राज्यों को देय विद्युत उपलब्ध कराई जाए। वास्तव में, जहां तक केरल का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं यह देखने की पहल की है कि केरल को महाराष्ट्र से अतिरिक्त विद्युत आवंटित कर उपलब्ध कराई जाए। हम यह देखने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि दक्षिण क्षेत्र में जिन राज्यों में बिजली की कमी है उन्हें, जहां कहीं से सम्भव हो, पर्याप्त विद्युत प्रदान की जाये।

[हिन्दी]

डा० सी० एस० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या पूरे देश में है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थर्मल पावर स्टेशन और हाइडल पावर स्टेशन के बनने में काफी समय लगता है तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खासकर सोलर पावर स्टेशन बनाने के लिए सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है? टोटल फण्ड आफ एलोकेशन का 10 परसेंट नान कन्वेंशनल एनर्जी पर देने के लिए क्या विचार किया जा रहा है, जिससे बिजली की समस्या का निदान हो सके।

श्री वसन्त साठे : यह बात सही है कि देश में जो ऊर्जा की समस्या है, सही मायने में उसका हल तभी हो पाएगा जब प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम कर सकेंगे जैसे सौर-ऊर्जा आदि। अभी राजस्थान में 30 मेगावाट का एक प्रकल्प सौर-ऊर्जा का लगाया जा रहा है, गुजरात में भी वैसा ही विचाराधीन है। यह प्रकल्प लगाने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें यह सिफारिश की गई कि कम से कम 10 प्रतिशत प्रावधान प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के लिए होना चाहिए। यह मामला प्लानिंग कमीशन के पास और अर्थ मन्त्रालय के पास विचाराधीन है, यदि यह प्रावधान हो जाता है तो उससे प्राकृतिक स्रोतों के दोहन के कार्यक्रम में और तेजी आएगी।

डा० सी० एस० वर्मा : क्या बिहार में भी सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री वसन्त साठे : हां कर रही है।

आंध्र प्रदेश को आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

*731. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी-निवेश राजसहायता तथा रियायतों के रूप में दी गई, धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आगामी दो वर्षों के दौरान राज्य को ऐसी वित्तीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिज्ञात औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों (इन जिलों में आदिवासी क्षेत्र सहित) में उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश को 20.35 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना को 30 दिसम्बर, 1988 तक बढ़ाया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो श्रीगणेश ही आपसे हुआ है।

श्री वी० तुलसी राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि 20.35 करोड़ रुपया दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि कौन से जिलों में दिया गया है, किन उद्योगों के लिए दिया गया है, इसमें ट्राइबल एरियाज कौन-कौन से हैं और किन-किन आदमियों को दिया गया है, अगर मंत्री जी के पास लिस्ट हो तो बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा वापस दी जा रही है। सूची राज्य सरकार के पास हो सकती है और सूची के बारे में उन्हें राज्य सरकार से कहना होगा।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : इसकी डेट 30 सितम्बर, 1988 तक थी, अगर उससे पहले इंडस्ट्री का काम पूरा नहीं हुआ तो उसको पूरा करने के लिए पैसा देंगे या नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्या आपने उनको कोई नोटिस दिया था कि इस समय तक अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद हम पैसा नहीं देंगे। क्या इस स्कीम को कुछ और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे कई लोगों को सुविधा हो सकती है और छोटी इंडस्ट्रीज लगाने में मदद मिल सकती है, बेरोजगार स्नातकों को काम मिल सकता है, वे लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या इसके बारे में आप कुछ सोचेंगे, खासकर मेरी कांस्टीट्वेंसी में यह स्कीम थी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोल इण्डिया लि० का कार्यकरण

[अनुवाद]

*716. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के लिए कोल इंडिया लि० हेतु कुल कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई थी;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) क्या वास्तविक व्यय कुछ कम हुआ है और यदि हां, तो कितना कम हुआ है और सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान व्यय में कुल कितनी कमी होने की संभावना है;

(घ) क्या व्यय में कमी का उत्पादन योजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का कोल इंडिया लि० के दैनिक कार्यकरण में उनकी स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कोल इंडिया लि० के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6000.58 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की तुलना में प्रथम चार वर्षों के दौरान 31-3-1989 तक कुल 4131.74 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान इन चार वर्षों के लिए वर्षवार अनुमोदित कुल परिव्यय की तुलना में कुल व्यय लगभग 99.2 प्रतिशत हुआ। पांचवें वर्ष के लिए अर्थात् 1989-90 में 1800 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय की राशि को पूर्णतः प्रयोग में लाए जाने की संभावना है। कोल इंडिया लि० की उत्पादन योजनाएं बिल्कुल प्रभावी नहीं हुई हैं। कोल इंडिया लि० ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्यों को पूर्णतः पूरा किया है।

(ङ) कोल इंडिया लि० के पास अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों को चलाए जाने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता पहले से ही विद्यमान है।

जर्मन संघीय गणराज्य के साथ औद्योगिक सहयोग

*721. **श्री मुरलीधर माने :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच औद्योगिक सहयोग में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो जर्मन संघीय गणराज्य के साथ कितने औद्योगिक समझौते किए गए हैं;

(ग) क्या जर्मन संघीय गणराज्य के साथ औद्योगिक समझौतों के लिए किन्हीं अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों में तथा जनवरी से मार्च ,1989 की अवधि में कुल स्वीकृत विदेशी सहयोगों और जर्मन संघीय गणराज्य के साथ स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की कुल संख्या इस प्रकार हैं :—

वर्ष	वर्ष में विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान पश्चिम जर्मनी के साथ स्वीकृत सहयोग के प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3
1984	752	135
1985	1024	180

1	2	3
1986	957	183
1987	853	149
1988	926	178
1989 (जनवरी से मार्च)	160	33

सभी स्वीकृत औद्योगिक सहयोग के ब्यौरे जैसे कि भारतीय तथा विदेशी सहयोग फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु तथा विदेशी सहयोग का स्वरूप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में हर माह प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को नियमित आधार पर भेजी जाती हैं। जर्मन संघीय गणराज्य के साथ विदेशी सहयोग से सम्बन्धित कुछ और प्रस्ताव प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। लंबित पड़े आवेदनों के ब्यौरे सरकार के उन पर कोई अन्तिम निर्णय तक प्रकट नहीं किए जा सकते हैं।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा औषधों और इन्टरमीडिएट्स का आयात

*724. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भण्डारण तथा बिक्री हेतु किन-किन औषधों और इन्टरमीडिएट्स का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक आयातित औषध और इन्टरमीडिएट्स का अवतरण मूल्य क्या है, उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा का आयात किया गया और उनका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है;

(ग) क्या इन आयातित औषधों और इन्टरमीडिएट्स का बिक्री मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गये थे अथवा उन्हें स्वयं मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को वर्ष 1987-88 के दौरान इनसे अनाशयित लाभ प्राप्त हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो यह अनाशयित लाभ कितना था?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) भण्डार और बिक्री के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एच० ए० एल० द्वारा किसी मध्यवर्ती अथवा प्रपुंज औषध का आयात नहीं किया गया था। जहां तक आई० डी० पी० एल० का सम्बन्ध है, अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) कोई विशिष्ट मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की गई थीं।

(घ) 1987-88 के दौरान कोई अनुचित लाभ नहीं कमाया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	उत्पादन	आई० डी० पी० एल० द्वारा आयातित मात्रा (कि०ग्रा०) 1985-86	1986-87	1987-88	प्रति कि० ग्रा० अवतरित लागत	प्रति कि० ग्रा० बिक्री मूल्य
1.	टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०	—	—	20,000	रु० 843/-	रु० 971/-
2.	विटामिन बी 1 एच० सी० एल०	—	—	15,000	960/- रु० से लेकर 1035/- रु० तक	रु० 1176/-
3.	विटामिन बी 1 मोनो	—	—	5,000	रु० 966/-	रु० 1228/-
4.	विटामिन बी 2	5,000* 10,000**	—	***5,000	रु० 944/-* रु० 964/-**	पूलिक मूल्य (1985-86) 1490/- रुपए से लेकर
		15,000			रु० 1463/-***	1520/-रु० (1986-87)
5.	हाइड्रोक्सीलामाइन सल्फेट	—	41,000	—	रु० 40/-	2384/-रु० (1987-88) रु० 51/-

केरल में पन-बिजली परियोजनाएं

***727. प्रो० के० वी० थामस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन पन-बिजली परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) केरल सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में हैं :

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	अभ्युक्ति
1. अदीरापल्ली ज० वि० परियोजना	2×80 मेगावाट	92.14	संशोधित रिपोर्ट जनवरी, 1989 में प्राप्त हुई थी। पारेषण सम्बन्धी टिप्पणी परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गई थी जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
2. अनकयाम ज० वि० परियोजना	2×4 मेगावाट	15.58	योजना सम्बन्धी आगे की टिप्पणियां राज्य सरकार को जनवरी, 1989 में भेजी गई थीं। संशोधित रिपोर्ट फरवरी, 1989 में प्राप्त हुई और परीक्षणाधीन है।
3. पोरिंगलकुथू बायां तट विस्तार	1×16 मेगावाट	9.02	के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई है। योजना आयोग का निवेश सम्बन्धी निर्णय प्रतीक्षित है। पर्यावरण दृष्टि से अभी भी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

उड़ीसा में डाक सेवाओं का विस्तार

*728. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में डाक सेवाओं का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन नए स्थानों पर डाकघर खोलने हेतु मांग प्राप्त हुई है;

(घ) प्रतिबन्ध में छूट दिए जाने के पश्चात उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर कितने डाकघर खोले गए हैं; और

(ङ) उड़ीसा में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान डाक और दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या-क्या योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1989 में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 169 शाखा डाकघर और 2 विभागीय उप डाकघर मजूर किए गए हैं। (सूची संलग्न विवरण में दी गई है) 16 डाकघरों, अर्थात पुरी जिले में जमदेईपुर और क्योंझर जिले में कुसुमिता, बसीरा, तालपद, बालपोखरी और तरणीपोखरी को छोड़कर अन्य सभी डाकघरों ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी संभावना है कि बाकी बचे 6 डाकघर भी जल्दी ही खोल दिए जाएंगे। 1989-90 के दौरान, अपनाए जाने वाले मानदंडों के आधार पर, 150 से 200 और डाकघर खोले जाने की संभावना है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 1987-88 में 16 डाकघर खोले गए थे तथा 165 डाकघर 1-4-1988 से 20-4-1989 की अवधि के दौरान खोले गए।

(ङ) जहां तक दूरसंचार क्षेत्र का सम्बन्ध है, आठवीं योजना के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जहां तक डाक क्षेत्र का सम्बन्ध है, जिस सामान्य प्रस्ताव को अपनाए जाने की संभावना है, वह है देश के सभी भागों में मूलभूत डाक सेवा उपलब्ध कराना जिनमें जनजातीय, दूरदराज के व पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। राज्य-वार अलग-अलग कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र०सं०	डाकघर का नाम	जिला	क्या सामान्य/पहाड़ी/ ग्रामीण क्षेत्र है
1	2	3	4
1.	महाराजापल्ली	कोरापुट	जनजातीय
2.	आंध्र पल्ली	—वही—	—वही—
3.	कुमारगंधाना	—वही—	—वही—
4.	गोधाधनुवा	—वही—	—वही—

1	2	3	4
5.	गुंटवाडा	कोरापुट	जनजातीय
6.	बडापडार	—वही—	—वही—
7.	जादंबा	—वही—	—वही—
8.	दोदागुडा	—वही—	—वही—
9.	बीरीगुडा	—वही—	—वही—
10.	बैंगाम	—वही—	—वही—
11.	चिकिमा	—वही—	—वही—
12.	सेमला	—वही—	—वही—
13.	फुपगाम	—वही—	—वही—
14.	देवभारांडी	--वही—	—वही—
15.	पराजा देवपाली	—वही—	—वही—
16.	खुजातीगुडार	—वही—	—वही—
17.	केरीमिती	—वही—	—वही—
18.	बडाकुमारी	—वही—	—वही—
19.	चारमूला	—वही—	—वही—
20.	गुमुण्डा	—वही—	—वही—
21.	हरीपुर	मयूरभंज	—वही—
22.	पटबिल	—वही—	—वही--
23.	खुराधिका	—वही—	—वही—
24.	जीरल	—वही—	—वही—
25.	धरमदीहि	—वही—	—वसी—
26.	नौगांव	—वही—	—वही—
27.	पनथो	—वही—	—वही—
28.	नाफरी	—वही—	—वही—
29.	सायपुरसन्दर	--वही—	—वही—
30.	सरिसापुर	—वही—	—वही—
31.	जमैदाईपुर	पुरी	सामान्य
32.	धनचंगदा	—वही—	—वही—
33.	बासंगदा	—वही—	—वही—

1	2	3	4
34.	मिथापल्ली	सम्बलपुर	सामान्य
35.	केनसिरी	—वही—	—वही—
36.	सीलाट	—वही—	—वही—
37.	जैमुअल	—वही—	—वही—
38.	रमतिलाईमल	—वही—	जनजातीय
39.	अरदावहल	—वही—	—वही—
40.	खरसनमाल	—वही—	—वही—
41.	लेडागुमा	—वही—	—वही—
42.	कुसमिता	क्योंझर	—वही—
43.	वसीरा	—वही—	—वही—
44.	सिलिडा	—वही—	—वही—
45.	कैन्टा	—वही—	—वही—
46.	तालपाडा	—वही—	—वही—
47.	बालीपोखरी	—वही—	—वही—
48.	तोरानीपोखरी	—वही—	—वही—
49.	नरसिंहपुर	कटक	सामान्य
50.	गोबरधनपुर	—वही—	—वही—
51.	रंगागन्डी	—वही—	—वही—
52.	धानीपुर	—वही—	—वही—
53.	कियाझर	—वही—	—वही—
54.	बलभद्रपुर	—वही—	—वही—
55.	सनमांगा	—वही—	—वही—
56.	मधुपुर	—वही—	—वही—
57.	मंगराजपुर	—वही—	—वही—
58.	ओलालू	—वही—	—वही—
59.	इराबंक	—वही—	—वही—
60.	पलिरागुनाथपुर	—वही—	—वही—
61.	अम्पोलबा	—वही—	—वही—
62.	खरिनासी	—वही—	—वही—

1	2	3	4
63.	माणिकपटना	कटक	सामान्य
64.	अटाल	—वही—	—वही—
65.	छंदेश	—वही—	—वही—
66.	कोइलीपुर	—वही—	सामान्य
67.	बंदिही	—वही—	—वही—
68.	जदकुदार	सुन्दरगढ़	जनजातीय
69.	कान्ताबहाल	—वही—	—वही—
70.	सयदीमाल	बालासोर	—वही—
71.	चंचेर	कालाहाण्डी	सामान्य
72.	भीमकेला	—वही—	—वही—
73.	गोलपाडा	गंजम	—वही—
74.	मटियापाली	बालंगीर	—वही—
75.	खिनाजूरी	—वही—	—वही—
76.	समलाईचौहान	—वही—	—वही—
77.	बंकीपाली	—वही—	—वही—
78.	भरगुल	—वही—	—वही—
79.	बाबूपल्ली	—वही—	—वही—
80.	उडार	—वही—	—वही—
81.	तलीउडार	—वही—	—वही—
82.	मिर्धापाली	—वही—	—वही—
83.	सिकछड़ा	—वही—	—वही—
84.	जुलुन्दा	—वही—	—वही—
85.	बेताल	कटक	—वही—
86.	बारासाही	धेनकनाल	—वही—
87.	अखुवापाल	—वही—	—वही—
88.	सरदापुर	—वही—	—वही—
89.	बाम	—वही—	—वही—
90.	पाटकुमुण्डा	—वही—	—वही—

1	2	3	4
91.	पद्मावतीपुरम	धेनकनाल	सामान्य
92.	केष्टापाल	—वही—	—वही—
93.	बांगुरिसिंगा	—वही—	—वही—
94.	ओस्कापल्ली	—वही—	—वही—
95.	पेढीपेथर	—वही—	—वही—
96.	महादेवदिही	मयूरभंग	जनजातीय
97.	बीरबलभद्रपुर	पुरी	सामान्य
98.	कलमपुर	कालाहाण्डी	—वही—
99.	केरामण्डी	—वही—	—वही—
100.	[illegible]	कोरापुट	जनजातीत
101.	सोरगुली	—वही—	—वही—
102.	तेलमापडार	—वही—	—वही—
103.	कंआरीगुडा	—वही—	—वही—
104.	बदांगटीगुडा	—वही—	—वही—
105.	आगुला	—वही—	—वही—
106.	मन्तरीगुडा	—वही—	—वही—
107.	हातीखंभा	—वही—	—वही—
108.	पत्रीपातरा	—वही—	—वही—
109.	कुरकुंडा	सम्बलपुर	—वही—
110.	छतांबार	—वही—	—वही—
111.	झिमलीपाल	—वही—	पिछड़े
112.	भीमजोर	—वहीं—	सामान्य
113.	कुमालपुर	—वही—	—वही—
114.	बगंर	—वही—	—वही—
115.	पजेंड़	—वही—	—वही—
116.	मलारबागा	सुन्दरगढ़	जनजातीय
117.	किरसिरा	—वही—	—वही—
118.	अम्बपानी	—वही—	—वही—

1	2	3	4
119.	गुमुदिया	फूलबनी	जनजातीय
120.	बापलमेंडी	—वही—	—वही—
121.	आमझिरी	—वही—	—वहीं—
122.	तेंतुलीगाडा	—वही—	—वही—
123.	झुनुनगिजोड़ी	—वही—	—वही—
124.	बलकाटी	कटक	सामान्य
125.	गुवामत	बालासौर	पिछड़े
126.	नाहंगा	—वही—	—वही—
127.	कसीदा	—वही—	—वही—
128.	अदगा पंटाई	—वही—	—वही—
129.	अलस्वान	—वही—	—वही—
130.	पधानी	—वहीं—	—वही—
131.	बहाबलपुर	—वही—	—वही—
132.	सरकोहा	—वही—	—वही—
133.	बालंगा	—वही—	—वही—
134.	चालुनिगांव	—वही—	—वही—
135.	भण्डार	बालंगीर	—वही—
136.	तमामूरा	—वही—	—वही—
137.	पेधाल	—वही—	—वही—
138.	फ़ाटमुण्डा	—वही—	—वही—
139.	सियालेटी	कालाहाण्डी	—वही—
140.	कुरेबार	—वही—	—वही—
141.	बासुदेवपुर	क्योंझर	जनजातीय
142.	चाकुण्डापाल	—वही—	—वही—
143.	धोबकचौड़ा	—वही—	—वही—
144.	नन्दीगाम	कोरापुट	—वही—
145.	बेतल	—वही—	—वही—
146.	रामजीपुर	कोरापट	जनजातीय

1	2	3	4
147.	कोंगरुकगेंडा	कोरापुट	जनजातीय
148.	तेलराही	—वही—	—वही—
149.	भारनपुर	—वही—	—वही—
150.	किनालोडी	—वही—	—वही—
151.	केम्पोर	—वही—	—वही—
152.	चन्दागिरि	—वही—	—वही—
153.	ब्राह्मण हलवा	—वही—	—वही—
154.	सिरिपाल	—वही—	—वही—
155.	पायकपेडा	—वही—	—वही—
156.	बीजाबांदली	—वही—	—वही—
157.	तुरईघाटी	—वही—	—वही—
158.	सुलावा	—वही—	—वही—
159.	रेंगा	—वही—	—वही—
160.	नाकममुडी	—वही—	—वही—
161.	पेटागडिया	मयूरभंज	- वही—
162.	दादापेडा	फुलबनी	—वही—
163.	सिकोरिदा	पुरी	सामान्य
164.	गोदरापाडा	सम्बलपुर	—वही—
165.	दंगजोर	—वही—	—वही—
166.	तालनसार	—वही—	—वही—
167.	रबगा	—वही—	—वही—
168.	केछोपानी	—वही—	—वही—
169.	बस्सुवान	सुन्दरगढ़	—वही—

विभागीय उप-डाकघर

1.	गारमुण्डा में चिपलिया कृषि कालेज	सम्बलपुर	ग्रामीण/सामान्य
2.	भसंदाबहल (एस॰ ई॰ सी॰ एल॰ कालोनी)	—वही—	—वही—

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० के प्रशिक्षण कार्यक्रम

*729. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन खाद्य तथा कृषि संगठन सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक के सहयोग से देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या हैं और इनसे अब तक क्या परिणाम निकले हैं तथा इन कार्यक्रमों में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां ।

(ख) रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि० (एच० आई० एल०) द्वारा यूनिडो/एफ० ए० ओ०/यू० एन० डी० सी०/विश्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से रीजनल नेटवर्क आन पेस्टिसाइड्स फार एशिया एण्ड पैसिफिक प्रोग्राम (आर० ई० एन० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत पेस्टिसाइड्स सूत्रयोगों के गुणवत्ता नियन्त्रण पर अब तक अक्तूबर/नवम्बर, 1987 और नवम्बर/दिसम्बर, 1988 में दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा एच० आई० एल० ने यूनिडो/यू० एन० डी० पी० के साथ संयुक्त रूप से फरवरी, 1984, मार्च, 1987 और मार्च/अप्रैल, 1989 में पेस्टिसाइड सूत्रयोग प्रौद्योगिकी पर तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है ।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उद्देश्य भाग लेने वालों को पेस्टिसाइड्स सूत्रयोग निर्माण विश्लेषण एवं प्रयोगशाला प्रक्रियाओं, विविधीकृत एवं स्थानीय कच्चे माल के उपयोगों, आदि की नवीनतम तकनीकों से परिचित करवाना है। इसमें भाग लेने वाले आर० ई० एन० पी० ए० पी० के 10 सदस्य देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बंगलादेश, पीपुल्स रिपब्लिक और चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, रिपब्लिक आफ कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, श्रीलंका और थाइलैंड से अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विनियमन एजेंसियों और विनिर्माण कम्पनियों से है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं और भाग लेने वाले देशों में उनका स्वागत हुआ है ।

रंग सामग्री का निर्माण करने वाले एककों के लिए कच्चे माल की कमी

*730. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण रंग सामग्री का निर्माण करने वाले एकक अपने निर्यात आश्वासन पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) क्या रंग सामग्री निर्माण करने वाले एककों की एसोसियेशन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि वह कच्चे माल के निर्माताओं को रंग सामग्री निर्माता एककों को सीधे ही इन आधार रसायनों की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सप्लाई करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करें और इन आधार रसायनों के निर्यात को प्रोत्साहन न दें; और

(ग) सरकार द्वारा रंग सामग्री निर्माता एककों को आधार रसायनों की उचित मूल्यों पर

पर्याप्त मात्र में सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और आई० पी० सी० एल० द्वारा उत्पादित रसायन मध्यवर्तियों की इन उत्पादों के लिए सीमित अधिष्ठापित क्षमता और स्वदेशी उपयोग एवं निर्यात दोनों के लिए इनकी मांग में भारी वृद्धि के कारण कुछ कमी हुई है ।

(ख) और (ग) जी, हां । कम आपूर्ति वाले किसी भी मूल रसायन मध्यवर्ती का एच० ओ० सी० या आई० पी० सी० एल० द्वारा निर्यात नहीं किया जा रहा है और उनकी आपूर्ति डाइस्टफ एककों सहित रसायन विनिर्माताओं को की जा रही है । सरकार ने डाइस्टफ एवं अन्य निर्यातकों को अंतर्वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं । रसायन मध्यवर्तियों के विनिर्माण में लगे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों और प्रमुख गैर सरकारी क्षेत्र के एककों से अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत निर्यात हेतु आरक्षित करने को कहा गया है । उन्हें लगभग अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर नाफ्था की आपूर्ति भी की जा रही है और सभी नाफ्था जनित मध्यवर्तियों के मूल्य निर्यात उत्पादन के लिए घटा दिये गये हैं ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक स्पर्धा योग्य बनाया जा सके । ऐसे सभी एककों में अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सम्पूर्ण उपलब्धता में सुधार हेतु अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ।

सहायक उद्योगों का आधुनिकीकरण

*732. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहायक उद्योग क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की एक अनवरत प्रक्रिया है ।

(ख) लघु क्षेत्र के किसी अनुषंगी उपक्रम के निवेश की सीमा लघु क्षेत्र के अन्य एककों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है । अनुषंगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने हाल में "अनुषंगी" दर्जे की पुन: परिभाषा की है, ताकि कोई औद्योगिक उपक्रम अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए अन्य एककों को अपने उत्पादन अथवा कुल सेवाओं के पूर्व निर्धारित 50 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत भाग की आपूर्ति कर सके अथवा आपूर्ति का प्रस्ताव कर सके । सरकार ने अनुषंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए देश के विभिन्न लघु उद्योग सेवा संस्थानों में 16 उप-अनुबंधक केन्द्र भी स्थापित किए हैं ।

क्रेता-विक्रेता संबंध तथा विक्रेता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । अनुषंगी विकास की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जले मीटरों का बदला जाना

*733. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली मीटरों के जल जाने पर नये मीटर उपलब्ध कराने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) ऐसे मीटरों को बदलने में सामान्यतः कितना समय लगता है;

(ग) क्या मीटरों के जल जाने के मामले दिल्ली के, विशेषकर यमुना पार क्षेत्र में बहुत अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान कितने मीटरों के जलने संबंधी मामले दर्ज कराये गये;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, किसी उपभोक्ता से मीटर के जलने के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर उससे आश्वासन प्राप्त किया जाता है कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि मीटर के जलने का कारण उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन में कोई खराबी होना है तो उसके द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को मीटर की लागत का भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात सामान्यतः 48 घंटे में मीटर बदल दिया जाता है।

(ग) और (घ) जहां तक यमुना पार क्षेत्र का संबंध है, वर्ष 1988 के दौरान, उस क्षेत्र में लगभग 3 लाख कनैक्शनों में से जले तथा दोषयुक्त मीटरों की अनुमानित संख्या लगभग 13,800 है। यह दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की समूची प्रणाली में दोषयुक्त मीटरों की कुल संख्या (लगभग 15.18 लाख कनैक्शनों में से 60,000) के साथ तुलनीय है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

संसदीय चुनाव क्षेत्रों में टी० वी० ट्रांसमीटर

*734. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने संसदीय चुनाव क्षेत्रों में कम या उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं और कितने संसदीय चुनाव क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं;

(ख) इन चुनाव क्षेत्रों में अभी तक कम या उच्च शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष चुनाव क्षेत्रों में कब तक टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित कर दिए जायेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) कुल 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से इस समय 504 क्षेत्र या तो पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर होते हैं। जबकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के 253 क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं, 251 निर्वाचन क्षेत्रों को निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होती है। सातवीं योजना की विभिन्न स्कीमों के पूरा हो जाने पर पांच को छोड़कर देश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से दूरदर्शन

सेवा द्वारा कवर हो जाएंगे। शेष पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी आठवीं योजना के प्रारंभिक अवधि के दौरान दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भू-उपग्रह केन्द्रों की स्थापना करना

[हिन्दी]

*735. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए देश के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान ऐसे कितने भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्र उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1989-90 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित भू-उपग्रह केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में और जिनके संस्थापन का निर्धारण 1990-91 और 1991-92 के लिए किया गया है। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिला गढ़वाल के उत्तर-काशी तथा श्रीनगर में पहले से ही भू-उपग्रह केन्द्र हैं। निश्चित भू-केन्द्र अभी संस्थापित किया जाना है इसके बावजूद भी जोशीमठ में एक ट्रांसपोर्टेबल कम्यूनिकेशन टर्मिनल भी लगाया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1989-90 के दौरान भू-केन्द्रों के चालू किए जाने का कार्यक्रम

1. जोशीमठ (उ० प्र०)
2. तमेनलांग (मणिपुर)
3. मोरेह (मणिपुर)
4. महीन्द्रगढ़ (मेघालय)
5. बागमारा (मेघालय)
6. शेल्ला —वही—
7. चेरापूंजी —वही—
8. हैलकांदी (असम)
9. दिमजान (असम)
10. दिफू (असम)

11. सेहा (मिजोरम)
12. कमालपुर (त्रिपुरा)
13. साबराम (त्रिपुरा)
14. खोवाई (त्रिपुरा)
15. अंडरोठ (लक्षद्वीप)
16. अगाती (लक्षद्वीप)
17. किल्टान —वही—
18. कालपेनी—वही—
19. रणघाट (अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह)
20. हुतबे —वही—
21. कामरोटा —वही—
22. कटवाल —वही—

विवरण-2

1990-91 और 1991-92 के दौरान चालू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए स्टेशन

1. चंपाई (मिजोरम)
2. मानकचर (असम)
3. सिल्चर (असम)
4. गुवाहाटी (असम)
5. माबुली (असम)
6. किफरी (नागालैंड)
7. मोन —वही—
8. भवानी पटना (उड़ीसा)
9. देवकी (मेघालय)
10. जीरीबाग (मणिपुर)
11. कोलासिब (मिजोरम)
12. चवांगटे (मिजोरम)
13. तलाबगोंग (मिजोरम)
14. चंगलांग (अरुणाचल प्रदेश)
15. पहलगांव (जम्मू तथा कश्मीर)

राजस्थान के पाली नगर में टी० वी० ट्रांसमीटर

*736. **श्री शंकर लाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं, वे कब से कार्य कर रहे हैं तथा इनकी प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) इन ट्रांसमीटरों में प्रसारित कार्यक्रम किन-किन गांवों तथा शहरों में देखे जा सकते हैं एवं प्रत्येक ट्रांसमीटर का प्रसारण-क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान के पाली नगर में उच्च शक्ति का एक टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राजस्थान में उन स्थानों के नाम जहां इस समय दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं तथा उसके साथ ही उनकी शक्ति, कवरेज के आंकड़े तथा उनके चालू किये जाने की तारीख अनुलग्नक में दिए गए हैं। विभिन्न नगरों/गांवों में इन ट्रांसमीटरों की कवरेज सीमा के निर्धारण के लिए अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु, राजस्थान में प्रत्येक ट्रांसमीटर द्वारा कवर होने वाली अनुमानित कुल शहरी और ग्रामीण जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पाली में मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर को बदलकर वहां उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	स्थान	ट्रांसमीटर को चालू किए जाने की तारीख	ट्रांसमीटर की शक्ति	सेवा रेंज (कि०मी०)	कवर होने वाली जनसंख्या (लाख)		
					शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जयपुर	1-3-77	10 कि० वा०	130	19.36	59.23	78.59
2.	सूरतगढ़	19-11-82	100 वाट	25	0.29	1.60	1.89
3.	गंगानगर	1-7-84	100 वाट	25	1.21	1.12	2.33
4.	जोधपुर	2-7-84	100 वाट	25	4.93	0.97	5.90
5.	उदयपुर	8-7-84	100 वाट	25	2.30	2.20	4.50
6.	कोटा	9-7-84	100 वाट	25	3.47	1.72	5.19
7.	अलवर	16-7-84	100 वाट	25	1.40	3.76	5.16
8.	खेतड़ी	18-7-84	100 वाट	25	0.12	3.41	3.53
9.	बीकानेर	10-8-84	100 वाट	25	2.92	0.35	3.27
10.	भीलवाड़ा	19-8-84	100 वाट	25	1.22	2.11	3.33
11.	अजमेर	22-8-84	100 वाट	25	3.83	1.83	5.66
12.	जैसलमेर	14-9-84	100 वाट	25	0.20	0.10	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बाड़मेर	11-10-84	10 वाट	25	0.53	0.71	1.24
14.	रावतभाट	4-1-87	2×10 वाट	8	0.17	—	0.17
15.	पिलानी	30-3-87	100 वाट	25	0.67	2.07	2.74
16.	पाली	10-3-88	100 वाट	15	0.90	1.66	2.56
17.	नागौर	20-3-88	100 वाट	15	0.58	0.54	1.12
18.	डूंगरपुर	27-3-88	100 वाट	15	0.27	1.07	1.34
19.	चित्तौड़गढ़	29-3-88	100 वाट	15	0.44	0.68	1.12
20.	बांसवाड़ा	29-3-88	100 वाट	15	0.48	1.16	1.64
21.	सिरोही	21-11-88	100 वाट	15	0.23	0.61	0.84
22.	झुनझुनूं	9-2-89	100 वाट	15	0.72	0.93	1.65
23.	चूरू	14-3-89	100 वाट	15	0.62	0.52	1.14
24.	सीकर	19-3-89	100 वाट	15	1.02	1.00	2.02
25.	झालावाड़	27-3-89	100 वाट	15	0.45	0.74	1.19

औषधों का निर्माण

[अनुवाद]

6788. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ऐसी औषधों का देश में निर्माण किया जाता है और आयात भी किया जाता है जो न तो आवश्यक है और न ही जीवन रक्षक ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उपलब्ध सभी प्रजातिगत (जेनेटिक) औषधों के नामों का उल्लेख करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हुई हैं; और

(घ) जीवन रक्षक औषधों के नाम क्या हैं और इनका निर्माण किन-किन कम्पनियों द्वारा किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) देश में औषधों का विनिर्माण एवं उपयोग औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। औषधों के आयात की अनुमति प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादन की तुलना में मांग आदि जैसे अनेक पहलुओं को ध्यान में रखकर दी जाती है।

(ग) देश के विपणन किए जाने वाले सभी एकल घटक सूत्रयोगों के पैक/बोतल पर उनके जेनेरिक नामों के ब्रान्ड से दुगने आकार में सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है। सरकार की नीति जेनेरिक नामों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने की है।

(घ) देश में एण्टिबायोटिक्स, विटामिन, हार्मोन, सल्फा, औषधों एवं अनेक सिंथेटिक और जैविक-उत्पादों सहित बड़ी संख्या में औषधों का निर्माण संगठित क्षेत्र में लगभग 250 एककों और कई सौ लघु उद्योग एककों द्वारा किया जा रहा है।

उत्पादन न करने वाले एककों के लिए राजसहायता

*6789. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :**
श्री तम्पन थामस :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन न करने वाले एककों को राजसहायता देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन एककों के लिए राजसहायता देना पुनः आरम्भ किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सरकार ने गैर-उत्पादक एककों के लिए राजसहायता समाप्त कर दी है। गैर-उत्पादक एककों के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट को नियंत्रण मुक्त करना

6790. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट फैक्टरियां बजट पूर्व लैवी बाध्यताओं को पूरा नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने और उन सीमेंट फैक्टरियों पर बजट पूर्व लैवी बाध्यता को लागू करने, जिन्होंने अपनी लैवी बाध्यता की तुलना में कम सीमेंट की सप्लाई की है; क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1-1-89 से सीमेंट उद्योग के मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रणों को हटाने की अधिसूचित करते हुए दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रेस नोट में यह निर्धारित किया गया था कि वे सीमेंट फैक्टरियां जिन्होंने अपनी लेवी बाध्यता की तुलना में 28-2-89 तक कम सीमेंट की सप्लाई की है, उन्होंने अपने लम्बित पड़े क्रियादेशों के लिए तथा/या विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अपनी लेवी बाध्यता को पूरा करना होगा। ऐसी लेवी संबंधी कमी की आपूर्ति, सीमेंट अनियन्त्रण के बावजूद भी, सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 के उपबंधों के अन्तर्गत प्रवर्तनीय है ।

प्राचीन विद्वानों को दर्शाने वाली पत्रिकाएं

6791. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राचीन विद्वानों के आदर्शों को दर्शाने वाली कुछ पत्रिकाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ऐसी पत्रिकाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है जो विज्ञान से जुड़े हमारे प्राचीन विद्वानों के आदर्शों को दर्शाने में कार्यरत हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) सरकार ऐसी कोई सूचना नहीं रखती है ।

दादरी, फरक्का तथा रिहन्द सुपर ताप बिजली परियोजनाओं के लिए विश्वव्यापी निविदा

6792. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने दादरी, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी बिजली परियोजना-चरण एक (4 × 210 मेगावाट) तथा फरक्का और रिहन्द सुपर ताप बिजली परियोजनाओं के लिए 400 किलोवाट आटो ट्रांसफार्मर आटो पैकेज के लिए भी, विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विदेशी फर्मों/कम्पनियों और उनके भारतीय सहयोगियों से, यदि कोई हो, प्राप्त बोलियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वव्यापी निविदाओं की प्रतिक्रियास्वरूप बोलियों को प्राप्त करने से पहले

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने इस परियोजना के लिए मैसर्स साइमन्स से बातचीत आरम्भ कर दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के विचाराधीन और/अथवा संचालित की जाने वाली अथवा विदेशी कम्पनी द्वारा कार्यान्वयन के लिए लम्बित अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (4×210 मे० वा०) के मुख्य संयंत्र और फरक्का तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु 400 के० वी० आटो ट्रांसफार्मर पैकेज के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना के मुख्य संयंत्र के लिए मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को आर्डर दिया गया है। फरक्का तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए 400 के० वी० आटो ट्रांसफार्मर पैकेज के संबंध में बोलियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जिन परियोजना प्रस्तावों को बहुपक्षीय/द्विपक्षीय सहायता से कार्यान्वित किये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है, उनमें ये शामिल हैं— फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन (500 मे० वा०), दादरी गैस आधारित परियोजना चरण-एक (817 मे० वा०), यमुनानगर ता० वि० परियोजना (840 मेगावाट), रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो (1000 मे० वा०), विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो (1000 मे० वा०), कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना (420 मे० वा०) और मंगलौर ताप विद्युत परियोजना (420 मे० वा०)।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की चोरी

[हिन्दी]

6793. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 के बाद से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों की चोरी की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने मामले दर्ज किए गए, उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा अभी तक कितने मामले जांच-पड़ताल हेतु लम्बित पड़े हैं और इनमें हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन चोरियों में किन्हीं गैस एजेन्सियों के अन्तर्गत होने का पता लगा है और यदि हां, तो कितनी एजेन्सियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1989 से 20 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के पास एल०

पी० जी० सिलिंडरों के चोरी जाने संबंधी 39 मामले दर्ज कराए गए। इनमें से 37 मामलों की जांच बकाया है तथा शेष दो मामलों का पता नहीं लगा है।

(ग) चोरी के इन मामलों में एल० पी० जी० वितरकों की मिलीभगत सिद्ध नहीं हुई है।

'स्टील ट्यूब' उद्योग में संकट

[अनुवाद]

6794. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा एच० आर० कॉयल में मूल्य वृद्धि करने से स्टील ट्यूब उद्योग के लगभग 100 एककों के कार्य संचालन पर अत्यधिक प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) क्या एच० आर० कॉयल में मूल्य वृद्धि के कारण पाइपों और ट्यूबों की मांग में भारी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली में सुधार

6795. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान देश में ग्रामीण संचार प्रणाली में क्या सुधार करने का विचार है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली में अब भी आशा से बहुत कम सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दूरसंचार सेवा में सुधार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सातवीं योजना के दौरान लगभग 10,000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा 4,000 एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेडियो माध्यम के द्वारा कुछ लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोले जा रहे हैं और नेटवर्क में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज शामिल किए जा रहे हैं।

(ख) 31-3-89 की स्थिति के अनुसार 7717 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और

2843 एक्सचेंज खोले जा चुके हैं। 408 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन एम० ए० आर० आर० पर आधारित और 103 इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना की लक्ष्य प्राप्ति के अनुसार दूरसंचार प्रणाली पिछड़ी हुई नहीं है। वर्ष 89-90 में सातवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए 3000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और 1157 एक्सचेंज खोलने का निश्चय किया गया है।

दूरसंचार वस्तु भण्डार, कलकत्ता द्वारा खरीद

6796. **श्री एच० जी० रामुलु : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कम्पनियां दूरसंचार वस्तु भण्डार, कलकत्ता के प्राधिकारियों से विभिन्न स्टोर सम्बन्धी मदों की सप्लाई के लिए संरक्षण मांग रही है और उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दूरसंचार, वस्तु भण्डार कलकत्ता द्वारा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से की गई खरीद का ब्योरा क्या है; और

(घ) दूरसंचार वस्तु भण्डार द्वारा सरकारी क्षेत्र से भी वस्तुओं की खरीददारी को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महाप्रबन्धक, दूरसंचार स्टोर कलकत्ता विभिन्न श्रोतों से दूरसंचार स्टोर की व्यापक किस्मों की प्राप्ति के साथ-साथ दूरसंचार फैक्टरियों, सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों और स्वदेश में निर्मित अन्य स्टोर की अधिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी है। विभागीय दूरसंचार फैक्टरियां दूरसंचार स्टोर और उपस्कर की व्यापक किस्मों के इनहाउस निर्माण और आपूर्ति के लिए दूरसंचार विभाग की कैप्टिव यूनिटें हैं। आपूर्ति के अन्य स्रोतों के सम्बन्ध में खुली प्रतियोगी निविदाओं के जरिये, जिनका व्यापक प्रचार किया जाता है, अधिप्राप्ति की जाती है और इन अधिप्राप्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्धारित की गई प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता देने का प्रावधान है। तथापि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि०/मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० आदि के मामले में उनकी आपूर्तियों के लिए मूल्य करार किये जाने की पद्धति प्रचलित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वरीयता देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले से मौजूद हैं।

पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगी विदेशी कम्पनियां

6797. **डा० वी० वेंकटेश : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी फर्मों/कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत के साथ समझौते अथवा उनके बिना, विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने अपनी किसी जल विद्युत परियोजना के टर्न-की आधार पर क्रियान्वयन के लिए किसी विदेशी फर्म/कम्पनी को कार्य नहीं सौंपा है। तथापि, हिमाचल प्रदेश में स्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-एक (540 मेगावाट) के लिए कनाडा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अन्तर्गत परियोजना के लिए कनाडा से वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं, इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कनाडा की तीन कम्पनियों नामशः मैसर्ज एस० एन० सी०/ए० सी० आर० ई० एस० मैरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कैनेडियन जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक समझौता किया है।

(ख) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-एक) से सम्बन्धित विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं और परियोजना को मई, 1991 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

दिल्ली में छात्रों के लिए आदर्श संसदों का आयोजन

6798. **श्री एन० डेनिस** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय के अनुरोध पर दिल्ली में छात्रों के लिए आदर्श संसदों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रों के लिए अन्य स्थानों पर आयोजित की जाने वाली संसदों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) संसदीय कार्य मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। शिक्षा निदेशालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र से एक विद्यालय का नाम भेजता है। उनके अभिनय का मूल्यांकन निर्णायकों के एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद सदस्य/भूतपूर्व संसद सदस्य, संसदीय कार्य मंत्रालय का एक अधिकारी और शिक्षा निदेशालय का एक अधिकारी शामिल होता है। विजेता विद्यालयों को ट्राफियां, शील्ड आदि तथा विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ग) यह मंत्रालय देश के प्रत्येक भाग में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में भी युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए एक वित्तीय सहायता/मार्गदर्शन योजना की भी मंजूरी दी है। इसके अधीन, युवा संसद योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपने संस्थानों/विद्यार्थियों को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपये दिए जाते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने यहां ऐसी प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित करें।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

6799. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1988-89 में एक्सचेंजवार और श्रेणी-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए और कितने लगाए गए; और

(ख) और अधिक टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और वर्ष 1986 में पंजीकृत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आशा है कि 1986 तक पंजीकृत किए गए आवेदकों को संस्थापना/विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमताओं में विस्तार के द्वारा 1991 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली के लिए मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शन

एक्सचेंज का नाम	ओवाईटी-सामान्य	ओवाईटी-विशेष	नॉन ओवाईटी एस० एस०	नॉन ओवाईटी-विशेष	सामान्य	तत्काल
1	2	3	4	5	6	7
जे० पी०	144	88	16	46	252	3
जे० बी०	25	35	36	39	198	8
के० बी० एन०	40	98	6	25	136	8
आर० पी०	10	271	50	17	81	15
पी० आर० एक्स०	1	48	—	1	16	—
एस० बी० एन०	4	47	21	1	38	—
उत्तर						
ए० एल० पी०	17	6	—	11	438	—
बी० डी० एल०	40	6	—	14	50	—
टी० एच०	580	128	7	146	924	—
एन० आर० एल०	1	1	—	—	4	—
एस० के०	565	147	58	340	954	3
आर० एच० एन०	503	36	12	145	797	—
पूर्व						
डी० जी०	110	38	1	113	238	3
आई० पी०	305	51	4	196	558	1

1	2	3	4	5	6	7
एल० एक्स० आर०	966	66	57	351	458	2
एस० एच० आर०	111	31	9	71	373	5
पश्चिम						
कैन्ट	4	10	7	5	35	—
जे० के० पी०	11	9	22	9	171	10
के० बी०	767	94	58	270	916	6
एन० जे० एफ०	59	8	23	—	26	—
एन० जी० एल०	195	25	87	12	301	3
आर० जी	40	18	25	10	405	20
दक्षिण						
सी० एच० वाई०	28	70	106	21	345	42
एच० के०	35	26	35	26	284	12
एन० पी०	761	1127	153	686	2323	47
ओ० के० एच०	475	84	39	227	791	8
योग	5797	2568	832	3293	11112	196
कुल योग = 23798						

"पुश बटन टेलीफोन" उपकरणों का उत्पादन

6800. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घुमाने वाले तथा बटन वाले टेलीफोन उपकरणों की वर्तमान मांग क्या है;

(ख) अगले चार या पांच वर्षों के दौरान दोनों तरह के टेलीफोन उपकरणों की अनुमानित मांग कितनी होगी;

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन एककों में से प्रत्येक की स्थापित क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) बटन वाले तथा घुमाने वाले टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) टेलीफोन उपस्करों के लिए मौजूदा अनुमानित वार्षिक मांग लगभग दस लाख है ।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए टेलीफोन उपकरणों की जो अस्थायी मांग निर्धारित की गई है, वह 88.25 लाख है ।

(ग) कुल मौजूदा लाइसेंस शुदा क्षमता 91.55 लाख की प्रतिवर्ष है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की 20.05 लाख, संयुक्त क्षेत्र की 30 लाख और निजी क्षेत्र की 41.05 लाख है।

(घ) औद्योगिक नीति संकल्प 1954 को उदारीकृत बनाए जाने के पश्चात् टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण की अनुमति निजी क्षेत्र को भी दी गई है। रोटरी डायल टेलीफोनों का विनिर्माण कार्य बंद किया जा रहा है।

विभागेतर कर्मचारियों की परिलब्धियां

6801. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखानियंत्रक (पेंशन), भारत सरकार ने 31 जुलाई, 1987 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जो भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः रोजगार प्राप्त करते हैं उनकी बाद की परिलब्धियों की गणना करते समय उनकी पेंशन में से कोई कटौती नहीं की जाएगी,

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग इस परिपत्र के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है और भूतपूर्व सैनिकों के रूप में कार्यरत भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों की परिलब्धियों में से कोई कटौती नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस परिपत्र में जारी किए गए दिशा निर्देशों को किस तारीख से लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परिपत्र में अन्तर्निष्ट अनुदेश किस तारीख से लागू किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भूतपूर्व पेंशनभोगी सैनिकों तथा सिविल पेंशन भोगी कर्मचारियों को पुनः नौकरी देने पर उनके वेतन तथा अन्य भत्तों के प्रारम्भिक निर्धारण का कार्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1986 के उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/85-स्थापना (ई-11) के जरिए जारी किए गए केन्द्रीय सिविल सेवा आदेश 1986 (पुनः नौकरी पर रखे गए पेंशनभोगी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण) के अन्तर्गत किया जाता है। इसके साथ ही इस कार्यालय ज्ञापन में यह भी व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत्ति के समय जो भूतपूर्व सैनिक रक्षा सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रैंक से नीचे के पदों और जो सिविल कर्मचारी समूह "क" से नीचे के पदों पर काम कर रहे थे, उनकी पूरी पेंशन तथा पेंशन के बराबर के सेवानिवृत्ति भत्तों को नजरअन्दाज करते हुए उनका वेतन पुनः दी गई नौकरी के पद पर मिलने वाले न्यूनतम वेतनमान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ख) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारी होते हैं तथा वे इस कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(ग) और (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31-7-1986 का कार्यालय ज्ञापन सं० 3-1-85-स्थापना (ई-11) उसमें शामिल की गई कर्मचारियों की श्रेणियों के संबंध में दिनांक 1-7-1986 से प्रभावी है।

कोल इंडिया लि० और इनकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा विज्ञापन पर व्यय

[हिन्दी]

6802. **श्री एस० डी० सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० और इसकी विभिन्न सहयोगी कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विज्ञापन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) विज्ञापन देने के संबंध में इनकी नीति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा खर्च की गई राशि का कम्पनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

कम्पनी	1986-87	87-88	88-89
भारत कोकिंग कोल लि०	20.72	19.87	44.50
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	14.69	12.03	19.51
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	11.57	12.02	20.37
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०	6.40	6.94	4.50
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	44.73	47.25	55.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	8.41	13.28	16.60
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	11.63	16.34	16.45
कोल इंडिया लि० (मुख्यालय)	58.38	44.11	32.00

(ख) कोल इण्डिया लि० तथा उनकी सहायक कंपनियां विज्ञापनों को विभिन्न कार्यों जैसे—निविदाएं आमंत्रित करने, कंपनी की ख्याति बढ़ाने, औद्योगिक अशांति के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के सूचना/अपीलें आदि जारी करने और कंपनियां उचित वाणिज्यिक क्रियाकलापों तथा व्यापारिक हितों को बढ़ाने तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों को, जिन्हें वे चलाए जाने के लिए आवश्यक समझती हैं, के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकाशित कराए जाने के लिए विज्ञापन देती हैं। सम्बद्ध न्यूज मीडिया (अखबार) में विज्ञापन देते समय उसके प्रचार-प्रसार के क्षेत्र, उसके कवरेज तथा पाठकों की संख्या और उसकी अपीलीय स्थिति, पाठकों को उसकी उपलब्धता तथा उसकी ख्याति, आदि को भी ध्यान में रखा जाता है।

अखबारी कागज के कोटे का दुरुपयोग

[अनुवाद]

6803. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख समाचार-पत्र कंपनियां विज्ञापन हासिल करने के लिए पत्र प्रसार-संख्या में वृद्धि प्रदर्शित कर अखबारी कागज के कोटे से संबंधित नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) विज्ञापनों के लिए प्रसार के बड़े-चढ़े दावों के उदाहरण देखने में आए हैं और ऐसे मामलों में भुगतान की अधिक राशि वापस मांगने के अलावा बड़े-चढ़े दावों के आधार पर विज्ञापनों के लिए प्रकाशन का उपयोग करना अलग-अलग अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है। वर्ष 1988-89 के दौरान इस प्रकार के बड़े-चढ़े दावों वाले 44 प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) की बिक्री से प्राप्त किया गया उपकर और शुल्क

6804. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ब्रिकेट में परिवर्तित किए जाने वाले गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) की बिक्री पर रायल्टी उपकर, एस० ई० शुल्क और सी० एम० एल० डब्ल्यू० उपकर वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिकेटों में परिवर्तित किए जाने वाले गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) की बिक्री पर उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत वसूल किए गए सम्बन्धित उपकर और शुल्कों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि वसूल की गई और यह धनराशि किन शीर्षों के अन्तर्गत जमा की गई;

(घ) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने 28 नवम्बर, 1986 को गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) पर रायल्टी, उपकर, एस० ई० शुल्क और सी० एम० एल० डब्ल्यू० की वसूली न करने का निर्णय लिया था;

(ङ) यदि हां, तो इस निर्णय को अब तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ब्रिकेटों में परिवर्तित किए जाने वाले गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) के मूल्य पर रायल्टी, उपकर, रेत भराई उत्पाद शुल्क वसूल कर रहा है। सी० एम० एल० डब्ल्यू० उपकर को ही केवल 1-10-19886 से समाप्त किया गया है।

(ख) ग्रेड "डी" स्लेक कोयले की कीमतों में 40% की दर पर उपकर वसूल किया जाता

है जोकि यू० एच० वी० में गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) के समान है। रायल्टी तथा एस० ई० शुल्क क्रमशः 4.30 प्रति टन तथा 3.50 प्रति टन वसूल किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रायल्टी, रेत भराई, उत्पाद शुल्क, सी० एम० एल० डब्लू० उपकर तथा बिहार सरकार का गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) पर उपकर के संग्रहित राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	रायल्टी	एस० ई० शुल्क	सी० एम० एल० डब्लू० उपकर	बिहार उपकर
1986-87	4.50	3.75	0.37	61.52
1987-88	4.46	3.71	—	70.93
1988-89 (अनंतिम)	2.99	2.51	—	58.39

इस राशि का वाशरियों को प्रेषित कच्चे कोयले पर अदा की गई रायल्टी, रेत भराई उत्पाद शुल्क तथा उपकर के एवज में प्रतितुलन कर दिया जाएगा जोकि रायल्टी तथा उपकर, आदि शीर्षों के अन्तर्गत जमा की जाती है।

(घ) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने गाढ़े द्रव्य पदार्थ (स्लरी) पर रायल्टी, उपकर तथा रेत भराई उत्पाद शुल्क की वसूली को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

पाराद्वीप में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह

6805. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराद्वीप में एक पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स उद्योग-समूह की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योगों के लिए आशय पत्र जारी करना

[हिन्दी]

6806. **श्री मानकूराम सोडी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से बस्तर जिले में लघु वन उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु कितने आशय पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने आशय पत्र जारी किए गए और स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) और (ख) 1-1-1987 से 31-3-1989 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में वन्य कच्चे माल पर आधारित, उद्योगों की स्थापना करने हेतु आशय पत्रों की मंजूरी के लिए चार कुल आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से, दो आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष दो आवेदन पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान बस्तर जिले में आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए कार्य कर रही विदेशी फर्मे/कम्पनियां

[अनुवाद]

6807. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए अनेक विदेशी फर्मे/कम्पनियां गत तीन वर्षों से या तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अथवा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या कुछ विदेशी फर्में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ उप-ठेकेदार के रूप में भी कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ कम्पनियों ने भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ भी सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 को ऐसी विदेशी फर्मों/कम्पनियों के नाम क्या हैं; लेकिन किन देशों की कम्पनियां हैं, प्रत्येक कम्पनी के पास कितने मूल्य के ठेके हैं, ये किन-किन विद्युत संयंत्रों के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं तथा इन्होंने कितनी परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया है अथवा पूरा करने वाली हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अपने विदेशी सहयोगियों के साथ कार्यान्वियन करने के लिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) द्वारा मुख्य संयंत्र के संबंध में मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को दिए गए आर्डर का अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्युत केन्द्र (राज्य)	पैकेज	ठेकेदार/सहयोगी और सहयोगी देश का नाम	ठेका मूल्य
1 2	3	4	5
1. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना (सु० ता० वि० परि०) चरण-दो (उत्तर प्रदेश)	टर्बाइन जेनरेटर	सहयोगी के रूप में के० डब्ल्यू० यू० (सीमेन्स ए० जी०) पश्चिम जर्मनी के साथ मैसर्ज भेल	रु० 613.68 मिलियन + 78.24 मिलियन डी० एम०
2. सिंगरौली सु० ता० वि० परि० चरण-दो (उ० प्र०)	स्टीम जनरेटर	सहयोगी के रूप में कम्बस्टन इंजीनियरिंग यू० एस० ए० के साथ मैसर्ज भेल	1125.79 मिलियन रु०
3. कोरबा सु० ता० वि० परि० चरण-दो (म० प्र०)	टर्बाइन जनरेटर	सहयोगी के रूप में के० डब्ल्यू० यू० (सीमेन्स ए० जी०) पश्चिम जर्मनी के साथ मैसर्ज भेल	रु० 1106.87 मिलियन + 72.28 मिलियन डी० एम०
4. कोरबा सु० ता० वि० परि० चरण-दो (म० प्र०)	स्टीम जनरेटर	सहयोगी के रूप में मैसर्ज कम्बस्टन इंजीनियरिंग, यू० एस० ए० के साथ मैसर्ज भेल	रु० 2012.04 मिलियन

1	2	3	4	5
5.	रामगुंडम सु० ता० वि० परि० चरण-दो (आंध्र प्रदेश)	टर्बाइन जेनरेटर	सहयोगी के रूप में के० डब्ल्यू० यू० (सीमेन्स ए० जी०) पश्चिम जर्मनी के साथ मैसर्ज भेल	रु० 1232.19 मिलियन + 53.99 मिलियन डी० एम०
6.	रामगुंडम सु० ता० वि० परि० चरण-दो (आंध्र प्रदेश)	स्टीम जनरेटर	सहयोगी के रूप में मैसर्स कम्बस्टन इंजीनियरिंग, यू० एस० ए० के साथ मैसर्ज भेल	रु० 2227.15 मिलियन
7.	फरक्का सु० तां० वि० परि० चरण-दो (पश्चिम बंगाल)	टर्बाइन जनरेटर	सहयोगी के रूप में के० डब्ल्यू० यू० (सीमेन्स ए० जी०) पश्चिम जर्मनी के साथ मैसर्ज भेल	रु० 553.77 मिलियन

विभागेतर डाक-घर खोलना

6908. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक कितने विभागेतर डाक घर खोले गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान श्रेणी-वार कितने विभागेतर कर्मचारी भर्ती किये गये;

(ग) पेंशनभोगियों/विद्यालयों के अध्यापकों को अभी भी विभागेतर कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 को ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या पंचायत डाक-सेवक योजना लागू होने के पश्चात् मौजूदा विभागेतर कर्मचारियों की परिलब्धियां में बढ़ोतरी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1986-87 और 1987-88 के दौरान खोले गए अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या क्रमशः 3 और 857 है। 1988-89 के दौरान, 2476 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की मंजूरी दी गई। इनमें से 1988-89 और अप्रैल 89 के दौरान कितने डाकघर खोले गए, उनसे संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दो जाएगी।

(ग) पेंशन भोगियों/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्तियां भी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के बतौर की जा सकती है। कितने पेंशनभोगी/अध्यापक बतौर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि होती रहती है। पंचायत डाक सेवक स्कीम से कर्कप्वाइंट्स/वर्क लोड पर अधारित अलग-अलग मामलों में परिलब्धियों के आवधिक सशोधन पर कोई विशेष असर पड़ने की संभावना नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों की भर्ती और उनकी संख्या

6809. **श्री संयद शाहबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी और तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संवर्ग में वर्ष-वार कितने अधिकारियों को सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया;

(ग) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और/अथवा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों सहित भर्ती की क्या योजना है; और

(घ) अंतिम वार्षिक भर्ती में प्रत्येक संवर्ग में पात्र उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, इनमें से कितने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और चयन के अगले चरण के लिए बुलाए गए तथा अंतिम रूप से संवर्गवार कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1 जनवरी, 1989 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) के कार्यकारियों की कुल संख्या 17482 थी जिनमें 13924 तकनीकी अधिकारी तथा 3558 गैर तकनीकी अधिकारी थे।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	तकनीकी	गैर तकनीकी
1986	188	17
1987	409	16
1988	433	49

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (भर्ती और पदोन्नति) विनियम, 1980 में निहित प्रक्रिया के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में अधिकारी स्तर की भर्ती की जाती है।

अर्हताओं, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए नियत किए गए अंक उप पद के अनुसार होते हैं जिसके लिए चयन किया जा रहा है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	क्षेत्र	पात्र उम्मीदवारों की संख्या जो परीक्षा में बैठे	लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया	नियुक्ति के लिए चयन सूची में पैनल में रखे गये उम्मीदवार
1	2	3	4	5
1.	यांत्रिक इंजीनियरी	4749	369	99
2.	विद्युत इंजीनियरी	2679	142	59
3.	इलैक्ट्रानिक्स और दूरसंचार इंजीनियरी	1388	72	24
4.	कार्मिक और प्रशासन	1316	276	47
5.	सिविल इंजीनियरी	5439	333	42

1	2	3	4	5
6.	भवन निर्माण इंजीनियरी	104	5	2
7.	भूभौतिकी	255	48	29
8.	रसायन	2422	111	59
9.	उपकरण इंजीनियरी	261	63	20
10.	रसायन इंजीनियरी	1368	95	32
11.	पेट्रोलियम इंजीनियरी	43	16	4
12.	कम्प्यूटर विज्ञान और प्रोग्रेमिंग	977	313	91
13.	वित्त और लेखा	788	101	29
14.	भूविज्ञान	2209	474	88
	जोड़—	23998	2418	625

भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में उत्पादन

6810. **श्री गुरुदास कामत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना में उत्पादन और अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान उत्पादन स्तर और अर्जित लाभ में भारी कमी हुई है; यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के वित्तीय वर्षों में वैगनों के उत्पादन का कुल मूल्य, लाभ और उत्पादन नीचे दिए गए हैं—

वर्ष	उत्पादन का कुल मूल्य (लाख रु० में)	वैगनों का उत्पादन (चार पहिए वाले यूनिट)	लाभ (लाख रुपए में)
1985-86	1873	1017.5	14.09
1986-87	3367	1885.0	231.45
1987-88	2961	1603.5	59.39

(ख) और (ग) 1988-89 के दौरान उत्पादन स्तर और लाभ में गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत, 40.81 करोड़ रुपये (अनंतिम) का कुल उत्पादन मूल्य, जिसमें 1988-89 के दौरान 2210 चार पहिए वाले यूनिट का वास्तविक उत्पादन शामिल है। किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त कार्य निष्पादन से सर्वोत्तम रहा है। 1988-89 में कम्पनी ने 130 लाख रुपए (अनंतिम) का मुनाफा कमाया है।

नेयवेली लिग्नाइट निगम लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए 'स्प्रेडर' की सप्लाई

6811. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या ऊर्जा मंत्री नेयवेली लिग्नाइट निगम लि० की 'स्प्रेडर' योजना के बारे में 22 नवम्बर 1988 के तारांकित प्रश्न सं० 174 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20,000 टन/घंटा क्षमता के 2 स्प्रेडरों की सुपुर्दगी की समय सीमा बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्प्रेडरों की सप्लाई करने वालों ने विलंब के कारण मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) 31 मार्च, 1989 तक विदेशी तथा देशी दोनों ठेकेदारों को भुगतान करने के नेयवेली लिग्नाइट निगम द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना के प्रथम 20,000 टन/घंटा स्प्रेडर को 10-4-1989 और दूसरे को 10-8-1989 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम था। इन स्प्रेडरों के सप्लायर्स ने नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के कारण स्प्रेडरों को चालू किए जाने के लिए 6 से 8 महीने की समयावधि में वृद्धि किए जाने की अनुमति दे दी गई। समयावधि में दी गई इस वृद्धि से संबद्ध विद्युत केन्द्र को चालू करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) संविदा के अनुसार बढ़ाई गई समयावधि के दौरान कीमतों में वृद्धि के लिए कोई अदायगी नहीं की जाएगी।

(ङ) 31-3-1989 की अवधि तक नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा विदेशी तथा देश के संविदाकर्ताओं को अदा की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है--

विदेशी संविदाकर्ता	—डच मार्क 43.48 मिलियन
देश का संविदाकर्ता	—21.91 करोड़ रुपए

(च) इस परियोजना पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है।

ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र

[हिन्दी]

6812. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी ऐसा केन्द्र खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरकार ने नागपुर में एक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र स्थापित किया है जिसकी एक शाखा दिल्ली में होगी।

(ग) से (ङ) नागपुर में स्थापित ऊर्जा प्रबंध केन्द्र की परिकल्पना, सारे देश मे ऊर्जा प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के समन्वय हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गई है। केन्द्र को हाल ही में आरम्भ किया गया है। केन्द्र को कुछ समय तक चलाने के बाद, यदि इसके कार्यकरण में सहयोग हेतु देश के अन्य भागों में शाखाएं स्थापित करना आवश्यक हुआ तो भविष्य में उपयुक्त समय पर इस मामले में विचार किया जाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड की वित्तीय कार्यकुशलता

[अनुवाद]

6813. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड की वित्तीय कार्यकुशलता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इनकी वित्तीय कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में एट्टमानर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

6814. **श्री के० मोहन दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एट्टमानूर में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज को कब तक परिवर्तित किया जाएगा तथा एस० टी० टी० नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां। इसे 1990-91 के दौरान स्वचालित बनाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाएं। ए० टी० डी० सुविधा पर एक्सचेंज स्वचलीकरण के बाद ही विचार किया जाएगा जो कि एस०टी० डी० प्रावधान में पहले आवश्यक है।

विकेन्द्रीकरण के बाद दूरसंचार विभाग में कल्याण कार्य

6815. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में दूरसंचार सर्किलों/जिलों के क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधक/निदेशक राजस्व जिले-वार विकेन्द्रीयकरण को देखते हुए सरकार के कल्याण नेटवर्क को भी समान रूप से विकेन्द्रीकरण किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का प्रत्येक राजस्व जिला अथवा प्रबंधक कार्यालय इत्यादि में कम से कम एक कल्याण निरीक्षक नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे विभाग के कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) (1) प्रत्येक राजस्व जिले में एक कल्याण निरीक्षक की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि वहां पर तैनात कर्मचारी बहुत कम होते हैं और दूरसंचार जिला इंजीनियर या दूरसंचार जिला प्रबंधक द्वारा इसे संतोषजनक रूप से देखा जा सकता है।

(2) क्षेत्रीय प्रबंधक दूरसंचार जिला इंजीनियरों के काम का निरीक्षण करते हैं जो दूर-संचार सर्किल कार्यालयों का अंग होता है और वहां कल्याणकारी कार्य सम्पन्न करने के लिए कर्म-चारी उपलब्ध हैं।

आंध्र प्रदेश में कुनावरम में डाकघर के नए भवन का निर्माण

6816. **श्री सोडे रमैया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में कुनावरम स्थित डाक-घर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्र कुनावरम में डाकघर के नये भवन के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) डाकघर एक किराये के भवन में स्थित है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

(ख) कुनावरम डाकघर के लिए विभागीय भवन के निर्माण संबंधी प्रस्ताव का कार्यान्वियन नहीं किया जा रहा है क्योंकि जिस स्थान पर डाकघर के लिए भवन बनाने का प्रस्ताव है, वह पोलावरम रिजरवायर स्कीम के अन्तर्गत जलमग्न होने वाला है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राहत

6817. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ब्याज राहत, रियायती ऋणों, ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने की सुविधा, ब्याज पर राज सहायता आदि के रूप में कुछ राहत प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्यमों के नाम क्या हैं; और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें दी गई राहत को परिणाम आदि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सलाल परियोजना (चरण-दो)

6818. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल परियोजना (जम्मू और कश्मीर राज्य) के चरण-दो पर कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस कार्य के लिए किस एजेन्सी को चुना गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही सलाल जल विद्युत परियोजना, चरण-2 पर पूरी तरह कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को 'पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड' द्वारा हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। निर्माणावधि के दौरान 23.81 करोड़ रुपए की ब्याज राशि को छोड़कर इस परियोजना के निर्माण में अनुमानतः 279.97 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। निवेश सम्बन्धी अन्तिम निर्णय होने तक निगम ने परियोजना के प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिये हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

6819. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ख) वर्ष 1988 से विश्व बैंक सहायता में से आंध्र प्रदेश के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान, विश्व बैंक ने भारत सरकार को ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 23.731 मिलियन डालर की राशि प्रदान की थी।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अपने ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए इस क्रेडिट के अन्तर्गत सामग्री प्राप्त की थी। वर्ष 1988-89 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विश्व बैंक 'क्रेडिट' के अन्तर्गत 10.526 मिलियन डालर के बराबर सामग्री प्राप्त की।

आंध्र प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु धनराशि

6820. **श्री एस० पलाकोण्ड्रायुडु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1985-86 से 1987-88 तक आंध्र प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वितरित की गई धनराशि की स्थिति नीचे दी गई है—

(रु० लाख में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1985-86	116.33	144.87	31.51	248.75
1986-87	83.37	174.90	32.90	350.51
1987-88	137.46	130.74	32.43	449.31

(ख) से (घ) 1989-90 के लिए धनराशि को पूर्वानुमानित आवश्यकता का प्रस्ताव कार्यक्रम क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त होगा और आंध्र प्रदेश के क्रियान्वयन अभिकरणों तथा आंध्र प्रदेश राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ बजट चर्चा के दौरान इसकी जांच की जाएगी और इसके बाद आबंटन के लिए धनराशि की वास्तविक मात्रा का पता लगाया जायेगा।

औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति

6821. **श्री भद्रेश्वरी तांती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत-सी औद्योगिक परियोजनाएं विवादों, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति मिलने में विलम्ब, उपकरण प्राप्ति में विलम्ब तथा विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल की कमी के कारण रुकी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से कुल कितनी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं और ये किन उद्योगों से संबंधित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन औद्योगिक लाइसेन्स स्वीकृति करने हेतु सभी आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान निपटाने हेतु हर प्रकार के प्रयास किये जाते हैं। मिश्रित अनुमोदनों वाले आवेदनों अर्थात जिनमें औद्योगिक लाइसेन्स, पूंजीगत सामान के आयात और विदेशी सहयोग हेतु अनुमोदन आवश्यक हों, उन आवेदनों के लिए 'सिंगल विंडो क्लिएरेंस सिस्टम' भी शुरू किया गया है।

आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों आदि के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। गर-सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वियन में हुई देरी अथवा उसके कारणों संबंधी जानकारी उद्योग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की लागत वाली सरकारी परियोजनाओं की मानीटरिंग कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी जाती है और अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक परियोजना के ब्यौरे उस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिये जाते हैं जो प्रत्येक वर्ष सदस्यों को भेजी जाती है।

सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि परियोजना कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार किया जाए और इस दिशा में जो विभिन्न उपाय किये गए हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

—यथार्थ परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल देना।

—समस्याओं को सुलझाने और परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु कृतिक बल/अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना।

—पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना।

—संबंधित मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों, उपकरण आपूर्तिकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ अच्छी तरह मिल-जुल कर कार्य किया जाना जिससे कि होने वाले विलम्ब को न्यूनतम किया जा सके।

—परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के वास्ते परियोजना के पूरा होने तक और उसके 2-3 वर्ष बाद तब परियोजना शीर्ष की अवधि में निरंतरता का सुनिश्चय करने हेतु निर्देश जारी करना।

विश्व बैंक की परियोजनाओं में भारतीय उद्योग की भागीदारी

6822. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री ने "बिजनेस ऑपोरचुनिटीज इन वर्ड बैंक प्रोजेक्ट्स" के सम्बन्ध में हाल ही में दिल्ली में विचार गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) विचार गोष्ठी में क्या सुझाव और/अथवा सिफारिशें की गई;

(ग) सरकार का इन सुझावों/सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1988 में विश्व बैंक की परियोजनाओं में भारतीय उद्योग की भागीदारी कितनी थी और भविष्य में कितनी भागीदारी होने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विचार गोष्ठी में सरकार से कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई तथापि, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा ठेकेदारों के लिए सृजित व्यवसाय अवसरों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार गोष्ठी में चर्चा की गई। वे इस प्रकार हैं :—

1. भारतीय उद्योग को किसी विदेश के साथ करार करने से पूर्व उस देश के कानूनी/राजनैतिक ढांचे, कर सम्बन्धी कानूनों/सीमा शुल्क सम्बन्धी नियमों, विनियम प्रावधान इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए।

2. एक बार जब करारनामे पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ठेकेदार का ग्राहक से प्रायः सम्पर्क हो जाता है तथा इसमें विश्व बैंक की बहुत कम भूमिका रह जाती है।

3. किसी परियोजना/देश को विश्व बैंक द्वारा किए गए वितरण के रद्द हो जाने पर ठेकेदार को किए गए कार्य की सीमा तक ही संरक्षण प्रदान किया जाता है।

4. यदि उधारणिक द्वारा निविदा दस्तावेजों पर कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो विश्व बैंक ठेकेदार की सहायता कर सकता है।

5. ठेकेदार आपूर्तिकर्त्ताओं तथा परामर्शदाताओं के जोखिम की तुलना में कहीं अधिक जोखिम का सामना करता है। विश्व बैंक को जोखिम कम करने में सहायता करनी चाहिए।

6. ठेकेदारों तथा उधारणिकों का परस्पर सम्पर्क बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के तत्वावधान में विचार गोष्ठियां कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(ग) सरकार ने विचार गोष्ठी की कार्यवाहियों को नोट कर लिया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1988 में भारतीय उद्योगों का विश्व बैंक परियोजना में अंश 1.24 बिलियन अमरीकी डालर है।

उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ विदेश यात्राएं

6823. **श्री राजकुमार राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारी विदेशी यात्राओं के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड अधिकारियों को साथ ले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान ये अधिकारी क्या भूमिका निभाते हैं और इनको साथ ले जाने का उद्देश्य क्या होता है; और

(ग) लक्ष्यों, उद्देश्यों आदि के संबंध में यात्रा के दौरान इन अधिकारियों की क्या उपलब्धियां रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के अधिकारी सभी विदेश-दौरों पर आई० डी० पी० एल० के अधिकारियों के साथ नहीं जाते हैं। केवल जब सरकार की दृष्टि में विदेशी सहयोगकर्ता/सरकारी एजेंसी के साथ बातचीत में उनका शामिल होना आवश्यक समझा जाता है तो तब वे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से विदेश जाते हैं।

औषधों के निर्माण पर बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का प्रभुत्व

6824. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में औषधों के निर्माण पर बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : भारत में औषध और भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और वृद्धि के उपायों के अन्तर्गत सरकार द्वारा फेरा कम्पनियों को विनियमित किया जाना जारी है ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि उनका कार्य संचालन राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

केलकर समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपियों को संसद सदस्यों को सप्लाई

6825. डा० **चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के कितने सदस्यों ने केलकर समिति की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्हें केलकर समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां उपलब्ध करा दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) उन माननीय संसद सदस्यों के नाम जिन्हें केलकर समिति द्वारा प्रस्तुत की गई पूरक रिपोर्ट की प्रति भेजी गयी है (जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं) नीचे दिए जाते हैं :—

1. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी, संसद सदस्य	(लोक सभा)
2. श्री राजकुमार राय, संसद सदस्य	(लोक सभा)
3. श्री सरफराज अहमद, संसद सदस्य	(लोक सभा)
4. श्री तारीक अनवर, संसद सदस्य	(लोक सभा)
5. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति, संसद सदस्य	(लोक सभा)
6. डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी, संसद सदस्य	(राज्य सभा)
7. श्री रजनी रंजन साहू, संसद सदस्य	(राज्य सभा)
8. श्री विश्व बन्धु गुप्त, संसद सदस्य	(राज्य सभा)
9. श्री भगत राम मनहर, संसद सदस्य	(राज्य सभा)
10. श्री अशोक नाथ वर्मा, संसद सदस्य	(राज्य सभा)

सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के उपाय करना

6826. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किए जा रहे कई उपायों के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र में निवेश में भारी वृद्धि होगी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवेश में वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ती रही है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उद्यम-विशेष के अनुसार विशेष उपाय किए जाते हैं ताकि वे आगामी पूंजीनिवेश के लिए अधिक संसाधन जुटा सकें।

कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के प्रयोग के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम

6827. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर होने वाले व्यय के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की सहायता से की जाएगी अथवा वित्तीय संस्थाओं सौर लाभार्थियों से की जायेगी; और

(घ) आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले को भी इस प्रायोगिक कार्यक्रम के लिए चुना गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार ने गहन प्रदर्शन के लिए 15 जिलों में कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है ।

(ग) सरकार परियोजना के लिए धनराशि जुटाने के तरीकों का पता लगा रही है ।

(घ) जी, हां ।

कोयला परियोजनाओं में भारत-आस्ट्रेलिया सहयोग

6828. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने कोयला खनन परियोजना में भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आगे वार्ता करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे के देशों की यात्रा की है;

(ग) क्या इस संबंध मे किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) आस्ट्रेलिया ने भारत के कोयला क्षेत्र को विकसित करने में द्विपक्षीय सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। एक भारतीय तकनीकी दल द्वारा आस्ट्रेलिया का अन्वेषणात्मक दौरा किए जाने के बाद आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किए जाने के लिए एक ओपेनकास्ट कोयला खनन परियोजना को विनिर्दिष्ट किए जाने पर सहमति हुई । सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की पिपरवार ओ० का० परियोजना को ऐसे सहयोग के लिए विनिर्दिष्ट किया गया ।

(ग) और (घ) पिपरवार परियोजना को आस्ट्रेलिया के मेसर्स व्हाइट इंडस्ट्रीज लि० (डब्ल्यू० आई० एल०) द्वारा, जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए परियोजना रिपोर्ट को तैयार किया है, टर्न-की आधार पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है । मैसर्स डब्ल्यू० आई० एल० इस परियोजना को कार्य-निष्पादन गारंटी के साथ क्रियान्वित किए जाने के लिए सहमत हो गए हैं । आस्ट्रेलिया की सरकार ने इस परियोजना की आयातित लागत का वित्त-पोषण करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की भी पेशकश की है ।

जलमल पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र

6829. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन हेतु जलमल का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में इस प्रकार का संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के लिए जलमल का सीधे ही उपयोग नहीं किया जा सकता। तथापि जलमल को संसाधित करने के बाद अलग किए गए मल से रोगाणु को समाप्त करने के लिए अवायवीय पाचन किया जा सकता है और एक उप-उत्पाद के रूप में बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। इस बायोगैस का उपयोग रसोई ईंधन के रूप में अथवा दोहरे ईंधन डीजल इंजिनों में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से बनाए बायो-गैस इंजिनों में किया जा सकता है। ऐसे जलमल शोधन संयंत्रों को दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, भोपाल आदि में स्थापित किया जा चुका है जहां कि गैस मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए अथवा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

(ग) और (घ) यद्यपि जलमल शोधन तथा बायोगैस उत्पादन के लिए केरल सरकार द्वारा कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी तक नहीं बनाया गया है तथापि राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपेक्षाकृत बड़े शहरों में योजनाओं को प्रारम्भ करे।

हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

6830. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए जापान से समझौता करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार का प्रयास है कि मैनुअल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाए बशर्ते कि इसके लिए निधि तथा उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) जी, नहीं।

राज्य बिजली बोर्डों को घाटा

6831. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को कितना अनुमानित घाटा हुआ है और प्रत्येक बोर्ड का पिछला घाटा कितना है; और

(ख) इन घाटों का भारतीय आर्थिक व्यवस्था और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को हुए निवल वाणिज्यिक घाटे तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ और मार्च, 1989 के अन्त में 17 बोर्डों की संचयी हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) घाटा होने के कारण, कई बोर्डों को साधन सम्बन्धी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । कई बोर्डों के मामले में, प्रचालन से सम्बन्धित आवश्यक व्यय पूर्ति के लिए बिक्री राजस्व की प्राप्ति अपर्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिए और अधिक ऋण प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए निर्धारित पूंजीगत निधियों का उपयोग किया जा रहा है ।

विवरण

लेखों में दिये अनुसार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता की गणना करने के बाद राज्य बिजली बोर्डों के वार्षिक लाभ (हानि) को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	1986-87	1987-88	1988-89	31-3-1989 की स्थिति के अनुसार संचयी अधिशेष/घाटा
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	40.4	37.9	39.8	209.20
2. बिहार	4.2	(120.5)	(48.4)	(405.00)
3. गुजरात	13.4	34.9	(171.5)	(117.10)
4. हरियाणा	(70.2)	(163.6)	(25.1)	(632.90)
5. हिमाचल प्रदेश	(11.3)	(16.6)	(14.9)	(144.20)
6. कर्नाटक	(60.0)	(86.1)	37.1	47.20
7. केरल	7.6	6.8	(37.1)	(10.30)
8. मध्य प्रदेश	126.8	64.4	80.0	241.50
9. महाराष्ट्र	64.5	73.1	54.2	103.10
10. उड़ीसा	2.5	(31.6)	(3.0)	(105.80)
11. पंजाब	(19.8)	(1.3)	(38.9)	(162.50)
12. राजस्थान	(13.7)	(77.7)	(29.5)	(330.40)

1	2	3	4	5
13. तमिलनाडु	96.8	33.1	136.7	384.90
14. उत्तर प्रदेश	109.7	(129.7)	(231.8)	(749.60)
15. पश्चिम बंगाल	(18.3)	6.6	(25.5)	(296.40)
16. असम	(51.3)	(17.2)	(.19.9)	(459.80)
17. मेघालय	(0.5)	2.4	1.5	(25.10)
घाटा	245.1	504.5	745.5	3438.10
अधिशेष	466.3	388.9	349.3	986.00
निवल	221.2	(115.6)	(390.2)	24521.0

'कत्थकली' पर टी० वी० कार्यक्रम

6832. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने कत्थकली पर कार्यक्रम तैयार करने का कार्य किसी एजेंसी को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस कार्य हेतु किन अन्य एजेंसियों ने आवेदन किया था तथा एजेंसी के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1.50 लाख प्रति कड़ी की लागत पर "कत्थकली" परिबोध कार्यक्रमों पर एक 13-भाग वाले धारावाहिक के निर्माण के लिए मैसर्स पोथुजनम टेलीविजन कार्यक्रम केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। अब धारावाहिक मुख्य हो गया है।

(ग) "कत्थकली" पर ऐसे कार्यक्रम के निर्माण के लिए किसी अन्य एजेंसी ने आवेदन नहीं किया है। दूरदर्शन पर टेलीकास्ट के लिए बाह्य निर्माताओं/एजेंसियों द्वारा कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सभी प्रस्तावों पर पहले संबंधित केन्द्र की स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है। अन्तिम निर्णय के लिए केवल उन्हीं प्रस्तावों पर दूरदर्शन मुख्यालय की केन्द्रीय लागत समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिनकी केन्द्रों द्वारा सिफारिश की जाती है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों का अनधिसूचित किया जाना

6833. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने उद्योगों को अनधिसूचित किया गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उद्योगों को अनधिसूचित करने से पहले कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित तीन औद्योगिक एककों को अनधिसूचित किया गया है :—

(1) मै० श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग वीविंग मिल्स लि० (1986)

(2) मै० बंगाल पोटरीज लि० (1987)

(3) मै० मोहिनी मिल्स लि० (1988)

जहां तक मै० बंगाल पॉटरीज लि० का संबंध है, मै० बंगाल पॉटरीज लि० के मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 30-10-1987 के तहत केन्द्र सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है और यथा स्थिति बनाये रखा है। तब से, मामला न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) पुनरुजीवन के सभी विकल्पों पर विचार करके केन्द्र सरकार के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही औद्योगिक उपक्रमों को आर्थिक रूप से जीव्य बनाना सम्भव नहीं है, उन्हें अनधिसूचित किया गया था।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

6834. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 और 1990 के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस जिले में ऐसे डाकघरों का किस श्रेणी में दर्जा बढ़ाया जायेगा; और

(ग) दर्जा बढ़ाये गए उक्त डाकघरों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) पदों के सृजन पर पर चली आ रही पाबंदी के कारण डाकघर का दर्जा तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि अनुरूप बचत अथवा गैर वापसी अंशदान (एन० आर० सी०) का प्रस्ताव न हो। यह एक सामान्य स्थिति है। अहमदनगर जिले से संबंधित जानकारी अलग से एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसूर टी० वी० ट्रांसमीटर को चामुण्डी पहाड़ी पर स्थानांतरित करना

6835. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर से केवल 20 किलोमीटर रेडियल क्षेत्र में ही प्रसारण देखे जा सकते हैं;

(ख) क्या वर्तमान टी० वी० ट्रांसमीटर के चामुण्डी पहाड़ी पर स्थानान्तरित करने के बाद इसके प्रसारण क्षेत्र का प्रसार 45 किलोमीटर तक हो जायेगा;

(ग) यदि हां, तो ट्रांसमीटर का चामुण्डी पहाड़ी पर स्थानान्तरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) मैसूर का अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगभग 25 किलोमीटर के अपने प्रत्यायित कवरेज रेंज के भीतर सेवा प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं जहां संतोषजनक सेवा केवल ऊंचे एंटीना, बूस्टरों आदि के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं। चामुंडी पहाड़ियों के शिखर पर ट्रांसमीटर की अवस्थापना से इसकी कवरेज रेंज मामूली बढ़ने की आशा है।

(ग) और (घ) मैसूर में अल्पशक्ति ट्रांसमीटर की इसके वर्तमान स्थान पर स्थापना केवल चामुंडी पहाड़ियों पर किसी स्थल के अधिग्रहण के सभी प्रयासों के असफल हो जाने के बाद ही की गई। सातवीं योजना में ट्रांसमीटर को इसके वर्तमान स्थान से बदलने का कोई प्रस्ताव है। मैसूर जिला सहित देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल में पालघाट जिले में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलना

6836. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष लम्बी दूरी के और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय केरल के पालघाट जिले में खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) विभाग की नीति के अनुसार प्रत्येक बसे हुए क्षेत्र के लगभग 5 कि०मी० के भीतर पूरी तरह आर्थिक सहायता देकर दूरसंचार सुविधा प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य से देश को 5 कि० मी० के षटभुजाकार क्षेत्रों में विभक्त किया गया है और दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पंचायत मुख्यालय वाले ग्रामों को प्रमुखता दी गई है। पालघाट जिले के सभी षट-भुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है इसलिए फिलहाल इस जिले में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रसोई गैस सिलिंडरों को अनिवार्य जांच करने के लिए कानून बनाना

6837. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की निरन्तर मांग की जाती रही है कि उपभोक्ताओं के परिसरों में

रसोई गैस सिलिंडर लगाते समय सिलिंडरों और रेगुलेटरों की अनिवार्य रूप से जांच करने के लिए कोई कानून बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई उपाय करने का विचार है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में कितने रसोई गैस सिलिंडरों के फटने की घटनाओं की राज्य-वार सूचना प्राप्त हुई; और

(घ) सरकार ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित सिलिंडर और रेगुलेटर उपलब्ध कराने के लिए और क्या उपाय किये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1988-89 (28 फरवरी, 1989 तक) के दौरान देश में एल० पी० जी० सिलिण्डरों के फटने के सूचित मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल० पी० जी० सिलिण्डरों के फटने के मामलों की संख्या
1. गुजरात	1
2. केरल	1
3. महाराष्ट्र	1
4. पंजाब	1
5. राजस्थान	2
6. तमिलनाडु	1
7. उत्तर प्रदेश	1
8. पश्चिम बंगाल	1
9. दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	1
जोड़	10

(घ) एल० पी० जी० से भरे हुए सभी सिलिण्डरों की वितरकों के पास भेजने से पूर्व रिसाव संबंधी जांच बाटलिंग संयंत्रों पर की जाती है। एल० पी० जी० वितरकों को भी इस बात के कड़े निर्देश हैं कि वे उपभोक्ताओं को सप्लाई करने से पूर्व प्रत्येक सिलिण्डर और रेगुलेटर की रिसाव संबंधी जांच कर लें।

दूरसंचार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति

6838. **श्री नारायण चौबे** :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित दूरसंचार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति में सामान्य नियमों का सख्ती से पालन किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में प्राकृतिक गैस का मूल्य

6839. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1985 से अब तक गुजरात में औद्योगिक प्रयोग के लिए गैस के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की है;

(ख) गुजरात में औद्योगिक प्रयोग के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लिए जाने वाला प्रति हजार क्यूबिक मीटर गैस का मूल्य 31 दिसम्बर, 1985 और 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार कितना था;

(ग) क्या गैस के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने से इन उद्योगकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न प्रयोगों के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित करने संबंधी विषय पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में औद्योगिक कार्यों के लिए ली गई गैस की कीमत कर के अतिरिक्त 1400 रुपये प्रति घन मीटर थी। 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार गैर उर्वरक प्रयोग के वास्ते भट्टी तेल के प्रतिस्थापन के रूप में औद्योगिक कार्यों के लिए ली गई कीमत 2875.87 रुपये प्रति एक हजार घन मीटर थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सरकार ने 30-1-1987 से प्रभावी प्राकृतिक गैस की कीमतें इस प्रकार निर्धारित की हैं—

(1) लैण्ड फाल पाइंट पर अपतटीय गैस और तटवर्ती गैस 1400 रुपये प्रति हजार घन मीटर।

(2) एच० बी० जे० पाइपलाइन के द्वारा गैस के लिए 2250 रुपये प्रति हजार घन मीटर।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गैस के लिए 1000 रुपये प्रति हजार घन मीटर तथा 500 रुपये प्रति हजार घन मीटर की छूट की व्यवस्था सहित इसके अतिरिक्त गैस के फालबैक उपभोक्ताओं के लिए 15 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था है। विकासाधीन गैस क्षेत्रों से की जाने वाली सप्लाई के लिए भी रियायती कीमत ली जाती है। उपर्युक्त कीमतों में रायल्टी, स्थानीय कर आदि शामिल नहीं है। ये कीमतें अभी लागू हैं।

भारतीय फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान

6840. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित भारतीय फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान के छात्रों में असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या छात्रों के प्रतिनिधि को इस संस्थान के शासी निकाय में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया तथा लागू किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जनवरी, 1989 के दौरान भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के छात्र समुदाय के एक वर्ग में कुछ असंतोष था। इस समय संस्थान में शांतिपूर्वक कार्य हो रहा है। उनकी मुख्य मांग, एक फिल्म निर्माता की संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्ति के बारे में थी। 12वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान, छात्र सूचना और प्रसारण मंत्री तथा पूर्व सचिव से मिले थे और उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी गई। बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव ने संस्थान के शासी परिषद के चेयरमैन सह-भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसायटी के अध्यक्ष श्री अडूरगोपालकृष्णन के साथ फरवरी, 1989 में संस्थान का दौरा किया और शैक्षिक संकाय तथा छात्रों के साथ बैठक के बाद उन्होंने सुझाव दिया था कि एक परामर्शदात्री तंत्र बनाया जाए जिसमें छात्र शैक्षिक संकाय और प्रबन्धक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। शैक्षिक संकाय के सदस्य इस तंत्र के बारे में सहमत हो गए किन्तु छात्र इसमें भाग लेने के लिए सहमत नहीं हुए। छात्रों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन की दृष्टि से उनके साथ परस्पर बातचीत के लिए तथा शिक्षण की गुणवत्ता और विषयवस्तु में सुधार लाने की दृष्टि से प्रत्येक सेमेस्टर में एक माह के लिए जाने माने फिल्म निर्माता को अधिवासी रूप से रखने का भी निर्णय लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप श्री मणि कौल को अधिवासी फिल्म निर्माता नियुक्त किया गया था और वे 6 मार्च से 5 अप्रैल, 1989 तक एक माह के लिए वहां रहे। शूटिंग के मानकों में संशोधन आदि जैसे छात्रों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे शैक्षिक परिषद द्वारा विचार किए जाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(घ) और (ङ) संस्थान के शासी निकाय में छात्रों के प्रतिनिधि लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संस्थान के चार भूतपूर्व छात्र भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसायटी के सदस्य हैं

जिनमें से दो शासी निकाय के सदस्य हैं। शैक्षिक परिषद में पहले ही छात्रों का भी प्रतिनिधित्व है। छात्र संघ के अध्यक्ष और सचिव इसके सदस्य हैं।

दूरदर्शन केन्द्रों में कैमरामैनों की कमी

6841. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दूरदर्शन केन्द्रों में ग्रेड-2 के कैमरामैन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में स्वीकृत कैमरामैन ग्रेड-2 के 493 पदों में से 158 पद रिक्त हैं।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने मार्च, 1989 में कैमरामैन ग्रेड-2 के पद पर नियुक्ति के लिए 47 उम्मीदवारों की सिफारिश की। शेष रिक्तियों को भरने के लिए आयोग ने नई मांग की है।

मेजिया ताप विद्युत स्टेशन, दामोदर घाटी निगम के लिए निविदा

6842. **प्रो० एम० आर० हाल्दर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेजिया ताप विद्युत स्टेशन पर कोयले के लदान तथा संचालन संयंत्र की कमी के कारण दामोदर घाटी निगम विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना को जून, 1990 तक पूरा करने के लिए टेण्डर नोटिस जारी किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम (दा० घा० नि०) का मेजिया ताप विद्युत केन्द्र इस समय निर्माणाधीन है और इसकी प्रथम यूनिट को अक्तूबर, 1991 में चालू किया जाना है। परियोजना स्थल पर कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए दामोदर घाटी निगम को निविदाएं प्राप्त हुई हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

बिहार में शाखा डाकघरों और उप डाकघरों का खोला जाना

[हिन्दी]

6843. **श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर और उप डाकघर खोले गये हैं तथा खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अप्रैल, 1989 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों (अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों) के नाम

क्र०सं० ग्राम	जिला
1. इतारहिया	भोजपुर
2. बीरपुर	वही
3. शिवपुर	वही
4. लहाराबाद	वही
5. जीगना	वही
6. भटगांव	नालन्दा
7. हुलासीटोला	पटना

खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों के नाम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्र०सं० ग्राम	जिला
1. पिलची	औरंगाबाद
2. अंकुरी	वही
3. कांडी	वही
4. खैरा मझौली	वही
5. वीजौली	वही
6. धनगाईं	वही
7. बरबसनी	भागलपुर
8. कझीया	वही
9. धानी बेलारी	वही
10. मुश्कीपुर	वही
11. मझली मथियानी	वही
12. लखनौरी	वही
13. कदमा दीयरा	वही
14. लखमीपुर गिरधर	वही

क्र०सं० ग्राम	जिला
15. पचारी	भागलपुर
16. नारायणपुर	वही
17. केशका	वही
18. मदनपुर	वही
19. कुरमाहा	औरंगाबाद
20. चौरहिया	सीतामढ़ी
21. भोहानी सकरौली	वही
22. राजवाड़ा भानपुर	वही
23. भानस पट्टी	वही
24. दांगुली	कटिहार
25. नारायणपुर	वही
26. झगरूचक	वही
27. किरौरा	वही
28. इसरौली	सारन
29. गुमरो	दुमका (गोड्डा)
30. मनिहारी	वही
31. बारामसोली	साहिबगंज
32. किशनपुर	वही
33. कोल्हा	वही
34. करवाई	पलामो
35. लोटवा	रांची (लोहर दग्गा)
36. घरबौली	वही
37. लाहेरी	रोहतास
38. सलफुआ	वही
39. बिठरी बांध	वही
40. सूद्रवर काला	वही
41. सीकेनी	हजारी बाग
42. कोटो	वही

क्र०सं० ग्राम	जिला
43. कंदेल	हजारीबाग
44. हल्का	औरंगाबाद
45. चिरूडी	गिरीडी
46. हुसैना	मुंगेर
47. तेगरा	वही
48. खुरंदा	वही
49. छटियाना	पुर्णिया
50. चाईपुर	वही
51. करसल	देवघर
52. कांकी	वही
53. बरवन	वही
54. कजला दाहा	दुमका
55. निश्चितपुर	वही
56. कुर्ता	दुमका
57. रंगलिया	वही
58. मोहिनी	गोड्डा
59. तरंगा	गिरीडी
60. टोंगटोना	वही
61. हजारी	वही
62. परसबनी	वही
63. अर्जुआ	वही
64. पोन्डा	वही
65. फुलझड़ी	वही
66. पर्वतपुर	वही
67. चरोखरीगढ़	गया
68. हिमारा	वही
69. अयरा	वही
70. मझियाबन	वही

क्र०सं० ग्राम	जिला
71. सिलौंझा	गया
72. मुथेंर	जहानाबाद
73. बरका	वही
74. नरगा	वही
75. जगदारी	वही
76. अमेठी	वही
77. दोहारी	वही
78. महाअनन्तपुर	वही
79. यादव नगर	हजारीबाग
80. गोबिन्दपुर कलां	वही
81. कुर्रम	वही
82. बांजी	वही
83. पाली	वही
84. हरिहरपुर	वही
85. गेगड़ा	वही
86. पीहुली	सीवान
87. तीथाली	वही
88. चैनपुर	वही
89. खलगांव	गोपालगंज
90. भादेहा	वही
91. जिगना दुबे	वही
92. बराईपट्टी	वही
93. निगा	बेगुसराय
94. बभंगमा	वही
95. कुसहोट	वही
96. सकरौली	वही
97. झांझरा	खगरिया
98. अमौसी	वही

क्रम सं० ग्राम	जिला
99. संसारपुर	खगरिया
100. मलिया	वही
101. तेलहन	दरभंगा
102. बरही	वही
103. लाढो	वही
104. सीतपुर डोंगवारा	वही
105. कबरिया घुटबारा	वही
106. बथिया	वही
107. इथार	समस्तीपुर
108. चंदौली	वही
109. बिन्दुआ	वही
110. खैंरी	वही
111. शीशावाड़ी	वही
112. सादीपुर भुताहा	वही
113. लाल गंज	वही
114. बरमसिया सिलबानी	वही
115. मझुआ	वही
116. अझरेल	कटिहार
117. मंगोलपुर	सारन
118. नजिरगंज	वही
119. नौतन	वही
120. जगरनाथपुर	वही
121. लोहना	मधुबनी
122. बसनिया	वही
123. पस्तान	वही
124. गिन्नौर	मधुबनी
125. लिलहुट	वही
126. माधोपुर	वही

क्रम सं० ग्राम	जिला
127. मालीपोखर भिन्डा	सीतामढ़ी
128. सीलो	मुजफ्फरपुर
129. किशनपुर मोहन	वही
130. किशनपुर तिलोर	वही
131. दरखा	मुंगेर
132. प्रधान चक	वही
133. सराय इमाम नगर	वही
134. आमरी	वहीं
135. विचकोरवा	वही
136. बांसबुट्टी	वही
137. मनियाड़ा	वही
138. खगौनी	पूर्वी चम्पारन
139. जागीरा	वही
140. चरहिया	वही
141. बरहाड़ा	वही
142. बरवा	वही
143. चिलवनिया	पश्चिम चम्पारन
144. रामपुरवा	वही
145. रामपुर	वही
146. लछनौटा	वही
147. मधोल	वैशाली
148. मरूई	वही
149. चकमाजाहिद	वही
150. महथी धर्मचन्द	वही
151. काला पहाड़	वही
152. फुलर	वही
153. धरली	सीतामढ़ी
154. रामपुर महेशपुर	वही

क्र० सं० ग्राम	जिला
155. बंबईया हरलाल	सीतामढ़ी
156. मदनपुर	सारन
157. बरहाद	मुजफ्फरपुर
158. बरेठा	वही
159. सीतलपट्टी	वही
160. इटारिया	भोजपुर
161. मरारा	नवादा
162. रेलाडी	सिंघुम
163. छैंसलकुट्टी	वही
164. ऊंचीबीटा	वही
165. केरम	वही
166. चंपीकाला	पलामो
167. सेरंगदाग	वही
168. छटकपुर	वही
169. बीरबल	वही
170. डोल	वही
171. मायापुर	वही
172. आन	वही
173. कम्ता	वही
174. महेशपुर	रांची
175. जरगो	वही
176. उल्लीहाटू	वही
177. माहिल	वही
178. जनावल	गुमला
179. काडूपानी	वही
180. हरंरा	वही
181. मलसारा	वही
182. जोकरीगुरवा	लोहरदग्गा

क्र० सं०	ग्राम	जिला
183.	दारू	लोहरदग्गा
184.	सुजायतपुर	रोहतास
185.	कंचनपुर	वही
186.	सिकरोल	वही
187.	उघनी	वही
188.	मनावर	सहरसा
189.	सकरा पहाड़पुर	वही
190.	काजुरी मटिहानी	वही
191.	तेलहर	वही
192.	मुरौट	मधेपुरा
193.	बिशनपुर अरार	वही
194.	हनुमान नगर	वही
195.	मोहम्मद पुर	सीवान
196.	साफियाबाद	वही

विभागीय उप-डाकघर

स्थान	जिला
1. तेनूघाट थरमल पावर स्टेशन, लालपहिया	गिरिडी

फैजाबाद और बाराबंकी में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में अन्तर

6854. **श्री निर्मल खत्री** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जिलों फैजाबाद और बाराबंकी में डीजल और पेट्रोल की दरें एक समान हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) डीजल और पेट्रोल की भंडारण पाइंट से निकलने की कीमतें पूरे देश में एक समान हैं, तथापि अलग-अलग स्थानों पर खुदरा मूल्य होते हैं जो ढुलाई राज्यों के कर तथा अन्य स्थानीय शुल्कों आदि के आधार पर अलग-अलग होते हैं।

महाराष्ट्र में उजानी में कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र

[अनुवाद]

6845. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1978 में केन्द्रीय सरकार को उजानी में कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने वर्ष 1979 में महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया था कि इस परियोजना को वर्ष 1990-91 के पश्चात् ही सिंगरेनी कोयला खानों से कोयला देने पर विचार किया जा सकता है;

(ग) क्या स्थायी लिंकेज समिति ने वर्ष 1990-91 से कोयला प्रदान करने के सम्बन्ध में अपनी दृढ़ स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव इस समय स्वीकृति दिए जाने की किस स्थिति में है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस स्कीम को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दिया है।

विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण के लिए पूंजी निवेश

6846. **श्री जी० भूपति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में कुल पूंजीनिवेश में से विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण पर कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई सिफारिश की गई है कि विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण तथा बिजली उत्पादन पर समान पूंजी निवेश किया जाये ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित 34,273.46 करोड़ रुपए की कुल योजना परिव्यय में से सातवीं योजना में पारेषण एवं वितरण के लिए अनुमोदित परिव्यय राशि 9,198 करोड़ रुपये है।

(ख) योजना आयोग में वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न विद्युत स्कीमों के लिए परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय योजित उत्पादन क्षमता का पूर्णरूपेण समुपयोजन करने के उद्देश्य से पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के लिए पर्याप्त निधियों के आवंटन की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है।

धुबरी, असम में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

6847. **श्री अब्दुल हमीद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान धुबरी (असम) में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। सातवीं योजना के अधीन असम के धुबरी में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्यक्रम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

6848. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के क्षेत्रीय प्रसारण में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) को पहले ही सभी आकाशवाणी स्टेशनों तथा दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा व्यापक रूप से कवर किया जा रहा है। पिछले 12 महीनों में संपूर्ण देश के विभिन्न आकाशवाणी स्टेशनों से 12491 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। पिछले 6 महीनों के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से 191 कार्यक्रमों को टेलीकास्ट किया गया।

सांची (मध्य प्रदेश) में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

6849. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांची (मध्य प्रदेश) में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने और वहां एक नया इलेक्ट्रानिक टेलीफन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इसे राष्ट्रीय नेटवर्क में लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सुविधाएं वहां कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सांची में एक 128 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 16-3-1989 को चालू हो गया है। सातवीं योजना में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) एस० टी० डी० सुविधा आठवीं योजना के दौरान प्रदान करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान और गुजरात में रुग्ण उद्योग

[अनुवाद]

6850. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1989 को राजस्थान और गुजरात में बड़े तथा छोटे उद्योगों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या राजस्थान और गुजरात में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों पर सरकार और बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन एककों में मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फरवरी, 1989 के अन्त में 1,42,000 लघु एककों और राजस्थान में 1988 में की गई गणना के अनुसार 417 बड़े और मझोले एकक हैं, और 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 98380 लघु उद्योग एकक और 1177 बड़े और मझोले एकक हैं।

(ख) और (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और नवीनतम उपलब्ध आंकड़े जून, 1987 तक के हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए राजस्थान और गुजरात के लिए उनके पास बकाया राशि सहित तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपये)	रुग्ण बड़े एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
राजस्थान				
दिसम्बर, 1985	5,964	29.22	13	40.14
दिसम्बर, 1986	6,222	32.57	11	40.33
जून, 1987	8,657	39.61	36 (गैर लघु उद्योग)	70.99
गुजरात				
दिसम्बर, 1985	4,045	75.03	62	301.51
दिसम्बर, 1986	4,523	97.14	68	323.21
जून, 1987	5,211	114.99	115 (गैर लघु उद्योग)	318.28

**इसमें रुग्ण, बड़े और मझोले उद्योगों की संख्या शामिल है।

देश में औद्योगिक रुग्णता के लिए बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के अनेक कारण जिम्मेदार हैं। जिनमें प्रमुख कारण ये हैं : त्रुटि पूर्ण परियोजना आयोजन, प्रबन्धकीय कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों का दिशान्तरण, अनुसंधान और विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिकी और मशीनों का अप्रचलित होना, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, बाजार मांग में परिवर्तन, लागत और कच्चे माल व अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापनापरक बाधाएं।

(घ) ये आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

केरल में वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों का विस्तार और नए केन्द्रों की स्थापना किया जाना

6851. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान केरल में कुछ नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कुछ वर्तमान केन्द्रों का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ नये आकाशवाणी केन्द्रों को स्थापित करने और वर्तमान केन्द्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में केरल राज्य की निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

(क) नये रेडियो स्टेशन :

1. कन्नानोर में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो।
2. कोचीन (स्थानीय) में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो।
3. इडुक्की में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो।

(ख) अतिरिक्त सुविधाएं :

1. सहायता सेवा के लिए त्रिवेन्द्रम में 50 किलोवाट शा० वे० ट्रांसमीटर लगाना।
2. त्रिवेन्द्रम में टाइप 4 के स्थायी स्टूडियो।
3. त्रिचूर के 20 किलोवाट मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 100 किलोवाट मी० वे० करना।

4. कालीकट के पुराने 10 किलोवाट एम० डब्ल्यू० ट्रांसमीटर को नये ट्रांसमीटर से बदलना ।

दूरदर्शन में रोजगार के लिए आयु सीमा घटाना

6852. **प्रो० पराग चालिहा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में रोजगार के लिए की जाने वाली नयी नियुक्तियों के संबंध में आयु सीमा को 30 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस निर्णय से रोजगार के अवसर और भी सीमित हो जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन में कुछ पदों का वर्गीकरण बदल कर सिविल पद कर दिया गया है, जिन्हें पहले "स्टाफ कलाकार" के रूप में वर्गीकृत किया गया था । सिविल पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होती है ।

उड़ीसा में "आटोमोबाइल" टायर और ट्यूब निर्माण एककों की स्थापना

6853. **डा० कृपा सिंधु भोई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में आटोमोबाइल टायर और ट्यूब निर्माण एककों की स्थापना के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा राज्य के बालासौर जिले में 15 लाख ऑटोमोबाइल टायर एवं 15 लाख आटोमोबाइल ट्यूबों का निर्माण करने के लिए 13-5-1988 को मैं० बिरला टायर्स (प्रो० केसोराम इण्डस्ट्रीज लि०) को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया है ।

फैजाबाद जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

6854. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में विभिन्न क्षमता के कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं;

(ख) निम्न क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और इन एक्सचेंजों में नये कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(ग) इस जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है और यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) फैजाबाद और अयोध्या के एक्सचेंजों को क्रमश: 1991-92 और 1989-90 के दौरान इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है । बाद में और एक्सचेंजों का पता लगाया जायेगा ।

विवरण

31-3-89 की स्थिति के अनुसार फैजाबाद जिले के टेलीफोन एक्सचेंज

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	अकबरपुर	200	25
2.	अयोध्या	100	7
3.	भदरसा	25	—
4.	बासखरी	50	—
5.	भीती	25	—
6.	बीकापुर	25	—
7.	चतराबाजार	25	—
8.	दर्शन नगर	25	—
9.	फैजाबाद	1600	—
10.	गोलाहू गंज	50	—
11.	हरीतन गंज	25	—
12.	हसवाल	25	—
13.	इलफतगंज	25	—
14.	जहांगीर गंज	25	—
15.	जलालपुर	100	—
16.	कटेहारी	25	—
17.	खजूराहट	25	—
18.	कुमार गंज	100	—
19.	कुचेहरा	25	—
20.	मलीपुर	25	—
21.	माया	25	
22.	मोतीनगर	50	—

1	2	3	4
23.	पुरा	25	—
24.	रफीगंज	25	—
25.	रामनगर	25	—
26.	मुहावल	50	—
27.	सुरापुर	25	—
28.	टांडा	200	—
29.	वारियावन	25	—

"स्पीड पोस्ट" सेवा

[अनुवाद]

6855. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्पीड पोस्ट" सेवा में प्राप्त पत्र को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगता है;

(ख) क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि "स्पीड पोस्ट" सेवा में प्राप्त पत्र तथा पार्सल आदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं पहुंचते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) स्पीड पोस्ट डाक गन्तव्य स्थान की स्थिति पर निर्भर रहते हुए 24 से 72 घंटों के भीतर पहुंचा दी जाती है।

(ख) स्पीड पोस्ट डाक निर्धारित समय से न पहुंचने की कुछ शिकायतें मिली हैं जो अधिकतर मामलों में आई ऐसी उड़ानों/गाड़ियों के देर से आने/जाने के कारण हुई।

(ग) स्पीड पोस्ट डाक भेजने में आने वाले गतिरोधों को दूर करने के लिए आई० ए० सी० और रेलवे के साथ निकट सम्पर्क कायम करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में स्पेशल स्पीड पोस्ट प्रभार लौटाने के भी आदेश दिए गए हैं।

बिहार में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट कारखानों की स्थापना

[हिन्दी]

6856. **श्री कुंवर राम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम का बिहार में एक उत्पादन एकक/कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण

[अनुवाद]

6857. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 1989-90 के दौरान पेट्रोल पम्प स्थापित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त तेल उद्योग द्वारा 1987-88 तक की अपनी वार्षिक विपणन योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा राज्या में 38 खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है। उनका ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है। खुदरा बिक्री केन्द्रों को वास्तव में चालू करने ने पूर्व, चूंकि अनेक कदम उठाने होते हैं इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि कब तक ये केन्द्र चालू हो जायेंगे।

विवरण

क्र० सं०	जिला	स्थान
1	2	3
1.	राऊरकेला	सुन्दरगढ़
2.	खांडागिरि	पुरी
3.	पूलनकरा	कटक
4.	बालीगुडा	फुलबनी
5.	कौरनमुंडा	सुन्दरगढ़
6.	पनपोश	सुन्दरगढ़
7.	पटंगी	कोरापुट
8.	अटाबिरा	सम्बलपुर
9.	सिमिलीगुडा	कोरापुट
10.	बारपल्ली	सम्बलपुर
11.	गांधी चाक	सम्बलपुर
12.	पारादीप	कटक
13.	कटक	कटक

1	2	3
14.	केन्द्रापरा	कटक
15.	पारादीप फोस्फेटस	कटक
16.	कोनजर	कोंजर
17.	भुबनेश्वर	पुरी
18.	बोरीगुमा	कोरापुट
19.	चांदरागिरि	गंजम
20.	दमनजोड़ी	कोरापुट
21.	सिमलीगुड़ा	कोरापुट
22.	कोरापुट	कोरापुट
23.	नीलगिरि	बालासोर
24.	बुगुड़ा	गंजम
25.	डिगापहाडी	गंजम
26.	पारादीप-II	कटक
27.	चंदनेश्वर	बालासोर
28.	धामनगर	बालासोर
29.	खुखिया	कटक
30.	बारगढ़	संबलपुर
31.	केशपुर	गंजम
32.	सेंटला	बोलनगिर
33.	ककरीगुमा	कोटापुट
34.	धरमगढ़	कालाहंडी
35.	तलछर	धेनकनाल
36.	चांदीखोले	कटक
37.	बोलनगिर	बोलनगिर
38.	बिरमहाराजपुर	बोलनगिर

गैर पंजीकृत पार्सलों की डिलीवरी

6858. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किताबों और पत्रिकाओं की चोरी, उठाईगिरी को रोकने और डाक कर्मचारियों द्वारा इन्हें गलत ढंग से रखे और उठाये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या विदेशों से आये अधिकांश गैर-पंजीकृत पार्सल वितरित ही नहीं किये जाते;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 में ऐसे कार्यों के लिए कोई डाक कर्मचारी गिरफ्तार किये गए हैं;

(घ) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं और दोषी पाये गए कर्मचारियों को क्या दंड दिया गया है; और

(ङ) क्या डाक विभाग द्वारा गैर पंजीकृत पार्सलों को डिलीवरी का निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पुस्तकों और पत्रिकाओं की चोरी और खराब रखरखाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(एक) सभी बिन्दुओं पर पर्यवेक्षण कड़ा किया गया है;

(दो) खरीदी गई पुस्तकें/पत्रिकाएं वितरण से पहले एक रजिस्टर में नोट की जाती हैं।

(तीन) पोस्टमास्टर और जनसंपर्क निरीक्षकों द्वारा प्राप्तकर्ता के साथ क्रास/टेस्ट जांच की जाती है;

(चार) निरीक्षण स्टाफ द्वारा नियमित दौरे/जांच की जाती है;

(पांच) किसी विशेष पत्रिका को बड़ी संख्या में प्राप्त करने वाले कार्यालयों के लिए सीधे थैले बंद किए जाते हैं;

(छ:) आवधिक प्रचार कार्य चलाए जा रहे हैं और परिणामों की समीक्षा की जा रही है।

(ख) जी नहीं। केवल नगण्य शिकायतें ही ध्यान में आई है।

(ग) उपरोक्त कार्यों के लिए एक कर्मचारी को पकड़ा गया है।

(घ) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है। ऐसी मदों को पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में थैलों में रखा जाता है। कोई प्रतिकूल बात नोटिस में आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है ऐसे कर्मचारियों को बांटने के कार्य से हटा लिया जाता है।

(ङ) वर्तमान निर्देशों को पर्याप्त समझा गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान द्वारा दिल्ली में बिजली के खम्भों का रख-रखाव और बिजली के करंट लगने से मृत व्यक्ति

6859. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आये तूफान से स्ट्रीट खम्भों से तारें छटक जाने के कारण कुछ लोग बिजली के करंट लगने से मर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) सभी क्षतिग्रस्त बिजली के खम्भों और तारों को बदलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या बिजली के करंट से मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो कितना; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में बिजली के करंट से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार स्ट्रीट खम्भों के बिजली युक्त तारों और डेसू के सामान्य सप्लाई मेनों, जो 27-3-89 को चिराग दिल्ली में तेज तूफान के कारण छटक गये थे, के छू जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

(ग) उक्त तूफान के कारण क्षतिग्रस्त सभी खम्भों एवं तारों आदि को तत्काल मरम्मत/बदली कर लिया गया था।

(घ) डेसू के अनुसार, चिराग दिल्ली में 27-3-89 को इस प्रकार मारे गये दो लोगों के दाह संस्कार के खर्च के रूप में प्रत्येक को 10,000 रुपये+1000 रुपये की अनुदान राशि मृतक के निकट सम्बन्धी को प्रदान किया गया। तीसरे मृतक व्यक्ति या उसके निकट सम्बन्धी को दिए जाने वाले अनुदान राशि आदि का डेसू द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सका।

(ङ) डेसू के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान डेसू प्रणाली के करंट लगने से मरे व्यक्तियों की संख्या 33 (12 डेसू कर्मचारी तथा 21 अन्य) हैं। न० दि० न० पा० के अधीन कीलिंग लेन स्कूल, नई दिल्ली में एक वाटर कूलर के पास एक 13 वर्षीय बालक की 20-6-1988 को करंट लगने से मृत्यु हो गई थी।

ईब घाटी विद्युत केन्द्र, उड़ीसा

6860. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ईब घाटी विद्युत केन्द्र के पहले तथा दूसरे यूनिट की स्थापना का कार्य अभी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों को अनुमानतः कब तक चालू कर दिया जायेगा;

(ग) इन यूनिटों से विद्युत उत्पादन कब तक प्राप्त होगा; और

(घ) इस परियोजना की तीसरी और चौथी यूनिट को चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान परियोजना की पहली और दूसरी यूनिट के चालू होने की आशा है।

(घ) उड़ीसा प्राधिकारी, तीसरी और चौथी यूनिटों हेतु मुख्य संयंत्र/उपस्कर प्राप्त करने के लिए, वित्तीय साधन जुटाने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

महाराष्ट्र में आई० एस० डी और एस० टी० डी० से शहरों को जोड़ना

6861. **श्री अरविंद तुलसीराम कांबले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सैट-1 बी के माध्यम से निकट भविष्य में कितने स्थानों को आई० एस० डी० और एस० टी० डी० लाइनों द्वारा जोड़ा जा सकता है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र के कितने शहरों को आई० एस० डी० और एस० टी० डी० लाइनों द्वारा जोड़ने का विचार है; और

(ग) आई० एस० डी० और एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों का चयन करने में क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उपग्रह इन्सैट-1 बी पहले से ही पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहा है। इसलिए निकट भविष्य में आई० एस० डी० और एस० टी० डी० नेटवर्क के साथ इसको जोड़ने के लिए इस पर कोई अतिरिक्त सर्किट जोड़ने की योजना नहीं है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में 21 केन्द्रों को एस० टी० डी०/आई० एस० डी० के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ग) उपलब्ध सीमित संसाधनों के मुकाबले एस० टी० डी० सुविधाओं की मांग करने वाले केन्द्रों की बहुत अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए एस० टी० डी० सुलभ करने के लिए नीचे लिखी अग्रताएं प्रचलन में हैं :

(1) राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना।

(2) जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्य की राजधानी से जोड़ना।

(3) जिला मुख्यालयो को दिल्ली से 300 कि० मी० और बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास से 200 कि० मी० के भीतर आने वाले संबंधित महानगरीय केन्द्र के साथ जोड़ना।

(4) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार 1,000 लाइनों और इससे अधिक क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज।

(5) परियात द्वारा न्यायोचित ठहराये गए अन्य मार्ग।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बचत और व्यय

6862. **श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान स्वदेशी और विदेशी सरकारी दौरों (अलग-अलग) समायोपरि भत्ते, पेट्रोल और व्यय की अन्य योजना-भिन्न मदों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) व्यय में किफायत के उपायों के बारे में जारी किए गए अनुदेशों के परिणामस्वरूप वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय मे की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यय में कटौती करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्यालय में हुए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश तथा विदेश यात्राओं के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के दौरान 0.64 लाख* रुपये तथा वर्ष 1988-89 में 2.77 लाख रुपये की बचत की गई थी।

(ग) जी, हां। नियत सीमाओं में ही व्यय किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*यह स्पष्ट किया जाता है कि लोकसभा में दिनांक 29-2-1988 को श्री हफीज मुहम्मद सिद्दकी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1014 के उत्तर में वित्तीय वर्ष 1987-88 के पहले 10 महीनों के दौरान बचत 0.90 लाख रुपये दर्शाई गई थी। परन्तु वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त तक बचत घट कर 0.64 लाख रुपये रह गई क्योंकि पिछले दो महीनों अर्थात् फरवरी-मार्च, 1988 के दौरान पिछले वर्ष के कुछ ऋणों को समायोजित किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए निवल बचत 0.64 लाख रुपये दिखाई गई है।

विवरण

देशी तथा विदेशी कार्यालय यात्राओं, समयोपरि भत्ते, पैट्रोल तथा गैर योजना खर्च की वस्तुओं पर वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1988-89 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मुख्यालय) द्वारा किए गए खर्चे का ब्यौरा

(रुपए हजार में)

क्र०सं०	खर्चे की मदें	1987-88	1988-89
1	2	3	4
1.	देशी यात्रा	5,26	5,[illegible]2
2.	विदेशी यात्रा	3,10	3,71
3.	समयोपरि भत्ते	3,29	3,78
4.	पैट्रोल	1,57	1,90
5.	**अन्य गैर योजना मदें**		
	(क) स्टाफ कार	1,09	4,20
	(ख) टेलीफोन	17,31	31,45
	(ग) स्टेशनरी	1,32	5,69
	(घ) जलपान खर्च	1,03	3,26
	(ङ) डाक तथा तार	0,97	1,52

1	2	3	4
	(च) स्कूटर/साइकिल अनुरक्षण	0,32	0,19
	(छ) टाइपराइटर	2,21	4,42
	(ज) गाड़ी भाड़ा और मजदूर खर्च	0,80	1,81
	(झ) अनुलिपि मशीन	0,13	0,04
	(ञ) फर्नीचर	1,49	5,61
	(ट) फुटकर	6,00	2,77
	(ठ) माइक्रो प्रोफेसर	9,16	5,'5
	(ड) समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं	2,32	1,68
	(ढ) परिवहन भाड़ा प्रभार	1,25	2,30
	(ण) वर्दी	0,30	0,42
	(त) विविध खर्च	0,82	3,21
	मद संख्या 5 का उपयोग	43,52	73,72
6.	प्रकाशन	0,34	0,61
7.	आतिथ्य खर्च	3,34	5,63
8.	अनुदान	2,60	3,49

गांव-स्तर पर ऊर्जा कार्यक्रम

6863. **डा० फूलरेणू गुहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांव-स्तर पर कोई ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग गांवों के लिए स्थानीय स्रोतों से और समेकित रूप से ऊर्जा उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये परियोजनाएं प्राथमिक रूप से बायोगैस उन्नत चूल्हे, बायोमास ऊर्जा प्रणाली और पवन ऊर्जा प्रणाली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा सोतों के संयोजन पर आधारित है। 17 राज्यों/संघ शासित राज्यों में लगभग 1000 ग्राम स्तर ऊर्जा सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं और 15 राज्यों/संघ शासित राज्यों में 585 ऊर्जा सर्वेक्षण कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं 85 गांवों में स्थापित हो चुकी हैं और 181 गांवों में इनका कार्यान्वयन हो रहा है। इसके अतिरिक्त बायोगैस, धुआं रहित चूल्हे, सौर प्रकाश, सौर विद्युत चालित, टी० वी० आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा सोत की अलग-अलग प्रणालियां पूरे देश के विभिन्न जिलों में ग्राम स्तर पर स्थापित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

6864. **श्रीमती शान्ति देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में कितने नये डाकघर खोले गये हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस जिले में किन-किन स्थानों पर नये डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1-4-1985 से 31-3-1989 तक की अवधि के दौरान बुलन्दशहर जिले में 12 नए डाकघर खोले गए हैं।

(ख) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित ग्रामों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है :—

1. बासेन्दलकू
2. बीरखेड़ा
3. पहाड़पुर हवेली
4. फतेहपुर
5. सलामतपुर
6. लोधई
7. तोरई बच्ची खेड़ा
8. दरवेशपुर
9. चुसराना गैल
10. गाजीपुर गिनौरा नगलो
11. खुशहालपुर
12. गिरधरपुर, और
13. भईयापुर

बोडेला, विकासपुरी, नई दिल्ली में टेलीफोन सेवा

[अनुवाद]

6865. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या संचार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडेला, विकासपुरी, नई दिल्ली में को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग कम्प्लेक्सों के बड़ी संख्या में फ्लैट आवंटितियों को उस क्षेत्र में टेलीफोन सेवा न होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इन आवास कम्प्लैक्सों में रहने वाले व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन के तुरन्त अन्तरण की सुविधा देने के लिए टेलीफोन लाइनें बिछाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने टेलीफोन प्रयोक्ताओं को कठिनाइयों से बचाने के लिए टेलीफोन कनेक्शनों के अन्तर तथा अन्तःएक्सचेंज अन्तरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। इन क्षेत्रों में विभिन्न सोसायटियों के लिए लगभग 3000 टेलीफोन पहले से काम कर रहे हैं।

(ख) यह आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जनकपुरी में 20,000 लाइनों का डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया जाएगा और राजौरी गार्डन एक्सचेंज की क्षमता 4,000 लाइनों तक बढ़ा दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। शिफ्ट किए जाने योग्य टेलीफोनों को आम तौर पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया जाना जरूरी होता है।

नागपुर में गैस एजेंसियों को रसोई गैस सिलिंडरों का आवंटन

6866. **श्री जी० एस० मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भोपाल स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले नागपुर तथा अन्य शहरों का विभिन्न एजेंसियों को कितने रसोई गैस सिलिंडर आबंटित किए गए हैं; और

(ख) ये रसोई गैस एजेंसियां किस तारीख से वितरण कार्य आरम्भ करती हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	डीलर का नाम और उसका स्थान	आरम्भ करने की तारीख	31-3-1989 को उसके पास उपभोक्ताओं की सं०
1	2	3	4
1.	मैसर्स बुक एण्ड कुक, भोपाल	फरवरी, 1983	7435
2.	बी० एस० एण्ड सर प्रा० लिमिटेड, भोपाल	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	6828
3.	दिव्या फ्लेम्स, भोपाल	नवम्बर, 1985	5864
4.	मन्साराम कोटूमल, भोपाल	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	6075

1	2	3	4
5.	फोएनेक्स डिस्ट०, भोपाल	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	4738
6.	रूपा गैस, भोपाल	मार्च, 1985	8293
7.	सुनील जन० स्टोर, भोपाल	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	5269
8.	सराह एजेंसीज, भोपाल	अप्रैल, 1988	925
9.	ब्रहरनपुर गैस सप्लाई कं० ब्रहरनपुर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	7421
10.	प्रभात गैस एजेंसी, ब्रहरनपुर	मार्च, 1988	1181
11.	रतनश्री एन्टरप्राईज, देवास	दिसम्बर, 1984	3!34
12.	तोपरानी गैस एजेंसी, देवास	दिसम्बर 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	4966
13.	अशान्वित एन्टरप्राईज, इन्दौर	नवम्बर, 1984	8644
14.	इन्दौर हाउसओल्ड, इन्दौर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	8833
15.	सुपर गैस, इन्दौर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	8259
16.	रुबी गैस, इन्दौर	अक्तूबर, 1984	6231
17.	रत्नेश गैस एजेंसीज, इन्दौर	अगस्त, 1987	3935
18.	महेश एन्टरप्राईज, इन्दौर	नवम्बर, 1984	7689
19.	मंगलिया किचन सर्विस, मंगलिया	मार्च, 1985	3045
20.	जबलपुर गैस कंपनी, जबलपुर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	7965
21.	ए० के० गैस, जबलपुर	सितम्बर, 1986	1950
22.	जौहर एन्टरप्राईज, जबलपुर	जून 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	6157
23.	महाकौशल गैसोलीन एंट०, जबलपुर	1979 में ग्रेड बढ़ाया गया	7703
24.	मदन महल, जबलपुर	नवम्बर, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	5748
25.	उज्ञन गैस एजेंसीज, जबलपुर	जून, 1984	5166

1	2	3	4
26.	विशाल गैस, झबुआ	जून, 1984	4222
27.	भारत गैस, मोहू	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	6308
28.	नेपा नगर कंपनी पेपर मिल, नेपानगर	जून, 1985	3239
29.	वीनस एन्टरप्राईज, राजगढ़	मार्च, 1985	2899
30.	कार्तिक गैस, रतलाम	जून, 1984	3890
31.	रतलाम गैस सर्विस, रतलाम	जून, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	6917
32.	विदीश गैस सर्विसेज, विदिशा	मार्च, 1985	2858
33.	अतुल उद्योग भवन, विदिशा	मई, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	7353
34.	जय गैस एजेंसीज, उज्जैन	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	5341
35.	उज्जैन गैस एजेंसीज, उज्जैन	अक्तूबर, 1985	4777
36.	एम० हुसैन, सिहोर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	6335
37.	सुविधा फ्लेम्स, इटारसी	जुलाई, 1987	2036
38.	राय गैस एजेंसी, बीना	अप्रैल, 1987	1607
39.	धार गैस कंपनी, धार	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	5899
40.	बालाजी गैस, हरदा	दिसम्बर, 1987	1194
41.	सुनील गैस एजेंसीज, सागर	जुलाई, 1984	5114
42.	सुपर गैस, खण्डवा	मार्च, 1986 (तदर्थ)	6640
43.	नन्दा गैस, खण्डवा	दिसम्बर, 1988	600
44.	प्रभा गैस, कचरौद	नवम्बर, 1988	265
45.	आलोक एलाइड, सिवोनी	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	3831
46.	नाहर एलाइड, छिंदवाड़ा	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	4524
47.	एम० पी० राज्य आपूर्ति निगम, बेतुल	मार्च, 1988	3838
48.	मण्डल गैस कं०, मण्डला	दिसम्बर, 1983	3805

1	2	3	4
49.	नर्मदा गैस, शाहडोल, शाहडोल	जनवरी, 1984	3942
50.	गुप्ता ब्रदर्स, कटनी	जून, 1983	5562
51.	सुपीरियर सेल्ज एण्ड सर्विस, बालाघाट	मार्च, 1985	3391
52.	कोरबा गैस, पंचमढ़ी	अप्रैल, 1987	915
53.	एम० सी० पी० एम्पलाइज को० सोसायटी, मलंजखण्ड	अप्रैल, 1984	2100
	महाराष्ट्र		
54.	आनन्द गैस एण्ड डोमैस्टिक एप्लाइंसिस, नागपुर	अप्रैल, 1980	6407
55.	काले गैस कंपनी, नागपुर	अप्रैल, 1980	5384
56.	गांधी गैस एजेंसी, नागपुर	अप्रैल, 1979	5949
57.	सुरेन्द्रा गैस एजेंसीज, नागपुर	अप्रैल, 1979	7583
58.	किचन क्वीन गैस ट्रेड, नागपुर	अक्तूबर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	3978
59.	ब्ल्यू फ्लेम ट्रेडर्स, नागपुर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	4385
60.	एलाइड गैस ट्रेडर्स, नागपुर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	5735
61.	डोम गैस एण्ड एप्ल०, नागपुर	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	5111
62.	ज्योतिका गैस एण्ड डोम० एप्ल०, नागपुर	मार्च, 1984	3466
63.	एन० जी० डी० ए०, नागपुर	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	7019
64.	धर्मपेथ गैस सर्विस, नागपुर	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	9224
65.	सीताबल्दी गैस सर्विस, नागपुर	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	9341
66.	सेंट्रल एवेन्यू, नागपुर	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	11696
67.	प्रयागराज गैस एण्ड डोम० एप्ल०, नागपुर	अक्तूबर, 1987	1095
68.	ईजी होम एप्ल०, नागपुर	जुलाई, 1988	835

1	2	3	4
69.	अग्रवाल जनरल स्टोर, अंबाअहारी	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	4821
70.	एम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी, कोराडी	सितम्बर, 1983	3650
71.	कृषक एग्रो० एजेन०, कटोल	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	2429
72.	सी० तिवारी एंड कं०, कमल्टी	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	4338
73.	कोठारी ब्रदर्स, कमल्टी	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	3314
74.	अमरावती गैस कं०, अमरावती	दिसम्बर, 1981	6002
75.	विदर्भा गैस एंड डो० एप्ल०, अमरावती	अगस्त, 1984	7899
76.	रेखा गैस डोम० एप्ल०, अमरावती	जनवरी, 1987	1200
77.	पटेल गैस एजेंसी, अकोला	दिसम्बर, 1981	6970
78.	अकोला गैस सर्विस, अकोला	अगस्त, 1984	1928
79.	समर्थ गैस एजेंसी, अकोला	अक्तूबर, 1986	1989
80.	श्रीराम गैस एजेंसी, अचलपुर	अक्तूबर, 1983	3354
81.	चन्द्रा एजेंसीज, अचलपुर	अगस्त, 1984	3092
82.	भुईभर गैस कं०, अकोट	मार्च, 1983	2127
83.	भंडारा गैस सर्विस, भंडारा	अगस्त, 1984	3260
84.	एम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी, जवाहर नगर	अगस्त, 1984	2656
85.	लत्थीवाला गैस सर्विस, अरवी	अगस्त, 1984	2291
86.	बुलधाना गैस सर्विस, बुलधाना	अगस्त, 1982	2200
87.	गोंदिया गैस एजेंसी, गोंदिया	दिसम्बर, 1981	4830
88.	कोठारी स्टोर्स, गोंदिया	अगस्त, 1984	4602
89.	बजाज गैस एजेंसी, पसौद	अगस्त, 1984	2440
90.	फैकर कंपनी सो० तुमसर	दिसम्बर, 1981	3280
91.	इब्राहिम जी आदमजी, वर्धा	अगस्त, 1984	5750
92.	लखोटिया एंड राठी, वर्धा	फरवरी, 1987	783

1	2	3	4
93.	सी० बी० मोरे, यवतमाल	अगस्त, 1984	3532
94.	यवतमाल गैस कं०, यवतमाल	दिसम्बर, 1981	4531
95.	धमनगांव गैस एंड डोम० एप्ला० धमनगांव	सितम्बर, 1987	733
96.	वेंकटेश गैस ऐज, बैलारपुर	मार्च, 1983	3484
97.	कंज्यूमर कं० स्टोर्स ऑरडि० फैक्टरी, भनदक	मार्च, 1983	2804
98.	खान्द्र ट्रेडिंग कारपोरेशन, चन्द्रपुर	अगस्त, 1984	4369
99.	स्वास्तिक सेल्स एजेंसी, चन्द्रपुर	दिसम्बर, 1981	5020
100.	सुप्रीम गैस एंड डोम० एप्ल०, चन्द्रपुर	फरवरी, 1987	1324
101.	गृह लक्ष्मी, हिंगन घाट	अगस्त, 1984	3123
102.	सत्यश्री गैस कंपनी, हिंगन घाट	मार्च, 1987	2026
103.	रवी सेल्स एजेंसी, वानी	मार्च, 1983	3365
104.	मीनाक्षी एजेंसी, वरोरा	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	1953
105.	खाम गांव गैस एंड डोम० एप्ल०, खामगांव	दिसम्बर, 1981 में ग्रेड बढ़ाया गया	6497
106.	सहयोग गैस एजेंसी, परोल	अगस्त, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	2058
107.	दिलीप गैस एजेंसी, चालिसगांव	मई 1982	8382
108.	एस० सी० पारख, अमलानर	अगस्त, 1981	4777
109.	जलगांव गैस एजेंसी, जलगांव	मई, 1983	4680
110.	शिरिष एंड कं०, जलगांव	सितम्बर, 1984 में ग्रेड बढ़ाया गया	7891
111.	जगदीश गैस कंपनी, चोपडा	मार्च, 1983	2047
112.	भूषावल गैस एजेंसी, भूषावल	सितम्बर, 1981	7874

मोटर डीजल इंजन तथा कल-पुर्जों के लिए अनुसंधान केन्द्र

6867. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मोटर डीजल इंजन तथा कल-पुर्जों के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) यू० एन० डी० पी० की सहायता के कोयम्बटूर में पम्पों, मोटरों व डीजल इंजनों के लिए एक प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे यू० एन० डी० पी० को प्रस्तुत करने से पूर्व इसकी पुन: संवीक्षा की जानी है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

6868. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उपभोक्ता संगठनों ने अभ्यावेदन किया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की प्रक्रिया एक बोझिल प्रक्रिया है;

(ख) क्या बड़े औद्योगिक घराने कानून का सहारा लेकर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों से बच जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) से (घ) प्रक्रिया को कारगर तथा सरल बनाने के उद्देश्य से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियमन, 1974 में संशोधन का कार्य शुरू किया है। ऐसा करते समय आयोग ने कुछ उपभोक्ता संगठनों द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों पर विचार किया है। इस प्रयोजन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

सिक्किम में रसोई गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची

6869. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम के प्रत्येक जिले में 31 मार्च, 1989 को कितने व्यक्ति रसोई गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में थे; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को कम करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पहली अप्रैल, 1989 को पूर्वी सिक्किम में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए लगभग 875 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे। दक्षिण सिक्किम जिले के एक भाग में राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने मुख्य वितरण केन्द्र गंगटोक की विस्तार शाखा के माध्यम से एल० पी० जी० मुहैया की जा रही है, शेष जिलों में इस समय एल० पी० जी० सुविधा नहीं है।

(ख) तेल उद्योग द्वारा सिक्किम सहित पूरे देश में उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने

वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से नए एल० पी० जी० गैस कनैक्शन जारी किए जाते हैं कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वयं रोजगार योजना

6870. **डा० जी० विजयरामा राव**: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भड़ौच और जामनगर जिलों तथा आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिलों में जिन शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण मिला था, वे पहले से ही कहीं नौकरी कर रहे थे;

(ख) क्या अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक एंड सोशल रिसर्च द्वारा इस योजना के प्रभावों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) गुजरात तथा आंध्र प्रदेश के दो जिलों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना का मूल्यांकन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक एण्ड सोशल रिसर्च द्वारा किया गया था। रिपोर्ट में यह संकेत है कि यह योजना के अधीन कुछ लाभग्राही पहले से रोजगार में लगे थे।

(ग) रिपोर्ट में इस योजना के कार्यान्वियन में हुई कुछ अनियमितताओं का उल्लेख है अर्थात लाभग्राहियों का पता न चलना, योजना के लाभ रोजगार में लगे व्यक्तियों, मध्य वर्ग के तथा खुशहाल व्यक्तियों को मिलना तथा योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने में लाभग्राहियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयां। रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और योजना की उचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

6871. **श्री टी० बाल गौड़ :**
श्रीमती एन० प० झांसी लक्ष्मी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, रामागुंडम को कितनी मात्रा में कोयले की कितनी सप्लाई की जाती है;

(ख) मुदानपुर और विशाखापटनम में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए किन स्त्रोतों से कोयले की सप्लाई की जा रही है; और

(ग) मुदानपुर और विशाखापटनम की ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंगरेनी कोलियरीज लि० की खानों से निकाले गए कोयले की सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रामागुंडम स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इस समय सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के

सथ प्रतिमाह 375000 मि० टन कोयले की सप्लाई किये जाने के लिए संयोजित किया गया गया है । वर्ष 1989-90 में इस विद्युत गृह के लिए 5.02 मि० टन कोयले की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से कोयले की मांग और उपलब्धता के बीच 1.68 मि० टन कोयले की कमी होने की सम्भावना है । आठवीं योजना अवधि के पूर्व वर्षों के दौरान और भी अधिक घाटा होगा। उत्पादन के इस घाटे को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्तावित विशाखापटनम ताप विद्युत गृह के लिए कोई नया संयोजन किया जाना संभव नहीं हैं । किन्तु आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के (2×210 मे० वा०) के मुदानपुर ताप विद्युत गृह को सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से (दीर्घावधि) आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में संयोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई है ।

आंध्र प्रदेश में टेलेक्स सुविधाएं

6872. **श्री टी० बाल गौड** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों में टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों में निकट भविष्य में टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कस्बों सहित कई बड़े बड़े शहरों में टेलेक्स सेवाएं पहले से उपलब्ध हैं । निकट भविष्य में नीचे लिखे 2 जिला मुख्यालयों को टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है :

1. नालगोंडा, और
2. चित्तूर

समाचार पत्रों को डाक तथा दूरसंचार दरों में रियायत

6873. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय छोटे तथा मंझोले समाचार पत्र संघ ने सरकार से छोटे समाचार पत्रों को डाक तथा दूरसंचार दरों में रियायत देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के कुछ संगठनों (जिनमें इंडियन फेडरेशन आफ स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स भी शामिल हैं) द्वारा उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में और ऐसे समाचार पत्रों के लिए डाक एवं दूरसंचार दरों को कमी करने सहित विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन दिए गए हैं ।

(ख) लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों के विभिन्न

मुद्दों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जिसमें डाक और दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं।

पनकी और ओबरा ताप विद्युत केन्द्रों में बिजली उत्पादन

6874. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **ऊर्जा मंत्री** पनकी और ओबरा ताप विद्युत केन्द्रों में बिजली उत्पादन के बारे में 6 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3652 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली केन्द्रों के कर्मचारियों/तनकीशियनों ने आंदोलन किया था और अपनी विभिन्न मांगों के बारे में मार्च, 1989 के दौरान धरने पर बैठे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोल इंडिया लि० द्वारा भारी मशीनों की खरीद

[हिन्दी]

6875. **श्री एस० डी० सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० ने अपनी परियोजनाओं के लिए भारी मशीनों की खरीद कब और कहां से की थी तथा ये मशीनें कौन-कौन-सी परियोजनाओं के लिए खरीदी गई थी;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है तथा इन्हें पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) अब तक खरीद कर लगाई गई भारी मशीनों का ब्यौरा क्या है और शेष मशीनें कब तक लगाई जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री० सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० की संयंत्र तथा मशीनरी की आवश्यकता अधिकतर देशी उत्पादकों द्वारा विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, जैसा एण्ड कम्पनी तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पूरी की जाती है। ऐसी परियोजनाओं के मामले में, जोकि द्विपक्षीय सहायता के अंतर्गत आती हैं अथवा जिनका वित्त-पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, मशीनरी की प्राप्ति विदेशों से की जाती है।

100 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली भारी मशीनरी की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

परियोजना का नाम	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजना के पूरा होने की प्रत्याशित तारीख
झंजरा भू० ग०	184.55	3/94
सोनेपुर बाजारी ओ० का०	192.96	3/94
राजमहल ओ० का०	562.70	3/95
पुटकी बलिहारी	199.87	12/95
मूनीडीह भू० ग०	132.07	3/89
झरिया ब्लाक-II ओ० का०	112.05	3/90
अमलोहरी ओ० का०	323.32	3/92
जयन्त ओ० का०	313.61	3/90
दुधीचुआ ओ० का०	289.68	3/93
खादिया ओ० का०	400.00	3/94
निगाही ओ० का०	462.39	11/94
गेवरा ओ० का०	224.39	3/92

(ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन के साथ संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

6876. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत के साथ ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, तेल और गैस, नागर विमानन, इलैक्ट्रोंनिक्स और दूरसंचार के क्षेत्र में नये संयुक्त उद्यमों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बातचीत कब तक पूरी हो जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इण्डो-ब्रिटिश इकोनोमिक कमेटी (भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति) की पिछली बैठक नयी दिल्ली में 20 और 21 फरवरी, 1989 को हुई थी, जिसमें ब्रिटिश और भारत ने दोनों देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना सहित औद्योगिक और आर्थिक सहयोग और अधिक बढ़ाने की दिशा में अपनी रुचि का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया था। दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु संभव समझे गये क्षेत्र निम्नलिखित थे—बिजली, खाद्य संसाधन उद्योग, पेट्रो-रसायन व उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, इलेक्ट्रोनिकी, दूर-संचार, मशीनी औजार और आटोमोटिव पुर्जे आदि।

संयुक्त उपक्रमों या परियोजनाओं की स्थापना हेतु बातचीत दोनों देशों के संबंधित उद्यमियों द्वारा की जाती है ।

डाकघर खोलना

6877. **श्री मुरलीधर माने** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, डाक तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए वर्ष वार कितनी धन राशि आवंटित की गई; और

(ख) इस अवधि में देश में कितने डाकघर खोलने की मांग की गई थी और कितने नये डाकघर खोले गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) डाक और दूरसंचार का पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना परिव्यय नीचे दिखाया गया है :

	डाक	दूरसंचार
1986-87	40 करोड़ रुपये	827.01 करोड़ रुपये
1987-88	40 करोड़ रुपये	1117.24 करोड़ रुपये
1988-89	50 करोड़ रुपये	1800.00 करोड़ रुपये

(ख) 7 वीं योजना (1985-90) में 6,000 नये डाकघरों के प्रावधान का लक्ष्य है । कुल मिलाकर डाकघर खोलने के लिए प्राप्त अनुरोधों को, जिन्हें जांच के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पाया गया है । इस लक्ष्य के भीतर समाहित कर दिया गया है । वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमश: 12 और 873 नये डाकघर खोले गए । वर्ष 1988-89 के दौरान 2548 नये डाकघर मंजूर किए गए हैं ।

उड़ीसा में कोयले के लिए सर्वेक्षण

6878. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-विज्ञान तथा खनन निदेशालय ने कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए उड़ीसा में और क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वर्तमान कोयला क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा उड़ीसा सरकार के भू-गर्भीय तथा खनन निदेशालय ने अन्वेषण कार्य किए । इन सर्वेक्षणों से तलबीरा, गोपालप्रसाद, नीलांचल, लिमिराज, भरतपुर साउथ, गोपालपुर, ब्लाकों, आदि में कोयला धारक क्षेत्रों का पता चला है ।

दिनांक 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में कोयले के कुल 41,556.64 मि० टन भंडार होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) वर्ष 1988-89 में उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों से कोयले का 10.93 मि० टन उत्पादन हुआ। इस उत्पादन में वर्ष 1994-95 तक 25.26 मि० टन वृद्धि हो जाने की संभावना है। यह उत्पादन विद्यमान खानों तथा स्वीकृत परियोजनाओं से 12.86 मि० टन तथा नई परियोजनाओं से 12.40 मि० टन उत्पादन प्राप्त होगा।

उड़ीसा के दूरदराज के और आदिवासी क्षेत्रों में संचार सेवाएं

6879, **श्री के० प्रधानी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के दूरदराज के देहाती और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में अलग-अलग कितने डाकघर तारघर, तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है और वे कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा के लिए 171 नये डाकघरों की मंजूरी दी गई है। सूची संलग्न विवरण में दी गई है। 1989-90 के दौरान लगभग 150 से 200 नये डाकघरों के बारे में विचार किया जाएगा।

दूरसंचार सुविधाएं देश के प्रत्येक लगभग 5 कि० मी० के घेरे में रह रही आबादी में पूर्णरूपेण: आर्थिक सहायता देकर प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य से संपूर्ण देश की 5 कि०मी० के षटभुजाकार क्षेत्रों में विभक्त किया गया है तथा यह सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से किसी प्रमुख ग्राम विशेषतया पंचायत मुख्यालय को नोडल-प्वाइंट माना गया है। उड़ीसा के जनजातिय क्षेत्रों मेंऐसे 932 षटभुजाकार क्षेत्र हैं जिनमें से 393 षटकोणीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। शेष षटभुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं 7 वीं योजना अवधि के शेष समय तथा 8वीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर प्रदान की जाएगी। टेलीफोन एक्सचेंज मांग होने पर खोले जाते हैं। कम से कम 5, 10, 23 और 46 टेलीफोन कनेक्शन के लिए मांग दर्ज होने पर क्रमश: 9, 25, 50, और 100 लाइनों के एक्सचेंज खोले जाते हैं बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

क्र०सं०	डाकघर का नाम	जिला	क्या सामान्य पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र है
1	2	3	4
1.	महाराजापल्ली	कोरापुट	जनजातीय

1	2	3	4
2.	आंध्रपल्ली	कोरापुट	जनजातीय
3.	कुमारगंधाना	—वही—	—वही—
4.	गोदाधानुआ	—वही—	—वही—
5.	गुंटवाडा	—वही—	—वही—
6.	बडापदार	—वही—	—वही—
7.	जादपना	—वही—	—वही—
8.	दोदागुडा	—वही—	—वही—
9.	बीरीगुडा	—वही—	—वही—
10.	बाईगम	—वही—	—वही—
11.	छिकिमा	—वही—	—वही—
12.	सेमाला	—वही—	—वही—
13.	फुपूमम	—वही—	—वही—
14.	देवभारांदी	—वही—	—वही—
15.	पराजा देवपाली	—वही—	—वही—
16.	कुजालवशुदर	—वही—	—वही—
17.	केरीमीती	—वही—	—वही—
18.	बदाकुमारी	—वही—	—वही—
19.	छारमूला	—वही—	—वही—
20.	गुमुनदा	—वही—	—वही—
21.	हरीपुर	मयूरभंज	—वही—
22.	पटबिल	—वही—	—वही—
23.	खुराधिका	—वही—	—वही—
24.	जीरल	—वही—	—वही—
25.	धरमद्दीहि	—वही—	—वही—
26.	नौगांव	—वही—	—वही—
27.	पनथो	—वही—	—वही—
28.	नाफरी	—वही—	—वही—
29.	सायपुरसन्दव	—वही—	—वही—
30.	सरिसापुर	—वही—	—वही—

1	2	3	4
31.	जमैदाईपुर	पुरी	सामान्य
32.	धनचंगदा	—वही—	—वही—
33.	वासंगदा	—वही—	—वही—
34.	मिथापल्ली	सम्बलपुर	—वही—
35.	केनसिरी	—वही—	—वही—
36.	सीलाट	—वही—	—वही—
37.	जैमुअल	—वही—	जनजातीय
38.	रमतिलाईमल	—वही—	—वही—
39.	अरदावहल	—वही—	—वही—
40.	खरसनमाल	—वही—	—वही—
41.	लेडागुमा	—वही—	—वही—
42.	कुसमिता	क्योंझर	—वही—
43.	वसीरा	—वही—	—वही—
44.	सिलिडा	—वही—	—वही—
45.	कैन्टा	—वही—	—वही—
46.	तालपाडा	—वही—	—वही—
47.	बालीपोखरी	—वही—	—वही—
48.	तोरानीपोखरी	—वही—	—वही—
49.	नरसिंहपुर	कटक	सामान्य
50.	गोबरधनपुर	—वही—	—वही—
51.	रंगागण्डी	—वही—	—वही—
52.	धानीपुर	—वही—	—वही—
53.	कियाझर	—वही—	—वही—
54.	बलभद्रपुर	—वही—	—वही—
55.	सनमांगा	—वही—	—वही—
56.	मधुपुर	—वही—	—वही—
57.	मंगराजपुर	—वही—	—वही—
58.	ओलालू	—वही—	—वही—
59.	इराबंक	—वही—	—वही—

1 2	3	4
60. पलिरागुनाथपुर	कटक	सामान्य
61. अम्पोलवा	—वही—	—वही—
62. खरिनासी	—वही—	—वही—
63. माणिकपटना	कटक	—वही—
64. अटाल	—वही—	—वही—
65. छंदेश	—वही—	—वही—
66. कोइलीपुर	—वही—	—वही—
67. बँदिही	—वही—	—वही—
68. जदकुदार	सुन्दरगढ़	जनजातीय
69. कान्ताबहाल	—वही—	—वही—
70. सयटीमाल	बालासोर	—वही—
71. चंचेर	कालाहाण्डी	सामान्य
72. भीमकेला	—वही—	—वही—
73. गोलपाडा	गंजम	—वही—
74. मटियापाली	बालंगीर	—वही—
75. चिनाजूरी	—वही—	—वही—
76. समलाईचौहान	—वही—	—वही—
77. बंकीपाली	—वही—	—वही—
78. सरगुल	—वही—	—वही—
79. बाबूपल्ली	—वही—	—वही—
80. उडार	—वही—	—वही—
81. तलीउडार	—वही—	—वही—
82. मिर्झापाली	—वही—	—वही—
83. सिकछड़ा	—वही—	—वही—
84. जुलुन्दा	—वही—	—वही—
85. बेताल	कटक	—वही—
86. बारासाही	ढेनकनाल	—वही—
87. अखुआपाल	—वही—	—वही—

1	2	3	4
88.	सरदापुर	धेनकनाल	सामान्य
89.	बाम	—वही—	—वही—
90.	पाटकुमुण्डा	—वही—	—वही—
91.	पदमावतीपुरम	धेनकनाल	—वही—
92.	केष्टापाल	—वही—	—वही—
93.	बांगुरिसिंगा	—वही—	—वही—
94.	ओस्कापल्ली	—वही—	—वही—
95.	पेंडीपेथर	—वही—	—वही—
96.	महादेवदिही	मयूरभंज	जनजातीय
97.	बीरबलभद्रपुर	पुरी	सामान्य
98.	ऊननपुर	कालाहाण्डी	—वही—
99.	केराबण्डी	—वही—	—वही—
100.	लावा	कोरापुट	जनजातीय
101.	सोरगुली	—वही—	—वही—
102.	तेलंगापडार	—वही—	—वही—
103.	खंबारीगुडा	—वही—	—वही—
104.	बदागटीगुडा	—वही—	—वही—
105.	बागुला	—वही—	—वही—
106.	मन्तरीगुडा	—वही—	—वही—
107.	हातीखंभा	—वही—	—वही—
108.	पनीचातरा	—वही—	—वही—
109.	बुरबुडा	सम्बलपुर	—वही—
110.	छाताबार	—वही—	—वही—
111.	सिमलीपाल	—वही—	पिछड़े
112.	भीमजोर	—वही—	सामान्य
113.	दुमालपुर	—वही—	—वही—
114.	थांगर	—वही—	—वही—
115.	बंजेड़	—वही—	—वही—

1	2	3	4
116.	क्वारवागा	सुन्दरगढ़	जनजातीय
117.	किरिसिरा	—वही—	—वही—
118.	डण्डपानी	—वही—	—वही—
119.	गुमुदिया	फूलबनी	—वही—
120.	बापलमेंडी	—वही—	—वही—
121.	जामझिरी	—वही—	—वहीं—
122.	तेंतुलीगाडा	—वही—	—वही—
123.	बुनुमगि ग्रोड़ी	—वही—	—वही—
124.	बलकाटी	कटक	सामान्य
125.	गुवामल	बालासौर	पिछड़े
126.	नाहंगा	—वही—	—वही—
127.	कसीदा	—वही—	—वही—
128.	अदंगा पटाई	—वही—	—वही—
129.	अलस्वान	—वही—	—वही—
130.	पधानी	—वहा—	—वही—
131.	बहाबलपुर	—वही—	—वही—
132.	सरकोहा	—वही—	—वही—
133.	बालंगा	—वही—	—वही—
134.	चालुनिगांव	—वही—	—वही—
135.	भण्डार	बालंगीर	—वही—
136.	तामामूरा	—वही—	—वही—
137.	पेघाल	—वही—	—वही—
138.	फाटमुण्डा	—वही—	—वही—
139.	सियालेटी	कालाहाण्डी	—वही—
140.	कुरेवार	—वही—	—वही—
141.	बासुदेवपुर	क्योंझर	जनजातीय
142.	चाकुण्डापाल	—वही—	—वही—
143.	घोबकचोड़ा	—वही—	—वही—

1 2	3	4
144. नन्दीगाम	कोरापुट	जनजातीय
145. बेतल	—वही—	—वही—
146. रामजीपुर	कोरापुट	जनजातीय
147. कोंगरुकमेंडा	कोरापुट	जनजातीय
148. तेलराही	—वही—	—वही—
149. भारनपुर	—वही—	—वही—
150. किनालोडी	—वही—	—वही—
151. केम्पोर	—वही—	—वही—
152. चन्दागिरि	—वही—	—वही—
153. ब्राह्मण हलवा	—वही—	—वही—
154. सिरिपाल	—वही—	—वही—
155. पायकपेडा	—वही—	—वही—
156. बीजाबांदली	—वही—	—वही—
157. तुरईघाटी	—वही—	—वही—
158. सुलावा	—वही—	—वही—
156. रेंगा	—वही—	—वही—
160. नाकममुडी	—वही—	—वही—
161. पेटागडिया	मयूरभंज	—वही—
162. बादापेडा	फुलबनी	—वही—
163. सिकोरिदा	पुरी	सामान्य
164. मोदरापाडा	सम्बलपुर	जनजातीय
165. दंगजोर	—वही—	—वही—
166. तायनसार	—वही—	—वही—
167. रबगा	—वही—	—वही—
168. केछोपानी	—वही—	—वही—
169. बस्सुबान	सुन्दरगढ़	—वही—

विभागीय उप-डाकघर

1. गारमुण्डा में चिपलिया कृषि कालेज	सम्बलपुर	ग्रामीण/सामान्य

1	2	3	4
	2. भसंदाबहल (एस० ई० सी० एल० कालोनी)	सम्बलपुर	ग्रामीण/सामान्य

बी० एच० ई० एल० द्वारा विदेशी फर्मों के साथ प्रतियोगिता का सामना करना

6880. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1989 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बी० एच० ई० एल० फिअरस फारेन कम्पनीज क्लाउट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हितों की रक्षा करने और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) यह समाचार 1-4-1989 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बी० एच० ई० एल० द्वारा बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन से संबंधित है जिसमें बी० एच० ई० एल० में वर्ष 1988-89 के दौरान किए गये कारोबार, लाभ आदि जैसे मुख्य कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बी० एच० ई० एल० ने बताया कि कम्पनी अंतर्राष्ट्रीय बोली में लगातार प्रतियोगी रही है और उसने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए अधिकांश टेन्डर अर्जित किये हैं। विदेशों की द्विपक्षीय सहायता से लगाई जा रही परियोजना के मामले में कोई खुले टेन्डर नहीं हैं इसलिए बी० एच० ई० एल० प्रतियोगिता और आर्डरों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्पनी के पास उपलब्ध सुविधाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जा रहा है। सरकार द्वारा 8वीं योजना परियोजनाओं के लिए बी० एच० ई० एल० की क्षमता उपयोगिता की लगातार समीक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में संचार नेटवर्क का विस्तार

6881. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पिछड़े पूर्वी क्षेत्र में, वर्ष 1989-90 के दौरान उपग्रह के माध्यम से डाक सेवाओं के विकास तथा विस्तार, दूरसंचार नेटवर्क, तार पद्धति स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था, लम्बी दूरी स्विचिंग तथा पारेषण प्रणालियों तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार की कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले स्थानों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. नए डाकघर

उत्तर प्रदेश के लिए 364 शाखा डाकघरों तथा 5 उप-डाकघरों की मंजूरी दी जा चुकी है। डाकघरों की सूची सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

2. दूरसंचार

(क) स्विचिंग (लोकल)—उत्तर प्रदेश में 1989-90 के दौरान कुल 19,994 लाइनें बढ़ाई जाने का प्रस्ताव है। इसमें से 71,40 लाइनें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ाई जानी हैं।

(ख) **तार प्रणाली**

(1) उत्तर प्रदेश में एक विभागीय तार घर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(2) उत्तर प्रदेश में कुछ 30 दूरसंचार ब्यूरो खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 3 पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोलने का प्रस्ताव है।

(3) उत्तर प्रदेश में केवल एक एस० एफ० एम० एफ०-128 लाइनों का प्रस्ताव है और 95 एस० एफ० टी० पोर्ट्स में से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 का प्रस्ताव है।

(4) उत्तर प्रदेश में 35 स्थानों पर ब्यूरो फैक्स सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें 12 पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं।

(ग) लम्बी दूरी की प्रणाली—लखनऊ टी० ए० एक्स० की 1000 लाइनों को 2000 लाइनों तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) संचारण प्रणाली—उत्तर प्रदेश में यू० एच० एफ० और माइक्रोवेव प्रणालियों में प्रत्येक में 573 रूट कि० मी० की वृद्धि के अलावा, 302 रूट कि० मी० कोएक्सियल और 387 कि० मी० आप्टिक फाइबर प्रणाली जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश में यू० एच० एफ० में 288 रूट कि० मी० और माइक्रोवेव में 478 रूट कि० मी० की वृद्धि की जानी है।

(ङ) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन—उत्तर प्रदेश में खुली तार लाइनों हर लम्बी दूरी के 200 सार्वजनिक टेलीफोन तथा एम० ए० आर० आर० प्रणाली पर लम्बी दूरी के 330 सार्वजनिक टेलीफोन जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुली तार प्रणाली पर लम्बी दूरी के 104 सार्वजनिक टेलीफोन तथा एम० ए० आर० आर० प्रणाली पर सभी 330 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का प्रस्ताव है।

3. उपग्रह स्कीम

(क) उत्तर प्रदेश में जोशीमठ में 1989-90 के दौरान एक भू-केन्द्र संस्थापित किए जाने की योजना है।

(ख) जोशीमठ यह प्रस्तावित भू-केन्द्र उस मोबाइल भू-केन्द्र के बदले होगा जिसे वहां लखनऊ के लिए टी० ए० एक्स० सर्किट प्रदान करने और देहरादून के लिए एक अन्य सी० बी० बोथ-वे सर्किट प्रदान करने की व्यवस्था को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है।

बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में कोयले के भंडार

6882. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में अनुमानतः कितने कोयले का भंडार है और इनके कब तक चलने की संभावना है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में विशेषकर वर्ष 2000 के बाद कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले के खनन के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दिनांक 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा 88,698 मि० टन कोयले के कुल भंडार होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें मे निकाले जाने योग्य भंडार 24,048 मि० टन० होने का अनुमान है। बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1994-95 में प्रतिवर्ष 137.00 मि० टन की संभावित भाग स्तर को देखते हुए यह खनन योग्य भंडार लगभग 170 वर्ष तक चलेंगे।

(ख) से (घ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान, रांची ने 2000 ईस्वी तक कोयले के उत्पादन किए जाने वाले सभी ब्लॉकों का पहले ही अन्वेषण कर लिया है। 2000 ईस्वी के बाद की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में 5,42,500 मीटर ड्रिलिंग करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

कच्चे तेल का आयात

6883. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन (ओपेक) निगरानी समिति की वियाना में गत मास आयोजित अंतिम बैठक में प्रस्तुत पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन (ओपेक) सचिवालय की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष की पहली और दूसरी तिमाहियों के बीच 'ओपेक' से तेल की मांग और कम्पनी स्टाक में 3 मिलियन टन तक की गिरावट आएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत कुछ महीनों के दौरान तीव्र वृद्धि के बाद तेल मूल्यों में गिरावट की संभावनाओं के बारे में गहन अध्ययन किया है, और क्या सरकार का मन्दे बाजार में अपनी आवश्यकता का तेल खरीदने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का कितना तेल खरीदने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1989-90 के दौरान 17.80 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात

करने का प्रस्ताव है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का लाभ उठाने के प्रयोजन से कच्चे तेल का टर्म और स्पाट आधार पर बाजार से सम्बद्ध कीमतों पर आयात करने का प्रस्ताव है।

टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तकनीकी सहयोग का नवीकरण

6884. **श्री अतीश चंद्र सिन्हा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता ने कुछ विदेशों के साथ तकनीकी सहयोग करार का नवीकरण किया है;

(ख) क्या इससे पहले भी कोई तकनीकी सहयोग समझौते अस्तित्व में थे;

(ग) क्या उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई है और बिक्री लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाने और इसके द्वारा निर्मित मोटर गाड़ियों के टायरों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी० सी० आई० एल०) 24 2-84 को निगमित हुआ था। कम्पनी ने मैसर्स टेक्नो इक्सपोर्ट फोरेन ट्रेड कम्पनी, फराहा, चेकोस्लोवाकिया के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग आरम्भ किया है जिसे सरकार ने मई, 1988 मे स्वीकार किया था। यह तकनीकी सहयोग करार, मोटर गाड़ी टायर और ट्यूब, प्रत्येक के 5 लाख टुकड़े प्रति वर्ष निर्माण के लिए काकीनाड़ा आधुनिकीकरण/विस्तार परियोजना के बारे में है। टी० सी० आई० एल० ने किसी अन्य विदेशी तकनीकी सहयोग करार में प्रवेश नहीं किया है।

(ग) और (घ) टी० सी० आई० एल० की पिछले तीन वर्षों में हुई उत्पादन और बिक्री की संतुलित प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है—

(लाख रुपए में)

	1986-87	1987-88	1988-89(अनंतिम)
उत्पादन	1 08.84	2819.50	3602.70
बिक्री	1724.29	3805.16	4784.09

(ङ) टी० सी० आई० एल० ने अपने कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए मै० टेक्नो एक्सपोर्ट, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से कांकीनाड़ा में आटोमोबाइल टायरों तथा ट्यूबों के निर्माण संयंत्र का आधुनिकीकरण/विस्तार, उत्पाद का विविधीकरण, पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण उपस्करों को बदलना एवं आधुनिकीकरण, उत्पादकता में सुधार इत्यादि जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इस प्रकार वर्ष 1986-87 में जहां 1208.48 लाख रुपयों का उत्पादम हुआ था वह वर्ष

1988-89 में बढ़कर 3602.70 लाख रुपए (अनंतिम) हो गया है। इसी अवधि की बिक्री भी 1724.29 लाख रुपए से बढ़कर 4784.09 लाख रुपए हो गयी है।

कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट

6885. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विश्व बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने के कारण इसके आयात में कितने प्रतिशत कमी की गई तथा इसके परिणामस्वरूप तेल आयात बिल में कितनी कमी हुई; और

(ग) क्या कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि एवं आयातित कच्चे तेल की लागत में कमी होने से सरकार का पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कीमतों को कम करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ही अस्थिर रहीं। इसके अतिरिक्त कच्चे तेल की विभिन्न किस्मों की कीमतें अलग-अलग हैं। फिर भी सक्रिय रूप से व्यापार किये जाने वाले कुछ कच्चे तेलों की स्पाट पर कीमतों की वार्षिक औसत तथा प्रतिशत वृद्धि/कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(प्रति बैरल/अमरीकी डालर)

	दुबई	% वृद्धि/कमी	ओमान	% वृद्धि/कमी	स्वेजब्लेंड	% वृद्धि/कमी
1986	12.97		13.35		12.73	
1987	16.92	(+) 30%	17.25	(+) 29%	16.79	(+) 32%
1988	13.22	(—) 22%	13.57	(—) 21%	12.95	(—) 23%

(ख) स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात किया जाता है। पिछले तीन केलेण्डर वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन, आयातित मात्रा और इसके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

मात्रा : मिलियन टन
मूल्य : करोड़ रुपए

वर्ष	कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन	कच्चे तेल का आयात	
		मात्रा	मूल्य
1986	31.16	14.48	2070
1987	30.14	17.98	3105
1988 (अस्थायी)	31.58	17.71	2811

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तन होने पर सामान्यतः पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से संशोधन नहीं किया जाता। विभिन्न रिफाइनरियों की प्रतिधारण कीमतों की प्रणाली के अनुसार कीमतें निर्धारित की जाती हैं।

पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों की राजधानी में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूचियां

6886. **श्री टी० बाल गौड़ :**
श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक महानगर और राज्यों की राजधानी में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रत्येक श्रेणी में कितने आवेदक प्रतीक्षा सूचियों में शामिल किये गये हैं और प्रत्येक की पंजीकरण की तिथियों का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन तारीखों तक पंजीकृत आवेदकों को टेलीफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक नगर में प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज सभी आवेदकों को कब तक दे दिये जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सातवीं योजना (1985-90) के लिए विभाग का लक्ष्य उन आवेदकों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (31-3-1990 तक) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का है, जिन्होंने औसतन निम्नलिखित तारीखों तक अपनी मांग दर्ज कराई है—

(1) सभी महानगरों तथा प्रमुख टेलीफोन जिलों में 30-9-86 तक दर्ज।

(2) सभी छोटे टेलीफोन जिलों तथा 2,000 लाइनों से अधिक की क्षमता के बड़े एक्सचेंजों में 1-4-1987 तक दर्ज, और

(3) 200 लाइनों और 2000 लाइनों के बीच की क्षमता वाले सभी एक्सचेंजों में 1-4-1988 तक दर्ज।

शेष आवेदकों को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे।

विवरण

क्र० सं०	महानगर/राज्य की राजधानी का नाम	ओवाईटी प्रतीक्षा सूची	ओवाईटी पंजीकरण/निपटान की तारीख	विशेष प्रतीक्षा सूची	विशेष पंजीकरण/निपटान की तारीख	सामान्य प्रतीक्षा सूची	सामान्य पंजीकरण/निपटान की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	2026	4-2-86	2766	13-7-84	34781	27-2-82
2.	दिसपुर (असम)	387	2-4-81	216	26-8-80	756	11-1-79
3.	पटना (बिहार)*	सूचना एकत्र की जा रही है।					
4.	गांधी नगर (गुजरात)	12	11-11-88	16	22-12-88	467	28-9-86
5.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	187	8-2-88	55	27-2-88	1405	5-1-88
6.	श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	551	30-7-87	739	18-5-86	6951	17-2-81
7.	बैंगलूर (कर्नाटक)	2962		2419		27935	24-3-82
8.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	339	13-1-86	1143	22-12-84	7380	29-12-81
9.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	1073	1-1-85	1009	27-10-83	6506	26-1-82
10.	पणजी (गोआ)	445	4-4-86	216	23-4-86	1429	6-9-83
11.	एजवाल (मिजोरम)	181	6-12-88	102	6-12-88	269	16-8-88

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	अगरतला (त्रिपुरा)	108	8-2-87	87	31-1-87	457	21-5-85
13.	इटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	18	15-12-88	2	15-12-88	43	20-12-88
14.	इम्फाल (मणिपुर)	117	3-12-87	147	13-11-87	658	6-9-86
15.	कोहिमा (नागालैंड)	73	5-3-84	17	21-4-84	119	5-4-81
16.	शिलांग (मेघालय)	115	30-9-88	20	30-9-88	702	6-2-85
17.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)*	सूचना एकत्र की जा रही है।					
18.	चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा)	2726	23-11-83	1424	19-3-84	13194	30-4-80
19.	जयपुर (राजस्थान)	1830	28-1-85	3176	11-4-84	24115	3-7-81
20.	मद्रास (तमिलनाडु)	2762	22-5-86	2274	28-10-83	42966	18-1-82
21.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)*	सूचना एकत्र की जा रही है।					
22.	गंगटोक (सिक्किम)	36	17-9-87	17	28-11-87	138	29-5-85
23.	कलकत्ता (पं० बंगाल)	2113	31-5-83	1183	22-1-81	29191	20-6-66
24.	बम्बई (महाराष्ट्र)	28288	14-8-87	1171	30-8-86	190410	22-11-78
25.	नई दिल्ली (संघ शासित)	20537	17-5-82	5681	30-10-80	198572	5-5-79

* जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

गैर-पंजीकृत रसायन एकक

6887. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-पंजीकृत रसायन एककों का कोई मूल्यांकन किया है और गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों में अनुमानित वार्षिक मृत्यु दर कितनी थी;

(ख) क्या गैर-पंजीकृत रसायन एककों की संख्या में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार को देश में किसी गैर-पंजीकृत रासायनिक एकक जानकारी नहीं है। ऐसे एककों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययम नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत निगमों के प्रबंध निदेशकों और चेयरमैन की नियुक्ति

6888. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विद्युत निगमों के प्रबंध निदेशकों और चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन निगमों के नाम क्या हैं जिनके शीर्षस्थ पद पर इस समय गैर-तकनीकी कार्मिक कार्य कर रहे हैं; और तकनीकी पदों पर गैर-तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के निकट पवन ऊर्जा केन्द्र

6889. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर क्षेत्रो के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के निकट पवन ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 24 परगना (दक्षिण) जिले में 300 वाट के चार बैटरी चार्जर स्थापित किए जा चुके हैं। जिले में एक 5 किलोवाट और दो 10 किलोवाट की पवन विद्युत प्रणालियों का कार्य भी शुरू किया जा चुका है।

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ने लगभग 11 लाख रुपये का खर्च किया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा लगभग 16 लाख रुपये खर्च वहन किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम की धारा 209 ए के अन्तर्गत कम्पनियों का निरीक्षण

6890. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री** कम्पनी अधिनियम की धारा 209ए के अंतर्गत कम्पनियों के निरीक्षण के बारे में 16 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित हैं तथा प्रत्येक की परिसम्पत्ति 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की है और जिनका वर्ष 1988 के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 209-ए के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था तथा इसके परिणाम-स्वरूप कुछ कदाचार पास गए थे और प्रत्येक मामले में कार्यवाही की गई थी; और

(ख) किन-किन मामलों में मुकदमा चलाया गया है अथवा चलाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अग्निसह दरवाजों का निर्माण

6891. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 को अग्निसह दरवाजों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या उक्त उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु कोई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये प्रस्ताव विदेशी सहयोग के बारे में हैं यदि हां, तो इनमें क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) देश में संगठित क्षेत्र में केवल मै० मैथर एण्ड प्लाट (इंडिया) लि० ही अग्निसह दरवाजों का निर्माण करती है। संयंत्र तथा मशीनों का अधिकतम उपयोग करने पर अग्निसह दरवाजों के लिए उनकी अधिष्ठापित क्षमता 700 नग प्रति वर्ष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोल इंडिया लिमिटेड की परियोजनाओं का समय पर पूरा न किया जाना

6892. **श्री गुरुदास कामत : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की कुल कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं तथा 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार, ये कुल परियोजनाओं का कितने प्रतिशत हैं

(ख) कुल कितनी परियोजनाएं भूमि-विवादों के कारण पीछे चल रही हैं तथा 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार इनका प्रतिशत कुल विलम्बित परियोजनाओं का कितना प्रतिशत है;

(ग) कुल विलम्बित परियोजनाओं तथा भूमि-विवादों के कारण परियोजनाओं में विलम्ब के कारण कोल इंडिया लिमिटेड को समपूर्णत: तथा इसकी सहायक कम्पनियों को, अलग-अलग कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दिनांक 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० की प्रत्येक 2 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के लागत की 263 परियोजनाओं में से 60 परियोजनाओं अर्थात लगभग 22.8 प्रतिशत को स्थापित करने में विलम्ब हुआ ।

(ख) विलंबित हुई 60 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएं, अर्थात लगभग 40 प्रतिशत परियोजनाएं भूमि के विवाद के कारण पिछड़ गईं ।

(ग) हाल ही में खनन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में हुए विलम्ब के कारण कोयला उत्पादन में हुए घाटे को इसलिए अधिक महसूस नहीं किया गया क्योंकि कोयले की समग्र मांग को अन्य परियोजनाओं तथा विद्यमान खानों से पूरा कर लिया गया। उपभोक्ता क्षेत्र द्वारा प्रक्षेपित की गई मांग को पूर्णत: मूर्त रूप नहीं दिया जा सका तथा अधिकांश मामलों में कोयले की उपलब्धता मांग से अधिक रही ।

(घ) परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं । इनमें से कुछ कदमों को नीचे दिया गया है :—

(1) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने के लिए इनके वरीय स्तर के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति;

(2) इन परियोजनाओं को कार्यान्वियन के लिए विस्तृत निर्माण कार्यक्रमों को तैयार किया जाना;

(3) प्रबन्धकों की निरन्तर सेवा प्रदान करना; जिसमें इस बात का सुनिश्चय करना कि परियोजना प्रभारियों को, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(4) भूमि के अधिग्रहण के मामलों में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई तेज करना ।

(5) संयंत्र तथा उपकरणों की समय पर आपूर्ति किए जाने के लिए मशीनों के उत्पादकों के साथ निरन्तर अनुवर्ती कार्यवाही करना ।

(6) लम्बी अवधि लगने से संबंधित ऐसे संयंत्र तथा मशीनरी के लिए अग्रिम आर्डर

प्रस्तुत किए जाने के लिए दीर्घावधि के उपकरणों के प्रक्षेपणों को तैयार किया जाना।

(7) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा किए जाने के लिए विभिन्न स्तर पर नियमित बैठकों का आयोजन करना।

अल्कोहल के उत्पादन पर प्रतिबंध सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन

6893. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद कर्नाटक सरकार ने अल्कोहल के उत्पादन के लिये नये लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ अन्य राज्य भी केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1975 में जारी किए गए प्रतिबन्ध आदेशों का उल्लंघन करके कुछ राज्य सरकारों ने पेय अल्कोहल के विनिर्माण हेतु लाइसेंस जारी किये हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार का यह मत है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 8 उन्हें पेय अल्कोहल, विनिर्माण हेतु आसवनियों एवं मद्यशालाओं को लाइसेंस देने की शक्तियां प्रदान करती है। कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई यह दलील भारत सरकार द्वारा की गई संवैधानिक स्थिति की कानूनी व्याख्या के प्रतिकूल है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले से पहले ही अवगत है और एक रिट याचिका उनके पास विचाराधीन है।

कार्यवाही, यदि कोई हो, तभी सम्भव होगी जब इस मामले के संवैधानिक पहलू के बारे न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जायेगा।

चिरयिंकल, केरल में टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा

6894. **श्री टी० बशीर :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चिरयिंकिल में टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) इस पर आठवीं योजना के दौरान विचार किया जाएगा।

मंत्रियों को दी जाने वाली टेलीफोन सुविधाओं पर व्यय

6895. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री परिषद के सदस्यों को आवासीय टेलीफोन सुविधा मुफ्त दी जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन की सुविधा पर वर्ष 1987-88 और 1988-89 में 31 दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के लिए भुगतान की गई राशि का मंत्री-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो अवधियों के दौरान टेलीफोन व्यय के औसत मासिक व्यय का मंत्री-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन

[हिन्दी]

6896. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी बहु-राष्ट्रीय औषध कम्पनियां दवाइयों का उत्पादन करती हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनी का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) क्या ये बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां कुछ दवाइयों का बिना लाइसेंस प्राप्त किये ही उत्पादन कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) इस समय फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सात फेरा कम्पनियां हैं। अलग-अलग कम्पनियों के बिक्री कारोबार को इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है।

(ख) अभी हाल ही में सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक पेपर मिल्स के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

6897 **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से असम समझौते के अनुसार अशोक पेपर मिल्स की जोगीघोपा एकक की सांविधिकोत्तर देयताओं को पूरा करने के लिए 18.52 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार यह भुगतान कर चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :

(क) से (ग) असम सरकार ने मार्च/अप्रैल, 1986 में अशोक पेपर मिल्स के जोगीघोपा एकक सम्बन्धी तात्कालिक किस्म की बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए 18.52 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने असम सरकार को, पिछले वेतन तथा मजदूरी के भुगतान तथा अशोक पेपर मिल्स के संयंत्र भवन तथा उपकरणों की आकस्मिक मरम्मत के लिए अगस्त, 1986 में अर्थोपाय पेशगी के रूप में 2.84 करोड़ रुपये के धनराशि प्रदान की थी। इस धनराशि को 30-3-1987 को योजनेतर अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था।

दूरदर्शन पर चौबीस घन्टे प्रसारण

6898. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दूरदर्शन केन्द्रों पर चौबीस घन्टे दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस तारीख से कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनशक्ति और साधनों की कमी के कारण सभी दूरदर्शन केन्द्रों से 24 घंटे का प्रसारण संभव नहीं है।

विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में कोयला भंडार

6899. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में कोयला भंडार की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) यह बात सत्य है कि विजयवाड़ा में कोयले का स्टाकयार्ड खोले जाने के संबंध में कोयला विभाग में अगस्त, 1985 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) दक्षिण के उपभोक्ताओं के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए एक अत्यधिक उपयुक्त स्रोत है। चूंकि विजयवाड़ा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के क्षेत्राधिकार में है और वहां से अधिकतर उपभोक्ताओं की मांग को रेल अथवा सड़क द्वारा पूरा किया जा रहा है। अतः कोल इंडिया लि० द्वारा उक्त स्थान पर स्टाकयार्ड नहीं खोला गया है।

विजयवाड़ा में ट्रांसपोजर की स्थापना

6900. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** विजयवाड़ा में "ट्रांसपोजर" की स्थापना के बारे में 3 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में "शैडो-क्षेत्र" के दूरदर्शन दर्शकों की समस्याओं को हल करने हेतु "ट्रांसपोजर" उपकरण की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ख) इस उपकरण की क्षमता एवं लागत कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) विजयवाड़ा में 30.85 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 10 वाट का दूरदर्शन ट्रांसपोजर जून, 1989 तक सेवा के लिए चालू हो जाने की आशा है।

आकाशवाणी केन्द्र, हैदराबाद में टेलीफोन बिलों पर व्यय

6901. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, हैदराबाद के क्षेत्रीय समाचार एकक में नवंबर और दिसम्बर, 1988 में टेलीफोन बिलों के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया तथा वर्ष 1987 में इसी अवधि के दौरान इसके लिए कितना भुगतान किया गया; और

(ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1988 में यदि टेलीफोन बिल में कोई वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी हैदराबाद के क्षेत्रीय समाचार यूनिट में नवम्बर और दिसम्बर, 1988 के दौरान कार्यालय और आवासों के टेलीफोनों के बिलों पर अदा की गयी राशि 23,938 रुपये थी जबकि माह नवम्बर और दिसम्बर, 1987 के दौरान हुआ खर्च 27,553 रुपये था।

(ख) खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अतः सुधारात्मक कारंवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

शांत घाटी, केरल में विद्युत परियोजनाएं

6902. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने के की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट जिले में शान्त घाटी में एक विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 1982 में पारिस्थितिकीय प्रतिबंधों के कारण त्याग दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में केरल सरकार ने उक्त परियोजना को पुनः कार्यान्वित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूनालूर पेपर मिल्स, केरल के अधिग्रहण का प्रस्ताव

6903. **प्रो० के० वी० थामस : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० का पूनालूर पेपर मिल्स, केरल का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई सिफारिश भेजी है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

6904. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजना को लागू करने के लिए विदेशी सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किस-किस देश ने सहायता देने को कहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा इसकी उपयोग संबंधी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए समय-समय पर प्राकृतिक गैस को निकालने और सप्लाई करने के लिए स्कीमें बनायी जाती हैं । किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस की खपत जो 1984-85 में 11.44 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन थी, बढ़कर 1988-89 में 25.56 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन हो गई ।

(ग) और (घ) गैस के उत्पादन/परिवहन संबंधी परियोजनाओं के लिए विभिन्न देशों और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माता एककों का रुग्ण होना

6905. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कुछ स्कूटर निर्माता एकक रुग्ण हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये एकक कब रुग्ण हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे वेंगल राव) : (क) और (ख) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ही एक मात्र केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो स्कूटरों के निर्माण में लगा है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आने के बाद से ही हानि उठा रहा है। 31-3-1989 तक लगभग 163 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने, इस एकक के नवीकरण के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लखनऊ एकक की सहमत परिसम्पत्तियों और समकक्ष देनदारियों का हस्तान्तरण बजाय आटो लिमिटेड को करने के निर्णय पर पहुंचने से पूर्व उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

मोनोक्रोटोफास तथा पैराक्वैट से स्वास्थ्य को खतरा

6906. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलयेशिया में मोनोक्रोटोफास तथा पैराक्वैट और अन्य कीटनाशकों के कारण स्वास्थ्य को होने वाली गभीर बीमारियों से संबंधित रिपोर्ट देखी है तथा क्या इसी प्रकार की समस्याएं भारत में भी देखी गई हैं/रिकार्ड की गई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का राज सहायता एवं अन्य प्रोत्साहनो के माध्यम से कीटनाशकों की अपनी समर्थन नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं। ये दो कीटनाशी मानवों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव सहित मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत में प्रयोग करने के लिए पंजीकृत है। मलेशिया या भारत में इन दो कीटनाशियों से स्वास्थ्य पर गम्भीर कुप्रभाव पड़ने की सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) कीटनाशियों के प्रयोग हेतु राजसहायता कृषि मंत्रालय द्वारा दी जाती है। कीटनाशियों के लिए राजसहायता के बारे में वे कोई आम पुनरीक्षण नहीं कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लंबित आवेदन-पत्र

6907. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये टेलीफोन कनेक्शनों हेतु 31 मार्च, 1989 को कितने आवेदन पत्र लंबित थे;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लंबित हैं;

(ग) वर्ष .989 और 1990 के दौरान इस जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की आशा है; और

(घ) आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31-3-1987 की स्थिति के

अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या 4271 है।

(ख) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित सबसे पुराना आवेदन जुलाई, 1981 में श्रीरामपुर में पंजीकृत कराया गया था।

(ग) उपस्कर और अन्य संबद्ध साज सामान के उपलब्ध होने पर जिले में वर्ष 1989 के दौरान लगभग 1000 टेलीफोन और वर्ष 1990 के दौरान 1200 कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत सातवीं योजना के अन्त 31-3-1990 तक अनुपातिक टेलीफोन मांग के लिए 1-4-87 तक पंजीकृत बड़े एक्सचेंज के मामलों में टेलीफोन प्रदान किये जाने हैं तथा मध्यम आकार के एक्सचेंजों के मामले में 1-4-88 तक पंजीकृत मांग के अनुसार टेलीफोन प्रदान कि जाने हैं और सभी छोटे आकार के एक्सचेंजों के मामले में टेलीफोन प्रदान करना उपस्कर और संबद्ध भंडार की उपलब्धता पर निर्भर है।

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में आकाशवाणी की प्रसारण सुविधा

6908. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कम शक्ति के और अधिक शक्ति के आकाशवाणी केन्द्रों की विद्यमान प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या अगले दो वर्षों के दौरान राज्य में पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए आकाशवाणी केन्द्रों के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लाभान्वित किए जाने का विचार है; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य में अल्पशक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की कवरेज रेंज नीचे दी गई है :—

स्टेशन	शक्ति (किलोवाट)	कवर किया गया क्षेत्र (1000 वर्ग कि० मी०)
1	2	3
हैदराबाद	50	162.8
हैदराबाद	10	17.2
हैदराबाद	1	6.6

1	2	3
कुडप्पा	100	67.9
विजयवाड़ा	20	67.7
विजयवाड़ा	1	2.8
दिशाखापट्टनम	100	30.2
अदिलाबाद	1	3.5
कोट्टागुडम	2×3 एफ० एम०	11.3

(ख) और (ग) जी, हां। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के रेडियो कवरेज में सुधार लाने के लिए, वारंगल, कुरनूल, निजामाबाद, मरकापुरम, अनन्तपुर, तिरुपति में नये रेडियो स्टेशन खोलने की स्कीमें हैं। सातवीं योजना में विजयवाड़ा के 20 किलोवाट मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट करने की एक योजना भी शामिल है। इस स्कीम के चालू हो जाने से पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, खम्मम और वारंगल के भागों को कवरेज प्रदान की जाएगी जो राज्य के आदिवासी और पिछड़े जिले हैं।

इसके अलावा हैदराबाद के 10 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 50 कि० वाट करने का प्रस्ताव है। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर संपूर्ण राज्य की समर्थन सेवा और सुदृढ़ होगी। इस ओर एक कदम के रूप में हाल ही में अदिलाबाद और कोट्टागुडम में दो नए रेडियो स्टेशनों ने पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(घ) आंध्र प्रदेश की सभी सातवीं योजना स्कीमों पर अनुमानित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	कोट्टागुडम नया रेडियो स्टेशन 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित (पहले से ही चालू है)	256.90
2.	कुरनूल नया रेडियो स्टेशन 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित	230.63
3.	निजामाबाद नया रेडियो स्टेशन 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित	229.00
4.	मरकापुरम नया रेडियो स्टेशन 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित	182.00
5.	अनन्तपुर नया रेडियो स्टेशन 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित	248.50

1	2	3
6.	तिरुपति 2 × 5 कि० वा० एफ० एम०	232.40
7.	वारंगल 2 × 5 कि० वा० एफ० एम०	182.50
8.	विजयवाड़ा की शक्ति बढ़ाकर 100 कि० वा० मी० वे० करना	162.59
9.	हैदराबाद ट्रांसमीटर को बदलकर 3 कि० वा० एफ० एम० करना	59.45
10.	हैदराबाद की शक्ति बढ़ाकर 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर करना	265.20
11.	हैदराबाद— टाईप-4 स्टूडियो का प्रस्ताव	235.00

आन्ध्र प्रदेश के शहरों और कस्बों में एस० टी० डी० सुविधा

6909. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के किन-किन शहरों और कस्बों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) किन-किन शहरों और कस्बों में टेलीफोन एक्सचेंज संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी; और

(ग) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान किन-किन शहरों और कस्बों में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1989-90 के दौरान जिन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की आशा है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

अकीवीडू, अमलापुरम, अतिली, भोंगीरी, धर्मावरम, गुट्टी, गोदावरी-खीनी गढ़वाल, जड़केरल, कोठाकोटा, कावूर (आर० एम० आई०), कोडाड, मनचेरियल मादर, मेटल, मदनापुरम, नरसापुर, नन्दपेटा, पूट्टूर, पोनूर, पीथापुरम, श्रीकलाहस्ती, सिरपुर कागज नगर, सिद्धिपेट, चेरागुण्टला।

(ख) आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित तीन स्थानों पर एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाए जाने की योजना है : तिरुपति, अमलापुरम, हिंदूपुर।

(ग) 1989-90 के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर एवं भवन उपलब्ध हो।

भोंगिर, माण्डापेटा, निर्मल, मछील, सतितूपल्ली, वायरा, भिमडोल, अनन्ता, गारीवीडि, भीमूनीपटनम, चड्डावरम, मेडचाल, शमशाबाद, मनुगरु, पलवांडिया, रायचोटी, जम्मलामडूगु सलूर, मथेरला, नगरकरनूल, अलगड्डा, अत्तिली, नारायणपेट, शादनगर, सोमपेटा, विशाखापटनम, वारंगल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जीडीमेटल, बनस्थलीपुरम।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ मजूरी सम्बन्धी समझौता

6910. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ हाल ही में मजूरी सम्बन्धी समझौता किया क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० ने हाल में सितम्बर, 1986 से मजदूरी में संशोधन करने की बातचीत पूरी की है। प्रबन्धन का प्रस्ताव एक समझौते को अन्तिम रूप देने का है जिसमें, वेतनमानों में परिवर्तन, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, रात्रि पारी भत्ता, साइकिल भत्ता, भविष्य निधि अंशदान आदि सम्मिलित हैं, बशर्ते कि सरकार इसे मंजूरी दे दे।

कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र

6911. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र से आन्ध्र प्रदेश को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2100 मेगावाट)

यूनिट	क्षमता (मे० वा०)	समकालिक करने की तारीख
एक	200	1-3-1983
दो	200	31-10-1983
तीन	200	17-3-1984
चार	500	31-5-1987
पांच	500	25-3-1988
छः	500	23-3-1989

(ग) से (ङ) केन्द्रीय केन्द्रों में उत्पादित विद्युत को सम्बन्धित क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आबंटित कर दिया जाता है। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, से कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

उत्पादकों से केबिल की खरीद

6912. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग सभी केबल उत्पादकों का माल खरीद सकता है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग प्रतिस्पर्धा युक्त निविदाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की केबिलों को प्राप्त करता है। इसके लिए क्रय आदेश मूल्य, विगत कार्यनिष्पादन और समुचित संरचना आदि की उपलब्धता जैसी बातों पर विचार करने के बाद दिए जाते हैं। कुछ केबिल मूल्य सम्बन्धी करार के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड से भी खरीदे जाते हैं।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक के कच्चे माल का आयात

6913. **श्री एच० ए० डोरा :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड को कुछ प्रकार के प्लास्टिक के कच्चे माल का अधिक मात्रा में शुल्क-मुक्त आधार पर आयात करने का प्राधिकार दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० को निर्यात के लिए उत्पादन हेतु शुल्क से छूट की योजना/आयात-निर्यात पास-बुक योजना के अन्तर्गत लाइसेंस धारकों को सप्लाई के लिए कुछ प्लास्टिक के कच्चे माल के आयात के लिए प्रपुंज निःशुल्क लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसका लक्ष्य प्लास्टिक के सामान के निर्यात को सुकर बनाना है।

आकाशवाणी के कलाकारों को दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देना

6914. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या **सूचना एवं प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र से आकाशवाणी के लिए ध्वनि परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए कलाकारों को दूरदर्शन-कार्यक्रमों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) नीति संबंधी मामले के रूप में दूरदर्शन कोई संगीत की श्रवण परीक्षा आयोजित नहीं करता है बल्कि वह आकाशवाणी द्वारा की गई श्रवण परीक्षा पर निर्भर करता है। आकाशवाणी

द्वारा जिन कलाकारों को "बी हाई" और इससे ऊपर की श्रेणी दी गई है, केवल उन्हें ही दूरदर्शन द्वारा बुक किया जाता है। महाराष्ट्र में मराठावाड़ा क्षेत्र में स्थित केन्द्रों द्वारा इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

संचार मंत्रालय में कर्मचारियों की मांगें

6915. श्री **हरीश रावत : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ श्रेणियों के कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मांगों को पूरा करने के लिए मंत्रालय कोई उपाय कर रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जहां तक बी० टी० टी० यू० के आन्दोलन का संबंध है तकनीकी संवर्गों के पुनर्गठन के मामले पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक भारतीय डाक तार मजदूर मंच के आन्दोलन का संबंध है, जिन नैमित्तिक मजदूरों ने 31-3-87 को 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें खपाने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिन नैमित्तिक मजदूरों ने 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उनको खपाने के मामले पर योजना तैयार की जा रही है। 31-3-1985 के बाद काम पर लगाये गये दिहाड़ी मजदूरों की छंटनी न करने संबंधी मंच के अनुरोध पर विचार किया गया है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

विवरण

1. डाक विभाग में इस समय कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है।

2. दूरसंचार विभाग में भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संघ के 26-7-1988 से निम्नलिखित मांगों के बारे में नियमानुसार कार्य करने का आन्दोलन चलाया था—

(1) तकनीशियनों के वेतनमान में संशोधन करके इसे 1400-2300 रुपए करना।

(2) तकनीकी पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करके इसे 1640-2900 रुपए करना।

(3) तकनीशियन के रूप में समस्त सेवा अवधि को गिनकर एक समयबद्ध पदोन्नति देना।

(4) 1-1-86 से संशोधित वेतनमान को लागू करना।

(5) मौजूदा तकनीशियनों/तकनीकी पर्यवेक्षकों की किसी अर्हक परीक्षा और उपयुक्तता प्रशिक्षण के बिना ही अपग्रेड कर दिया जाए।

(6) तकनीशियनों के नवगठित संवर्ग को दूरसंचार सहायक के बजाए कनिष्ठ अभियन्ता पदनाम देना और वरिष्ठ दूरसंचार सहायक के बजाए उच्चतर ग्रेड कनिष्ठ अभियन्ता का पदनाम देना।

(7) जे० टी० ओ० ग्रेड में पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रखना।

(8) दूरसंचार सहायक के पद के लिए संधि प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंजी० में डिप्लोमा रखी जानी चाहिए; और

(9) अपग्रेड किए गए तकनीशियनों का वेतन दूरसंचार विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार नियत किया जाए।

(3) भारतीय डाक तार मजदूर मंच 20 सितम्बर, 1988 से निम्नलिखित मांगों के आधार पर धरना दे रहा है :—

(1) जिन नैमित्तिक मजदूरों ने 31-3-87 को 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें खपाने के लिए दिनांक 17-4-87 के समझौते को क्रियान्वित करना।

(2) जिन नैमित्तिक मजदूरों ने 1 वर्ष की सेवा कर ली है उन्हें नियमित करने की योजना के संबंध में अब तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करना।

(3) 31-3-1985 के बाद नियत दिहाड़ी मजदूरों की छंटनी न करना।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन उपकरणों की कमी

[हिन्दी]

6916. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन उपकरणों की कमी के कारण वहां टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों, विशेषकर पिथोरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी आदि में उपकरण डिपो खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में उपकरणों और अन्य सामान की कमी न होने देने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपस्कर के भंडारण/वितरण की मौजूदा व्यवस्था बिल्कुल संतोषप्रद पाई गई है।

मध्य तथा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दूरदर्शन सुविधा का विस्तार

6917. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति सीमावर्ती आदिवासी बहुल क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर दूरदर्शन सुविधा प्रदान करना है;

(ख) यदि हां; तो मध्य तथा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में दूरदर्शन सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) क्या वह प्रतिशतता देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का इन क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधा का और विस्तार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश के सीमावर्ती, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा के प्रावधान को सातवीं योजना के अन्तर्गत यथोचित प्राथमिकता दी गयी है।

(ख) और (ग) लगभग 73 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में देश की इस समय मध्यवर्ती हिमालय के क्षेत्रों की लगभग 32.2 प्रतिशत जनसंख्या और पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों की लगभग 73.4 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है।

(घ) से (च) अनुमोदित सातवीं योजना के भाग के रूप में, मध्यवर्ती तथा पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है :—

1. मध्यवर्ती हिमालय क्षेत्र

उत्तर प्रदेश में भटियारी, रानीखेत तथा धारचूला के प्रत्येक में एक-एक, तीन 2×10 वाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर।

2. पश्चिम हिमालय के क्षेत्र

(1) हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा कल्पा और हमीरपुर प्रत्येक में एक एक अर्थात दो 2×10 वाट ट्रांसमीटर।

(2) लेह में एक उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा जम्मू और कश्मीर में भदरवा, डोडा, किल्होतरन, कूपवाड़ा, पहलगांव, गमबाण, पदम, द्रास, शंकू, दस्किट, तिमसोगम तथा नयेमा प्रत्येक में एक-एक अर्थात 2×10 वाट के 12 ट्रांसमीटर।

विदेशी प्रसारणों की समीक्षा के लिए पृथक सेल

6918. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों के रेडियो और टेलीविजन प्रसारण केन्द्र भारत-विरोधी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रसारणों के संकलन और उनकी समीक्षा हेतु उनके मंत्रालय में एक पृथक सेल है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा सैल गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की सीमावर्ती देशों तथा विदेशों के अन्य शक्तिशाली ट्रांसमीटरों, जिनसे भारत को तरंगें आती हैं से प्राप्त ट्रांसमिशनों की निगरानी तथा विश्लेषण करने के लिए एक केन्द्रीय मानिटरिंग सैल गठित किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता

[अनुवाद]

6919. **श्री के० कुन्जम्बु : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बड़े पैमाने पर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राज्य सरकार का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह लघु उद्योगों के विकासार्थ आवश्यक कदम उठाये। फिर भी, केन्द्र सरकार राजकोषीय नीतियों और प्रोत्साहनात्मक योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता पहुंचाती है। इन सभी योजनाओं जैसे कि जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों हेतु स्वरोजगार योजना, सीमांत धन योजना, उत्पाद शुल्क रियायत और रियायती वित्त योजनाओं के अधीन केरल सरकार को भी सहायता मिल रही है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

6920. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री प्रतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन के द्वितीय खान-विस्तार कार्यक्रम के लिए शुरू की गई अनेक परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कारण नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को कितना वित्तीय नुकसान हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए विशेषज्ञता प्राप्त खनन उपकरणों के सप्लायरों ने उनके द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न कठिनाइयों के कारण समयावधि में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा

विचार किया गया और विभिन्न फर्मों की समय अवधि में कुछ वृद्धि की गई। किन्तु इस संबंध में दी गई समय अवधि की वृद्धि से संयोजित विद्युत गृह को चालू किये जाने पर काई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्त समय अवधि में की गई वृद्धि से नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

6921. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष घाटे में चलने वाले उपक्रमों को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है और इनमें से प्रत्येक उपक्रम को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस घाटे का भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वयं सरकारी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान, जिस नवीनतम वर्ष तक की जानकारी केवल उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठा रहे 102 उपक्रमों द्वारा उठाई गई निवल हानि 1718.77 करोड़ रुपये है। 31-3-1988 तक उनमें से प्रत्येक द्वारा उठायी गई संचयी हानि तथा तीन वर्षों 1987-88, 1986-87 और 1985-86 के दौरान उनकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उन उपक्रमों के घाटे के परिणामस्वरूप अधिकाधिक बजटगत सहायता की व्यवस्था करनी पड़ी जिससे सरकारी क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधि के अन्य क्षेत्रों, दोनों ही में विकास के लिए निधियों की उपलब्धता में कमी आई है।

विवरण

क्र० सं०	1978-88 के दौरान घाटा उठाने वाली कम्पनी के नाम	31-3-88 को संचयी घाटा	निवल लाभ/हानि		
			1987-88	1986-87	1985-86
1	2	3	4	5	6
इस्पात					
1.	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि०	549.45	—115.75	—80.14	—60.99
2.	इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउन्ड्री कम्पनी लि०	शून्य	—1.06	—0.25	0.25
3.	स्पंज आयरन इंडिया लि०	1.53	—1.28	0.20	0.14
खनिज एवं धातु					
4.	कुद्रेमुख आयरन ओर क० लि०	241.52	—27.25	—15.37	—21.17

1	2	3	4	5	6
5.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०	21.05	—4.75	26.21	—3.95
6.	इंडियन एअर अर्थस लि०	शून्य	—19.73	—4.90	8.85
7.	इंडियन फायरब्रिक्स एण्ड इंस्यूलेशन क० लि०	17.81	—2.24	—1.92	—2.79
8.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	15.28	—17.84	0.66	5.33
9.	नेशनल एल्यूमिनियम क० लि०	54.12	—50.92	—3.20	0.00
	कोयला				
10.	भारत कोकिंग कोल लि०	987.87	—112.01	—87.71	—159.36
11.	सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	123.21	—90.43	—68.66	—83.25
12.	कोल इंडिया लि०	107.40	—1.37	—2.16	5.82
13.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	910.51	—48.74	—142.19	—69.97
14.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	28.71	—3.23	—1.49	0.00
	बिजली				
15.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	0.03	—3.54	2.73	1.17
	पेट्रोलियम				
16.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	73.02	—73.02	0.00	0.00
	रसायन, उर्वरक और भेषज				
17.	भारतीय सीमेंट निगम लि०	31.65	—32.22	—21.01	—12.36
18.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	878.99	—42.67	—102.53	—129.38
19.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	1.20	—0.45	—0.04	—0.17
20.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	256.65	—30.22	—51.38	—32.41
21.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	शून्य	—26.05	6.64	—7.60
22.	सांभर साल्ट्स लि०	1.25	—0.21	0.00	—0.03
23.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	6.85	—2.21	—2.03	—1.35
24.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो०	623.52	—104.84	—86.22	—71.56
25.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो० लि०	3.84	—1.84	—2.00	0.06

1	2	3	4	5	6
26.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०	4.46	—0.75	—0.96	—0.50
27.	पारादीप फास्फेट्स लि०	52.68	—20.34	—8.26	0.00
28.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	0.28	—0.27	0.25	0.40
29.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	34.74	—7.71	—6.65	—5.73
30.	बंगाल इम्यूनिटी लि०	14.77	—5.08	—4.28	—4.35
31.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि०	0.35	—0.35	0.00	0.00
	भारी इंजीनियरी				
32.	ब्रेथवेट एण्ड क० लि०	27.18	—8.92	—6.78	—12.14
33.	बर्न स्टैण्डर्ड क० लि०	59.99	—11.92	0.34	0.27
34.	भारी इंजीनियरी निगम लि०	593.14	—21.73	—68.43	—70.45
35.	जेसप एण्ड क० लि०	17.39	—0.71	—0.80	1.98
36.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	24.49	—6.22	2.99	—12.30
37.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	11.49	—4.10	11.02	0.73
38.	तुगंभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	2.85	—0.04	—0.31	0.22
39.	लगन जूट मशीनरी क० लि०	शून्य	—0.85	—0.54	0.13
40.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०	19.81	—3.18	—5.49	—3.12
41.	वेबर्ड (इंडिया) लि०	4.84	—0.97	—1.08	—0.85
	हल्की एवं मध्यम इंजीनियरी				
42.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	27.37	—8.73	—5.21	—0.43
43.	बीको लारी लि०	32.71	—7.04	—5.81	—4.20
44.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	10.00	—2.69	4.92	—4.09
45.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	28.09	—4.44	—2.06	—2.34
46.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०	30.39	—8.58	—15.00	—6.98
47.	सेमी-कंडक्टर काम्पलेक्स लि०	14.92	—0.10	—2.13	—2.24

1	2	3	4	5	6
48.	एच० एम० टी० बेयरिंग लि०	9.86	—3.45	—4.75	0.13
	परिवहन उपस्कर				
49.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	141.34	—13.11	—8.57	—14.46
50.	कोचीन शिपयार्ड लि०	91.05	—25.86	—10.21	—8.64
51.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	99.49	—0.97	—13.14	—7.89
52.	गोवा शिपयार्ड लि०	शून्य	—1.18	1.47	5.64
53.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	146.89	—36.57	—40.52	—30.98
54.	माझगांव डॉक लि०	90.56	—34.87	—20.93	—38.98
55.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	132.38	—27.12	—23.35	—16.42
56.	भारतीय साइकिल निगम लि०	50.33	—12.10	—10.33	—8.19
57.	नेशनल बाइसिकल कारपो० आफ इंडिया लि०	31.24	—6.43	—6.04	—4.96
58.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	10.06	—1.54	—2.90	—3.08
	उपभोक्ता माल				
59.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	116.98	—38.90	—49.58	—22.47
60.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर क० लि०	113.08	—20.58	—23.19	—23.08
61.	भारत आफ्थैलिमक ग्लास लि०	40.24	—6.83	—5.73	—5.05
62.	मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०	33.04	—6.05	—5.83	—5.32
63.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम	62.90	—10.52	—8.63	—6.37
64.	टेनरी एण्ड फूटवीअर कारपो० आफ इंडिया लि०	71.75	—10.69	—9.38	—9.29
65.	हुगली प्रींटिंग कम्पनी लि०	0.58	—0.16	—0.11	—0.17
66.	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कारपो०	333.27	—44.64	—46.71	—48.74
67.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	25.67	—1.75	—4.93	—1.00
68.	टायर कारपो० आफ इंडिया लि०	34.17	—9.44	—9.88	—7.36

1	2	3	4	5	6
कृषि पर आधारित उद्योग					
69.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	6.89	—4.40	—3.17	0.42
70.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	0.57	—0.33	—0.16	—0.12
कपड़ा					
71.	ने० टे० का० (आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं माहे) लि०	115.64	—22.64	—19.46	—11.11
72.	ने० टे० का० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	72.92	—6.20	—8.27	—8.93
73.	ने० टे० का० (गुजरात) लि०	108.86	—31.03	—26.65	—17.51
74.	ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०	123.44	—21.48	—21.48	—8.37
75.	ने० टे० का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	161.71	—32.43	—27.74	—14.52
76.	ने० टे० का० (साउथ महाराष्ट्र) लि०	125.48	—26.19	—16.83	—7.18
77.	ने० टे० का० (तमिलनाडु एण्ड पाण्डिचेरी) लि०	12.79	—5.97	—1.52	—0.01
78.	ने० टे० का० (पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	219.53	—28.16	—24.69	—26.34
79.	ने० टे० का० (उत्तर प्रदेश) लि०	139.22	—30.87	—24.55	—12.71
80.	एल्गिन मिल्स कं० लि०	73.28	—21.79	—13.14	—10.37
81.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि०	8.92	—3.84	—1.86	—1.23
व्यापार एवं विपणन सेवाएं					
82.	भारत लेदर कारपो० लि०	3.08	—0.68	—0.41	—0.12
83.	भारतीय रुई निगम लि०	119.05	—0.16	—18.67	—10.69
84.	भारतीय खाद्य निगम	शून्य	—4.86	—1.27	0.35
85.	माइक ट्रेडिंग कारपो० आफ इंडिया लि०	0.26	—1.47	0.19	0.23
86.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	1.83	—0.35	—0.34	—0.31

1	2	3	4	5	6
87.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०	11.65	—1.03	—2.69	0.32
	परिवहन सेवाएं				
88.	एयर इण्डिया	शून्य	—43.41	30.16	66.00
89.	दिल्ली परिवहन निगम	229.19	—78.88	—164.00	—176.92
90.	वायुदूत	10.92	—3.62	—0.78	—0.78
91.	पवन हंस लि०	14.60	—7.44	—5.17	—0.04
	संविदा एवं निर्माण सेवाएं				
92.	हिन्दुस्तान प्रीकैब लि०	7.19	—0.55	—0.73	—0.87
93.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०	86.69	—12.10	—10.16	2.15
94.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	53.34	—13.54	—10.26	—13.92
95.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०		—12.76	—24.00	1.22
96.	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कन्स्ट्र०लि०	14.19	—0.94	0.00	0.00
	औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं				
97.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया)	—203.04	—34.39	—25.86	—34.43
98.	भारतीय परियोजना एवं विकास लि०	20.73	—5.18	—0.39	0.52
	पर्यटन सेवाएं				
99.	होटल कारपो० आफ इण्डिया लि०	17.88	—4.75	—6.55	—4.06
100.	इण्डो होको होटल्स लि०	0.45	—0.14	0.00	0.00
	वित्तीय सेवाएं				
101.	भारतीय निर्यात ऋण एवं प्रत्याभूति निगम लि०	शून्य	—3.86	0.73	0.90
	धारा 25 के अधीन कम्पनियां				
102.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि०	14.99	—1.98	—2.27	—1.95

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गांव में कम कर्मचारियों वाले डाकघर

6922. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के गांवों में स्थित डाकघरों में कर्मचारियों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अहमदनगर जिले में जिन डाकघरों में कर्मचारियों की संख्या कम रही है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का राज्य में स्थित डाकघरों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करने और इस जन सेवा के कुशलतापूर्वक कार्यकरण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रिक्तियां जब कभी होती हैं उन्हें यथा समय भर दिया जाता है।

महाराष्ट्र में डाकघरों का खोला जाना

6923. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के गांवों में खोले गये डाकघरों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं योजना के दौरान अहमदनगर जिले में और अधिक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो अहमदनगर जिले में खोले जाने वाले डाकघरों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योग

6924. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय क्षेत्र में सातवीं योजना के दौरान स्थापित अथवा स्थापना हेतु प्रस्तावित उद्योग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्रों में चालू एवं नई परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए 368.31 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र० सं०	चालू उद्योग अथवा नई परियोजनाओं के नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) परिव्यय (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०	
	(1) प्रतिस्थापन, पुनर्नवीकरण, अनुसंधान एवं विकास आदि	8.00
	(2) विद्युत अपघटक मैंगनीज डायआक्साइड संयंत्र (नई योजना)	4.25
	(3) चिकला-उदग्र कूपक (नई योजना)	1.75
2.	भारत पेट्रोलियम कं० लि०, बम्बई सुगंधित द्रव्यों का उत्पादन	17.20
3.	इण्डो वर्मा पेट्रोलियम कं० लि०	
	(1) इंजीनियरिंग शाखा, नासिक	4.83
	(2) एस० आई० सी० ओ० एम० विस्फोटक संयंत्र (नई योजना)	4.00
4.	बामेर लारी लि०	
	(प्रयुक्त ल्यूब तेल का परिशोधन, ड्रम संयंत्र, प्रतिस्थापन एवं पुनर्नवीकरण)	3.30
5.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	
	(1) थाल उर्वरक परियोजना	140.00
	(2) ट्राम्बे	13.70
	(3) अमोनिया संयंत्र का पुनर्स्थापन	38.00
	(4) प्रतिस्थापन, पुनर्नवीकरण एस० एण्ड टी० आदि	14.92
	(5) ट्राम्बे में नई योजनाएं	6.38
6.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०, पुणे	
	(1) चालू योजनाएं	1.94
	(2) प्रतिस्थापन, पुनर्नवीकरण, एस० एण्ड टी० आदि	8.06

1	2	3
	(3) (नई योजनाएं टिफैम्पीसिन, केफालाक्सिन, 7-ए० डी० ए०, एम्पीसिलीन सोडियम आदि)	5.00
7.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०, बम्बई	1.00
8.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, रसायनी	
	(1) प्रतिस्थापन, पुनर्नवीकरण, आधुनिकीकरण, एस० एण्ड टी० आदि	14.64
	(2) नई योजनाएं	1.00
9.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०, रसायनी	
	(1) चालू योजनाएं	3.52
	(2) नई योजनाएं	4.10
10.	एच० एस० टी० लि० दुग्धशाला मशीनरी संयंत्र (प्रतिस्थापना एवं पुनर्नवीकरण के लिए आवंटन सहित)	2.42
11.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि०	
	(1) संचार लाइन टावर परियोजना, नागपुर (ट्रांसमिशन लाइन टावर प्रोजेक्ट, नागपुर)	0.20
	(2) कम्प्रेशर परियोजना, बम्बई	0.03
	(3) पुनर्स्थापन एवं पुनर्नवीकरण आदि	1.26
	(4) नई योजनाएं (अपतट आदि)	7.56
12.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	2.00
13.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (नागपुर कारखाने का विस्तार)	9.20
14.	सी० एस० सी०, बम्बई	50.00
15.	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (नागपुर में कार्यालय के लिए स्थान)	0.05
	जोड़ :	368.31

लघु उद्योग एककों के लिए आरक्षित मदों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन

6925. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग एककों के उत्पादन के लिए कौन-कौन से मद आरक्षित किये गये हैं;

(ख) आरक्षित श्रेणी में रखे गये मदों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रखे गये मदों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को किन नियमों/मार्गनिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की है; और

(घ) सरकार का नियमों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आज की स्थिति के अनुसार केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या 835 है। वस्तुओं के नाम उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग-2 खण्ड-3 उप खण्ड (2) दिनांक 30 जून, 1988 और बाद की राजपत्र अधिसूचना का० ज्ञा० सं० 172 (अ) दिनांक 3 मार्च, 1989 में प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) और (ग) आरक्षित श्रेणी में रखी वस्तुओं का निर्माण करने वाले बड़े एककों/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में मै० कोलगेट पामोलिव (इंडिया लि०) टूथ पेस्ट तथा टूथ पाउडर; हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (कपड़े धोने का साबुन); ब्रिटेनिया इण्डस्ट्रीज लि० (डबलरोटी तथा बिस्कुट); बाटा इंडिया लि० (चमड़े के जूते, चमड़े की सैंडिलें तथा चप्पलें) इत्यादि शामिल हैं।

लघु औद्योगिक उपक्रम के अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा आरक्षित वस्तु निर्माण जारी रखने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वह आरक्षण की तारीख से पहले वस्तु का निर्माण कर रहा हो तथा उसने सी० बी० ओ० लाइसेंस प्राप्त किया हो। सी० बी० ओ० लाइसेंस की क्षमता वस्तु के आरक्षण की तारीख से पिछले तीन वर्षों में उपक्रम द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम उत्पादन पर निर्धारित की जाती है। यदि बड़े औद्योगिक उपक्रम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि वे 3 वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर प्राप्त किए जाने वाले नए अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75% निर्यात दायित्व लेते हैं।

(घ) आरक्षण नीति के उल्लंघन की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े/मझौले एककों के प्रवेश/विस्तार को रोकेगी। आरक्षण नीति के अधीन उपबंधों का उल्लंघन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अधीन दण्डनीय है।

औषधियों पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करना

6926. **श्री राज कुमार राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-1 में आने वाली कुछ औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन औषधियों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) से (घ) केवल ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओ० आर० एस०) औषध को जो पहले डी० पी० सी० ओ० 1987 की अनुसूची I में शामिल थी, 18-1-1989 को अधिसूचित औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1989 के अनुसार केलकर समिति द्वारा प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर मूल्य नियंत्रण से निकाल दिया गया है।

बंगलौर में नये इलाकों के लिए तार घर का खोलना

6927. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार घर खोलने का क्या मानदंड है;

(ख) क्या निर्धारित नियमों के अनुसार हनुमंथ नगर, बनशंकरी, फस्टस्टेज, श्रीनगर. गिरीनगर और क्रांत्रिगुप्पा के लोगों के लिए तार सुविधा की व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन इलाकों में तार घर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जनता की पर्याप्त मांग पर प्रारम्भ में फोनोकाम आधार पर डाकघर से तार सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) हनुमंथनगर को विभागीय तारघर वसावनगुडी के जरिये और बनशंकरी प्रथम चरण, श्रीनगर गिरीनगर और कांत्रिगुप्पा को विभागीय तारघार वनशंकरी के जरिये तार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वनशंकरी प्रथम चरण को तार सुविधा प्रदान करने का मामला विचाराधीन है।

आकाशवाणी, बंगलौर में कैसेटों की सुविधा

6928. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, बंगलौर के पास कैसेटों से सीधे ही गानों का प्रसारण करने की सुविधा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि कन्नड़ फिल्म निर्माताओं ने प्रसारण हेतु फिल्मी गानों की डिस्क सप्लाई करने की मांग पर बल देने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो आकाशवाणी, बंगलौर द्वारा फिल्मी गानों का प्रसारण करने हेतु डिस्क की मांग करने पर बल देने की बजाय कैसेट स्वीकार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) बाजार में उपलब्ध श्रव्य कैसेट—विशेषतया फ्रीक्वेंसी अनुक्रिया और नाद चित्रण के संबंध में—व्यावसायिक प्रसारण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये कैसेट घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजन के

लिए होते हैं तथा आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा प्रसारण के लिए स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ये व्यावसायिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर दूरदर्शन द्वारा कन्नड़ भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण

6929. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर दूरदर्शन केन्द्र कालीकट दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित करता है;

(ख) क्या मंगलौर की जनता ने यह अनुरोध किया है कि कालीकट दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया जाये और मंगलौर केन्द्र से बंगलौर दूरदर्शन के कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित किये जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) समय-समय पर इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि मंगलौर केन्द्र सहित कर्नाटक के सभी दूरदर्शन रिले केन्द्रों से बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निर्मित तथा टेलीकास्ट कार्यक्रम रिले किए जाएं।

(ग) स्पेस सेगमेंट में अपेक्षित सुविधाओं के उपलब्ध होने पर, कर्नाटक के सभी रिले केन्द्रों को उपग्रह द्वारा बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के साथ संयोजित करने का कार्यक्रम है।

आटो वाहनों के निर्माताओं द्वारा जमा धनराशि की वापसी

6930. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटो वाहनों के निर्माताओं को वाहनों की बुकिंग के लिए धनराशि जमा करने के संबंध में कुछ मानदण्ड अपनाने के लिये निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये ऐसे निर्देशों में मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार आयोग को बुकिंग रद्द किये जाने के बाद जमा धनराशि वापस न किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे आटो वाहन निर्माताओं के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। मोटर गाड़ियों के निर्माताओं को जारी किए गए मार्ग-दर्शिकाओं की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को निम्नलिखित

कम्पनियों के विरुद्ध बुकिंग रद्दीकरण के बाद जमाराशियों को वापिस न करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

1. मैसर्स एल० एम० एल० लिमिटेड, कानपुर
2. मैसर्स स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि०, मद्रास
3. मैसर्स श्री चामुंडी मोपैड्स लि०, टुमकुर
4. मैसर्स हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली
5. मैसर्स काइनेटिक होंडा प्रा० लि०, बम्बई
6. मैसर्स सपना स्कूटर्स इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० अलीगढ़
7. मैसर्स इन्ड-सुजुकी मोटर साइकिल, बंगलौर
8. मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, पटनचेरू, जिला मेंड़क
9. मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लि०, लखनऊ
10. मैसर्स जगमोहन एलाइड आटो इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, कानपुर
11. मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०, पुणे
12. मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, पुणे
13. मैसर्स डी० सी० एम० टोयटा लि०, गाजियाबाद
14. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता
15. मैसर्स सियानी आटो मोबाइल्स लि०, बंगलौर
16. मैसर्स इस्कोर्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद
17. मैसर्स स्वराज माजदा लि०, चन्डीगढ़
18. मैसर्स एक्सपो मशीनरी, नई दिल्ली

कुछेक उपर्युक्त कम्पनियां सरकारी कम्पनियां हैं और उन पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं। तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या के आंकड़े एकत्र करने में अत्यधिक काम शामिल है जो प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

विवरण

(क) और (ख) ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वाहनों की बुकिंग के लिए पेशगी धनराशि स्वीकार करने, उसे इस्तेमाल करने तथा अग्रिम जमा राशि को लौटाने के लिए 9-12-1988 को निम्नलिखित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं :

1. अग्रिम जमा राशि उत्पाद शुल्क सहित वाहन के फैक्टरी मूल्य से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. स्वीकृत आवेदनों की संख्या अगले पांच वर्षों में वाहनों के योजनाबद्ध उत्पादन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अग्रिम बुकिंग के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या इस सीमा से अधिक हो जाती है तो अधिक आवेदनों पर प्राप्त अग्रिम जमा राशि बुकिंग बंद होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर लौटा दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विनिर्माता को प्राप्त हुए सभी आवेदनों का ड्रा निकालना चाहिए ताकि अगले 5 वर्षों में वाहनों के योजनाबद्ध उत्पादन के बराबर अनिश्चय के आधार पर इतने आवेदनों को चुना जा सके।

3. बुकिंग अधिक से अधिक तीन महीनों की अवधि के लिए खुली रखी जा सकती है। तथापि, यदि जब प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या अगले पांच वर्षों में योजनाबद्ध उत्पादन से बढ़ जाता है तो बुकिंग तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए बशर्ते कि बुकिंग प्रारम्भ होने की तारीख से 15 दिन तक बुकिंग बंद न की जाएगी।

4. एक विनिर्माता उसी वाहन के लिए दुबारा बुकिंग और अग्रिम राशि जब्त केवल तभी कर सकता है यदि उसने पिछली बुकिंग का 50% वाहनों की बिक्री करके और रद्द की गई बुकिंग की अग्रिम धन राशि लौटा कर समंजन कर लिया हो।

5. बुकिंग की अवधि अर्थात अग्रिम जमा धनराशि प्राप्त होने की तारीख से वाहन की सुपुर्दगी की तारीख तक अथवा बुकिंग रद्द किए जाने पर धनराशि लौटाए जाने तक के लिए कम से कम 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। परन्तु किसी आवेदन द्वारा बुकिंग बंद होने से एक वर्ष के भीतर बुकिंग रद्द कराये जाने पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वीकृत आवेदन के मामले में, विनिर्माता को आवेदन से रद्द करने का अनुरोध प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अग्रिम धनराशि लौटा देनी चाहिए।

7. पैरा 6 में उल्लिखित 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर यदि निर्माता अग्रिम धनराशि को लौटा पाने में असमर्थ रहता है तो उसे देरी की अवधि के लिए सामान्य ब्याज की दर से 5 प्रतिशत दण्ड (पीनल) ब्याज देना होगा।

8. अग्रिम बुकिंग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का निम्नलिखित ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा :

(क) प्राप्त धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जमा किया जाना चाहिए।

(ख) शेष राशि का कम्पनी द्वारा अपने कार्यों के लिए कार्यशाली पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) अग्रिम जमा के माध्यम से प्राप्त धनराशि के इस्तेमाल को दर्शाने वाली एक तिमाही रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

9. अग्रिम बुकिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में विनिर्माता को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विवरण देने चाहिए :

(क) वाहन का विवरण

(ख) अग्रिम बुकिंग की शर्तें

(ग) अगले पांच वर्षों में वाहन का योजनाबद्ध उत्पादन ।

(घ) यदि वाहन का पहले से उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, अब किया गया वास्तविक उत्पादन और आगे पांच वर्षों के लिए उत्पादन कार्यक्रम ।

(ङ) पहले से कम्पनी द्वारा ली गयी अग्रिम राशि के ब्यौरे जिसमें ऐसी बुकिंगों की कुल संख्या, ऐसी बुकिंगों के माध्यम से इकट्ठी की गयी राशि, वितरित किये गये वाहनों की संख्या, बकाया बकिंगों की सख्या, रद्द की गई बुकिंगों की संख्या और इस तारीख तक धनराशि लौटाने के लिए लंबित अनुरोधों की संख्या दी गयी हों ।

(च) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 2 के संदर्भ में अधिक आवेदनों के रूप में प्राप्त हुई धनराशि को लौटाने की पद्धति ।

(छ) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 4, 5 और 6 के संदर्भ में बुकिंग की अवधि के लिए सामान्य ब्याज दर और धनराशि लौटाने में देरी के लिए दंड स्वरूप ब्याज ।

10. पैरा 2 में उल्लिखित लाट का ड्रा निकालने के पश्चात् विनिर्माता को एक विज्ञापन देना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुकिंग प्रारम्भ होने और बन्द होने की तारीख, प्राप्त हुए और स्वीकृत आवेदनों की संख्या तथा आवेदन अस्वीकृत होने पर अग्रिम जमा धनराशि को वापस करने के लिए अन्य सम्बद्ध विवरण दिये गये हों ।

11. ये ऐच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जिसका उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए विनिर्माताओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए । फिर भी, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अत्यधिक उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप सरकार विनिर्माता को औद्योगिक लाइसेंस, पूंजीगत वस्तुओं, हिस्से पुर्जों, कच्चे माल, प्रौद्योगिकियों के आयात और ऐसी ही अन्य प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान करने से मना कर सकती है ।

12. ये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और वाहनों की भावी बुकिंग पर लागू होंगे ।

विदेशी आगंतुकों के लिए टेलीफोन सुविधा

6931. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी आगन्तुकों को अपने देश में सीधे टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक नई योजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन काल के भुगतान करने की प्रक्रिया सहित योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) यह सेवा किन-किन देशों के लिए आरम्भ की जाएगी; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

'ब्राड-बेंडिंग' योजना

6932. **श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक छूट दिए जाने के उपाय के रूप में ब्राड-ब्रेंडिंग योजना कुछ घरेलू उत्पादों पर भी लागू करने की हाल ही में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत सूची में शामिल किये जाने वाले उत्पादों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस छूट के मुख्य लाभ क्या होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में 'ब्राड बेंडिंग' योजना घरेलू रेफ्रिजरेटर, डीम फ्रिजर, वाशिंग मशीन (प्रोग्रामेबल टाइप), डिश वाशर और वैक्यूम क्लीनर जैसी 'सफेद वस्तुओं' पर भी लागू की गई है।

(ग) 'ब्राड बेंडिंग' से औद्योगिक उपक्रम अपनी उत्पादन व्यवस्था में अधिक लचीलापन ला सकेंगे और सामान्य मूलभूत, उत्पादन तथा विपणन सुविधाओं के आधार पर अपने उत्पाद रेंज का दिशान्तरण कर सकेंगे। इससे उद्योग की कार्यकुशलता एवं स्पर्धा में वृद्धि होगी।

केरल में एक्सचेंज की लाइनों की क्षमता का विस्तार

6933. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या संचार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्ष 1989 के दौरान एक्सचेंज लाइनों की क्षमता के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) पालघाट जिले में विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग 19100 लाइनें जोड़े जाने की आशा है। एक्सचेंज-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

एम० ए० एक्स० I एक्सचेंज	10400 लाइनें
एम० ए० एक्स० II एक्सचेंज	3000 लाइनें
आई० एल० टी० एक्सचेंज	1550 लाइनें
ई० एस० ए० एक्स (पी० ए० एम०) एक्सचेंज	660 लाइनें
एन० ई० एक्स० 61-एस	1200 लाइनें
सी-डॉट (आर० ए० एक्स०) एक्सचेंज	660 लाइनें
मीनी आई० एल० टी० एक्सचेंज	630 लाइनें
एम० ए० एक्स० III एक्सचेंज	1000 लाइनें
योग	19100 लाइनें

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए लगभग 83.44 करोड़ रुपए का अनन्तिम आबंटन किया गया है।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान पालघाट जिले में 10 एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है। इनकी क्षमता में कुल 1722 लाइनें जोड़े जाने की आशा है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा वाहनों का उत्पादन

6934. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड का विचार अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को दुगुना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इससे कितने वाहनों का उत्पादन किया था;

(घ) उत्पादन में वृद्धि कब से आरम्भ हो जाएगी और इससे वाहनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज कितने व्यक्तियों को वाहन मिल सकेंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार ने मारुति उद्योग लि० की 3 बाक्स कार परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता एक लाख से बढ़ाकर 1,20,000 वाहन प्रति वर्ष कर देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) 1988-89 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1,05,547 वाहनों का उत्पादन किया।

(घ) 1986 में की गई कारों की बुकिंग 1990 के पूर्वार्ध में पूरी कर देने की आशा है।

रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा का प्रावधान

6935. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस सिलिंडर फटने, आदि से होने वाली घटनाओं के मामले में किसी भी तेल कम्पनी की तेल कम्पनियों के विद्यमान नियमों के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का नियमों में संशोधन करके देश में सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, एल० पी० जी० वितरकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने उपभोक्ताओं के संबंध में तृतीय पक्षकार जोखिम बीमे के संबंध में बीमा स्कीम चलाएं, एल० पी० जी० दुर्घटनाओं से संबंधित दावा उपभोक्ताओं, वितरकों और बीमा कम्पनियों द्वारा निपटाए जाते हैं।

केन्द्रीय ग्रिड से केरल को बिजली का आबंटन

6936. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से केरल को प्रति माह कितनी बिजली आबंटित की जाती है;

(ख) क्या आबंटन के अनुसार राज्य को नियमित रूप से बिजली की सप्लाई की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) केरल को सभी क्षेत्रों (घरेलू और औद्योगिक) के लिए विद्युत की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ङ) केरल में अपने स्रोतों से प्रति माह कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है; और

(च) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य दक्षिणी राज्यों में अलग-अलग प्रति-माह कुल कितनी मात्रा में पन-बिजली और ताप बिजली का उत्पादन किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से केरल को निर्धारित मात्रा की तुलना में महीनावार विद्युत की सप्लाई का विवरण इस प्रकार है—

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

महीना	निर्धारित मात्रा	वास्तविक सप्लाई
अप्रैल, 1988	106.9	113.4
मई, 1988	102.9	90.8
जून, 1988	109.6	100.0
जुलाई, 1988	100.5	126.9
अगस्त, 1988	103.1	153.5
सितम्बर, 1988	87.0	109.3
अक्तूबर, 1988	94.1	81.8
नवम्बर, 1988	112.8	114.3
दिसम्बर, 1988	144.8	159.8
जनवरी, 1989	125.8	75.0
फरवरी, 1989	134.8	56.0
मार्च 1989	149.4	88.7

जनवरी, 1989-मार्च, 1989 की अवधि के दौरान विद्युत की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा था जिसका कारण कलपक्कम तथा नेवेली दो विद्युत केन्द्रों का बन्द और नागार्जुन सागर तथा कुडप्पा के बीच केवल एक 400 के० वी० सर्किट का उपलब्ध होना था। नागार्जुन सागर तथा कुडप्पा के बीच दूसरे 400 के० वी० सर्किट को मार्च, 1989 में चालू कर दिया गया था जिसके पश्चात स्थिति में सुधार हुआ है।

(घ) औसत रूप से, वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में समग्र रूप से ऊर्जा की मासिक निवल मांग लगभग 553 मिलियन यूनिट थी।

(ङ) और (च) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में उत्पादित ताप विद्युत तथा जल विद्युत ऊर्जा के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महीना	विद्युत उत्पादन का स्वरूप	विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)					
		केरल	आंध्र प्रदेश		कर्नाटक	तमिलनाडु	
			आ० प्र० रा० वि बोर्ड	रा० ता० वि० निगम	के० पी० सी० के० ई० बी०	टी० एन० ए० बी०	नेवेली
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल, 88	ताप विद्युत	—	708	336	253	772	656
	जल विद्युत	319	212	—	401	61	—
	जोड़	319	920	336	654	833	656
मई, 88	ताप विद्युत	—	758	384	232	767	567
	जल विद्युत	362	214	—	404	133	—
	जोड़	362	972	384	636	900	567
जून, 88	ताप विद्युत	—	700	354	276	612	682
	जल विद्युत	348	206	—	338	209	—
	जोड़	348	906	354	614	821	682
जुलाई, 88	ताप, विद्युत	—	645	324	237	625	619
	जल विद्युत	335	343	—	414	246	—
	जोड़	335	988	324	651	871	619

1	2	3	4	5	6	7	8
अगस्त, 88	ताप विद्युत	—	399	356	134	391	577
	जल विद्युत	326	962	—	497	301	—
	जोड़	326	1261	356	631	892	577
सितम्बर, 88	ताप विद्युत	—	333	240	125	536	648
	जल विद्युत	364	1057	—	364	357	—
	जोड़	364	1390	240	489	893	648
अक्तूबर, 88	ताप विद्युत	—	352	336	152	559	648
	जल विद्युत	430	1144	—	664	460	—
	जोड़	430	1496	336	816	1019	648
नवम्बर, 88	ताप विद्युत	—	571	460	148	555	615
	जल विद्युत	389	829	—	761	380	—
	जोड़	389	1400	460	909	939	616
दिसम्बर, 88	ताप विद्युत	—	637	595	156	666	737
	जल विद्युत	382	563	—	717	384	—
	जोड़	382	1200	595	873	1050	773
जनवरी, 89	ताप विद्युत	—	748	606	184	731	601
	जल विद्युत	461	554	—	804	343	—
	जोड़	461	1302	606	988	1074	601

1	2	3	4	5	6	7	8
फरवरी, 89	ताप विद्युत	—	645	657	272	672	574
	जल विद्युत	412	486	—	684	258	—
	जोड़	412	1131	657	956	930	574
मार्च, 89	ताप विद्युत	—	771	732	275	793	653
	जल विद्युत	427	533	—	719	222	—
	जोड़	427	1305	732	994	1015	653
अप्रैल-मार्च	ताप विद्युत	—	7267	5380	2444	7879	7578
	जल विद्युत	4555	7103	—	6767	3354	—
	जोड़	4555	14370	5380	9211	11233	7578

केरल में ज्वरीय तरंग से बिजली उत्पादन करने की परियोजना की स्थापना

6937. श्री मुल्लापेल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ज्वरीय तरंगों से बिजली उत्पादन करने संबंधी कोई प्रस्ताव/परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 में केरल तट पर ज्वरीय तरंगों से बिजली उत्पादन करने हेतु कोई धनराशि आबंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ज्वरीय तरंगों से बिजली तैयार करने हेतु परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । केरल तट पर ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरों की नियुक्ति

6938. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरों की नियुक्ति के बारे में दिनांक 28 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3646 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीलरशिप के आवेदनकर्ताओं की क्षमता के मूल्यांकन के लिए क्या विषयनिष्ठ मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत डीलरों के नाम क्या हैं तथा उनका क्षेत्राधिकार, नियुक्ति की तारीख, संबंधित विज्ञापन की तारीख का ब्यौरा क्या है और चयन के समय डीलर-शिप के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक डीलर के माध्यम से कितनी मारुति कारें बेची गयीं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) डीलरों की नियुक्ति के लिए अपनाए गए मुख्य मापदण्ड में पार्टी की योग्यताएं—

1. मारुति नीतियों के अनुसार एक स्टैण्डर्ड ग्राहक सेवा प्रदान करना;
2. बाजार शेयर को अधिकतम करना;
3. कम्पनी की छवि को अधिकतम संभव रूप से प्रस्तुत करना और विकसित करना करना ।

डीलरों की नियुक्ति मारुति उद्योग लिमिटेड के बोर्ड द्वारा खुले विज्ञापन द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर की जाती है जिनकी योग्यताओं का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है ।

(ख) और (ग) 1-4-1989 को स्थिति बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	अधिकृत डीलर का नाम	डीलरशिप के लिए विज्ञापन की तारीख	डीलरशिप के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	डीलरशिप की नियुक्ति की तारीख	क्षेत्र	1988-89 के दौरान करों की बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर-I					
1.	अगनाल ट्रेडर्स लि०	अप्रैल, 1984	68	जुलाई, 1984		4,112
2.	सिकन्द एण्ड कम्पनी	अप्रैल, 1984		फरवरी, 1985	सम्पूर्ण संघशासित	2,756
3.	विकास मोटर्स प्रा० लि०	अक्तूबर, 1985	61	दिसम्बर, 1985	क्षेत्र, दिल्ली	3,799
4.	कम्पीटैन्ट आटोमोबाइल्स कं० प्रा० लि०	दिसम्बर, 1982		अप्रैल, 1983		4,114
5.	क्लासिक मोटर्स प्रा० लि०	दिसम्बर, 1982	66	अप्रैल, 1983		2,308
6.	गंगा आटोमोबाइल्स प्रा० लि०	दिसम्बर, 1982		अप्रैल, 1983		3,393
7.	साया आटोमोबाइल्स प्रा० लि०	अक्तूबर, 1988	124	जनवरी, 1989		—
8.	मारुति सेल्स एण्ड सर्विस, दिल्ली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जुलाई, 1987		2,027
9.	आनन्द मोटर्स एजेन्सीज लि०	दिसम्बर, 1982	26	अप्रैल, 1983	लखनऊ, राय बरेली, गोन्डा, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, खेड़ी, फैजाबाद	873

1	2	3	4	5	6	7
10.	अमित दीप मोटर्स	मार्च, 1984	13	मई, 1985	इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर	829
11.	कानपुर ट्रैक्टर्स	जनवरी, 1986	34	अक्तूबर, 1986	कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा	619
12.	प्यारेलाल एण्ड संस (ई०पी०)	मार्च, 1984	38	फरवरी, 1985	मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, देहरादून, चमोली, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, सहारनपुर, गढ़वाल (पौड़ी)	912
13.	रोहन मोटर्स प्रा० लि०	जनवरी, 1986	69	जनवरी, 1988	गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मथुरा, अलीगढ़	183
14.	कविशा मोटर्स प्रा० लि०	जनवरी, 1986	26	अगस्त, 1986	बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, नैनीताल, रामपुर, आगरा, एटा, मैनपुरी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़	560

1	2	3	4	5	6	7
15.	राधिका आटोमोबाइल्स प्रा० लिमिटेड	मार्च, 1984	14	अगस्त, 1985	भिन्ड मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, ग्वालियर	475
16.	भाटिया एण्ड कम्पनी	जनवरी, 1986	20	अक्तूबर, 1986	झालवाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, धोलपुर, कोटा	208
17.	नवनीत मोटर्स	जनवरी, 1986	35	अक्तूबर, 1986	चित्तोड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर	336
18.	आल्फा आटोमोबाइल्स	जनवरी, 1982	39	मई, 1983	नागपुर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भरतपुर	974
19.	त्रिपुर मोटर्स प्रा० लि०	जनवरी, 1986	95	अगस्त, 1986	फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़	1,256
	उत्तर-II					
20.	मॉडर्न आटोमोबाइल्स, अम्बाला	मार्च, 1984	27	फरवरी, 1985	अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, सिरसा तथा सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश	1,256

1	2	3	4	5	6	7
21.	पास्को आटोमोबाइल्स	दिसम्बर, 1982	46	अप्रैल, 1983	सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़, पंजाब के रूपनगर तथा पटियाला जिले	3,657
22.	मोडर्न आटोमोबाइल्स, चण्डीगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जून, 1988	—वही—	109
23.	स्वानी मोटर्स प्रा० लि०	मार्च, 1984	14	जून, 1985	अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालन्धर, कपूरथला, होशियारपुर	1,974
24.	सैनी मोटर्स	जनवरी, 1986	59	अगस्त, 1986	लुधियाना, फरीदकोट, संगरूर, भटिन्डा	1,348
25.	कश्मीर मोटर्स कारपोरेशन	दिसम्बर, 1982	13	जून, 1984	ऊधमपुर, कठुआ, डोडा, पुंछ, कश्मीर राजौरी, जम्मू	465
26.	अन्सारी मोटर्स	दिसम्बर, 1982	11	मार्च, 1985	श्रीनगर, लद्दाख (लेह), गारगिल, जम्मू तथा बारामूला, अनन्तनाग, कूपवाड़ा, पुल- कश्मीर वामा, बडगाम	366
	पश्चिम					
27.	एंपाक मोटर्स प्रा० लि०	दिसम्बर, 1982		अप्रैल, 1983		1,440

1	2	3	4	5	6	7
28.	रेशम मोटर्स प्रा० लि०	दिसम्बर, 1982	42	अप्रैल, 1983	बम्बई	1,721
29.	विट्टेसी ट्रेडिंग लि०	दिसम्बर, 1982		अप्रैल, 1983		1,877
30.	साई सर्विस स्टेशन प्रा० लि०, बम्बई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जनवरी, 1988		
31.	रामा आटोमोबाइल्स	मार्च, 1984	14	अगस्त, 1985	औरंगाबाद, अहमदनगर, [illegible] उस्मानियाबाद, बुलढाना, जालना, प्रभानी, नारदेड, बीर तथा लतूर	262
32.	आटोमोटिव मैन्यु० लि०	मार्च, 1984	14	मार्च, 1985	धान्द्रा, घरचिरौली, वर्धा, चन्द्रपुर, यावतमाल, अमरावती, अकोला, नागपुर	261
33.	सेवा आटोमोटिव प्रा० लि०	जनवरी, 1986	29	अक्तूबर, 1986	नासिक, धूले, जनगांव, थाणे, रायगढ़ तथा दादर और नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश	199
34.	साई सर्विस स्टेशन प्रा० लि०, पुणे	मार्च, 1984	30	अगस्त, 1985	सतारा, पुणे, शोलापुर, कोल्हापुर, सिन्धदुर्ग, सांगली, रत्नगिरी	1,077
35.	चौगुले इण्डस्ट्रीज लि०	मार्च, 1984	14	सितम्बर, 1985	सम्पूर्ण गोआ राज्य	456

1	2	3	4	5	6	7
36.	कार्गो मोटर्स (गुजरात) लि०,	दिसम्बर, 1982	26	अप्रैल, 1983	अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरेन्द्रनगर, मेहसाना, बासकंठ, कच्छ, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़	1,535
37.	किरण मोटर्स प्रा० लि०	मार्च, 1984	16	मई, 1985	वडोदरा, पंच महल, खेड़ा, साबरकंठ, सूरत, वलसाड, भरुच, डंगवाहा (डि डैंग्स), तथा दमन और दियू के संघ शासित क्षेत्र	1,166
38.	फेयरडील मेवाड़ गार्गेज प्रा० लि०, भोपाल	दिसम्बर, 1982	17	अप्रैल, 1984	भोपाल, सिहोर, विदिसा, रायसेन शाजापुर, राजगढ़, बेतुअल, होशंगाबाद, सागर	661
39.	जबलपुर ट्रैक्टर्स	जनवरी, 1986	13	अगस्त, 1986	जबलपुर, नरसिम्हापुर, दहोम, सिओनी, रीवा, सतना, शहडोल, मॉडला, बालघाट, सिधी, छतरपुर, पन्ना, छिन्दवाड़ा	454
40.	फेयरडील मेवाड़ गंगेज प्रा० लि०, इन्दौर	जनवरी, 1986	53	अगस्त, 1986	इन्दौर, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, झाबुआ, इस्ट निमार, प० निमार, देवास	480

1	2	3	4	5	6	7
	पूर्व					
41.	मारुति आटोमोबाइल्स	जनवरी, 1986	18	सितम्बर, 1986	रायपुर, रायगढ़, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सुरगुजा	394
42.	रोल्टा मोटर्स प्रा० लि०	दिसम्बर, 1982	16	मई, 1983	सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य	269
43.	बिमल आटो एजेन्सीज	दिसम्बर, 1982	24	अप्रैल, 1983	असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा	941
44.	प्रोग्रेसिव मोटर्स	जनवरी, 86	06	अक्तूबर, 86	नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश	118
45.	बीके मोटर कम्पनी	जनवरी, 86	15	जनवरी, 87	दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, प० दिनाजपुर, मालदा तथा सिक्किम राज्य	128
46.	जालान डिस्ट्रीब्यूटर्स	जनवरी, 86	47	अगस्त, 86	कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, 24 परगना, यूनियन टेरीटरी अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	828
47.	मैकनी-टैक्नो सेल्स प्रा० लि०, कलकत्ता	दिसम्बर, 82	26	अप्रैल, 83	—वही—	697

1	2	3	4	5	6	7
48.	मैक्रो-टैक्नो सेल्स प्रा० लि०, खड़गपुर	मार्च, 84	15	फरवरी, 85	बांकुरा, पुरुलिया, मिदनापुर, नदिया, बर्दवान, वीरभम, मुर्शिदाबाद	128
49.	मिथिला मोटर्स प्रा० लि०	दिसम्बर, 82	22	मई, 83	पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय गोपालगंज, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, भोजपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, सिवान, माधेपुरा, नालन्दा, खगरिया	774
50.	आशीष इंडस्ट्रीज	अगस्त, 86	20	जनवरी, 87	रांची, पलामू, हजारीबाग, रोहतास, गया, औरंगाबाद	154
51.	जोहाल ट्रैक्टर्स	अगस्त, 86	23	जनवरी, 87	धनबाद, गिरीढ़, संथाल परगना, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, कटिहार	181
52.	पारिख इंजी० एण्ड बॉडी बिल्डिंग कं० लि०	मार्च, 84	10	फरवरी, 85	सिंहभूमि	266
	दक्षिण					
53.	मनडोवी मोटर्स, मैसूर	मार्च, 84	08	फरवरी, 85	मैसूर, मॉडया, हसन, कोडागू	278
54.	मंडोवी मोटर्स, बंगलौर	दिसम्बर, 82	24	अप्रैल, 83	बंगलौर, कोलार, तुमकुर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, रायचूर, बिडार, गुलबर्गा	2,282

1	2	3	4	5	6	7
55.	सोलर आटोमोबाइल्स, बंगलौर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जुलाई, 88	—वही—	105
56.	सोलर आटोमोबाइल्स, मंगलौर	जनवरी, 86	13	अगस्त, 86	चिकमंगलूर, सिमोगा, बेलगाम, उत्तर कनाड, धारवाड, बीजापुर, दक्षिण कन्नाड	329
57.	महालक्ष्मी मोटर्स प्रा० लि०, हैदराबाद	दिसम्बर, 82	31	अप्रैल, 83	हैदराबाद, रंगारेड्डी, नालगोन्डा निजामबाद, करीमनगर, महबूबनगर, वारंगल, आदिलाबाद, मेडक	1,311
58.	दि मित्रा एजेन्सीज, हैदराबाद	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अप्रैल, 1988	—वही—	184
59.	दि मित्रा एजेन्सीज, विजयवाड़ा	मार्च, 84	15	मई, 85	कृष्णा, गुन्टूर, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तौड़, कुड्डापाह, अनन्तपुर, कुरनूल खम्माम, विशाखापत्तनम श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी	527
60.	अन्नामलाईस, बस ट्रांसपोर्ट (ए०बी०टी०) लि०, मद्रास	दिसम्बर, 82	17	अप्रैल, 83	मद्रास, चैंगलपट्टू, नार्थ आरकोट कोयमबटूर, नीलगिरी, पेरियार सेलम, धर्मपुरी और केन्द्र शासित पांडिचेरी	1,319

1	2	3	4	5	6	7
61.	द यूनियन मोटर सर्विस लि०, मद्रास	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	मार्च, 88	—वही—	920
62.	द यूनियन मोटर सर्विस लि०, त्रिची	मार्च, 84	14	मई, 85	त्रिचई, थनजेबूर, साउथ आरकोट पूडूकोट्टई, मदुरै, रामानाथापुरम, त्रिरूनलवेली, कन्याकुमारी	383
63.	अन्नामलाई बस ट्रांसपोर्ट (ए०बी०टी०) लि०, मदुरै	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	फरवरी, 89	—वही—	
64.	इन्डस मोटर कं० प्रा० लि०	जनवरी, 86	10	अगस्त, 86	कन्नौर, मालाप्पुरम, वाठनड़, कोजीकोड, कासरगोड, त्रिचूर पालघाट और केन्द्र शासित लक्षदीप समूह	379
65.	पापुलर व्हीकल्स और सर्विस लि०, त्रिवेन्द्रम	दिसम्बर, 82	14	अप्रैल, 83	त्रिवेन्द्रम, क्वीलन, पथनमाथिता	658
66.	पापुलर व्हीकल्स और सर्विस लि०, कोचीन	मार्च, 84	10	फरवरी, 85	अर्नाकुलम, इडूकी, कोट्टयम, एल्लीपी	815

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की प्रतिष्ठापित क्षमता का अल्प-उपयोग

6939. **डा० प्रभात कुमार मिश्र :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विचिंग लाइनों का उत्पादन टेलीफोन लाइनों की अनुमानित मांग के अनुरूप नहीं है तथा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की प्रतिष्ठापित क्षमता का अल्प-उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या टेलीफोन उद्योग की निर्यात क्षमता आशाजनक नहीं है, क्योंकि विश्व बाजार में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की सस्ती प्रौद्योगिकी की भरमार है; और

(ग) यदि हां, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को संकट से उबरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। स्ट्रोजर और क्रासबार स्विचिंग लाइनों की सज्जित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) विभाग के पास देश में उत्पादन किए गए उपस्कर का पूर्ण उपयोग करने की योजना है।

गोइन्दवाल साहेब (पंजाब) में पेपर मिल परियोजना को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

6940. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोइन्दवाल साहेब (पंजाब) में स्थापित की जाने वाले पेपर मिल परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कौन-सी वित्तीय एजेंसियां धन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई हैं तथा इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना में उत्पादन शुरू करने का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गोइन्दवाल, जिला अमृतसर, पंजाब में मैसर्स पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अखबारी कागज/कागज परियोजना तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जीव्य है।

(ख) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

(ग) क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सावधिक-ऋण संस्थानों द्वारा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है, अतः स्थापना-स्थल पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(घ) अक्तूबर, 1992.

प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात

6941. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) प्लास्टिक्स और लिनोलियम्स निर्यात संवर्धन परिषद को 1989-90 के दौरान लगभग 170 करोड़ रुपये के प्लास्टिक के सामान का निर्यात करने की आशा है।

कोरबा उच्च ताप विद्युत केन्द्र की तीसरी इकाई को चालू करना

6942. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :
श्री टी० बाल गौड़ :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा उच्च ताप विद्युत केन्द्र की 500 मेगावाट की तीसरी इकाई में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत केन्द्र द्वारा इस समय कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या इससे उत्पादित बिजली विभिन्न राज्यों को दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें वास्तव में कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (सु० ता० वि० के०) की तीसरी 500 मे० वा० की यूनिट जिसे मार्च, 1989 में समकालिक किया गया था, बाद में कोयला संचालन (फायरिंग) के लिए तैयारी सम्बन्धित शेष कार्य को बन्द-कार्यक्रम के तहत पूरा करने के लिये हाथ में लिया गया। कोरबा केन्द्र को इसकी 2100 मे० वा० की ईष्टतम क्षमता प्राप्त हो चुकी है, जिससे पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के बीच बिजली का आवंटन निम्नानुसार किया गया है :

(क) महाराष्ट्र	610 मे० वा०
(ख) मध्य प्रदेश	610 मे० वा०
(ग) गुजरात	360 मे० वा०
(घ) गोआ	210 मे० वा०
(ङ) अनावंटित	310 मे० वा०
	2100 मे० वा०

गुजरात में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग

[अनुवाद]

6943. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सन् 1985 से अब तक, वर्षवार तेल और गैस की खोज हेतु किन-किन स्थानों पर ड्रिलिंग की गई है;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान गुजरात के किन-किन स्थानों का ड्रिलिंग हेतु चयन किया गया है;

(ग) गुजरात में तेल और गैस के लिए भावी आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने स्थानों पर कुएं खोदने का लक्ष्य रखा गया था; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में तेल और गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1985-86 से गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गए अन्वेषण कूओं की संख्या इस प्रकार है :—

1985-86	44
1986-87	36
1987-88	43
1988-89	57

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान गुजरात में कुल मिलाकर लगभग 100 अन्वेषण कुएं खोदने की योजना है। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष में गुजरात में 200 से अधिक विकास कूएं भी खोदने की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की योजना है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस क्षेत्र में 1000 से अधिक अन्वेषण तथा विकास कुएं खोदने का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के विभिन्न तेल और गैस क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कच्चे तेल के उत्पादन और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लक्ष्यों तथा वास्तविक उत्पादन/सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (मिलियन टन)		गैस सप्लाई (एम एम एम^3)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1986-87	4.50	4.56	800	645
1987-88	4.904	4.99	850	660
1988-89	5.50	5.404*	800	807*

*(अस्थायी)

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान द्वारा फिल्म अभिनय पाठ्यक्रम समाप्त किया जाना

6944. **श्री श्रीहरि राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने वर्ष 1976 के बाद से फिल्म अभिनय पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत के फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान से फिल्म अभिनय पाठ्यक्रम को 1976 में समाप्त कर दिया गया था।

(ख) और (ग) भारत के फिल्म तथा टेलीविजन के संस्थान के कैम्पस में 1976 से पहले हड़तालों की एक श्रृंखला रही थी और अभिनय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के साथ असामंजस्य ही इन हड़तालों का मूल कारण था। शैक्षिक परिषद ने संस्थान में अभिनय पाठ्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था और बाद में शासी परिषद ने इसका समर्थन किया था। इस समय की स्थिति पहली वाली स्थिति से ज्यादा भिन्न नही है। अत: अभिनय पाठ्यक्रम को पुनः आरम्भ करना अपेक्षित नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा बेरोजगारी पर फिल्में बनाना

6945. **श्री श्रीहरि राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने तथा लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने जैसे विषयों पर कोई फिल्म बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का ऐसी फिल्में बनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी नहीं। परन्तु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अनेक ऐसी फिल्मों का वित्त पोषण किया है जिनमें बेरोजगारी तथा अन्य सामाजिक मसलों की अवधारणा का काफी प्रखर रूप से समावेश किया गया है। ऐसी कुछ फिल्में इस प्रकार हैं : "शोध", "अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है", "गमन", "चक्र", "पहला अध्याय", "चिरूथा", "यहां से शहर को देखो", "दामुल", "तेरा नाम मेरा नाम", "अत्याचार", "मैं जिंदा हूं", आदि।

जब भी ऐसे विषयों पर फिल्मों के निर्माण के लिए स्क्रिप्ट प्राप्त होंगे तब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम उस पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा।

दूरदर्शन में वीडियो कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पद

6946. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के सभी केन्द्रों में वीडियो कार्यकारी अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या श्रेणी-1 के कैमरामैनों (राजपत्रित कर्मचारी) की वीडियो कार्यकारी अधिकारियों के पद पर पदोन्नति की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भर्ती नियमों के अनुसार, वीडियो कार्यकारी के पदों को पात्र कैमरामेन ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उच्च शक्ति के आकाशवाणी/दूरदर्शन ट्रांसमीटर

6947. **श्री एन० डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उच्च शक्ति के दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोंग बांध की सुरक्षा

6948. **प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उपग्रह अध्ययनों से पोंगबांध से भूमिगत जल के रिसने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस बांध की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) अखबारों में प्रकाशित समाचार में कुछ अयथार्थपूर्ण तथा तकनीकी गलतियां निहित हैं : मामले की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई है और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, बांध और सम्बद्ध संरचनाएं सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं और पांग बांध के ढांचे, इसकी नींव अथवा प्रवेश द्वारों ने रिसाव का कोई खतरा नहीं है। उक्त समाचार के लेखक ने सम्बन्धित अखबार को पत्र भेजकर समाचार का खण्डन किया है।

हिमाचल प्रदेश में डाक और दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाना

6949. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मई, 1989 तक हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक आर० एम० एस० डिवीजन ऊना जिला मुख्यालय के लिए एक विभागीय तारघर हमीरपुर, एस० एस० ए० के लिए एक पृथक दूरसंचार इंजीनियरिंग डिवीजन और अगस्त, 1989 के अन्त तक ऊना और शिमला के बीच एस० टी० डी० और आई० एस० डी० उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन चार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, यदि हां, तो मंजूरी की तारीख क्या है तथा प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) ये परियोजनाएं कब से चालू होंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) (1) हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग रेलवे मेल सेवा डिवीजन का सृजन हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग मेल सेवा डिवीजन के सृजन का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(2) जिला मुख्यालय ऊना के लिए विभागीय तार घर ऊना स्थित संयुक्त कार्यालय को विभागीय तार घर में बदलने के लिए विशेष मामले के रूप में 12-4-89 को अनुमोदन जारी कर दिया गया है।

(3) हमीरपुर के लिए दूरसंचार इंजीनियरी डिवीजन का सृजन हमीरपुर एस० एस० के लिए अलग दूरसंचार जिले के सृजन संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(4) ऊना और शिमला के बीच एस० टी० डी० सुविधा और ऊना के लिए एन० एस० डी० सुविधा अगस्त, 1989 के अन्त तक ऊना में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) (1) क्योंकि अभी अलग से आर० एम० एस० डिवीजन के सृजन का निर्णय किया जाना है, इसलिए फिलहाल लागत को अनन्तिम रूप से तय नहीं किया गया।

(2) सही लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह किराये और अन्तरित व्यवस्थाओं जैसे रूपान्तरों, वायरिंग फर्नीशिंग आदि पर निर्भर करता है।

(3) क्योंकि हमीरपुर में अलग से दूरसंचार जिले के सृजन के बारे में निर्णय लिया जाना है, अतः इसकी लागत का प्रश्न नहीं उठता।

(4) इस कार्य के लिए कोई अलग परियोजना नहीं है।

(ग) (1) प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) विभागीय तारघर के अक्तूबर, 1989 के अन्त तक खोले जाने की संभावना है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) ऊना में एन० एस० डी० सुविधा के अगस्त, 1989 के अन्त तक चालू कर दिए जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो ।

एस० टी० डी० काल के लिए शुल्क दर

6950. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक और स्थानीय एस० टी० डी० कालों के लिए शुल्क दर में कमी की गई है और 3 अप्रैल, 1989 से रियायती दरों की घोषणा कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक रियायतें दी गई हैं और वित्तीय वर्ष 1989-90 से लागू की गई नयी शुल्क दर का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1-4-89 से केवल रात्रि में राष्ट्रीय एस० टी० डी० कालों के लिए शुल्क दर मे कमी की गई है ।

(ख) एस० टी० डी० कालों के लिए अब त्रि-स्तरीय शुल्क लिया जायेगा । सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक सामान्य एस० टी० डी० शुल्क, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक सामान्य एस० टी० डी० शुल्क का 50 प्रतिशत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सामान्य शुल्क का लगभग 25 प्रतिशत लिया जाएगा । रविवार को राष्ट्रीय अवकाशों के दौरान एस० टी० डी० कालों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सामान्य दर के 50 प्रतिशत के हिसाब से और रात की शेष अवधि के लिए सामान्य दर के लगभग 25 प्रतिशत के हिसाब से प्रभार लिया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र

6951. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को किस तारीख को आरम्भ किया गया; इसकी अनुमानित लागत कितनी है और यह कब तक पूरा हो जाएगा तथा प्रत्येक मामले में अलग-अलग राज्य सरकार को भूमि की कितनी कीमत दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य किस तारीख तक आरम्भ किए जाने की संभावना है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्थल का चयन किस तारीख को किया गया; भूमि की कितनी कीमत देने का प्रस्ताव किया गया और भुगतान राशि को कब अन्तिम रूप दिया गया तथा निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने में विलंब होने के क्या कारण हैं और उक्त परियोजना को किस तारीख तक स्वीकृति दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) 178.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, जिसमें भवन के निर्माण के लिए 56.00 लाख रुपये का अनुमानित व्यय भी शामिल है, हमीरपुर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के

लिए एक स्कीम 18-8-86 को प्रशासनिक तौर से मंजूर की गई थी। जून, 1986 में कार्य-स्थल निर्दिष्ट कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा आकाशवाणी को कार्य-स्थल 18 मार्च, 1988 को सौंपा गया था। उसी समय राज्य सरकार ने भूमि की लागत के रूप में 43,32,100 रुपये की मांग की। यह राशि परियोजना हेतु मंजूरी राशि से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए बहुत अधिक समझी गयी। बाद में बातचीत करने पर, राज्य सरकार अपने 22 फरवरी, 1989 के मांग पत्र के तहत भूमि की कीमत कम करके 9.5 लाख रुपये के लिए सहमत हो गई राज्य सरकार को 31 मार्च, 1989 को भूमि की लागत की मद में 9.5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसी बीच मार्च 1989 के प्रथम सप्ताह में भवन संबंधी निर्माण कार्य सौंपा गया।

जहां तक हमीरपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना का संबंध है, जनवरी, 1987 में सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित किया गया था तथापि, यह पाया गया कि हमीरपुर शहर को कसौली में स्थापित उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर से संतोषजनक कवरेज प्राप्त हो रही थी। इसीलिए, हमीरपुर शहर में प्रस्तावित ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता की पुनः जांच की जानी थी और दूरदर्शन को क्षेत्र को व्यापक क्षेत्र-सर्वेक्षण करने के अनुदेश दिए गए। सर्वेक्षण दल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर, अब मुख्य शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थल पर प्रस्तावित ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के 1989-90 के दौरान स्थापित हो जाने की आशा है।

पवन ऊर्जा का उपयोग

6952. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 फरवरी से 9 फरवरी, 1989 तक ऊर्जा बचत सप्ताह मनाया गया था, जैसा कि दिनांक 2 फरवरी, 1989 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में पवन ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक वृहद योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा तैयार किए गए 'ऊर्जा 2001 भावी योजना' नामक लेख में एक प्रस्ताव किया गया है जिसमें इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 5000 मेगावाट पवन विद्युत की स्थापना का विचार है बशर्ते कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। अब तक, 8 मेगावाट की क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और संबंधित राज्य ग्रिडों को 151 लाख यूनिट से अधिक विद्युत दी जा चुकी है।

औद्योगिक नीति संबंधी अखिल भारतीय सलाहकार परिषद

6953. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से देश की औद्योगिक नीति तैयार करने में सहायता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व से एक अखिल भारतीय सलाहकार परिषद गठित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर अपने विचारों में राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ आयोग की इस सिफारिश का समर्थन किया है कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी उद्योग संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद में शामिल किया जाना चाहिए।

बिहार में जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

6954. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) सहरसा जिले में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बिहार में एस० टी० डी० सुविधा प्राप्त जिला मुख्यालयों के नाम प्रकार हैं—

आरा, धनबाद, मोतीहारी, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, सासाराम, रांची, समस्तीपुर, छपरा, गया, हजारीबाग, सिवान, मुंगेर, डाल्टनगंज, बेतिया, भागलपुर, चाईबासा, हाजीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, बेगूसराय, देवघर, गिरीडीह, नवादा और बिहार शरीफ।

(ख) सहरसा में एस० टी० डी० सुविधा मार्च, 1990 तक प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाए।

दभोल में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

[अनुवाद]

6955. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दभोल में 1000 मेगावाट का एक विद्युत ताप केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोयले की सप्लाई जल-मार्ग से की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोई दूसरा प्रस्ताव भी भेजा गया है जो ईंधन के रूप में गैस पर आधारित है;

(ङ) क्या इस परियोजना के लिए गैस की मांग को पूरा करने के लिए नगोथाने की मौजूदा गैस पाइप लाइन को दभोल तक बढ़ाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस चरण पर विचाराधीन है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 5 × 210 मे० वा० की ईष्टतम क्षमता के साथ दभोल में कोयला आधारित विद्युत केन्द्र के संबंध

में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। चूंकि कोयले की उपलब्धता एवं इसकी ढुलाई की विधि का निश्चय नहीं हुआ था, अत: परियोजना संबंधी प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सका तथा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को इस आशय की सूचना दे दी गई थी।

(घ) से (च) दभोल स्थित 2 × 500 मे० वा० की गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र के संबंध के म० रा० वि० बोर्ड से के० वि० प्रा० को सितम्बर, 1988 में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पारस्परिक गैस संचालित ब्वायलर में गैस के प्रयोग के अपेक्षानुरूप न होने एवं कम खर्चीला न होने के कारण इस स्कीम पर के० वि० प्रा० में विचार नहीं किया जा रहा है। परियोजना के लिए गैस की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की गई है।

विद्युत परियोजनायें स्थापित करना

6956. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन विद्युत परियोजनाओं में से कितनी जल गैस तथा कोयले पर आधारित है; और

(ख) परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-3-1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी जल-विद्युत ताप विद्युत/गैस उत्पादन की स्कीमों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	विद्युत परियोजनाओं का स्वरूप		
		जल विद्युत	ताप विद्युत	गैस/तेल
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	—	4	1
2.	हिमाचल प्रदेश	4	—	—
3.	जम्मू व कश्मीर	11	—	2
4.	पंजाब	3	6	—
5.	राजस्थान	3	1	—
6.	उत्तर प्रदेश	8	1	1
7.	दिल्ली	—	—	1
8.	गुजरात	1	4	5
9.	मध्य प्रदेश	3	2	4

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र	3	4	—
11.	आंध्र प्रदेश	6	2	3
12.	कर्नाटक	3	1	—
13.	केरल	4	1	1
14.	तमिलनाडु	1	2	3
15.	पांडिचेरी	—	—	1
16.	बिहार	1	5	2
17.	उड़ीसा	1	—	—
18.	पश्चिम बंगाल	1	2	—
19.	असम	1	1	—
20.	अरुणाचल प्रदेश	4	—	—
21.	मणिपुर	3	—	—
22.	मिजोरम	1	—	—
23.	नागालैंड	1	—	—
24.	त्रिपुरा	—	1	2
	जोड़ :	63	37	26

चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में कोयले पर आधारित ताप संयंत्र की स्थापना

6957. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र के सातवीं एकक को स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 1981 के मंजूरी हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लंबित है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए वर्धा घाटी कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई वर्ष 1994-95 के पश्चात ही सम्भव हो सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 से पूर्व कोयला सप्लाई में आने वाली अड़चनों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) चन्द्रपुर स्थित ताप विद्युत केन्द्र की 7 वीं यूनिट (500 मेगावाट) से संबंधित प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से ठीक पाया गया है, बशर्ते कि महाराष्ट्र बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की निकासी संबंधी पहलू सुनिश्चित कर लिए जाएं और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति

प्राप्त कर ली जाए। बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के खण्ड 29 के प्रावधानों की राज्य प्राधिकारियों द्वारा अनुपालना भी आवश्यक है।

"स्टैंडिंग लिकेज कमेटी" (दीर्घकालीन) ने वार्धा घाटी के कोयला क्षेत्रों से 1994-95 से लिंकेज स्थापित किया है। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1994-95 से कोयले की उपलब्धता इस यूनिट के चालू करने की योजना के लिए अनुरूप रहेगा।

आंध्र प्रदेश में मंडल मुख्यालयों में उप डाकघरों और तारघरों की स्थापना

6958. **श्री जी० भूपति** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में उन मंडल मुख्यालयों की संख्या क्या है, जहां उप-डाकघर और तारघर की सुविधा नहीं है; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में इन सभी मंडल मुख्यालयों में उप-डाकघर और तारघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आन्ध्र प्रदेश में 212 मण्डल मुख्यालयों तारघर की सुविधा नहीं है। जहां तक उप-डाकघरों का संबंध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) डाकघर वाले सभी मण्डल मुख्यालयों में तार सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी मण्डल मुख्यालयों में उप डाकघर स्थापति करने के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में रिआसी नामक स्थापना पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करना

6959. **श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर)** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैष्णो देवी मंदिर के समीप रिआसी नायक स्थापन पर एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र (टी० वी० रिले सेंटर) की स्थापना किए जाने की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के एल० भगत) : (क) जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में रिआसी में एक टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त हुए हैं।

(ख) उधमपुर जिले के भाग, जम्मू के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से तथा उधमपुर में कार्यरत 2 × 10 वाट ट्रांसमीटर द्वारा कवर होते हैं। जबकि, रिआसी जम्मू के ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है, परन्तु मध्यवर्ती भू-भाग के कारण शहर में सिगनल की शक्ति कुछ कमजोर है। क्षेत्र में टी० वी० सेवा को सुदृढ़ करना (देश के ऐसे ही अन्य भागों में भी) टी० वी० विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोग के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आकाशवाणी के विदेशों के लिए प्रसारण केन्द्र

6960. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के लिए चार प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करने की आकाशवाणी की योजना को तीन वर्षों के अनुसंधान और आयोजना के पश्चात् भी त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी के पास समुद्र-पारीय रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। अतः तीन साल के विस्तृत अनुसंधान और योजना के बाद इसके त्यागने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैत से कच्चे तेल का आयात

6961. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुवैत ने कुवैत से कच्चे तेल का आयात करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) प्रासंगिक बाजार मूल्य पर अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 तक डिलीवरी करने के लिए एक मिलियन टन कच्चे तेल के आयात के वास्ते कुवैत के साथ एक संविदा को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें 1.5 मिलियन टन तक की मात्रा को बढ़ाये जाने की भी व्यवस्था है।

आंध्र प्रदेश में मुद्दनूरू ताप विद्युत परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

6962. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक आन्ध्र प्रदेश की मुद्दनूरू ताप विद्युत परियोजना हेतु ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की सहायता दी जाएगी; और

(ग) उक्त परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मुद्दानुर ताप विद्युत परियोजना (2 × 210 मेगावाट) को ऋण देने की सम्भावनाओं के संबंध में बातचीत करने हेतु एशियाई विकास बैंक के एक मिशन ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया। परियोजना कार्य-क्षेत्र का ब्यौरा और ऋण की वास्तविक धनराशि का पता समझौते को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही चलेगा।

भोपाल डिवीजन में दोषपूर्ण टेलीफोन प्रणाली

[हिन्दी]

6963. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भोपाल डिवीजन में भोपाल-बरेली-उदयपुर, विदिशा-रायसेन, बुदनी-भोपाल, वासरूलगंज-भोपाल, दिवानगंज-भोपाल तथा सांची-भोपाल के बीच टेलीफोन लाइन अक्सर खराब रहती है और प्रयोक्ता पारेषण संबंधी दोषों के कारण टेलीफोन से संदेश भेजने में असफल रहते है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने वहां टेलीफोन प्रणाली के बेहतर रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भोपाल-बरेली, बरेली-उदयपुर, विदिशा-रायसेन, दीवानगंज-भोपाल के बीच टेलीफोन लाइनें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। विदिशा-कुरवाई, बुदनी-भोपाल, नसरुलागंज-भोपाल और सांची-भोपाल के बीच सीधी लाइनें उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु परियात का पारेषण किया जाता है। कभी-कभी कुछ रुकावटें आ आती हैं क्योंकि सर्किट खुले तारों की लाइनों पर है।

(ख) वास्तविक बाधाएं खुले तारों की वजह से होती हैं।

(ग) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) लाइनों का नियमित रख-रखाव।

(2) जहां आवश्यक हो वहां नंगे तारों की जगह इन्सुलेटिड जी० आई० तार लगाये जा रहे हैं।

(3) सांची-विदिशा के बीच कैरियर प्रणाली स्थापित की गई है।

(4) रायसेन-बरेली के बीच कैरियर प्रणाली का प्रस्ताव है।

(5) बेहतर संचार सुविधाओं के लिये बीना के अतिरिक्त कुरवनी को सिरोडा से जोड़ा गया है।

(6) विदशा-रायसेन लाइन को विश्वसनीय मीडिया पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

(7) विदिशा-सांची के बीच ग्रुप डायलिंग का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय "माइक्रोवेव नेटवर्क" द्वारा जोड़ना

6964. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय "माइक्रोवेव नेटवर्क" द्वारा जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय माइक्रोवेव नेटवर्क से जोड़ने के लिये मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों को निर्धारित किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश में कुल 45 जिला मुख्यालयों में से शेष 16 को विश्वसनीय माध्यम द्वारा जोड़ने की योजना बनाई गई है, लेकिन मुख्यतः पारेषण उपस्कर की कमी के कारण इसे प्रारंभ करने का कार्य रुका हुआ है।

(ग) मध्य प्रदेश के जिन शहरों को विश्वसनीय माध्यम के जरिए 1989-90 के दौरान जोड़े जाने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं :— दमोह, गुना, झबुआ, खरगौन, मांडला, नरसिंहपुर, राजनंदगांव, शहडोल, सीधी और शिवपुरी।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में शाखा डाक-घर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड

[अनुवाद]

6965. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में शाखा डाक-घर खोलने और उनका दर्जा बढ़ाकर उप-डाकघर बनाने के लिए मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी शाखा डाकघर खोलने तथा उनका दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर बनाने के लिये समान मानदंड अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों में शाखा डाकघर निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार खोले जाते हैं :—

1. एक ग्राम समूह (प्रमुखतः) पंचायती राज (संस्था) एक डाकघर खोलने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि (क) ग्राम समूह की कुल जनसंख्या 1500 से कम न हो और (ख) उस ग्राम समूह में कोई अन्य डाकघर न हो।
2. सामान्यतः मौजूदा डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी के भीतर कोई नया डाकघर नहीं खोला जाता। तथापि, यदि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो, तो इस प्रतिबन्ध में छूट दी जा सकती है।
3. न्यूनतम संभावित राजस्व, डाकघर खोलने की लागत का 15 प्रतिशत होगा।
4. पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

   (1) "विशेष श्रेणी के राज्य" अर्थात हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणीपुर मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचलम प्रदेश और मिजोरम तथा—

   (2) योजना आयोग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच०ए०डी०पी०) के उद्देश्य से "पहाड़ी क्षेत्र" के रूप में निर्धारित किए गए अन्य राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्र के जिले/विमास खण्ड /तालुका।

किसी शाखा डाकघर का उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाना प्रतिदिन 5 घण्टे के

न्यूनतम कार्यभार पर आधारित है और दर्जा बढ़ाने से प्रतिवर्ष 2000 रुपये से अधिक का घाटा नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग) वे रेगिस्तानी क्षेत्र भी, जिन्हें "पिछड़े क्षेत्र" के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों के बतौर माने जायेंगे सिवाय इसके कि केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 3 कि० मी० की दूरी के प्रतिबन्ध में छूट है। इसके अतिरिक्त, पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के कारण शाखा डाकघर का उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने पर फिलहाल केवल तभी विचार किया जाता है जबकि उससे "समान बचत" होती हो अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा अन्य स्त्रोतों से "गैर वापसी अंशदान" (एन०आर०सी०) मिल रहा हो।

केरल में पनबिजली क्षमता का उपयोग

6966. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुल पनबिजली क्षमता का केवल कुछ प्रतिशत का ही उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस अप्रयुक्त क्षमता का भी उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) जल विद्युत शाक्यता का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किये गये जलशाक्यता पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों से स्पष्ट है, केरल के पास 60% भार गुणक पर कुल 2301 मे०वा० की जल विद्युत शक्यता मौजूद है। केरल राज्य में वर्तमान में प्रचालनाधीन स्कीमों में मूल्यांकित शाक्यता का करीब 42.8% भाग का विकास किया जाता है, जबकि अखिल भारत का आंकड़ा 13.4% है। केरल में निर्माणाधीन स्वीकृति प्राप्त एवं के० वि० प्रा० मंजूरी प्राप्त स्कीमों से शाक्यता का करीब 21.5% भाग और विकसित किया जायेगा। परीक्षणाधीन एवं कमियों को पूरा करके पुनः प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को लौटाई गई स्कीमों से करीब 18.5% मूल्यांकित शक्यता का विकास किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टेलीफोन सुविधा प्राप्त डाकघर

[हिन्दी]

6967. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कितने डाकघर हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ख) जिले में कितने डाकघरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है तथा इस जिले के सभी डाकघरों में सरकार द्वारा कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 610 डाकघर काम कर रहे हैं। इन डाकघरों के स्थानों से संबंधित जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 151 डाकघरों में टेलीफोन सुविधा है। 5 कि० मी० दूरी के भीतर पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करके दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की विभाग की नीति है। इस उद्देश्य से संपूर्ण देश को 5 कि०मी० की भुजा वाले क्षेत्रों में विभक्त किया गया है और उस षटभुजाकार क्षेत्र के एक प्रमुख ग्राम को मुख्यालय पंचायत मुख्यालय को यह सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से चुना गया है। यह सुविधा या तो डाकघर अथवा पंसारी की दुकान, जो कि अधिक उपयुक्त स्थल हो, में प्रदान की जाती है। इन सभी षटकोणीय क्षेत्रों में आठवीं योजना अवधि के दौरान वे सुविधाए प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में टी० वी० ट्रांसमीटर

6968. **श्री राम प्यारे सुमन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कितनी क्षमता का टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया गया है और इससे कितने क्षेत्र में लोग कार्यक्रम देख सकेंगे;

(ख) क्या इस जिले की टांडा और अकबरपुर तहसीलों के लोग इस टी० वी० ट्रांसमीटर से लाभान्वित नहीं होंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह सुविधा देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फैजाबाद दूरदर्शन ट्रांसमीशन केन्द्र की शक्ति 100 वाट है तथा यह लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सेवा सुलभ करता है।

(ख) टांडा और अकबरपुर, फैजाबाद ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्रों से बाहर है। तथापि, गोरखपुर के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर से इन दोनों स्थानों पर कमजोर दूरदर्शन सिगनल प्राप्त होते हैं।

(ग) टांडा तथा अकबरपुर तहसील सहित देश के कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार तथा अपर्याटन रूप से कवर क्षेत्रों में सेवा सुदृढ़ करना दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

समाचारपत्रों को अखबारी कागज की अनियमित सप्लाई तथा उसकी किस्म के बारे में शिकायत

[अनुवाद]

6969. **श्री भद्रेश्वर तांती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचारपत्र प्रतिष्ठानों से अखबारी कागज की अनियमित सप्लाई तथा उसकी किस्म के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

जल विद्युत का विकास

6970. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान जल विद्युत विकास के लिए कोई राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 7वीं योजना में बिजली उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय राशि 21,302.63 करोड़ रुपये है। योजना प्रलेख में जल विद्युत, ताप विद्युत एवं न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन के लिए किसी अलग/विशिष्ट परिव्यय का संकेत नहीं किया गया है। तथापि, 7वीं योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान जल विद्युत की विकास स्कीमों के लिए कुल करीब 7058 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(ग) 7वीं योजना में असम राज्य के लिए विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए 172.59 करोड़ की परिव्यय राशि अनुमोदित है। 7वीं योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान असम राज्य की जल विद्युत सम्बन्धी विकास योजनाओं के लिए कुल करीब 118 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का विद्युत पारेषण कार्यक्रम

6971. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोई ऐसा विद्युत पारेषण कार्यक्रम तैयार किया है जिसे आगामी दो पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय और अखिल भारत आधार पर वर्ष 1999-2000 ई० तक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भावी पारेषण योजना के अन्तर्गत परिनियोजित भार वृद्धि और योजित नयी क्षमता वृद्धि हेतु पारेषण प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। 1988 के मूल्य स्तर को आधार मानते हुए निधियों की कुल आवश्यकता आठवीं योजना के दौरान लगभग 32,000 करोड़ रुपये और नौवीं योजनावधि के दौरान 36,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण

6972. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की कितने क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यक्रमों को प्रसारित करने की क्षमता है;

(ख) क्या पर्वत श्रृंखलाओं के कारण, जो प्रसारण क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में इन ट्रांसमीटरों का प्रसारण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रों में अथवा और अधिक लोगों को दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भूभागीय स्थितियों पर निर्भर करते हुए अति उच्च फ्रीक्वेंसी (बी० एच० एफ०) बैंड में कार्य कर रहे अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर सामान्यतः लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है जिससे लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर होता है। परन्तु यदि ट्रांसमीटर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू० एच० एफ०) बैंड पर कार्य करता है तो उसका कवरेज क्षेत्र लगभग 700 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर तक सीमित रहता है।

(ख) अल्प शक्ति या उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से टी० वी० सिगनल का प्रसारण दृश्य रेखा दूरी तक सीमित होता है, अतः पहाड़ियों वाले भूभाग में प्रसार कवरेज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(ग) दूरदर्शन की सातवीं योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ देश के सुदूर, पहाड़ी अगम्य तथा दूर-दराज के इलाकों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार पर अत्यधिक महत्व देने के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग शक्तियों के अनेक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के लिए योजनाएं इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर, देश की 83% जनता को दूरदर्शन कवरेज प्राप्त होने की आशा है। देश के कवर न हुए शेष भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

तालचेर स्थित कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

6973. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर स्थित कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र के कार्यान्वयन के कारण लगभग कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या विस्थापितों को रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) तालचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। फिर भी अभी तक कोई भूमि/स्थल नहीं प्राप्त किया गया है। रा० ता० वि० नि० द्वारा विद्यमान नीतियों के अनुरूप भू-विस्थापितों के लिए यथासमय अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

कलकत्ता में नये पेट्रोल पम्पों का आवंटन

6974. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ककत्ता में कुछ नये पेट्रोल पम्प आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1987-88 तक की वार्षिक खुदरा विपणन योजना में तेल उद्योग द्वारा कलकत्ता में और 7 खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है, इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. पार्क सर्कस, ईस्टर्न बाइपास को जोड़ने वाली सड़क पर।

2. हावड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर कलकत्ता से 22 से 25 किलोमीटर के पत्थरों के बीच।

3. वैष्णवघाट।

4. डायमण्ड हारबर रोड।

5. आर० बी० एवेन्यु को जोड़ने वाली सड़क।

6. डंकुनी।

7. सी० आई० टी० रोड।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण दिया जाना

6975. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग कोई अनुदान अथवा ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग से ऋण प्राप्त करने के बाद कितनी संस्थाओं ने अपने उद्योग प्रारम्भ किए हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ संस्थाओं ने अपने ऋणों का भुगतान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उन पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों की प्रत्यन सहायता करता है जो इसकी प्रत्यक्ष सूची में सम्मिलित है तथा उन विभिन्न राज्य बोर्डों की भी सहायता करता है जो बाद में अपने सहायता प्राप्त पंजीकृत संस्थानों, सहकारी संस्थाओं और विभिन्न कामगारों को खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सहायता राशि वितरित करते हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पर रख दी जाएगी।

पेट्रोरसायन एककों का विस्तार

6976. **श्री हरिहर सोरन :**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पेट्रोरसायन एककों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पेट्रोरसायन एककों का विस्तार किया जायेगा;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(घ) यूनिट-वार विस्तार कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) विभिन्न योजनाओं जैसे क्षमता का पर्याप्त विस्तार कार्य संचालन का न्यूनतम पैमाना, क्षमता का पुनर्अनुमोदन के अन्तर्गत पेट्रो-रसायन एककों के विस्तार के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक मामले में वित्तीय परिव्यय विस्तार की प्रवृति पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में निर्णय नीति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर किए जाते हैं।

कर्नाटक में टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन

6977. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन एवं परिचालन में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस राज्य में टेलीफोन डायरेक्टरी के शीघ्र प्रकाशन एवं परिचालन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की नई डिवीजन

6978. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ऊटी की एक और डिवीजन को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) एक नए डिवीजन को चालू करने के सम्बन्ध में

सरकार को हिन्दुस्तान फोटो फिल्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड से हाल ही में कोई प्रस्ताव मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की ओर तमिलनाडु सरकार की बकाया धनराशि

6979. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की ओर तमिलनाडु सरकार की भारी धनराशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण

6980. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान तमिलनाडु में गांवों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) योजना आयोग ने वर्ष 1989-90 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है क्योंकि तमिलनाडु ने राज्य में 99.9% गांवों के विद्युतीकरण के स्तर को प्राप्त कर लिया है ?

(ग) योजना आयोग ने वर्ष 1989-90 के लिए तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में भार वृद्धि और प्रणाली सुधार हेतु 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड कोर्स

6981. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) प्लास्टिक के सामान के निर्माण के प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है जो 1991-92 तक प्लास्टिक के कच्चे माल की बढ़ती हुई उपलब्धता की वजह से प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की तेजी से वृद्धि के कारण और भी बढ़ जायेगी। उद्योग की जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) के विस्तार केन्द्रों की स्थापना और देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रोसेसिंग आपरेटर ट्रेड आरम्भ करने की भी स्वीकृति दी।

दूरदर्शन केन्द्र कटक में तकनीकी कर्मचारियों की कमी

6982. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक दूरदर्शन केन्द्र में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस दूरदर्शन केन्द्र में और अधिक तकनीकी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या कटक दूरदर्शन केन्द्र में बार-बार तकनीकी खराबी होती रहती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कटक दूरदर्शन केन्द्र के कार्य में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) यद्यपि दूरदर्शन केन्द्र, कटक में तकनीकी स्टाफ की कुछ रिक्तियां हैं, लेकिन जब कभी भी विभिन्न स्तरों पर पद रिक्त हो जाते हैं तो उन्हें भरने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन केन्द्र, कटक इस समय वहां सुलभ सीमित सुविधाओं में सामान्य ढंग से कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में बिजली चले जाने के कारण होने वाली रुकावटों को न्यूनतम करने के लिए एक डीजल जनरेटर की व्यवस्था की गई है।

दूरदर्शन ट्रांसमीटर, कटक को भुवनेश्वर में स्थापित किए जा रहे पूर्ण विकसित स्टूडियो केन्द्र से जोड़ने की भी एक अनुमोदित योजना है।

उड़ीसा में रामपुर कोयला क्षेत्र से कोयले का निकाला जाना

6983. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रामपुर कोयला क्षेत्र से कोयला निकालने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन खुले मुहाने वाली कोयला खानों से कोयला निकालने का कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा; और

(ग) इन खुले मुहाने वाली कोयला खानों का कुल क्षेत्रफल और कोयले का संभावित भंडार कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रामपुर कोयला क्षेत्र इब घाटी कोलफील्ड्स का एक अंग है जोकि उड़ीसा के सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ़ जिलों में अवस्थित है। इस कोयला क्षेत्र में 18,700 मि० टन कोयले के भंडार होने का

अनुमान है। इस कोयला क्षेत्र का वर्ष 1988-89 का वर्तमान कोयले का उत्पादन 4.74 मि० टन और इस उत्पादन में 1994-95 में 10.98 मि० टन और वर्ष 1999-2000 में 15.08 मि० टन की वृद्धि किए जाने की संभावना है। इस प्रयोजन से कोयले की कई नई परियोजनाएं स्वीकृत की जानी है। निम्नलिखित परियोजनाओं को विकसित किए जाने की योजना है—लाजकुरा ओपनकास्ट (1.0 मि० टन), बालपहाड़ ओपनकास्ट (2.0 मि० टन), समलेश्वरी ओपनकास्ट (3.0 मि० टन), लिलारी ओपनकास्ट (0.80 मि० टन), और लखनपुर ओपनकास्ट (5.0 मि० टन)।

सलाल बांध

6984. **श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर)** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल बांध के बनने से क्षतिग्रस्त हुए अथवा जलमग्न हुई सड़कों, पुलों और भवनों के पुर्ननिर्माण तथा उन्हें पुनः चालू करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि इस्तेमाल की गई है; और

(ग) कौन-कौन-सी मदों का कार्य अभी भी अधूरा है और इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सलाल बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त अथवा जल-मग्न सड़कों, पुलों तथा भवनों के पुर्ननिर्माण तथा उन्हें पुनः चालू करने हेतु सलाल जल विद्युत परियोजना के स्वीकृत लागत अनुमानों और प्रस्तावित संशोधित अनुमानों में शामिल राशि का मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मद	स्वीकृत	संशोधित अनुमानों में यथा प्रस्तावित (लाख रुपए में)
सड़कें	51.03	76.35
पुल	513.16	582.93
भवन	81.77	67.99
	645.96	727.17

(ख) और (ग) अब तक 542.08 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जम्मू तथा कश्मीर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अंस और रूड नालों के ऊपर दो पुलों एवं उनके पहुंच मार्गों को छोड़कर अधिकांश मदों से संबंधित निर्माण-कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

सिक्किम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में निवेश

6985. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में 31 मार्च, 1988 तक कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया था;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिक्किम स्थित औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए अलग पूंजी निवेश का प्रावधान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-1988 तक सिक्किम राज्य के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 2.61 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजीनिवेश तकनीकी-आर्थिक पहलुओं तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

बिहार में बिजली परियोजनाओं को मंजूरी

6986. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार से नई बिजली परियोजनाओं के लिए क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन परियो नाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं की कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार में बिजली की परियोजना लगाने के लिए बिहार सरकार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) को प्राप्त एवं स्वीकृति के लिए लम्बित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	त्रिवेणी लिंक नहर (जल)	2 × 1.65 = 3.3	परियोजना की के० वि० प्रा० केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिविल लागत एवं जल की उपलब्धता को छोड़कर शेष सभी दृष्टियों से स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जल की उपलब्धता से सम्बन्धित भेजे गए कतिपय स्पष्टीकरणों पर केन्द्रीय जल

1	2	3	4
			आयोग में परीक्षण चल रहा है।
2.	पटना ता० वि० केन्द्र	2 × 70 = 140	कोयला लिंकेज एवं जल उपलब्धता को अभी भी प्रतीश्चित किया जाना शेष है।
3.	पतरातू विस्तार (ताप)	2 × 210 = 420	कोयला लिंकेज एवं पर्यावरण तथा वन की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य तथा नागर-विमानन विभाग से स्वीकृतियां प्रतिक्षित है।
4.	मुजफ्फरपुर (ताप)	2 × 210 = 420	
5.	वरुण चरण-एक (ताप)	2 × 500 = 1000	
6.	चान्दिल चरण-एक (ताप)	2 × 500 = 1000	जल की उपलब्धता को अभी भी निश्चित किया जाना है।
7.	पटना गैस टर्बाइन (ताप)	2 × 50 (जी० टी०) + 2 × 30 (एस० टी०) = 160	केन्द्र एवं राज्य तथा नागर विमानन विभाग से पर्यावरण एवं वन की दृष्टि से स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं।
8.	बरौनी गैस टर्बाइन (ताप)	2 × 50 (जी० टी०) + 2 × 30 (एस० टी०) = 160	—वही—

(घ) बिजली की परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए हालांकि सभी प्रयास किए जाते हैं परन्तु परियोजनाओं पर स्वीकृति मिलना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे परियोजना रिपोर्ट की सक्षमता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों/प्रेक्षणों का परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र उत्तर दिया जाना, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता, ईंधन उपलब्धता, जल उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन संबंधी जैसी स्वीकृतियां, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्वीकृतियां आदि तथा निधियों के आबंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं को दी गई पारस्परिक प्राथमिकता, जल संसाधन के बंटवारे में अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान। इस प्रकार यह बताना व्यवहार्य नहीं है कि इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी।

बिहार में विद्युत एककों की क्षमता

6987. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के प्रत्येक विद्युत एकक की, एककवार, कुल निर्धारित क्षमता क्या है;

(ख) निर्माणाधीन अतिरिक्त एककों की कुल निर्धारित क्षमता क्या है;

(ग) बिहार में विचाराधीन अतिरिक्त एककों की कुल निर्धारित क्षमता क्या है; और

(घ) चालू योजना के दौरान बिहार में अनुदान या ऋण के रूप में विद्युत परियोजनाओं में किए गए केन्द्रीय निवेश की कुल रकम कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) इस समय बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र का कोई विद्युत केन्द्र प्रचालन में नहीं है। राज्य क्षेत्र के प्रचालनाधीन ताप विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों और उनकी निर्धारित क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है :—

विद्युत केन्द्र	यूनिटों की संख्या और क्षमता (मेगावाट)	कुल विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत		
पतरातु	4×50+2×100+4×110	840
बरौनी	3×15+2×50+2×110	365
मुजफ्फरपुर	2×110	220
जोड़ (ताप विद्युत)		1425
जल विद्युत		
कौल	4×5	20
सुवर्ण रेखा	2×65	130
जोड़ (जल विद्युत)		150
जोड़ (जल विद्युत+ताप विद्युत)		1575

(ख) इस समय बिहार में राज्य क्षेत्र में कोई विद्युत परियोजना क्रियान्वयनाधीन नहीं है। तथापि, योजना आयोग द्वारा मार्च, 1989 में तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो (2×210 मेगावाट) को स्वीकृति दी गई है।

(ग) बिहार सरकार से कुल 3303.3 मेगावाट की क्षमता वाले प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं।

(घ) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्राप्त ऋण का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)
1985-86	5.88
1986-87	2.07
1987-88	6.56
1988-89	0.30

कर्नाटक में टेलीफोन विभाग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती

6988. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरणों में खराबियों की मरम्मत करने के लिए कर्नाटक में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और टेलीफोन संबंधी शिकायतों को ठीक करने के कर्नाटक में टेलीफोन विभाग में और अधिक प्रतिक्षित कर्मचारियो की भर्ती करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

6989. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ श्रेणियों के डाक कर्मचारियों ने वेतनमान में संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों ने संशोधन की मांग की है—

(1) रेलवे मेल सेवा और डाकघरों के निरीक्षक

(2) रेलवे मेल सेवा और डाकघरों के सहायक अधीक्षक

(3) डाक लेखाओं के सार्टरस

(4) मेल मोटर सेवा के चार्जहैण्ड्स; और

(5) मेल मोटर सेवा के कुशल कारीगर

(ग) (1) मामला विचाराधीन है। (2), (3), (4) और (5) : इन पर विचार किया गया परन्तु सहमति नहीं हुई।

आयल ड्रिलिंग उपस्करों का निर्माण

6990. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आधुनिक आयल ड्रिलिंग उपस्करों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आधुनिक आयल ड्रिलिंग उपस्करों का देश में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) तेल क्षेत्र संबंधी उपकरणों की कुछ ऐसी बड़ी मदें जिनके लिए स्वदेशी आधार पर विनिर्माण क्षमता बनाई गई है, उनमें ड्रिलिशिप, जैक अप रिग वैल और प्रोसेस प्लेटफार्म, एम० एस० वी०, ओ० एस० वी०, ओ० पी०एस०एस०वी० लैंड ड्रिलिंग रिग सीमेंटिंग एकक, सकर रॉड पम्प, बी० ओ० पी० एक्युमुलेटर यूनिट, वैल हैड और एक्समसट्री, पावर टोंग आदि शामिल है। लगातार आयात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में तेल क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आने की इच्छुक देशीय कम्पनियों को कच्चे माल के संबंध में शुल्क रहित आयात सुविधा, कीमत वरीयता आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

कोचीन में ताप विद्युत संयंत्र

6991. **श्री के० मोहन दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कोचीन में एक ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता कितनी होगी; और

(ग) क्या कोचीन पत्तन न्यास द्वारा इस संयंत्र के लिए भूमि दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कोचीन में व्यपीन द्वीप में गैस आधारित बिजली परियोजना के लिए स्थान का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) द्वारा अध्ययन शुरू कर दिया गया है। इस प्रस्तावित परियोजना की क्षमता एल० एन० जी० का आयात एवं उसकी प्रमात्रा की बात पर निर्भर करेगी। कोचीन पत्तन न्यास ने व्यपीन द्वीप के पश्चिमी किनारे पर करीब 500 एकड़ की भूमि को परियोजना स्थापित करने के संभावित स्थान के रूप में सुझाव दिया है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए लम्बित आवेदन

6992. **श्री के० मोहन दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के त्रिचूर जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान प्राप्त और स्वीकृति आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने आवेदन निपटान हेतु विचाराधीन हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वर्ष 1988 और 1989 (31 मार्च तक) के दौरान, केरल राज्य के त्रिचुर जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 3 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से एक आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है, तथा आशय पत्र जारी कर दिया गया है, एक को नामंजूर कर दिया गया है तथा एक आवेदन पर, जो 7-3-1989 को पंजीकृत किया गया था, कार्यवाही की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में ड्रिलिंग कार्यक्रम

6993. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में 'ड्रिलिंग कार्यक्रय' बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में ड्रिलिंग कार्यक्रम को पुन: आरम्भ करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार आंध्र प्रदेश में ड्रिलिंग कार्य चल रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और विजयवाड़ा डिवीजनों में टेलीफोन कनेक्शन

6994. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और विजयवाड़ा डिवीजनों में कितने नये टेलीफोव कनेक्शनों की मांग थी;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए; और

(ग) कुल मांग में से शेष कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) निम्नलिखित अवधि के दौरान प्राप्त नई मांगें—

	हैदराबाद डिवीजन	विजयवाड़ा डिवीजन
1986-87	10818	2128
1987-88	13123	3603
1988-89	14552	2469

(ख) निम्नलिखित अवधि के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शन—

	हैदराबाद डिवीजन	विजयवाड़ा डिवीजन
1986-87	4950	1199
1987-88	11775	2394
1988-89	11575	2975

(ग) हैदराबाद डिवीजन की वर्तमान प्रतीक्षा सूची 1993 तक निपटाए जाने की संभावना है तथा विजयवाड़ा डिवीजन के लिए वर्तमान प्रतीक्षा सूची 1991 तक निपटाए जाने की आशा है।

सौर ऊर्जा यंसंत्र

[हिन्दी]

6995. **श्री मानकूराम सोडी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और उनकी स्थापना की शर्तें क्या हैं;

(ख) इन संयंत्रों की देखभाल के लिए कौन-सी एजेंसी उत्तरदायी है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 1 से 7 किलोवाट विद्युत रेंज वाली क्षमताओं के 14 सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्र तथा किलोवाट की क्षमता का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की अवस्थिति और इन संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, इस समय 50 किलोवाट क्षमता के सौर तापीय संयंत्र और एक 20 किलोवाट क्षमता के प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्र की हरियाणा में और 25 किलोवाट के एक अन्य प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्र की उड़ीसा में स्थापना की जा रही है। देश के 30 मेगावाट क्षमता के सौर तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए इस विभाग ने एक संभावना रिपोर्ट भी तैयार की है।

देश में स्थापित किए गए सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है। सौर तापीय विद्युत संयंत्र के कार्य निष्पादन का अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	स्थान/गांव	राज्य	अनुरक्षण के लिए उत्तरदायीं एजेंसी
1	2	3	4
(क) सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र			
1.	सलोजिपल्ली	आंध्र प्रदेश	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०
2.	भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज, हैदराबाद (ई० एस० सी० आई०)	आंध्र प्रदेश	भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ काजेज, हैदराबाद।
3.	खेड़ा	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी, वडोदरा।

1	2	3	4
4.	बित्रा द्वीप	लक्षद्वीप	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, अगरतला।
5.	फुल्दांग्सी	त्रिपुरा	—वही—
6.	जम्पै हिल	—वही—	—वही—
7.	कुकी कालोनी	—वही—	—वही—
8.	गोगंराई	—वही—	—वही—
9.	टुनटुनवाला	उत्तर प्रदेश	अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी लखनऊ।
10.	मझवाड़ा	—वही—	—वही—
11.	टिकरी	—वही—	—वही—
12.	टुन्डुको	गोवा	विद्युत विभाग, पणजी।
13.	कोर्ला	गोवा	विद्युत विभाग, पणजीं
14.	वैंगुइनिम	गोवा	—वही—
(ख)	सौर तापीय विद्युत संयंत्र		
1.	सलोजिपल्ली	आंध्र प्रदेश	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०

टेलीकाम फैक्टरी, कलकत्ता के आयातित मल्टी-फॉरजिंग यूनिट का प्रयोग

[अनुवाद]

6996. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से आयात किए गए और टेलीकाम फैक्टरी, कलकत्ता में प्रति स्थापित मल्टी-फॉरजिंग यूनिट बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या है; और

(ग) पूंजी घाटा कम करने हेतु तथा मशीनों को पुनः चालू करने और इन कार्य के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यद्यपि यह काम नहीं कर रही थी तथापि, मार्च, 89 से इसका प्रचालन शुरू हो गया है।

(ख) मशीन के चालू होने के बाद यूनियन के हस्तक्षेप के कारण इसका प्रचालन नहीं किया जा सका। जब बातचीत के द्वारा यूनियन को मशीन चलाने के लिए सहमत किया गया तो मशीन का एक पुर्जा टूटा हुआ पाया गया। उक्त पुर्जे का आयात करके बदल दिया गया है और अब यह मशीन काम कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विज्ञापन प्रसारण के लिए नये मार्ग निर्देश

6997. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित वाणिज्यिक विज्ञापन भारतीय संस्कृति को विकृत रूप में प्रदर्शित करते हैं और इनका बच्चों के मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले मार्ग निर्देशों में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार को इस संबंध में किसी शिकायत की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक प्रसारण की संहिता व्यापक है और ऐसे विज्ञापनों से निपटाने के लिए रक्षोपाय के रूप में यह संहिता बनी हुई है । यह सभी विज्ञापनों को, सख्त जांच करने के बाद स्वीकार किया जाता है कि वे देश के कानूनों के अनुरूप हैं और भारतीय संस्कृति का उल्लंघन नहीं करते तथा बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं ।

मैसर्स सिटी लुक, नई दिल्ली के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विभाग द्वारा जांच

6998. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विभाग ने मैसर्स सिटी लुक, नई दिल्ली के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक व्यवहार के रूप में परिधानों के "डिस्काउंट सेल" की कोई जांच करवाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36 क, 36 ख (ग) तथा 36 घ के अन्तर्गत अपनी जानकारी तथा सूचना के आधार पर मैसर्स सिटी लुक, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच संस्थित की थी । महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण (डी० जी० आई० एण्ड आर०) द्वारा आयोग की सहायता की गई थी । आयोग ने अपने दिनांक 16-3-1989 के आदेश में निर्देश दिया था कि मैसर्स सिटी लुकप, नई दिल्ली अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करेगी तथा महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को आदेश की तारीख के एक महीने के भीतर लागत के रूप में 1,000 रुपये की धनराशि का भुगतात करेगी ।

उड़ीसा में पंचायत डाक सेवक योजना आरम्भ करना

6999. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के अल्प विकसित आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत डाक सेवक योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन जिलों में यह कार्यक्रम अभी तक आरम्भ किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) ग्राम पंचायय स्तर पर बुनियादी डाक सेवा प्रदान करने की सामान्य योजना है जो जनजातीय क्षेत्रों तक ही, सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह योजना प्रायोगिक स्तर पर है। तथापि, कोरापुट ज़िले में इस योजना के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायतों में डाक सेवक मुहैया करा दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए प्रस्तावों की मंजूरी

7000. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नये शाखा डाकघर खोलने के लिए भेजे गये प्रस्तावों को उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृति देने में लम्बा समय लेने के क्या कारण हैं;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय को डाक विभाग के किन-किन तारीखों को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक तारीख को कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) प्रस्तावों को किस-किस तारीख को मंजूरी दी गई थी और प्रत्येक तारीख को कितने-कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी;

(घ) क्या इस अत्यधिक विलम्ब के लिए कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसके परिणाम-स्वरूप डाक विभाग लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका है तथा जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में असंतोष फैला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वैसे तो छठी योजना अवधि के दौरान, डाक सर्किलों के अध्यक्षों को उनके लिए निर्धारित योजना लक्ष्यों के अनुसार नये डाकघरों की मंजूरी दिए जाने का अधिकार प्राप्त था परंतु 7 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण नये डाकघरों की मंजूरी विभाग के मुख्यालय द्वारा वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद दी जा रही है। इस प्रकार इसमें अपरिहार्य रूप से समय लगता है।

(ख) डाक विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताव संचार मंत्रालय को नहीं भेजे जाते।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 7 वीं योजना (1985-90) में 6000 नये डाकघर खोले जाने हैं। समय-समय पर विभिन्न प्रतिबंधों की वजह से, वास्तविक उपलब्धि प्रत्येक वार्षिक योजना में अवश्य ही अलग-

अलग होगी तथापि, यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सातवीं योजना के लक्ष्य निश्चित समय में पूरे कर लिए जाएं। इन परिस्थितियों में, जिम्मेवारी निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

7001. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु दूरसंचार के कुछ क्षेत्रों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है; और

(ग) स्थानीय और राष्ट्रीय नेटवर्क योजना इत्यादि के लिए एस० पी० सी०-2 स्थानीय और ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों टेलीमैटिक सेआओं कम्प्यूटर कार्यक्रमों के विकास के निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार विभाग की 7 वीं योजना के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नीचे लिखे क्षेत्र चुने गए हैं :

(1) बड़े डिजिटल स्थानीय एक्सचेंज और डिजिटल एक्सचेंजों की प्रौद्योगिकी का सम्मिलन।

(2) छोटे डिजिटल एक्सचेंज।

(3) उपभोक्ता टर्मिनल उपस्कर में सुधार और नयी सेवाओं का प्रावधान।

(4) टेलेक्स, तार और डाटा, वाह्य संयंत्र में सुधार और नेटवर्क आयोजना।

(5) रेडियो प्रणालियां।

(6) लाइन पारेषण प्रणालियां।

(7) उपग्रह प्रणालियां।

(ग) **एस० पी० सी-2 स्थानीय और ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज** :

एस० पी० सी-2 प्रौद्योगिकी अपने आप में डिजिटल एक्सचेंजों की स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल तकनीक से संबंधित है। ई-10 बी प्रौद्योगिकी पर आधारित स्थानीय और ट्रंक दोनों प्रकार के डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज अब देश में ही बनाए जा रहे हैं तथा इन्हें दूरसंचार विभाग के नेटवर्क पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। टेलीमेटिक विकास केन्द्र (सी-डॉट) स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्र आधारित डिजिटल एक्सचेंजों का विकास कर रहा है। बैंगलूर के अलसूर नामक स्थान पर एक एक्सचेंज क्षेत्र परीक्षण के लिए लगाया जा रहा है।

टेलीमेटिक सेवाएं

टेलीटैक्स, विडियो टैक्स, टेलीफैक्स और इलेक्ट्रॉनिक डाक प्रणाली जैसी टेलीमेटिक सेवाओं को इस योजना अवधि के दौरान शुरू करने की योजना है।

(2) टेलीफैक्स का नेटवर्क में पहले ही क्षेत्र परीक्षण किया जा चुका है और इसे दूरसंचार नेटवर्क में वाणिज्यिक तौर पर शुरू कर दिया है।

(3) टेलीटैक्स को नेटवर्क में प्रायोगिक तौर पर लगाया गया है और इसे वाणिज्यिक तौर पर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) जहां तक इलेक्ट्रॉनिक डाक प्रणाली और विडियो टैक्स सेवा का प्रश्न है, इनका प्रयोग वर्ष 1989-90 के दौरान किया जाएगा।

स्थानीय और राष्ट्रीय नेटवर्क आयोजना आदि के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम :

(1) दूरसंचार विभाग ने स्थानीय और राष्ट्रीय आयोजन के लिए कम्प्यूटर प्रोग्राम मैसर्स सोफराकॉम फ्रांस से खरीदा है ताकि उन प्रोग्रामों को दूरसंचार नेटवर्क की कम्प्यूटर आधारित आयोजना के लिए प्रयोग किया जा सके। ये प्रोग्राम दूरसंचार विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर पर प्रयोग के लिए बदले जाने हैं और इन्हें भारतीय नेटवर्क की परिस्थितियों के लिए भी अपनाया जाना है। ये प्रोग्राम सभी 4 प्रमुख जिलों में इस क्षेत्र के नेटवर्क आयोजकों द्वारा इस्तेमाल के लिए आई० सी० एल० कम्प्यूटर पर पहले ही बदला जा चुका है। इन प्रोग्रामों को भारतीय नेटवर्क परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(2) क्षेत्र इकाइयों में कम्प्यूटर पर आधारित नेटवर्क आयोजना शुरू करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर प्रोग्राम प्रयोग करने वाले फिल्ड इन्जीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

(3) बदले हुए शाफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए, 7 वीं योजना की जरूरतों के लिए बड़े, प्रमुख जिलों और राष्ट्रीय नेटवर्क के कुछ मामलों का अध्ययन किया गया था। बम्बई, अहमदाबाद और 8 वीं योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क का नेटवर्क अध्ययन जारी है। इन अध्ययनों से निवेश बढ़ाने की संभावनाओं का पता चला है।

खनन उद्योग में कम्प्यूटर प्रणाली

7002. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह के माध्यम से खनन उद्योग में कम्प्यूटर प्रणाली का एक नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इससे खनन उद्योग के कार्यकरण में कितना सुधार हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोयला खनन उपयोग में सभी परिचालन एककों की उपक्रम के माध्यम से समन्वित देखरेख तथा नियंत्रण करने के लिए एक नेटवर्क कंप्यूटर प्रणाली का स्थापित किए जाने की आवश्यकता

इसलिए महसूस की गई है क्योंकि इस उद्योग की परिचालन व्यवस्था विभिन्न राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में विस्तृत रूप में फैली हुई है ।

(ग) इस संबंध में उपग्रह के नेटवर्क (आवाज तथा आंकड़ा संचार सहित), पर लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि का व्यय होने की संभावना है ।

(घ) इस प्रणाली से विभिन्न खानों के बीच और खानों तथा मुख्यालयों के बीच दूरसंचार की व्यवस्था में तेजी आएगी । इस प्रणाली से शीघ्र प्रबन्धन-निर्णय लेने में मदद मिलेगी और यह कोयला खनन क्रियाकलापों में अधिक कार्यकुशलता लाएगी ।

12.00 मध्याह्न

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शोर मत कीजिए, मैं एक-एक करके बोलने के लिए कहूंगा । हमें धैर्य रखना चाहिए । हमें उचित व्यवहार करना चाहिए ।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी आफ सोवियत रूस की एक टीम कलकत्ता आई थी । लेकिन यह बहुत अजीब बात है कि उनको बहुत पीटा है । यह बड़े शर्म की बात है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मैम्बर्स को कहिए कि वे चीफ मिनिस्टर को लिखें ।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट हैं हमको मत मारो । यह बड़ी अजीब बात है । मैं सी० पी० एम० से पूछना चाहती हूं कि क्या यह ग्लीसनोस्त और पेरेस्ट्राइका का ईफेक्टिव इम्पलीमेंटेशन है ।

अध्यक्ष महोदय : वे बाहर के आदमी हैं, उनका ध्यान स्टेट ही रखेगी ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बंगाल पॉटरीज के सैकड़ों श्रमिक प्रभावित हुए हैं ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए, मैं पूछ लेता हूं ।

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे यहां उपस्थित हैं । वे कलकत्ता से आए हैं । मंत्री महोदय को इस बारे में पूरी जानकारी है । श्रमिकों की मांग है कि कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए किन्तु वे इसे बंद करना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं आप, लिखकर दीजिए, मैं पूछूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सब लोगों को क्या हो जाता है ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : कुछ नहीं कर रहे हैं । दस-बीस हजार आदमी इफेक्टेड हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने एक नोटिस दिया है। बंगाल पॉटरीज के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न इस सदन में कई बार उठाया गया है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने नियम 377 के अधीन भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई परेशानी नहीं है।

[हिन्दी]

मैं देखूंगा, आप बैठ जाइए, मैं अलाऊ करवा दूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय, यहां उपस्थित हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : झगड़ा क्या है ।

[अनुवाद]

मैं अनुमति दूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप ध्यानाकर्षण की अनुमति दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किसी न किसी फार्म में अलाऊ कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने कहा है तो मैं अलाऊ कर दूंगा। जब प्यार से बात करने के लिए तैयार हैं, तो झगड़ा क्यों करते हो।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गिल (लुधियाना) : ग्लूकोस चढ़ाए जाने के कारण सफदरगंज अस्पताल में करीब 6 मरीजों की मृत्यु हो गई। मैं ग्लूकोस की यह बोतल अपने साथ लाया हूं। यह जून 1988 में बना था और इसकी समापन तिथि वर्ष 1991 है। यह बोतल सफदरगंज अस्पताल से लाई गई थी। अन्य कई अस्पतालों में भी इस कारण कई मरीजों की मौत हुई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक्जीबिशन मत करो। ये तो आपका इलाज कर रहे हैं, न मर्ज रहा न मरीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गिल : यह अहमदाबाद की श्री कृष्ण केशव प्रयोगशाला में निर्मित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं इसका बन्दोबस्त कराता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गिल : उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है न ही उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे दीजिए और हम कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : यह अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है। सी० पी० एम० के कार्यकर्त्ताओं द्वारा यह हमला···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पहले ही सुन चुका हूं।

श्री आशुतोष लाहा : आप मुझे अनुमति दीजिए। यह हमारी मित्रता का प्रश्न है। गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपनी सीमाएं मत लांघिए। मैं इस बारे में पहले ही सुन चुका हूं। आप ठीक से बर्ताव कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर टैरोरीस्ट्स की वारदात बहुत बढ़ गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट है ।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण सिंह : एक हजार आदमी ऐसे थे जिनके खिलाफ सीरियस एलीगेशन्स हैं, उनको छोड़ दिया गया···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट है । 22 करोड रुपया मिला है, बंदोबस्त कीजिए ।

श्री राम नारायण सिंह :···**···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह साजिश है । गलत बात मत किया करो ।

[अनुवाद]

कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : आंध्र प्रदेश सरकार कुछ लोगों को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए शस्त्र सप्लाई कर रही है । वह अच्छी बात है । किन्तु वे इस नीति के नाम पर तेलगू देशम के अपने कार्यकर्त्ताओं को कांग्रेस (आई) के सदस्यों से मुकाबला करने के लिए शस्त्र दे रहे हैं **

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विषय यहां पर विचार करने योग्य नहीं है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, यह क्या है ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने अब रोक दिया है ।

[अनुवाद]

मैंने अभी अनुमति नहीं दी है । कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : शांता राम जी जो बोल रहे हैं वह बिलकुल सत्य नहीं है। शांताराम जी चाहते हैं तो हम उनके वर्कर्स को भी देने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि किसी को नहीं दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको सरकार की तरफ से इख्तियार मिला है जवाब देने का ?

[अनुवाद]

क्या आपको आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर देने का कोई हक है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी : उन्होंने न केवल हैदराबाद से उड़ान संख्या 440 में 3 घंटे की देरी की।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे आपके समक्ष एक बहुत ही छोटी-सी समस्या रखनी है और आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। जम्मू-चण्डीगढ़ विमान सेवा को एक सप्ताह में 4 दिन रद्द किया गया है। ऐसा नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दें, नियम 377 के अन्तर्गत उठाइए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लोगो को परेशान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर जोर मत डालिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसमें गलत क्या है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने रांग तो नहीं कहा, आप लिखकर दें, ऐसे थोड़े ही होगा।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू के लोग असहाय अवस्था में हैं।

[हिन्दी]

लिखकर दिया है, कालिंग अटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जब मना कर दूं तो उसके बाद मत बोला करें।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज ने अभी जो कुछ कहा उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : यह लेख **इण्डियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित हुआ था और इसमें हिटलर की प्रशंसा और पूजा की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : हिटलर की पूजा ?

श्री सोमनाथ रथ : जी हां, यह फासिस्टवाद और नाजीवाद का समर्थन करने जैसा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

शैतान की पूजा तो कुछ लोग करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, श्रीमान रथ। आप सभापति के पैनल पर हैं। नियमों का उल्लंघन मत करिए।

श्री सोमनाथ रथ : सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसे समाचारों के प्रकाशन की सभा को निंदा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस बारे में मत पूछिए।

[हिन्दी]

आप लिखकर दें, मैं देखूंगा। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए। यह फासिस्टवाद और नाजीवाद का समर्थन करना है। सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

श्री सोमनाथ रथ : ऐसे समाचारों को प्रकाशित किए जाने की निंदा की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात थोड़े ही हुई ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उड़ीसा में, गर्मियों के बढ़ने के साथ-साथ, पेय जल की अत्यधिक कमी हो जाती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आपस में, सुनने क्यों नहीं देते, सारा शोर कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुनने क्यों नहीं देते ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : गर्मी बढ़ने के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में पेय जल की अत्यधिक कमी हो गई है । यह अत्यन्त अविलम्बनीय महत्व का विषय है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दें, मैं करता हूं । आप लिखकर दे सकते थे, आप सदन का समय जाया करते हैं ।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं लिखकर दे चुका हूं ।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : हर साल अप्रैल, मई और जून के महीने में ग्रामीण इलाकों में भयानक आग लगती है जिससे किसानों के घर जलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दें, ऐसे नहीं होगा ।

श्री निर्मल खत्री : इसके लिए नोटिस दे रखा है । सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो कि ग्रामीण इलाकों में गांवों में रहने वाले लोगों के लिए केन्द्र सरकार से कुछ सहायता दिलाई जाये ।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : मैं आपका ध्यान सदन के नियमों की ओर

दिलाना चाहता हूं। हर रोज दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें सभा पटल पर रखी जा रही हैं और उसी आधार पर कुछ वाद-विवाद करने का अनुरोध किया जा रहा है। नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अत: समाचार पत्र का प्रदर्शन करना या दिखाना नियमों के अधीन नहीं आता। जब तक आप निर्देश नहीं देंगे, यह हर रोज होता रहेगा। ऐसा लगता है **इण्डियन एक्सप्रेस** की हर खबर सत्य मानी जाती है। यह ऐसा समाचार-पत्र है जिस पर हर रोज ध्यान दिया जाता है। जब तक आप नियमों के अनुरूप यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, यह जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमान सिंह, प्रश्न यह है कि सभी माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिए कि वे ऐसी रिपोर्टों पर विश्वास न करें। उन्हें खुद विचार करना चाहिए। वे अन्य लोगों पर क्यों निर्भर हैं? हमें यह कार्य स्वयं करना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।

(व्यवधान)

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : मैं चाहता हूं कि आप निर्देश दें। यदि आप इसे समाप्त करवाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस संबंध में मैं आपसे सहमत हूं। जो कुछ हुआ है, वह आपने देखा है। नियम दूसरों के लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं। नियम तोड़ते वक्त आप इसकी परवाह नहीं करते। यही कुछ हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : यदि इस नियम का पालन किया जाए तो, यह बारंबारता रुक जाएगी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें यह महसूस करना चाहिए कि नियम हम ही बनाते हैं, कानून के निर्माता भी हम हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन हम हर रोज खुले आम यहां नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम दूसरों का क्या पाठ पढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मुझे याद है कि कल आपने यह पूछा था कि क्या इंडियन एयरलाइंस ने उड़ान में जानबूझकर देरी की···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : तीस संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं वे बातें कभी नहीं कहता हूं जिन्हें मैं नहीं कर सकता हूं। मैं यह पहले ही कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं पहले ही मन्त्रालय को लिख चुका हूं।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री जंगा रेड्डी भी उन सांसदों में से एक थे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर इस पर जोर दे रहे हैं जबकि मैं पहले ही कार्य कर चुका हूं। जिस बात से मेरा कोई आशय नहीं होता है, मैं उसे नहीं कहता हूं। जो मैं कहता हूं वही करता हूं। मेरी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.11 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन, आदेश, 1988 और 1989, ब्रंटफोर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और कम्पनी अधिनियम 1956

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन, आदेश, 1988, जो 18 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1069 (अ), में प्रकाशित हुआ था।

(दो) औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1989, जो 18 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 82 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7781/89**]

(2) ब्रंटफोर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ब्रन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इन्डिया) लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) किसी सम्पत्ति में बन्धक, प्रभार, धारणाधिकार अथवा अधिरूचि के बारे में प्रज्ञापना (नियम, 1989, जो 29 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 236 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7782/89**]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7783/89]

(ख) (एक) साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7784/89]

(4) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7783/89 और 7784/89]

डाक विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और दूर-संचार विभाग की वर्ष 1988-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) डाक विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7785/89]

(2) दूर-संचार विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7786/89]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, सेवानिवृत्ति तथा सेवांत उपदान) (संशोधन) विनियम, 1988

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल या प्राकृ-

तिक गैस आयोग (मृत्यु, सेवा निवृत्ति तथा सेवांत उपदान) (संशोधन) विनियम, 1988, जो 5 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैव/आर० आर० 3.7/88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि पत्र, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7787/89]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7788/89]

कोयला खान भविष्य निधि संगठनों के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठनों (कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन्स) के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि सगठनों (कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन्स) के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7789/89]

नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष

1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7790/89]

पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1989

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1989, जो 31 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 79 (अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 7791/89]

———

12.12 म० प०

प्राक्कलन समिति

77वां और 78वां प्रतिवेदन

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) श्रम मंत्रालय—कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध प्राक्कलन समिति का 78वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(दो) रेल मंत्रालय—यात्री सुख-सुविधाओं के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) को 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 77वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

———

12.12-1/2 म० प०

लोक लेखा समिति

155वां, 156वां और 161वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

1. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क—मूल यार्न पर 1.17 करोड़ रुपए के शुल्क का अनियमित रूप से क्रेडिट लेने तथा टैक्सचर्ड यार्न पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में 155वां प्रतिवेदन ।

2. मानव निर्मित तन्तु और यार्न के संबंध में 1988 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में दी गई छूट के मूल्यों पर प्रभाव के संबंध में 156वां प्रतिवेदन ।

3. विक्रय कर के संबंध में 161वां प्रतिवेदन ।

12.13 म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

56वां प्रतिवेदन

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—एक ठेकेरार को 5.10 करोड़ रुपये के अवांछित लाभ के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 56वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.13-1/4 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जनवरी, 1989 के दौरान त्रिवेन्द्रम, मद्रास, मदुरै, मैसूर तथा बंगलौर के समिति के अध्ययन दल-एक के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन।

(2) जनवरी, 1989 के दौरान पुणे, गोवा, बम्बई, अहमदाबाद तथा जयपुर के समिति के अध्ययन दल-दो के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

12.13-3/4 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

46वां और 47वां प्रतिवेदन

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) पर्यटन मंत्रालय—भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनु-

सूचित जनजातियों के आरक्षण तथा नियोजन के सम्बन्ध में समिति का 46वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रेल मंत्रालय—(रेलवे बोर्ड)—पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा नियोजन के सम्बन्ध में समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.14-1/4 म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

8वां प्रतिवेदन

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.14-1/2 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

23वां प्रतिवेदन

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.14-3/4 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के 23 वें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.15 म० प०

चीनी उद्योग के लिए तीसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में याचिका

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं चीनी उद्योग के लिए तीसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड

के प्रतिवेदन के बारे में श्री पी० के० गांगुली, सचिव, भारतीय श्रमिक संघ, केन्द्र, नई दिल्ली तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

———

12.15-1/2 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

तम्बाकू के वसूली मूल्य के बारे में तम्बाकू निर्यातकों/विनिर्माताओं और तम्बाकू उत्पादकों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन

[अनुवाद]

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : मैं वाणिज्य मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

> "तम्बाकू के वसूली मूल्य के बारे में तम्बाकू निर्यातकों/विनिर्माताओं और तम्बाकू उत्पादकों के बीच हुए समझौते के कथित उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप तम्बाकू उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

12.16. म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : महोदय, वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड (वी० एफ० सी०) तम्बाकू मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है। वर्ष 1988-89 की फसल में आन्ध्र प्रदेश में वी० एफ० सी० तम्बाकू का उत्पादन 88 मिलियन कि०ग्रा० होने का अनुमान है। वर्ष 1988-89 में 39.92 मिलियन कि० ग्रा० वी० एफ० सी० तम्बाकू का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 100.72 करोड़ रुपए था।

आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1988-89 की जो फसल अब बेची जा रही है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एफ-I ग्रेड के लिए 13.30 प्रति कि०ग्रा० और एफ-II ग्रेड के लिए 11.75 रु० प्रति कि०ग्रा० है।

आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष 1C-2-89 को 13 नीलामी मंचों पर तम्बाकू की नीलामी हुई और बाकी पांच नीलामी मंचों पर 16-2-1989 को हुई इन नीलामियों की प्रगति अच्छी रही। तथापि, 28-2-1989 के बाद नीलामी मंचों पर प्रस्तावित कीमतों में गिरावट देखी गई। 28-2-1989 से 9-3-1989 तक की अवधि के दौरान उनकी उच्चतर कीमतों में 22.10 रु०, 23.50 रु० से 19.90 रु० 21.10 रुपये तक की गिरावट आयी। 28-2-1989 से कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए उपजकर्ताओं ने 9-3-1989 को 8 नीलामी मंचों में भाग लिया। तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और 10-3-1989 को विचार-विमर्श करने के लिए व्यापारियों और क्षेत्रीय समितियों में उपजकर्ताओं के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया। विचार-विमर्श के

दौरान व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने नीलामियों के प्रारम्भिक चरण में अत्यधिक ऊंची कीमतें अदा कीं। फिर भी, आपस में एक करार हुआ जिसके अनुसार व्यापारी काली मिट्टी वाली तम्बाकू के एफ-1 ग्रेड के लिए औसतन 21 रुपए प्रति कि० ग्रा० तथा एन० एल० एस० क्षेत्र के बेहतर ग्रेडों की तम्बाकू (पत्ती स्थिति) के लिए औसतन 27 रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से भुगतान करने को सहमत हो गए, जिसमें निर्यात स्थिति को देखते हुए लगभग 50 पैसे प्रति कि०ग्रा० की मामूली कटौती की शर्त रखी गई। उपर्युक्त समझौते के अनुसार 11-3-1989 को नीलामियां हुईं लेकिन व्यापारियों ने एफ-1 ग्रेड तम्बाकू पर 21 रुपये प्रति कि०ग्रा० के हिसाब से भुगतान की प्रतिबद्धता को नहीं निभाया। किन्तु उन्होंने एन० एल० एस० तम्बाकू के बारे में की गई प्रतिबद्धता को स्वीकार किया।

कृषकों के बीच क्षोभ की भावना को देखते हुए मैंने तम्बाकू की नीलामियों और कीमतों से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में नई दिल्ली में दिनांक 30-3-1989 को उपजकर्ताओं, निर्यातकों तथा विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। इस बैठक में व्यापारी तथा विनिर्माता वी० एफ० सी० तम्बाकू के एफ-1 ग्रेड के लिए 20.50 रु० प्रति कि०ग्रा० और एफ-2 ग्रेड के लिए 19.50 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। इस करार के होने पर दिनांक 3 अप्रैल, 1989 से नीलामियां पुन: शुरू हुईं। दिनांक 4 अप्रैल, 1989 तथा उसके बाद, व्यापारियों ने केवल उत्तम किस्म की तम्बाकू के सम्बन्ध में ही करार को क्रियान्वित करना शुरू किया। कुछ कम स्तर की वी० एफ० सी० तम्बाकू के एफ-1 ग्रेड के लिए 18 से 20 रुपए प्रति कि०ग्रा० और एफ-2 ग्रेड के लिए 17 से 19 रुपये प्रति कि० ग्रा० के बीच की कीमतें मिलीं।

तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्यातकों तथा विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ 7 तथा 8 अप्रैल, 1989 को इस स्थिति की समीक्षा की गई और उन पर वचनबद्धता निभाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। निर्यातक विशेष रूप से 9 अप्रैल, 1989 के बाद से बाजार में सक्रिय नहीं रहे और इससे काली मिट्टी वाले नीलामी मंचों में प्रतियोगिता कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप कीमतों में और गिरावट आ गई और अब वह एफ-1 तथा एफ-2 ग्रेडों के लिए लगभग 15 रु० से 17 रु० प्रति कि०ग्रा० है। अन्य ग्रेडों के सम्बन्ध में भी कीमतों में गिरावट आ गई है। तथापि, एफ-1 तथा एफ-2 ग्रेडों की चमकीली किस्मों के तम्बाकू की गांठों की अब भी क्रमश: 20.50 रु० तथा 19.50 रु० प्रति कि०ग्रा० कीमत मिल रही है लेकिन ये कीमतें चुकाने में व्यापारियों का रुख बहुत ही चुनिन्दा है।

20-4-1989 की स्थिति के अनुसार लगभग 75.00 रु० कि०ग्रा० की फसल का विपणन किया गया, इस प्रकार लगभग 13 एम० कि०ग्रा० फसल शेष रह गई। 18-4-1989 को किसानों को 18.52 रु० प्रति कि०ग्रा० की औसत कीमत प्राप्त हुई जबकि पिछले वर्ष 16.33 रु० प्रति कि०ग्रा० औसत कीमत प्राप्त हुई थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.19 रु० प्रति कि०ग्रा० अधिक है।

तथापि, किसान कीमत अधिप्राप्ति से अब भी असन्तुष्ट हैं। कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : कृपया तत्काल कार्यवाही करते हुए राज्य व्यापार निगम को कहिए कि वह बाजार में आए और 30 मार्च को माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख निर्यातकों,

विनिर्माताओं, तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष और उत्पादकों के प्रतिनिधियों द्वारा तय किए गए मूल्यों पर तम्बाकू खरीदे।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों की स्थिति काफी चिंताजनक है। तम्बाकू उत्पादकों के साथ हर बार यह समस्या होती है कि घरेलू खपत तो विनिर्माताओं तक सीमित है और दूसरे उपभोक्ता निर्यातक ही हैं और ये दोनों उनका शोषण करते हैं। वास्तव में दो वर्ष पहले तो स्थिति इतनी खराब थी कि किसान अपना निवेश भी प्राप्त नहीं कर सके और उन्हें अपनी सारी सम्पत्ति बेचनी पड़ी। उस अवधि के दौरान तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से सम्पर्क किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए कहा था। भाग्यवश, और इसका भारत सरकार को श्रेय है कि उन्होंने तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी और राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू खरीदने के लिए भी निर्देश दिया। इस कार्यवाही से तम्बाकू उत्पादकों को कुछ राहत मिली और भारत सरकार द्वारा की गई तत्काल कार्यवाही से उन्हें प्रसन्नता हुई। महोदय, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। जब हम मंत्री महोदय द्वारा दर्शाए गए एफ-1 तथा एफ-2 ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद और वास्तविक व्यावहारिक मूल्य अथवा लाभप्रद मूल्य की ओर देखते हैं तो ये बहुत अधिक थे और इन दोनों में कोई तुलना नहीं है। इस वर्ष भी कुछ क्षेत्रों में प्रारम्भिक मूल्य बढ़कर 27 रुपये प्रति किलोग्राम होकर फिर कम हो गया है, फरवरी के अन्त में यह लगभग 21 रुपये फिर 20 रुपये और अन्ततः 17 रुपये या 18 रुपये रह गया। इस प्रकार, तम्बाकू उत्पादक का पूर्णतया शोषण हो रहा है। हमने इस ओर स्वयं माननीय मन्त्री श्री दास मुंशी का ध्यान आकर्षित किया है और मुझे खुशी है कि इस बारे में तत्काल सहमत हो गए कि इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और उत्पादकों में विश्वास उत्पन्न करें तथा निर्यातकों और विनिर्माताओं को अहसास दिलाएंगे कि वे उपजकर्ताओं का शोषण नहीं कर सकते और भारत सरकार चुपचाप नहीं रहेगी।

उन्होंने यह सोचा कि विनिर्माताओं और निर्यातकों पर दबाव डालने से वे उनके और उत्पादकों के मध्य सौहार्द्र और बेहतर संबंध स्थापित कर सकेंगे और यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि ग्राहकों द्वारा एक निर्धारित मूल्य की अदायगी की जाए। तदनुसार उन्होंने 30 मार्च को इन सभी श्रेणी के लोगों, उत्पादकों, निर्यातकों और विनिर्माताओं की दिल्ली में एक सभा आयोजित की, जिसमें निर्यातक और विनिर्माता एफ-1 ग्रेड के लिए 20.50 रुपये प्रति किग्रा० और एफ-2 ग्रेड़ के लिए 19.50 रुपये प्रति किग्रा० की अदायगी और इसके अनुसार ही अन्य ग्रेडों के लिए अदायगी की बात पर सहमत हो गये थे। परन्तु यहां मन्त्री महोदय की उपस्थिति में सहमत होने के बाद उन्होंने दो दिन तक भी अपने वायदे को पूरा नहीं किया और वापस जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर एक मूल्य निर्धारक सभा बना ली और बहुत कम मूल्यों की अदायगी आरम्भ कर दी। इससे उत्पादकों के मन में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है और भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और आश्वासन देने के बावजूद भी उनका शोषण किया जा रहा है। इसका स्थायी समाधान केवल यह हो सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी जाये, इसके बिना इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। फिर भी यदि इस समस्या के लिए किसी स्थायी समाधान की व्यवस्था नहीं की जाती है तो भविष्य में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यह व्यवसाय निजी लोगों के हाथों में है, भारत सरकार के हाथों में यह व्यवसाय नहीं है, जो उत्पादकों का ध्यान रख सके। हमने तम्बाकू बोर्ड में भी इस

मुद्दे के बारे में चर्चा की है जिसमें हमने यह निर्णय लिया है कि जब भी विनिर्माताओं अथवा निर्यातकों की ओर से शोषण किया जाता है तो इसके लिए तम्बाकू बोर्ड के बाजार में प्रवेश करने के लिए सम्बन्धित सरकारों द्वारा जब तक बीस, तीस अथवा चालीस करोड़ रुपये की स्थायी निधि की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उत्पादकों को चाहे कितने भी आश्वासन दिये जायें उन्हें कोई लाभ नहीं होगा और हर बार उनका शोषण किया जायेगा।

महोदय, मैं राज्य व्यापार निगम का उल्लेख करना चाहूंगा। जब उत्पादकों को निर्यातकों के शोषण से बचाने के लिए राज्य व्यापार निगम को बाजार में प्रवेश करना पड़ा तो उन्होंने उन्हें लाभकारी मूल्य देने का आश्वासन दिया। उन्होंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि ऐसे बेईमान निर्यातकों से उनकी रक्षा की जाएगी जो एस० टी० सी० को भी धोखा दे रहे हैं और उसे करोड़ों रुपये की हानि पहुंचा रहे हैं ताकि एम० टी० सी० अथवा भारत सरकार कभी भी उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने के बारे में न सोचे। स्पष्ट रूप से इसका अभिप्राय यह है कि कुछ निहित स्वार्थी लोग, निर्यातक अथवा व्यवसायी, न केवल उत्पादकों का शोषण करने के लिए कार्य कर रहे हैं अपितु वे इस बात में भी रुचि ले रहे हैं कि भारत सरकार का कोई संगठन अथवा सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम उत्पादकों की रक्षा न कर सके। अतः, अन्ततः इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसका समाधान केवल यह है कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये जायें और उनके लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाये। दूसरा पहलू एक विचार मात्र है। राज्य सरकार यह सोचती है कि उत्पादकों की रक्षा करना केवल भारत सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार तम्बाकू उत्पादकों के बचाव के लिए कभी भी सामने नहीं आई है। इस सन्दर्भ में मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री केरल में की गई व्यवस्था की भांति कुछ व्यवस्था करें। केरल में काजू की खरीददारी के बारे में जब केरल के सांसदों ने इस बात का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया कि निर्यातकों के हाथों काजू उत्पादकों का शोषण किया जा रहा है तो भारत सरकार के कहने पर केरल सरकार ने आगे आकर उत्पादकों से काजू की खरीददारी पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिया जा सके और इसके बदले में काजू निगम अन्य देशों को काजू का निर्यात करेगा। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से यह कहें कि एकाधिकृत रूप में राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू की खरीददारी की जाये और फिर माननीय मन्त्री महोदय को स्वयं आगे आकर चाय व्यापार निगम, काजू व्यापार निगम, मसाले निगम आदि की भांति तम्बाकू व्यापार निगम आरम्भ करें। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब आपने केरल में काजू, मसाले और अन्य विभिन्न कृषि उत्पादों के बारे में व्यवस्था कर रखी है तो तो केवल तम्बाकू उत्पादकों के सामने ही भारी असुविधा क्यों उत्पन्न की जाये। क्या आपको तम्बाकू के लिए एक अलग से ऐसा व्यापार निगम आरम्भ करके तम्बाकू उत्पादकों की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो कि बाजार में प्रवेश करके तम्बाकू उत्पादकों को शोषण से बचा सके।

महोदय, हमने मन्त्रालय को तम्बाकू बोर्ड की ओर से इस बारे में कई प्रस्ताव भेजे हैं और हम प्रस्ताव भेज भी रहे हैं और तम्बाकू उत्पादकों ने भी मन्त्रालय में कई बार अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने के लिए लगभग 15-20 करोड़ रुपये तुरन्त ही उधार दें और फिर उनसे तम्बाकू खरीदने के लिए कहें अथवा वे यह सुनिश्चित करें कि यह खरीददारी राज्य सरकार द्वारा की जाये। यदि राज्य सरकार यह दायित्व नहीं लेती है यदि राज्य सरकार यह सोचती है कि तम्बाकू उत्पादकों के प्रति

उनका कोई दायित्व नहीं है तो फिर भारत सरकार को आगे आकर तम्बाकू उत्पादकों की रक्षा करनी चाहिए।

महोदय, अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 10-15 दिन बाद ही नीलामी होने जा रही है। अतः यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यदि भारत सरकार अब भी कोई कार्यवाही नहीं करती है और राज्य सरकार यह खरीददारी नहीं करती है तो इससे उत्पादकों को भारी असुविधा होगी। अत: महोदय, यदि एस० टी० सी० द्वारा कल अथवा परसों यह खरीददारी नहीं की जाती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड को कुछ करोड़ रुपये अवश्य ही उधार दिये जाने चाहिएं ताकि तम्बाकू बोर्ड उत्पादकों से लाभकारी मूल्य पर तम्बाकू खरीद सके अथवा विनिर्माताओं द्वारा उनकी उपस्थिति में उत्पादकों से तम्बाकू खरीदा जाये।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी ओर से तथा आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों की ओर से इस सदन में चर्चा के लिए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, माननीय मन्त्री ने विस्तारपूर्वक यह उल्लेख किया है कि इस स्थिति के बारे में क्या घटित हुआ है और समय अभाव के कारण मैं उसे दोहराऊंगा नहीं।

महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वयं उल्लेख किया है कि यद्यपि 10 मार्च, 1989 को तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष की उपस्थिति में उत्पादकों, विनिर्माताओं और निर्यातकों के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता हुआ था परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया गया था, व्यापारियों ने इसका पालन नहीं किया था और उनके बीच माननीय राज्य मन्त्री के समक्ष पुनः समझौता किया गया। यह एक ऐसी बात है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए तम्बाकू बोर्ड विद्यमान है और यह समझौता बोर्ड के अध्यक्ष और माननीय मन्त्री महोदय की उपस्थिति में किया गया था और यदि वे उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आपको कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सकें। महोदय, वास्तव में आपको यह याद होगा कि कुछ समय पहले जब लगातार 3 वर्षों तक तम्बाकू के समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की गई थी तो मैंने यह सुझाव दिया था कि उत्पादकों को भी कुछ लाभ दिया जाये। मैंने यह अनुरोध किया था और आपने इन निर्यातकों और व्यापारियों के लिए नकद मुआवजा देने की स्वीकृति दे दी थी। क्या सरकार द्वारा समर्थन दिये जाने के बावजूद उसके द्वारा उत्पादकों को इस प्रकार निराश करना शोभा देता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सरकार क्या कर रही है? इसकी खरीददारी क्यों नहीं कर रही?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सरकार को अब तुरन्त ही कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य व्यापार निगम बाजार में प्रवेश करे। यद्यपि तम्बाकू बोर्ड यह खरीद कर सकता है परन्तु वह केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीददारी करेगा जो कि लाभकारी मूल्य नहीं है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी-अभी उल्लेख किया है—न्यूनतम समर्थन मूल्य 13.30 रु० प्रति कि० ग्रा० अब निर्धारित

मूल्य 20.50 रु० प्रति कि० ग्रा० में 7.20 रु० प्रति कि० ग्रा० का अन्तर है। किसान तम्बाकू बोर्ड को 13.30 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से तम्बाकू देने की स्थिति में नहीं है, वह इसके लिए राजी नहीं होगा। अब केवल यही तरीका है कि राज्य-व्यापार निगम को बाजार में प्रवेश करके उस मूल्य की अदायगी करनी चाहिए जिसका निर्धारण आपकी उपस्थिति में किया गया है। वे तम्बाकू के एफ०-1 ग्रेड के लिए 20.50 रु० प्रति कि० ग्रा० और एफ०-2 ग्रेड के लिए 19.50 रु० प्रति कि० ग्रा० और तदानुसार अन्य ग्रेडों के लिए भुगतान की मांग कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि यदि एस० टी० सी० बाजार में प्रवेश करके तम्बाकू की बहुत थोड़ी मात्रा की खरीद करता है तो उससे उत्पादकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे यह सूचना मिली थी कि एस० टी० सी० द्वारा केवल 4 सौ टन तम्बाकू की ही खरीददारी की जा सकती है। अब उत्पादकों के पास 13 मिलियन टन तम्बाकू की कुल मात्रा उपलब्ध है। अतः राज्य व्यापार निगम को कम से कम 6 मिलियन कि० ग्रा० तम्बाकू खरीदना चाहिए। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि राज्य व्यापार निगम कभी भी यह कह सकता है कि पहले वर्ष 1980 अथवा 1984 अथवा 1985 में जब एस० टी० सी० ने तम्बाकू खरीदा था तो उसे हानि हुई थी। मुख्यतः ऐसा एस० टी० सी० की ओर से भण्डार के शीघ्र निपटान करने में अकुशलता और उपेक्षा के कारण हुआ था।

किसी तरह कोई भूल एवं लाहरवाही हुई है। मैं पिछली घटनाओं में दोष नहीं निकालना चाहता। परन्तु अब तम्बाकू बोर्ड का गठन कर दिया गया है, वैज्ञानिक ढंग से तम्बाकू का ग्रेड निर्धारित किया जाता है तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी तम्बाकू का वर्गीकरण करते हैं। विगत वर्षों में घटिया किस्म के तम्बाकू का दर्जा बढ़ाकर उसे अच्छी किस्म के तम्बाकू के रूप में खरीदा जाता था और तम्बाकू कम्पनी को धनराशि का भुगतान किया जाता था जबकि वास्तव में राज्य व्यापार निगम को नुकसान होता था परन्तु अब ऐसा नहीं होगा। अब तम्बाकू बोर्ड के व्यापक नेटवर्क से स्वतः पूर्ण तंत्र तैयार किया है इसका कार्मिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया गया है। यदि इसे उचित ढंग से रखा गया तो राज्य व्यापार निगम को निश्चित रूप से घाटा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि इसे इससे पिछले वर्ष या एक वर्ष पहले की तरह लाभ होगा जब तम्बाकू बोर्ड और राज्य व्यापार निगम ने संकटकाल में तम्बाकू की खरीद की थी और बाद में इसे निर्यातकों को बेच दिया इससे उन्हें लाभ हुआ। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी उन्हें लाभ होगा। तर्क की दृष्टि से मान लो कि मेरा पूर्वानुमान गलत हो जाता है और राज्य व्यापार निगम को 2 या 3 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तम्बाकू को भारत सरकार को 1300 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्राप्त होता है। यह ऐसी वस्तु है जिससे भारत सरकार को अधिकतम आय होती है क्योंकि आपको इतना अधिक राजस्व मिल रहा है। इसलिए खरीद में 3 या 4 करोड़ रुपये के नुकसान से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, श्री प्रिय रंजन दास मुंशी जिन्होंने तम्बाकू के मामले में विशेष रुचि ली है, निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे और राज्य व्यापार निगम को बाजार में खरीद करने का आदेश देंगे और बिना किसी विलंब के आगे की कार्यवाही करेंगे, जैसा कि उस पक्ष के मेरे साथी ने कहा कि तम्बाकू की खरीद उन मूल्यों पर की जाएगी जो आपके समक्ष निर्धारित किये गये हैं।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तम्बाकू उत्पादकों को दूसरे कारण से भी नुकसान हो रहा है। वे तम्बाकू की पत्तियों को खेत से एकत्रित करके भुसौरा में रखते हैं तथा उसे साफ करते हैं तत्पश्चात उसकी गांठ बांधते हैं और तब इसे नीलामी के लिए ले जाते हैं। कभी-कभी

गांठ तैयार करने से लेकर नीलामी स्थल तक लाने में दो महीने से अधिक लग जाते हैं। इन दो महीनों के दौरान तम्बाकू का रंग कुछ-कुछ बदल जाता है। गांठ को नीलामी स्थल तक लाने में हुए विलम्ब के कारण जिसका निर्णय भी तम्बाकू बोर्ड किसानों की संख्या तथा क्षेत्र आदि के आधार पर करता है, किसानों को उसी लागत पर कम आय होती है। तम्बाकू बोर्ड 15 दिन में एक बार अनुमति देता है। नीलामी स्थल तक आने में तम्बाकू का रंग बदल जाता है तथा किस्म बिगड़ जाती है। इसका किसान को दंड दिया जाता है। अपर्याप्त नीलामी स्थलों के कारण ऐसा हो रहा है। उदाहरणार्थ, कृष्णा जिले में पहले एक कांचीका चीराला में और दूसरा नन्दी गांव में दो नीलामी स्थल थे। आपने नन्दी गांव के नीलामी स्थल को बन्द कर दिया है। कृष्णा जिले का समस्त वर्जीनिया तम्बाकू तथा वाररेंगल जिले के महादेवपुरी क्षेत्र का सारा तम्बाक कांचिका चेराला के नीलामी स्थल पर लाया जा रहा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री वी०शोभनाद्रीश्वर राव : सामान्तयः कंचन चेराला नीलामी स्थल पर 6 मिलियन किलो ग्राम तम्बाकू की नीलामी की जा सकती है। परन्तु इस वर्ष नन्दी गांव के नीलामी स्थल बन्द होने के कारण यहां 10 मिलियन किलो ग्राम तम्बाकू की नीलामी करनी होगी और इसके कारण तम्बाकू के निपटान में अत्यधिक विलंब की वजह से किसान को नुकसान हो रहा है।

मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में नीलामी स्थल हों ताकि किसानों को इस कारण से नुकसान न हो। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिसक व्यापारी तम्बाकू उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं यह है। आपने एफ०-1, एफ०-2, एफ०-3 आदि ग्रेडों के लिए मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यदि रंग और किस्म में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता है तो उसे एम० एफ०-1, एम० एफ०-2 मिश्रित आदि के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। एम० शब्द के कारण निर्यातक 4 रुपये प्रति किलो कम देकर शोषण कर रहे हैं। आप इसका विश्वास नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि तम्बाकू को मिश्रित ग्रेड दिया जाता है। मेरा सरकार से और सरकार के माध्यम से बोर्ड को सुझाव है कि मिश्रित ग्रेड को भी अल्प मिश्रित और औसत मिश्रित ग्रेडों में उप-विभाजित कर दिया जाए ताकि किसान भी यह जान सके कि कितना तम्बाकू कम मूल्य में जा रहा है। इसके अभाव में भी आप निर्यातकों और सिगरेट निर्माताओं को उस मूल्य पर तम्बाकू खरीदने का लाइसेन्स दे रहे हैं जो दिये जाने वाले मूल्य से 400 या 500 रुपये प्रति क्विंटल कम है।

मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जब मैं तम्बाकू बोर्ड का सदस्य था तथा इस सभा में तम्बाकू बोर्ड विनियमन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की गई तो मैंने आपसे इसका अनुरोध किया था। जहां तक कॉफी का संबंध है कॉफी बोर्ड इसके मूल्य निर्धारित करता है। जहां तक चाय का संबंध है, चाय बोर्ड चाय के मूल्य निर्धारित कर रहा है।

जहां तक तम्बाकू का संबंध है, तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू उत्पादकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू का नहीं बल्कि निर्यातकों द्वारा निर्यात किये जाने वाली तम्बाकू का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित कर रहा है। आज तम्बाकू बोर्ड को संपूर्ण जानकारी है, इसके पास विपणन और उत्पादन प्रणालियां हैं तथा इसे पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी है इसलिए कृषि मूल्य और लागत आयोग की अपेक्षा

बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिक सक्षम है और इसे अधिक अधि-र है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि नीतिगत मामलों और निर्णयों में परिवर्तन करें कि तम्बाकू बोर्ड स्वयं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे।

मैं आपको ग्रेड पहलू के बारे में भी बताना चाहता हूं जिसका प्रत्येक किसान को ध्यान ना है। यह सच है कि सिद्धांत रूप से तम्बाकू बोर्ड से आशा की जाती है कि वह ग्रेड के मलों में उत्पादकों की सहायता के लिए अपने कर्मचारियों का एक दल भेजे। मेरा आपको ाव है कि सामुदायिक ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें जहां सानों का एक समूह तम्बाकू ला सके और आपके बोर्ड का एक कर्मचारी वहां जाकर सुझाव दे ; कि यह किस ग्रेड का है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय को एक बात और बताना चाहता हूं एक दूसरा क्षेत्र जिसमें आप तम्बाकू उत्पादकों को सहायता दे सकते हैं वह है किसानों को साहन। खेती के तरीकों में सुधार करने के लिए बोर्ड आपको बहुत कम सहायता दे रहा है। स्तव में जब मैं वहां तीन वर्षों से था मैं यही दलील दे रहा था। परन्तु जब सातवीं पंचवर्षीय जना को अन्तिम रूप दिया जा रहा था तो इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई। तम्बाकू बोर्ड मेरा सुझाव है कि कम से कम आठवीं पंचवर्षीय योजना खेती के उन्नत तरीके अपनाने के लिए ा सम्भव प्रोत्साहन दे जिनके माध्यम से वे प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि कर सकें। अन्यथा वे व बाजार में कहीं भी तम्बाकू उत्पादकों के साथ स्पर्धा नहीं कर सकते।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने नीलामी ाली शुरू करने से पहले तम्बाकू उत्पादकों के देयताओं का भुगतान नहीं किया है। तम्बाकू ई के गठन के बाद नीलामी प्रणाली लागू किए जाने से पहले तम्बाकू 'लीफ वाउचर' प्रणाली । उस समय के दौरान तम्बाकू कम्पनियां तम्बाकू खरीदती थीं परन्तु उन्होंने धनराशि नहीं । यह उन्हें अभी तक नहीं दी गई है। किसान परेशान हैं। परन्तु आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ानियां नीलामी स्थल पर आकर उत्पादकों से तम्बाकू खरीद रही हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। ा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस पहलू की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह धनराशि ानों को दी जाए। इसके बिना कंपनी को नीलामी स्थल पर आकर तम्बाकू खरीदने की अनु-ा नहीं दी जानी चाहिए।

मेरे साथी श्री जंगा रेड्डी ने ठीक बात कही है। महादेवपुर क्षेत्र में बहुत अच्छी किस्म का ाकू पैदा होता है। उस जगह शुरू से कोई नीलामी स्थल नहीं है। पट्टे पर प्राइवेट गोदाम या राज्य सरकार विपणन समिति यार्ड की स्थापना करने अथवा गोदाम का निर्माण करके ामी स्थल बनाये जाने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

उस पक्ष के मेरे साथी श्री के० एस० राव ने एक अपील की कि तम्बाकू उत्पादकों की यता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? विगत दो तीन वर्षों से राज्य ार ओनगोले तम्बाकू उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से जिसके अध्यक्ष श्री साराभाई ाजार में आई है। यह खरीद कर रही है तथा आप इसे कुछ निर्यात का भी आदेश दे रहे हैं। आप इसे बेहतर और अधिक निर्यात आदेश नहीं देंगे तो यह दूसरे देशों में तम्बाकू का निर्यात कर सकती। यदि आप गारंटी देते हैं कि अमुक मात्रा का निर्यात किया जायेगा तो निश्चित

रूप से तम्बाकू उत्पादक सहकारी समिति राज्य व्यापार निगम के साथ उन मूल्यों पर अधिक तम्बाकू खरीद सकती है।

आप गतिशील युवा मन्त्री हैं। सरकार को विदेशी क्रयादेश लेने चाहिए और आपको राज्य व्यापार निगम या उत्पादक सहकारिता या पैकरों अथवा व्यापारियों और बड़े लोगों को वितरित कर देने चाहिए। केवल तभी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को तम्बाकू बोर्ड और अन्य बोर्डों के माध्यम से बाजार में सम्मिलित होने तथा उचित कार्रवाई करने के लिए बधाई देता हूं, जिससे कि तम्बाकू के उत्पादकों को अधिक समर्थन मूल्य मिल सकेगा और उन्हें ऋण लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहा गया है कि तम्बाकू को उसी रूप में नीलामी की कोई व्यवस्था न होने के कारण उच्च किस्म के तम्बाकू के रंग, गुण और मात्रा में तेजी से गिरावट आती है, जिसके कारण अब यह निर्णय लिया गया है कि उच्च किस्म के तम्बाकू का व्यापार किया जायेगा और निम्न किस्म के तम्बाकू का संचय किया जायेगा। लेकिन मेरे विचार से विदेशों में वी०एफ०सी० तम्बाकू की अत्याधिक मांग है।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय के उत्कृष्ट उद्देश्यों के बाद भी तम्बाकू उत्पादकों को समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। समर्थन मूल्य की बात तो छोड़िये, वे अपने तम्बाकू की उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ही कीमती खेती है, जिसके लिए किसानों को बहुत अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ता है। यह एक नगदी फसल है और प्रति वर्ष इससे 150 से 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, पर मुझे इस बात का दुःख है कि न तो कृषि मंत्रालय और न ही वाणिज्य मंत्रालय देश के अन्य भागों में इसके उत्पादन के लिये कोई उचित कदम उठा रहा है। बल्कि लाभप्रद मूल्य और समर्थन मूल्य की प्राप्ती में अनिश्चितता होने के कारण तथा अन्य कारणों के फलस्वरूप तम्बाकू उत्पादन में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। मेरे पास इसके आंकड़े उपलब्ध हैं पर वक्त की कमी के कारण मैं इसका उल्लेख करने में असमर्थ हूं। माननीय मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि इसके उत्पादन क्षेत्र में सालों साल कमी होती जा रही है। इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल—उनके अपने राज्य और मेरे राज्य उड़ीसा में किसान बहुत बड़े क्षेत्रों में तम्बाकू का उत्पादन कर रहे हैं पर इसका क्षेत्र दिनों दिन लाभप्रद और समर्थन मूल्यों के अभाव में घटता जा रहा है। उनकी उपज को खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त गुजरात और अन्य राज्यों में उत्पादकों को वी० एफ० सी० तम्बाकू के उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। अतः पहले की तरह वे सामान्यतः हुक्का तम्बाकू का उत्पादन करते हैं। इसका पेस्ट बनाकर हमारे देश में तथा अन्य देशों जैसे सऊदी अरब में उपयोग किया जाता है।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस दिशा में उचित कदम उठाया है और तम्बाकू उत्पादकों के प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण भी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आंध्र प्रदेश सरकार से इसको प्रोत्साहन देने की मांग करें। श्री वी० एस० राव अभी

कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक सहकारी संस्था का निर्माण किया है। लेकिन सहकारी संस्था को पर्याप्त वित्त प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे फसल काटने के तुरन्त बाद बाजार में ले जा सके और इस वर्ष की भांति उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। इस पर विचार किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, जैसे मेरे मित्र श्री के० एस० राव कह रहे थे कि अगर सहकारी संस्था सम्पूर्ण फसल को खरीदने में असमर्थ होती है तो आंध्र प्रदेश सरकार को तम्बाकू उत्पादकों के हित में आगे आना चाहिए। साथ ही तम्बाकू बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा फसल खरीदने के बाद फसल के निर्यात की व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहिए।

यहां एक और मुद्दा है। इस साल आंध्र प्रदेश में नीलामी में विलंब किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि वे भविष्य में ज्यादा सावधान रहें। नहीं तो कर्नाटक में भी इसकी पुनरावृति हो सकती है। मैं आग्रह करूंगा कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे फसल काटने के वक्त जो व्यक्ति या एजेन्सी फसल को खरीदना चाहती है उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिये जिससे उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। मैं जानता हूं कि इसकी एक बीमारी जिसका नाम 'नेमीडोट' है, तम्बाकू की फसल को नुकसान पहुंचाती है। अगर यह बीमारी पौधे को असर करती है, तो यह एक संक्रामक रोग की तरह फैल जाएगी जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तक ऐसी बीमारी से फसल को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे कृषि मंत्रालय के सहयोग से किसानों को शिक्षित करें जिससे कि भविष्य में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

अपने भाषण को समाप्त करने से पहले, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों में जो इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, वहां कोशिश कर इसके उत्पादन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये मंत्रालय स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा अर्जन करने का एक अच्छा साधन है। इस कथन के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। आपका नाम यहां नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में हाल ही में तम्बाकू उत्पादों के संकट का सही अवलोकन किया है और रचनात्मक सुझाव प्रदान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया है। सहज ही मैं तम्बाकू के स्तर और स्वाद का विश्लेषण नहीं कर सकता हूं। लेकिन यह प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत उठाया गया है। इसके पहले भी सदन के अनेक वरिष्ठ सदस्यों, जिसमें प्रो० रंगा और आंध्र प्रदेश के तेलगु देशम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता, भारतीय जनता

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और कांग्रेस के सदस्य सम्मिलित हैं, इस सम्बन्ध में टिप्पणियां करके अभ्यावेदन दिया है।

उस समय मैं गुंटूर में था। इस सबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के सभी नेताओं, जो मुझसे मिले थे, सभी ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे जिन्हें मेरे विचार से कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए था। गुंटूर पहुंचने के 48 घंटे के अन्दर मैं तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों, निर्माताओं और निर्यातकर्ताओं की आपसी सहमति के द्वारा इस निर्णय पर पहुंचा कि हम उत्पादकों को इस स्थिति से कैसे बचा सकते हैं और उन्हें कैसे राहत दिला सकते हैं।

अगर माननीय मंत्री मुझसे सहमत हैं तो मेरे विचार से पूरे विश्व के तम्बाकू बाजार की स्थिति बहुत दयनीय है। तम्बाकू की कुल खरीद प्रति वर्ष नीचे गिर रही है। और हमारा एक मुख्य बाजार सोवियत संघ है। जैसा कि आप जानते हैं कि काली मिट्टी के तम्बाकू पर आंध्र प्रदेश का एकाधिकार है जहां वह अपना प्रभुत्व रखता है, और जिसका मुख्य बाजार सोवियत संघ है। और निर्यातकों का व्यापार भी सोवियत संघ के कुल खरीद और कुछ पूर्वी युरोपीय देशों की खरीद के अनुसार बदलता रहता है। परिणामस्वरूप हमने सोचा है कि हमें मोरक्को और मिस्र जैसे देशों में नए बाजार ढूंढने होंगे और अगर सम्भव हो सके तो कुछ नई चीजें ऐशियाई देशों में, मध्य-पूर्व देशों में और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में लानी होंगी। आप इससे सहमत होंगे कि दुनिया भर में धूम्रपान विरोधी प्रचार का ध्यान रखते हुए यह कर पाना सम्भव नहीं होगा। और युरोप के करीब-करीब सभी कार्यालयों में सूचना पट्ट लगाने की एक प्रथा-सी चल पड़ी है जिस पर यह लिखा होता है कि "कृपया यहां धूम्रपान ना करें।" अतः धूम्रपान विरोधी प्रचार भी जोरों के साथ चलाया जा रहा है। तम्बाकू व्यापार का ध्यान रखते हुए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा कि क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है।

सर्वप्रथम, तो मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मात्र मेरी गुंटूर यात्रा से, और यहां मंत्रणा करने से ही, मैंने सोचा कि साल-दर-साल भारत में तम्बाकू व्यापार पर तदर्थ दृष्टिकोण के आधार पर ही भविष्य के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार नहीं की जा सकती है। अतः महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि तम्बाकू व्यापार पर एक दीर्घावधि समिति नियुक्त की जाए जिसमें उत्पादक निर्यातक सम्मिलित होकर यह निर्णय लें कि भविष्य में हमारी अपनी उत्पादन योजना, बाजार योजना और प्रोत्साहन योजना के लिए किस तरह से प्रयत्न करेंगे। उस समिति में उत्पादक के प्रतिनिधियों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से विशेष प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और विचार और टिप्पणियां व्यक्त करेंगे। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जब समिति अपना काम समाप्त कर लेगी तब हम उन संसद के सदस्यों के विचारों का भी अवलोकन करेंगे जो कि दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तम्बाकू उत्पादकों से संबंधित हैं। इसी दिन हम विश्व के तम्बाकू बाजारों की स्थिति का भी जायजा लेंगे कि क्या स्थिति है और क्या हम इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं तथा कुछ अन्य बाजारों में भी कैसे प्रवेश किया जा सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसाकि सदस्य जानते हैं कि दूसरी चीज एक खास तम्बाकू की किस्म—दी नार्थ लाईट सायल का है। यह एक उन्नत किस्म का तम्बाकू है। जिसे सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। साथ ही हम एस० एल० एस० किस्म के तम्बाकू को भी काली मिट्टी के तम्बाकू में नहीं बदल सकते हैं।

यह संभव नहीं है। हां, हमने अनुसन्धानकर्ताओं से इस बात की जांच के लिए आग्रह किया है कि इसके लिए प्रयत्न करें जिससे हमें ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सके और साथ ही नये बाजारों में भी प्रवेश मिल सके। इस समय माननीय सदस्यों को मैं यह भी सूचना देना चाहूंगा कि तम्बाकू उत्पादकों से हमें पूरी सहानुभूति है और हम उनका समर्थन भी करते हैं। और मुझे सभा के समक्ष यह भी स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों का वर्षों से शोषण किया जा रहा है जिसे किसी भी भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह एक दलालों का संगठित दल है जो कि तम्बाकू निर्माताओं के नाम से या कभी वितरक, या व्यापारी इत्यादि के नाम से उत्पादकों का शोषण करते हैं। वे हेराफेरी करके तथा कुछ समूहों के साथ साठ-गांठ कर अपना मकसद हल करने में सफल हो जाते हैं। वे उत्पादकों का शुरू से ही शोषण करते हैं। लेकिन, अब इससे कैसे बाहर निकला जाए? 1984-85 में भारत सरकार ने इस शोषण से उत्पादकों को बचाने के लिए एक नीलामी प्लेटफार्म की व्यवस्था की थी जिससे उत्पादक सीधे वहां आ सकते हैं। हमने ऐसा कर दिखाया है। आज करीब 18 प्लेटफार्म हैं। माननीय सदस्यों ने और अधिक प्लेटफार्म खोले जाने की मांग की है। लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं निश्चय ही इस पर ध्यान दूंगा, और मैं अपने अधिकारी को आदेश दूंगा कि वे उन क्षेत्रों का दौरा करें जो आपने बताए हैं। और वहां जाकर समस्याओं की गहनता का पता लगायें। हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा यह चाहते हैं कि निर्माता सीधे प्लेटफार्म पर आकर तम्बाकू खरीदें। नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बावजूद हमने पाया है कि निर्माताओं द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली मात्रा का कुछ भाग तो सीधे खरीदा जाता है लेकिन ज्यादातर भाग दलालों के लिए छोड़ दिया जाता है जिन्हें कमीशन और लाभ प्राप्त होता है जिससे उत्पादक विवश होकर ऐसी कीमत पर अपना माल बेचते हैं जो कि उनके लिए उचित लाभकर नहीं होता।

फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया है। यह प्रश्न हम लोगों के द्वारा नहीं उठाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का एक तरीका होता है और न्यूनतम समर्थन का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग करता है। कृषि संबंधी लागत और मूल्यों के निर्धारण में वह कुछ बातों का ध्यान रखता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य नहीं है जिसे आप लाभकारी मूल्य कह सकते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? जब बाजार में कीमतों में गिरावट आती है, जब बाजार भाव बिल्कुल न्यूनतम होने को होता है तब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। हम इसे 'न्यूनतम' मूल्य कहते हैं। सरकार यह निर्धारित करती है कि वह क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य हो सकता है जिससे कम भाव बाजार में नहीं होना चाहिए। यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक उपाय है न कि लाभकारी उपाय। मैं तो इस बात से सहमत हूं। तो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बद्ध कोई भी अधिकार हमारे हाथों में नहीं है। इसका निर्धारण कृषि मूल्य आयोग करता है। यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम हो जाती हैं तो हम राज्य व्यापार निगम आदि के द्वारा मदद लेते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। माननीय मंत्री इस बात की प्रशंसा करेंगे कि हमने स्थिति सुधारने के लिए आन्ध्र प्रदेश में राज्य व्यापार निगम को स्थापित करने में बिल्कुल देर नहीं की। इसके बावजूद हम लोगो ने नुकसान उठाया है। यह एक अलग बात है परन्तु इस समय मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 14 अप्रैल, 1989 को 9वें सप्ताह और 10वें सप्ताह के दौरान की गयी कार्यवाहियों के अनुसार एफ-1 श्रेणी का औसत मूल्य 18.92 रु० प्रति किलो तथा एफ-2 श्रेणी का औसत मूल्य 17.23 रु० प्रति किलो है।

1.00 म० प०

अतः उसी दिन पर यदि हम 1987, 1988 और 1989 के औसत मूल्यों की तुलना करें तो इसे हम उतना खराब नहीं पाते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि यहां क्या त्रुटि है। मान लीजिए हम लोगों ने 30 मिलियन किलो का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन देर से वर्षा होने के कारण व्यापारियों ने यह अनुमान लगाया कि उत्पादन 65 मिलियन किलो से अधिक नहीं होगा। अतः शुरू से ही उन्होंने तम्बाकू की उत्तम किस्म को बहुत ऊंचे दामों पर खरीदना शुरू कर दिया है, इतनी ऊंची कीमतें अर्थात् 20 रु० या 20.75 रु० न्यूनतम कीमत की आशा कृषकों को भी नहीं थी। इससे कृषकों में प्रलोभन की भावना या उचित विश्वास जागृत हुआ कि यह वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा है और इस प्रकार से वे पिछले कुछ वर्षों के अपने नुकसान की पूर्ति कर सकते हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? दो सप्ताह के ठीक बाद ही व्यापारियों का अनुमान गलत साबित हो गया अर्थात् 1980 में उत्पादन 65 मिलियन किलो से अधिक हुआ और अब वर्ष 1988 में उत्पादन 80 मिलियन किलो हुआ है। अतः विपणन व्यापार में उत्पादकों के भंडारों पर भी ध्यान दिया गया था। लोगों ने तम्बाकू कुछ देर से बोया था, वे इसकी नीलामी करने के लिए भी तैयार थे। उन लोगों ने सोचा, "हम क्यों नुकसान उठायें? जब मेरे मित्र ने सही समय पर अच्छी कीमतें प्राप्त की हैं तो हम क्यों नुकसान उठायें?" राजनीतिज्ञों, कार्मिक संघों के नेताओं तथा किसान नेताओं को इसी बात का रोष है। मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूं। फिर भी यह बात सत्य नहीं है कि वास्तव में उत्पादकों को गत वर्ष की अपेक्षा कम कीमतें मिल रही हैं। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं। वास्तविक तथ्य यह है कि उत्तम दर्जे का मूल्य एफ-1 तथा एफ-2 जो कि वर्ष के शुरूआत में ही नीलामी शुरू होने के समय ही निर्धारित किया गया था इसे बरकरार नहीं रखा जा सका यद्यपि उसे बरकरार रखा जाना चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने निर्यातकर्त्ताओं को 5% सी० सी० एस० का प्रोत्साहन भी दिया है। निर्यातकर्त्ताओं का तर्क यह है कि वे अधिक माल नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त आर्डर नहीं है। फिर भी, चाहे यह अच्छा हो अथवा बुरा हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। लेकिन एम० ई० पी० ने निर्यात की कीमत 10% बढ़ा दी है। अतः एम० ई० पी० की कीमत बढ़ गयी है। अतः हमने निर्यातकर्त्ताओं के सामने यह बात रखी है कि एक ओर तो हमें उच्च एम० ई० पी० की प्राप्ति हो रही है और दूसरी ओर हमें 5% सी० सी० एस० भी मिल रहा है फिर अधिक माल खरीदने पर उन्हें क्या आपत्ति है? उनकी शिकायत यह है कि इस बार सोवियत संघ द्वारा कुल खरीद 15 हजार टन की जानी थी लेकिन उसके बदले सिर्फ 11 हजार टन की खरीद वे कर सके और अभी भी वे कमी की अपेक्षा कर रहे हैं। सिर्फ यही बात नहीं हो सकती है। हमारे विचार से निर्यातकर्त्ताओं और साथ ही विनिर्माताओं को इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यदि उन्होंने अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभाई होती तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।

इन सभी बातों की चर्चा कर मैं सभा को इस बात से अवगत करा सकता हूं कि हम लोगों ने राज्य व्यापार निगम को कार्यक्षेत्र में जाकर तम्बाकू उत्पादकों को अधिकतम लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने का परामर्श दिया है। अब यह प्रश्न किया गया था कि राज्य व्यापार निगम को माल खरीदने दिया जाये और इस प्रकार से उत्पाद शुल्क द्वारा पर्याप्त राजस्व इकट्ठा हो जायेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य व्यापार निगम की होगी। विश्व तम्बाकू बाजार में गैर सरकारी निर्यातकर्त्ता भी हैं और हम भी हैं। अतः राज्य व्यापार निगम से और किसी बात की

आशा करना उसके प्रति अन्याय होगा। इस सम्बन्ध मे हमें एक दीर्घकालीन नीति तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और मैं यह आशा करता हूं कि यह बहुत शीघ्र ही, हो सकता है तीन महीनों के अन्दर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। यदि ऐसा होता है तो हम आगामी फसल के समय से पहले ही उत्पादकों को स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बता सकते हैं।

अब हमें कार्यक्षेत्र में राज्य व्यापार निगम की स्थिति की चर्चा करनी चाहिए। यह सत्य है कि 12.5 मिलियन किलो तम्बाकू की खपत नहीं हुई है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12.5 मिलियन किलो तम्बाकू में से एफ-1 और एफ-2 श्रेणी के 4 से 5 मिलियन तम्बाकू की खपत में ही मुश्किल है। अब हम लोग राज्य व्यापार निगम को भी बाजार की प्रतियोगिता में ले आए है। हमने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं। अब राज्य व्यापार निगम उन्हें बड़े पैमाने पर खरीद सकता है। अत: वे शीघ्र ही कार्य करने जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तम्बाकू बोर्ड की कार्य-प्रणाली को देखूंगा क्योंकि हमारा समर्थन और हमारी सहानुभूति तम्बाकू उत्पादकों के साथ है। हम यह समझते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है।

कांग्रेस (आई) के एक माननीय सदस्य श्री के० एस० राव द्वारा किसी भी वस्तु को एकाधिकार रूप से खरीदने में राज्य सरकारों की भूमिका के सम्बन्ध में दिये गये परामर्शों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी पर केरल सरकार ने काजू खरीदने के लिए एक बड़ा साहसिक कदम उठाया।

यदि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ऐसा कदम उठाने की सोचती है तो वह प्रगतिशील रूप में भी ऐसा कर सकती है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनसे इन्कार नहीं करते हैं। यह आन्ध्र प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से ऐसा कर सकती है। लेकिन जैसा कि श्री शोभनाद्रीश्वर राव ने स्वीकार किया है कि सहकारी समितियों में भी यह महसूस किया जाता है कि जब तक उन्हें निर्यात आदेश नहीं मिलते हैं वे माल कैसे खरीद सकते हैं? निर्यातकर्त्ताओं के साथ भी यही बात है। "यदि हमें पर्याप्त निर्यात के आदेश नहीं मिलते हैं हम माल क्यों खरीदें ?" सहकारी समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में माल का भंडार हो सकता है। विश्व बाजार से निर्यात आदेश प्राप्त करने और उसके कुछ हिस्से को सहकारी समितियों में वितरित करने के विचार की जांच की जा सकती है और इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है और उचित रूप से इसका परिचालन किया जा सकता है। सहकारी समितियां तम्बाकू बोर्ड से सम्पर्क बनाये रख सकती हैं। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि अपनी अवस्थापना की वजह से सहकारी समितियां अकेले ही निर्यात का दायित्व उठाने में सक्षम हैं क्योंकि यह तो बिल्कुल उल्टी बात हो जायेगी। गैर सरकारी निर्यातकर्त्ताओं का भी अपना एक तरीका, संबंध और अवस्थापना है। यदि हम एकाएक उन्हें निर्यात करने से रोक दें तो यह प्रगतिपूर्ण लग सकता है लेकिन वास्तव में यह सही कदम नहीं होगा। सहकारी समितियों को वर्ष दर वर्ष अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, आर्थिक और अन्य रूप से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और तब इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है और हम हर प्रकार की सहायता देंगे।

उत्पादन के क्षेत्र में जैसा कि श्री जेना ने कहा कि इसमें कमी आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि बिना अन्य बातों को ध्यान में रखे, देश के लिए इस बात की आशा करना अच्छा नहीं है कि कृषक वर्ग तम्बाकू का उत्पादन करता जाए। यह उपयोगी नहीं है। स्वदेशी बाजार और निर्यात लक्ष्य के अनुसार ही तम्बाकू की पैदावार होनी चाहिए और इसके अनुसार ही हमें तम्बाकू

बोर्ड की सारी नीतियां निर्धारित करनी चाहिए और उन नीतियों का पालन करना चाहिए। देश में तम्बाकू की खपत और इसमें निर्यात के लक्ष्य को जाने बगैर पूरे देश में तम्बाकू की पैदावार करना अच्छी बात नहीं है। यह लाभकारी नहीं होगा। यह सत्य है कि गुजरात में कुछ हुक्का पेस्ट बनाये जा रहे हैं। हुक्का पेस्ट की बाजार में बिक्री है और तम्बाकू उत्पादों में इस प्रकार की विभिन्नताओं का हम स्वागत करते हैं। यदि विश्व बाजार में इनकी अच्छी बिक्री होगी तो हम इसे बढ़ावा देंगे।

नीलामी के पहले तम्बाकू का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा तम्बाकू उत्पादकों को कुछ राशियों का भुगतान न किए जाने के बारे में लगाये गए आरोप के संबंध में मुझे कुछ मालूम नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो हम इस पर विचार करेंगे।

महोदय, मुझे जो कहना है मैंने कह दिया। मैं सदस्यगणों से सिर्फ यह अनुरोध कर सकता हूं कि हमें इस समय कलह नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे भविष्य की आशा करनी चाहिए और वर्तमान संकट को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, राज्य व्यापार निगम को कार्यक्षेत्र में लाया जायेगा। वे सभी वातों के परिचालन के लिए तम्बाकू बोर्ड के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे। हम निश्चित रूप से देखेंगे कि हम इस संबंध में क्या कर सकते हैं कि मूल्य निश्चित स्तर से कम न हों।

व्यापारियों और निर्माणकर्त्ताओं की वचबद्धता के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह कोई सहमति नहीं है। मतैक्य लाने के लिए मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की जिससे बाजार मूल्य में स्थिरता आ सके। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि व्यापारी लोग शिकायत कर रहे हैं, "क्या खरीद का कार्य सिर्फ हमारा है जब निर्यातकर्त्ता इसे नहीं कर रहे हैं?"

मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की सहायता निर्यातकों को एम० ई० पी० और सी० सी० एस० को बढ़ाने के रूप में दी जाएगी, यदि वह बाजार में सही तरीके का आचरण नहीं करते तो सरकार यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में विचार करेगी।

1.08 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

70वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 70वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 70वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

1.08-1/2 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के बाड़मेर जिले में ब्लाक स्तर पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने तथा बाड़मेर और बालोतरा शहरों में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष जी, भारत में चार पिछड़े जिलों का केन्द्रीय एकीकृत डिजिटल योजना के अंतर्गत करीब चार वर्ष पहले चयन किया गया था जिसमें राजस्थान प्रदेश का बाड़मेर जिला भी सम्मिलित था । नार्वे सरकार की सहायता से बाड़मेर जिले में बाड़मेर नगर, ब्लाक समितियों के सभी मुख्यालयों चोहण, घोटीमना, सिणधरी, बादतू, सिवाना एवं शिव में आधुनिक इलैक्ट्रोनिक प्रणाली से टेलीफोन एक्सचेंज के भवनों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है और मशीनरी भी फिट की जा रही है । गुढ़ा तहसील का मुख्यालय गुढ़ा है जो इस लाभ से वंचित रह गया है । बालोतरा नगर आई० सी० पी० क्रासबार हेतु अधिकांश सामान आ चुका है । एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश देने हैं । बाड़मेर नगर में डायल सिस्टम चालू हो गया है ।

केन्द्र सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर एवं बालोतरा नगरों को एस० टी० डी० सुविधा युद्ध स्तर पर कार्य कर तीन माह में प्रदान करें और बाड़मेर जिले के सभी ब्लाक समितियों के इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज चालू हों और गुढ़ा मालानी में भी उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाए ।

(दो) विदर्भ और मराठवाड़ा में कुओं के निर्माण के लिए उतनी ही धनराशि, जितनी महाराष्ट्र के अन्य जिलों को जीवन धारा योजना के अन्तर्गत दी गई है, मंजूर किये जाने की मांग

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"केन्द्र सरकार की जीवनधारा योजना के अन्तर्गत देश भर में कुए बनाए जा रहे हैं । महाराष्ट्र में भी इस योजना के अन्तर्गत कुए बनाए जा रहे हैं । सरकार ने प्रति कुआ 23.000 रुपये की लागत स्वीकृत की थी और कुओं के निर्माण का काम भी जोरों से चल रहा था । किन्तु बाद में महाराष्ट्र के विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्रों के लिए इन कुओं की लागत को कम कर के 18,000 रुपए कर दी गई । यह कमी क्यों की गई, इसका कोई उचित कारण नहीं है क्योंकि विदर्भ क्षेत्र में प्रति कुआ निर्माण खर्च अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक आता है । 18,000 रुपयों में कुए पूरे नहीं हो पा रहे हैं और कुओं के निर्माण पर खर्च बेकार होता जा रहा है । महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र शासन से अनुरोध किया है कि इन कुओं के लिए फिर से 23,000 रुपए मंजूर किए जाएं । मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि इन कुओं के लिए प्रति कुआ 23,000 रुपए

स्वीकृत कर विदर्भ एवं मराठवाड़ा के साथ न्याय किया जाए एवं इस महत्वपूर्ण जीवनधारा को सफल बनाया जाए।"

(तीन) उत्तर प्रदेश में बांदा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाई जाने अथवा अतर्रा और कर्वी के बीच कम शक्ति का एक ट्रांसमीटर लगाए जाने की मांग

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"देश में दूरदर्शन की महत्ता बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और यह प्रसारण अत्यधिक लोकप्रिय भी होता जा रहा है। वह समय दूर नहीं है जबकि दूरदर्शन देश के लोगों के जीवन का एक प्रमुख अंग बन जाएगा। इसकी महत्ता को समझते हुए भारत सरकार बहुत से दूरदर्शन केन्द्र स्थापित कर रही है। गत वर्ष उ० प्र० के बांदा मुख्यालय में एक छोटी शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया गया है, जो बांदा नगर के निवासियों की जरूरतों को पूरा करता है, परन्तु यह इतनी कम शक्ति का है कि पांच से दस कि० मी० रेडियस के बाहर इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। बांदा जनपद में बांदा नगर से 30-35 कि० मी० व इसके अधिक दूरी पर कई बड़े-बड़े कस्बे जैसे अतर्रा, बसेरू, नरैनी, बदौत, वसण्डा, कमासिन, कर्वी, मऊ आदि-आदि है। बांदा स्थित ट्रांसमीटर इन स्थानों को कवर नहीं पाता जिससे जनता में असंतोष है और यह स्वाभाविक भी है कि सभी लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि— या तो बांदा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाए कि वह कम से कम 100 कि० मी० रेडियस के क्षेत्र को कवर कर सके या फिर छोटी शक्ति का एक ट्रांसमीटर अतर्रा कर्वी के बीच कहीं लगाया जाए।

साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि बांदा नगर स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर का परीक्षण कराया जाए क्योंकि ऐसा ज्ञात हो रहा है कि यह अभी भी अपनी दूरी क्षमता पर कार्य नहीं कर पा रहा है।"

(चार) मध्य प्रदेश में खुरई में एक कृषि महाविद्यालय और सागर में एक कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"मध्य प्रदेश का सागर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहां के किसान एवं खेतिहर मजदूर बड़े ही परिश्रमी हैं। इतना अधिक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें अपने परिश्रम का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। इस कारण इस क्षेत्र के किसान, मजदूर गरीब हैं और कई तरह से अभावग्रस्त हैं। यहां किसान और खेतिहर मजदूरों को कृषि ज्ञान व कृषि अनुसंधान की आधुनिक तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। यहां सागर जिले की खुरई तहसील में एक कृषि महाविद्यालय की मांग तथा सागर जिले में ही कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की मांग कई वर्षों से की जा रही है, किन्तु इस ओर कोई ध्यान न दिए जाने से कृषिक वर्ग में असंतोष व्याप्त है।

कृपया शीघ्र ही सागर जिले में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोले जाएं।"

(पांच) बच्चों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : भारत, जिसमें विश्व के बीस प्रतिशत बच्चे रहते हैं, गरीबी के कारण उनकी पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाता। उनमें से बहुत से बच्चे अपने विकास के वर्षों में पौष्टिक भोजन और वांछित औषधियों के अभाव में बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। भारत सरकार को बच्चों के पोषण की ओर उचित ध्यान देना चाहिए और उन्हें टीके, पौष्टिक आहार तथा उचित शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत से बच्चे पौष्टिक भोजन के अभाव में नेत्रहीन हो जाते हैं तथा पोलियो के टीके न होने से विकलांग हो जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इन जरूरतों की ओर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।

आज हमारे देश में 1 से 15 वर्ष की आयु के बीच 30 करोड़ बच्चे हैं। भारत सरकार की 'यूनिसेफ' तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों से माध्यम से उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारत के भविष्य, बच्चों के हित मे उच्च प्राथमिकता पर पर्याप्त योजनाएं आरम्भ करें।

(छः) उत्तर बंगाल में सिलिगुड़ी, मालदा और कूच बिहार तथा पश्चिम बंगाल में आसनसोल, बर्दवान, रानीगंज और अन्य स्थानों में दूरसंचार प्रणाली के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी, मालदा, कूच बिहार तथा पश्चिम बंगाल में आसनसोल, बर्दवान, रानीगंज और अन्य स्थानों पर दूरसंचार व्यवस्था पिछले कई महीनों से संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं एवं आम लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। यह पता चला है कि कुछ तकनीकी कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने के लिए 20 जुलाई, 1988 से आन्दोलन कर रहे थे तथा उस आन्दोलन के प्रभाव अभी भी जारी हैं। सिलिगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि तकनीकी कर्मचारियों के आन्दोलन के प्रभावों के अतिरिक्त नई भर्ती पर लगी रोक के कारण कर्मचारियों की कमी है तथा वातानुकूलन व्यवस्था भी पिछले चार वर्षों से सही काम नहीं कर रही है। पिछले चार वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 3000 से बढ़कर 10,000 हो गई है किन्तु रखरखाव कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है जबकि आपरेशनल स्टाफ कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को बड़ी कठिनाई हो रही है हालांकि वह किराया और अन्य प्रभार नियमित रूप से अदा कर रहे हैं।

उपरोक्त स्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे तथा उपभोक्ताओं को कुशल सेवा उपलब्ध करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

(सात) "धोदर अली" और "नगांव-दबोका" तथा "दिफु" मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : धोदर अली सड़क एक ऐतिहासिक सड़क है जो उपरि

असम के चार जिलों डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नागालैण्ड के उत्तरी भाग को जोड़ती है तथा समूचे असम-नागालैण्ड सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरती है तथा पिछले 250 वर्षों से लाखों लोगों के एक मात्र संचार साधन के रूप में कार्य कर रही है; किन्तु संबंधित राज्यों विशेषकर असम की वित्तीय कठिनाइयों से कारण यह महत्वपूर्ण लिंक रोड संकरा तथा ऊबड़ खाबड़ होने के कारण, पैदल तथा वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

यही स्थिति नागांव-दाबोका-दिफु सड़क की भी है जो तीन जिलों नागांव करबी अंगलोंग और गोलाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नागालैंड के भागों को भी जोड़ती है।

असम में पर्याप्त संचार साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, जहां ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रेल लाइन नहीं है, भारत सरकार (जल भूतल परिवहन मंत्रालय) से अनुरोध किया जाता है कि वह इन दो महत्वपूर्ण राज्य सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिग्रहण कर ले ताकि पूर्वोत्तर भारत के इन पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संचार में सुधार किया जा सके।

(आठ) मैसर्स कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इंडिया लिमिटेड, रमन नगर (तमिलनाडु) में तालाबन्दी समाप्त किये जाने की आवश्यकता

श्री कावम्बुर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं एक अत्यंत सार्वजनिक महत्व का मामला उठा रहा हूं जो तमिलनाडु में सलेम जिले में मैसर्स कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इण्डिया लिमिटेड, रमन नगर, मेत्तुर बांध में काम करने वाले 600 से अधिक श्रमिकों के जीवन और रोजगार से संबंधित है।

कम्पनी ने 2 मार्च, 1989 को अचानक कर्मचारियों को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना गैर-कानूनी तालाबन्दी की घोषणा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप इसके बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन श्रमिकों की आय पर निर्भर महिलाएं और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं।

कम्पनी ने चैम्प्लास्ट एम्पलाइस यूनियन के साथ वेतन संबंधी एक करार किया था जो 10 अक्तूबर, 1988 को समाप्त हो गया। समझौता समाप्त होने से काफी समय पहले कर्मचारी यूनियन ने अपने वेतन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में एक मांग पत्र दिया था ताकि संतोषजनक समझौता हो सके। किन्तु कम्पनी के प्रबन्धकों ने कर्मचारी यूनियन की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उन्होंने यूनियन के प्रतिनिधियों और श्रम अधिकारी की बैठक में ईमानदारी से कर्मचारियों की उचित मांगों को मानने के उद्देश्य से भाग नहीं लिया।

इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता तथा श्रमिकों की आजीविका को नुकसान पहुंचा।

मेरा, उद्योग तथा श्रम मंत्रियों से अनुरोध है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें तथा सही और न्यायोचित समझौता करवाएं ताकि तालाबन्दी शीघ्र समाप्त हो और कर्मचारी अपने काम पर लौट सकें।

(नौ) देश के हरिजन-आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री मानूकराम सोडी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के हरिजन-आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही शान्त और स्वच्छंद वातावरण रहता है। इनका जीवन निष्कपट एवं शान्तप्रिय है।

ऐसे क्षेत्रों में अपराधिक और स्वार्थी तत्व बाहर से बिना रोक-टोक के व्यवसायिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रवेश करते हैं और उनके शान्तिमय जीवन को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इससे उनके शान्तिमय जीवन ही नहीं, उनकी विरासत से प्राप्त संस्कृति भी नष्ट होती जा रही है। वे देश के प्रति निष्ठा की जगह विघटन की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। समाज-सुधार के नाम पर कई विदेशी संस्थायें भी इन जगहों में तेजी के साथ प्रवेश कर रही हैं जो आगे चलकर इनकी भावी पीढ़ी को भटकाव में डाल देगी। नवयुवक देश के प्रति गुमराह करने वाली इन संस्थाओं के कुचक्र में फंस जायेंगे जो इनको देश की मुख्य धारा से अलग करने की मनोवृत्ति को बढ़ावा देगी। ऐसी जगहों में देश के भविष्य को देखते हुए शिक्षा में ही कुछ तबदीली करना आवश्यक होगा जिससे देश की अखंडता व रक्षा को अधिक बल मिले। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सैनिक शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

अत. केन्द्र शासन से अनुरोध है कि भविष्य में ऐसे हरिजन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये जिससे वे अपने देश की अखंडता को सर्वोपरि मानें जो देश के हर नागरिक का कर्त्तव्य है।

———

1.20 म० प०

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

—[जारी]

और

कर्नाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 20 और 21 ले रहे हैं। श्री बी० आर० भगत अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कल कहा उसे संक्षेप में पुन: दोहराते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल ने जिस संवैधानिक दायित्व का निष्पक्ष रूप से निर्वाह किया है, उसके लिए उन्हें दोष देना सरासर अनुचित है। मेरे विचार से हम संविधान की लोकतांत्रिक भावना से न्याय नहीं कर रहे हैं और न ही इस प्रकार के प्रस्ताव लाकर "कि यह सदन कर्नाटक के राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण रवैये की निन्दा करता है···" हम लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत बना रहे हैं।

मैं संक्षेप में इसकी जांच करूंगा···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप भोजन अवकाश दिये जाने की आवश्यकता पर विचार कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से सदस्य उपस्थित नहीं हैं और प्रैस दीर्घा भी खाली है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : शुक्रवार को आपने जो निर्णय लिया था उसे आप अब बदल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण शुरू कर चुके हैं । अब एक बजकर तीस मिनट हो चुके हैं । अब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं । आपको यह मुद्दा लगभग एक बजे उठाना चाहिए था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह राजनैतिक भूख के लिए परिवर्तन है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें दो में से एक बात चुननी है कि हम यहां सभा में बैठे रहें या बाहर जाकर मध्याह्न भोजन करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अनेकानेक विषयों पर यहां चर्चा करनी है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं यह कहूंगा कि हम सबको आध्यात्मिक भूख के लिए कार्य करना चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यपालों के माध्यम से ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उस आध्यात्मिकता में क्या भावना (स्प्रिट) है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : लिक्विड !

श्री बी० आर० भगत : मैं यह कह रहा था कि राज्यपाल ने अपना संवैधानिक दायित्व निभाया है । यह संवैधानिक पद है । यदि वह अपने संवैधानिक दायित्व को नहीं निभाता है तो वह असफल है । इस बारे मे कोई सन्देह ही नहीं है ।

मैं इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आप राज्यपाल की रिपोर्ट पढ़िए । जैसा मैंने कल कहा था, अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए राज्यपाल को निर्णय लेना है कि राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से चल सकती है या नहीं । संवैधानिक व्यवस्था लड़खड़ा गई थी । ऐसी स्थिति में राज्यपाय का कर्त्तव्य है कि वह केन्द्र को रिपोर्ट भेजे । पहले भी राज्यपालों ने ऐसा किया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिहार में क्या हुआ था । राज्य विधानसभा स्थगित की गई थी ।

श्री बी० आर० भगत : यह बिल्कुल भिन्न मामला है । वह पार्टी का अन्दरूनी मामला है । यादास्त के लिए बता दूं कि हम दल सम्बन्धी मामलों पर इस सभा में विचार नहीं करते ।

प्रो० मधु दण्डवते : बजट पारित करना और न करना पार्टी का अन्दरूनी मामला है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं यह बता रहा हूं कि वहां क्या हुआ और विगत में क्या हुआ था । राज्यपाल की रिपोर्ट हमारे पास है । राज्यपाल ने निष्कर्ष निकाला है । वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती और कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है । मैं उस बात पर

आता हूं कि उन्होंने वह निष्कर्ष कैसे निकाला और उसी राज्य में एक अन्य राज्यपाल द्वारा सितम्बर, 1977 में लिए गए निर्णय की स्थिति से तुलना कीजिए। आप इस मामले में केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार राज्यपाल पर अपने ढंग से रिपोर्ट लिखवाने के लिए दबाव डालती है। (व्यवधान) हमें सभा की कुछ कार्यवाही पूरी करनी चाहिए। यह हमारा दायित्व है, मतदाताओं के प्रति यह हमारा कर्त्तव्य है कि हमें कुछ गम्भीर कार्य भी करने चाहिएं। वे हम पर आश लगाए बैठे हैं। दिसम्बर, 1977 में यहां जनता सरकार थी और आज कांग्रेस (आई) की सरकार है। अब स्थिति क्या है। स्थान वही कर्नाटक है, राज्यपाल भी वही है, सरकार भी वही है, कर्नाटक सरकार। सरकार गिर चुकी है। हम इसकी तुलना राज्यपाल के वर्तमान बयान से करें। मैं श्री वीरेन्द्र पाटिल के वक्तव्य से उद्धृत कर रहा हूं—यह सरकार मार्च, 1985 में बनी थी। जनता पार्टी में श्री देव गौड़ा और श्री रामकृष्ण हेगड़े में भारी विसम्मति थी। परस्पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते थे; यह विरोध इस प्रकार खुलकर सामने आया कि 1988 में विधानसभा में और राज्य सभा में इस पार्टी में विद्रोह हो गया और सदस्यों ने पार्टी के विरुद्ध मतदान किया। इसके परिणामस्वरूप श्री देव गौडा ने त्यागपत्र दे दिया। यह पहला मामला था। इसके बाद टेलीफोन टेप करने के मामले को लेकर श्री रामकृष्ण हेगड़े प्रथम मुख्य मंत्री और श्री देव गौड़ा को त्यागपत्र देना पड़ा। अब इस आधार पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। आपने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि राज्यपाल पर एक विशेष रिपोर्ट लिखने के लिए दबाव डाला गया है। हम तर्क देखते हैं। मैं एक अन्य अत्यन्त प्रतिष्ठित सदस्य का हवाला देना चाहता हूं जिनका संसदीय जीवन अत्यन्त सम्मानजनक रहा है। उन्होंने 23-4-1988 एक पत्र लिखा था। आइए देखें उन्होंने क्या तर्क दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि वही भाषा प्रयुक्त की गई है। अब आप कह सकते हैं कि राज्यपाल ने वही लिखा है जो इस विपक्षी नेता ने कहा है। श्री मधु लिमये ने 23 तारीख को विसम्मति, सौदेबाजी, भ्रष्टाचार आदि का जिक्र किया है···(व्यवधान) मैं राज्य में राजनैतिक स्थिति के बारे में राज्यपाल के निष्कर्षों का उल्लेख कर रहा हूं। माननीय सदस्य के अनुसार, ये निष्कर्ष बिलकुल पक्षपातपूर्ण हैं। यदि यह पक्षपात है तो श्री मधु लिमये ने जो कुछ लिखा है वह भी पक्षपातपूर्ण हो सकता है। आप कह सकते हैं कि श्री मधु लिमये भी पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने श्री हेगड़े के बारे में इस प्रकार कहा है :

> "श्री रामकृष्ण हेगड़े जिन्होंने पांच वर्ष की लम्बी अवधि तक कर्नाटक का निर्दयतापूर्वक दोहन किया है, जिनका कृषि उत्पादन, विद्युत विकास एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार में बहुत बुरा रिकार्ड है···" (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : संवैधानिक संकट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है···(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : भूमि सम्बन्धी छोटालों में उनका शामिल होना स्थिति की पराकाष्ठा है। यही बात श्री लिमये ने कही है···(व्यवधान)

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : क्या यह बात संगत है ?···(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : हां, यह बात संगत है क्योंकि राज्यपाल महोदय इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इसका कारण संवैधानिक संकट नहीं था बल्कि उनके कार्यनिष्पादन के कारण आपने कार्यवाही की है··· **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : स्थिति स्पष्ट हो चुकी है···

(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : भूमि सम्बन्धी उनके घोटाले स्थिति की पराकाष्ठा है। मित्रों के टेलीफोनों को टेप करना राजनीति में नीतिनिरपेक्षता का नया कीर्तिमान है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि उन्हें टेलीफोन टेप कांड पर त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने वही बात कही जो श्री मधु लिमये ने कही है···**(व्यवधान)** उन्होंने विपक्ष द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदण्ड का जिक्र किया है···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अत्यन्त प्रेरणादायक भाषण है।···**(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : सच कड़वा होता है। इसीलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप प्रेरित करने के लिए क्यों पसीना बहा रहे हैं?··· **(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : श्री मधु लिमये ने आगे लिखा है कि भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख कैसे मूल्यों पर आधारित राजनीति के रूप में दिखाई पड़ती है। आप मूल्यों पर आधारित राजनीति का राग अपनाते रहें और भ्रष्टाचार और पद लोलुपता को छिपाने का प्रयास करते रहें। यह निर्णय है···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसका निर्णय ?···**(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : यह एक निष्कर्ष था। श्री देव गौड़ा के विषय में उन्होने विसम्मति की बात कही है···**(व्यवधान)** मैं जनता पार्टी में विरोध की बात कर रहा हूं जिसका राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है।

मधु लिमये आगे कहते हैं कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कर्नाटक में जनता दल को तबाह करने वाले दोषी व्यक्तियों में पूर्व मुख्य मन्त्री और जनता दल नेता तथा जनता दल के उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण हेगड़े प्रमुख रहे हैं···**(व्यवधान)** श्री मधु लिमये कहते हैं कि देव गौड़ा द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को कर्नाटक जनता दल का अध्यक्ष बनाने का वचन दिया गया था। इस समझौते को लागू नहीं किया गया और देव गौड़ा ने सरकार छोड़ दी। इस प्रकार विरोध शुरू हुआ··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह संवैधानिक संकट है ?···**(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : हां, यह संवैधानिक संकट है। मैं राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा हूं···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि श्री मधु लिमये कहते हैं कि श्री राजीव गांधी को त्यागपत्र दे

देना चाहिए तो क्या वह त्यागपत्र दे देंगे ?···(**व्यवधान**)

श्री बी० आर० भगत : राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर उद्घोषणा जारी की गई है। राज्यपाल की रिपोर्ट में जनता पार्टी में भारी विरोध का जिक्र है। एक पार्टी के नेता श्री देव गौड़ा ···(**व्यवधान**) मैं बता रहा हूं कि इसमें विरोध का जिक्र किस प्रकार किया गया है। पार्टी ने कोई वचन दिया और उसे नहीं निभाया···(**व्यवधान**) श्री रामकृष्ण हेगड़े के बारे में सत्ता की भूख, भ्रष्टाचार, भूमि सम्बन्धी घोटाले आदि का जिक्र किया गया है। राज्यपाल ने इसका जिक्र नहीं किया है। किंतु उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि श्री रामकृष्ण हेगड़े को टेलीफोन टेप कांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा जो कि मधु लिमये के अनुसार राजनीति में नीति-निरपेक्षतावाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आप मूल्यों पर आधारित राजनीति की बातें करते हैं। आपने भी ऐसा किया है। मैं कह रहा हूं कि यह मूल्यों पर आधारित राजनीति है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उनमें त्यागपत्र देने का साहस था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बी० आर० भगत : यह एक और मूल्य है, संसदीय प्रक्रिया में एक और मूल्य की स्थापना। हर समय व्यवस्था का प्रश्न होता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि एक पूर्व अध्यक्ष व्यवस्था के प्रश्न पर आपत्ति करता है तो मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा।···(**व्यवधान**) यदि कोई भूतपूर्व पीठासीन अधिकारी यह महसूस करता है कि मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में आपको निर्णय बताना होता है, भूतपूर्व अध्यक्ष की बात नहीं करनी होती।

उपाध्यक्ष महोदय : वे केवल भूतपूर्व अध्यक्ष की बात सुन रहे हैं, मेरी नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज उन्हें मजबूर किया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मुझे एक निवेदन करना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कल बहुत गड़बड़ रही। यह उचित नहीं है। उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सुसंगत व्यवस्था के प्रश्नों तक तो यह ठीक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं उनके निवेदन के लिए, जो कि उनके बहुत कम सुसंगत निवेदनों में से एक है, श्री सी० के० जाफर शरीफ का आभारी हूं। मैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं वो यह है : हम श्री रामकृष्ण हेगड़े पर एक व्यक्ति अथवा भूतपूर्व मुख्य मंत्री के रूप में चर्चा नहीं कर रहे। श्री रामकृष्ण सभा के सदस्य नहीं हैं। इसीलिए आप कृपया नोट करें कि

श्री हेगड़े अथवा किसी व्यक्ति पर, जो कि सभा का सदस्य नहीं है लांछन लगाने की बात कार्य-वाही वृत्तांत में शामिल करने करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और श्री भगत, जिन्हें सभा की अध्यक्षता का अवसर मिला था, बड़े आशय से प्रक्रिया संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री संतोष मोहन देव : हमें राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। किन्तु उसकी भी अनुमति दे दी गई है और हमने भी उसे स्वीकार कर लिया है। अध्यक्ष के निर्णय को हमने स्वीकार कर लिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध सही ढंग से तैयार किया हुआ मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न कुछ भी हो, मैं रिकार्ड देखूंगा। यदि कोई आरोप लगाए गए हैं तो उन्हें कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसी और को उद्धृत करके उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यवाही वृतांत का एक हिस्सा है। कार्यवाही वृतांत के एक भाग के रूप में ऐसा कहा गया है।

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य को जब समय मिलता है तो वे कुछ भी कह सकते है। माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं कि मैं आरोप लगा रहा हूं। यह आरोप बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल गलत है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तो हम क्या करें?

श्री बी० आर० भगत : मैं इसी बात आ रहा हूं। मेरा कहना है कि मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े अथवा श्री देव गौडा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। मैं राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार कर रहा हूं जिसके कारण यह उद्घोषणा हुई जिसकी एक प्रति माननीय सदस्य के हाथों में है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु श्री मधु लिमये यहां नहीं हैं।

श्री बी० आर० भगत : जी हां, मैं आपको बता रहा हूं। श्री मधु लिमये यहां नहीं हैं। मैंने आपको दोबारा रास्ते पर लाने की कोशिश की। दो केस हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप उद्धृत कर सकते हैं। मैं श्री मधु लिमये का आदर करता हूं। यदि वे उद्धरण देते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, किन्तु महोदय वे उन्हें सही मुद्दों पर उद्धृत करें, आरोप लगाने के लिए नहीं। श्री मधु लिमये ने श्री राजीव गांधी के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है।

श्री बी० आर० भगत : मेरे माननीय मित्र अत्यन्त परेशानी महसूस कर रहे हैं। इसलिए वे उछल रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम यहां आराम से हैं। जब मेरी बारी आयेगी तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री बी० आर० भगत : मुझे बोलने दीजिए। इस सभा में 40 वर्ष बिताने के पश्चात

मुझे संसदीय प्रक्रिया की काफी जानकारी हो गई है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम आपका आदर करते हैं।

श्री बी० आर० भगत : मेरे विचार से किसी माननीय सदस्य का ऐसा रिकार्ड नहीं है जैसा मेरा है। **(व्यवधान)** मेरे विचार में आपको मुझे शिष्टाचार अथवा तौर तरीके सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी संसदीय नियमों के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गई हो। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। सभा में सदस्यता के कार्यकाल के दौरान मैंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने बहुत आरोप लगाए हैं और सही आरोप लगाए हैं। मुझे इसका गर्व है।

श्री बी० आर० भगत : मैं कोई आरोप नहीं लगाता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप आरोप क्यों नहीं लगाते? पहले आप यह बताइए। **(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : मैं यह कह रहा हूं कि राज्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाने का एक कारण, जैसा कि राज्यपाल ने स्वयं भी कहा है, यह था कि जनता दल में गम्भीर मतभेद हो गये थे···**(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? केवल कर्नाटक की बात नहीं है। बिहार में आपके कितने मुख्य मंत्री रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : राज्यपाल की रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें गंभीर मतभेद को एक कारण बताया गया है—एक का नेतृत्व श्री देव गौडा कर रहे थे और दूसरे का श्री रामकृष्ण हेगड़े। यही उन्होंने कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं केवल यह बता रहा हूं कि राज्यपाल का निष्कर्ष यह है कि दल के भीतर गंभीर मतभेद थे। दल में विभाजन हो गया और वाक आउट के कारण वे अपना बहुमत खो चुके थे। मैं इस बात की संपुष्टि एक गवाही से कर रहा हूं, जिसका विरोध विपक्ष नहीं करना चाहेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। मैं केवल कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे विचार में श्री सोमनाथ चटर्जी, जो कि एक अनुभवी वकील है, मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि यदि मैं गंभीर मतभेद के बारे में राज्यपाल के निष्कर्ष तथा उन दो सज्जनों के बारे में, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, ऐसा कहूं तो मुझसे सहमत होंगे कि यह एक गवाही है। मैंने ऐसा ही किया है। मेरे विचार में सोच-विचार के पश्चात् श्री रेड्डी भी मुझसे सहमत होंगे कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री मधु लिमये या प्रो० मधु दण्डवते, किसी को भी उद्धृत कर सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : प्रो० मधु दण्डवते भी उपस्थित हैं। किन्तु मैं उन्हें उद्धृत नहीं करना चाहता। सच्चाई कहते समय श्री मधु लिमये ने अनेक बातें और प्रो० मधु दण्डवते के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। मैं उद्धृत नहीं करना चाहता क्योंकि चर्चा का विषय आप नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैं राज्यपाल बनूंगा तो मुझ पर चर्चा होगी।

श्री बी० आर० भगत : अत: राज्यपाल ने निष्कर्ष निकाला कि दल ने अपना बहुमत खो दिया है। श्री मधु लिमये ने भी यही निष्कर्ष निकाला। मैं उन्हें उद्धृत करने पर मजबूर हूं। उन्होंने राज्यपाल के निष्कर्षों की संपुष्टि की है। उन्होंने कहा :

> "यह स्पष्ट है कि विपक्षी दलों का जख्म कुछ हद तक अपने आप लगाया हुआ जख्म है। यह अपने उत्तराधिकारी को नीचा दिखाने के श्री हेगड़े के व्यवस्थित ढंग का नतीजा है।"

यदि श्री मधु लिमये ऐसा लिखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर मतभेद के बारे में जो लिखा है, उसकी पुष्टि अनेक समाचार पत्रों के अलावा जिम्मेदारी विपक्षी नेताओं द्वारा कही गई बातों से होती है।

दूसरी बात यह है कि पत्र के दूसरे अनुबंध में, जो कि उन्होंने अगले दिन तब लिखा जब सात विधायक उनके पास यह कहने के लिए आए कि वे अपने हस्ताक्षर वापिस ले रहे हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधान सभा के सचिव के माध्यम से 19 विधायकों के हस्ताक्षरों की पुष्टि कर ली थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने पुष्टि किस प्रकार की थी ?

श्री बी० आर० भगत : तब सात विधायक उनके पास आए। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने लिखा था। अत: यह एक और सबूत है कि 19 विधायकों ने लिखा था। अत: ऐसे अनुभवी विधायकों ने, जिनमें से कुछ मंत्री भी थे और अनुभव रखते थे, कहा कि वे इसे वापिस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके बारे में कुछ गलतफहमी थी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन विधायकों ने अपने पत्र वापिस लिए हे, उन पर दबाव डाला गया है...(व्यवधान)।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : स्वयं राज्यपाल पर दबाव डाला गया था।

श्री बी० आर० भगत : मैं बाद में इस बात पर आऊंगा। यह विपक्ष के दोहरे मानदण्ड का एक अन्य उदाहरण है। राज्यपाल पर दबाव के बारे में मैं फिर बात करूंगा। हमारे पास उस सम्बन्ध में एक अन्य ठोस सबूत है। अत: महोदय, राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन पर दबाव डाला गया है। उन्नीस विधायक जिन्होंने अपने पत्र वापिस ले लिए हैं, सही हैं और यदि ऐसी स्थिति बनी रहने दी गई तो विधायकों को दूसरे दल द्वारा अपने पक्ष में किए जाने की घटनाओं में वृद्धि होगी और स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि वैकल्पिक सरकार बनाए जाने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए उन्होने अत्यन्त वैध ढंग से सही ही यह सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब इसकी तुलना दिसम्बर, 1977 की स्थिति से करिए, जब जनता दल सत्तारूढ था, जिसका श्री मधु दण्डवते भी एक भाग थे। वे इस बात को याद कर सकते हैं। तत्कालीन राज्यपाल श्री गोविंद नारायण ने क्या कहा था ? उन्होंने कहा—मैं उनकी रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं, जिसकी एक प्रति मेरे पास है। स्थिति की विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए, मुझे भिन्न निर्णय लेना पड़ा और सभा में मंत्रालय को बहुमत सिद्ध करने का अवसर देने तक प्रतीक्षा न कर सका। सरकार में सदस्यों

का बहुमत नहीं रहा और यह भी स्पष्ट है कि कोई वैकल्पिक सरकार बनाना सम्भव नहीं है। राज्यपाल ने, मुख्य मन्त्री के इस विचार को कि उनकी सरकार का शक्ति परीक्षण सदन में होना चाहिए, सम्मान नहीं दिया इसके पीछे कारण यह है जिसके लिए कि वर्तमान राज्यपाल ने ऐसा किया है कि इनसे केवल विषैले वातावरण को लटकाए रखने की बात ही होगी और इससे दोनों ओर से दबाव पड़ेंगे और इस मामले में सौदेबाजी और दूसरी बातें होंगी। कल श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कर्नाटक के बारे में पूरी जानकारी और उत्तरदायित्व के साथ कहा था कि इसके लिए धन भी खर्च किया गया था। इसके लिए 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक बोली गई थी। मेरे पास 22 अप्रैल की रिपोर्ट है···(व्यवधान) मैंने वही कहा है जो कल श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कहा था। लेकिन मेरे पास समाचार पत्र की कतरन है। (व्यवधान)

यह एक ऐसी पार्टी का मामला है जो कि स्वयं अपने सदस्यों को खरीद रही है। विपक्ष अथवा कोई अन्य पार्टी इस मामले में शामिल नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी भी इसमें शामिल नहीं हैं। यह जनता दल का मामला है जो स्वयं अपने सदस्यों को खरीद रहा है; और समाचार-पत्रों में क्या कहा गया है? वे केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट नहीं हैं, मेरे विचार में सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस देश में संचार माध्यम स्वतन्त्र हैं। वे केन्द्रीय सरकार के एजेंट नहीं हैं। लेकिन वे क्या लिखते हैं? उनमें यह कहा गया है : "जनता दल ने अपने सदस्यों को खरीदने के लिए कैश काउंटर खोले हैं और समर्थन वापस लेने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दिन प्रत्येक विधायक के लिए 20 लाख रुपए की पेशकश रखी गई थी।"

प्रो० मधु दंडवते : ओह !

श्री बी० आर० भगत : श्री मधु दण्डवते समाचार पत्रों की कतरनों से उल्लेख करने के बहुत ही शौकीन हैं। हर रोज वह समाचार पत्रों की कतरनें ले आते हैं। अब वह कहते हैं 'ओह'। अतः यह दोगलापन है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या 'ओह' कहना असंसदीय है ?

श्री बी० आर० भगत : अब मैं राज्पाल द्वारा दबाव डालने की बात की ओर आता हूं। क्या यह बात कम नहीं है कि इसी राज्यपाल, श्री वेंकट सुब्बैया ने विधान सभा में जनता दल को मान्यता दी थी? उन्होंने जनता दल को मान्यता दी थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनके बाद उन पर दबाव डाला गया। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : यह स्पष्ट रूप से दोगलापन है जो कि सदस्य अपना रहे हैं। वे दोनों तरीके से अपनी बात कहते हैं कि राज्यपाल पर दबाव डाला जा रहा है, राज्यपाल पर दबाव नहीं डाला जा रहा है, राज्यपाल को वापस बुलाया जा रहा है और नए राज्यपाल को भेजा जा रहा है क्योंकि राज्यपाल ने कर्नाटक विधान मण्डल में जनता दल को मान्यता दी है और इसीलिए उन्हें बदला जा रहा है; उन्हें अपने पद से हटाया जा रहा है क्योंकि वे जनता दल नेताओं की इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा क्यों है कि उन्हें अपने पद से हटाया नहीं गया है।

प्रो० मधु दंडवते : श्री भगत, इस तरह तर्क न दीजिए। हमारे अध्यक्ष ने भी हमें मान्यता दी है।

श्री बी० आर० भगत : मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं दबाव की बात के बारे में आपको याद दिला रहा हूं। तब राज्यपाल पर कोई दबाव नहीं था। तब राज्यपाल के बदलने अथवा पद से मुक्त करने अथवा पद से हटाने का प्रश्न नहीं था। ये सभी विपरीत सदस्यों के रुग्ण मस्तिष्कों की बातें हैं। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इससे इन्कार नहीं किया। मैं इस बात की चुनौती देता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी भी बात के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

श्री बी० आर० भगत : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इससे कुछ विपक्षी सदस्यों के पूर्वाग्रह का पता चलता है। यहां एक उद्घोषणा है, आपका आरोप स्पष्टतया यह है कि यह राज्यपाल का पक्षपाती व्यवहार है। क्या आपने प्रस्ताव नहीं रखा है ? अब सुनिए कि इसके बारे में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने क्या कहा था। यह अफवाह उड़ाई गई थी कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, उनका परिवर्तन किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है आदि आदि। मैं उस बात का उल्लेख करूंगा जोकि तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री बोम्मई ने कही है। उन्होंने कहा था।

> "यदि केन्द्र द्वारा राज्यपाल को बदला जाता है तो यह उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस (इ) की नीति का एक हिस्सा होगा।"

अब वे अलग-अलग बातें कह रहे हैं, वे कभी कुछ और कभी कुछ कह रहे हैं। यदि कोई बात उनके पक्ष में होती है, तो राज्यपाल अच्छा है, वे कभी उसके लिए संघर्ष करेंगे। अब यदि कोई बात विपक्ष के हित में होती है तो वे राज्यपाल को बदलने के लिए केन्द्र की निन्दा करेंगे। अब वे राज्यपाल को बदलने के लिए आज निन्दा कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि राज्यपाल स्पष्टतया पक्षपाती है। उस समय राज्यपाल पक्षपाती नहीं था, लेकिन वह बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही तटस्थ था। ये सभी मेरे नहीं उनके शब्द हैं। मैं उनको एक साथ रख रहा हूं जिससे कि मामला स्पष्ट हो। अतः महोदय, उन्हें समझना होगा कि क्या हो रहा है।

महोदय, यदि आप इसकी किसी पूर्वोदाहरण में तुलना करें, यदि इसकी दिसम्बर, 1977 में राज्यपाल के निष्कर्षों से तुलना करें जब श्री गोबिन्द नारायण राज्यपाल थे, तो आप देखेंगे कि तब इसी प्रकार की स्थिति थी। उसी प्रकार की स्थिति अब पैदा हुई है और अब राज्यपाल, श्री वेंकटसुब्बैया ने ऐसा किया है। मैं पूरी निष्पक्षता के कहूंगा, यदि आप किसी प्रकार की नई संवैधानिक प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत-सी सिफारिशें की हैं। आप एक साथ बैठकर सर्वसम्मत राय क्यों नहीं तैयार करते कि राज्यपाल के बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन जब तक संविधान, राज्यपाल को उत्तरदायित्व

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देता है, संविधान के अनुच्छेद 356 में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि बहुमत का निर्णय आवश्यक रूप से सदन में ही किया जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यह कहा गया है कि राज्यपाल को स्वयं को सन्तुष्ट करना है। अतः, जब तक संवैधानिक उपबन्ध मौजूद हैं, मेरे विचार में हमें इन असंगत विषयों को नहीं उठाना चाहिए जैसे कि क्या राज्यपाल ने संविधान की भाषा और भावना के अनुसार कार्य किया है अथवा नहीं, क्या राज्यपाल का निर्णय निष्पक्ष है, क्या राज्यपाल का निर्णय कुछ बुनियादी तथ्यों उस विशेष रूप में व्याप्त राजनीतिक स्थिति पर आधारित है और मैंने इस प्रश्न को तथ्यों पर आधारित तथा राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ तुलना करके निपटाने की कोशिश की है। मेरे विचार में, राज्यपाल श्री वेंकट सुब्बैया की रिपोर्ट, जिसके आधार पर यह उद्घोषणा जारी की गई है और उसमें केवल यही किया जा सकता था और उन्होंने निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा किया है और हमें उसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नवीनतम कार्यवाही से यह पता चलता है कि सरकार ने हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे की पूरी तरह से उपेक्षा की है और इसमें वचनबद्धता की कमी है और यह और कुछ नहीं बल्कि अपने राजनीतिक लालच का नंगा प्रदर्शन है। अपने आप को लोगों से असम्बद्ध होते देखकर और अपनी अपरिहार्य हार को देखते हुए अब केन्द्रीय सरकार ने विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने के लिए षड़यन्त्र रचा है जिससे कि वह चुनावी वर्ष में जैसे तैसे विभिन्न राज्यों में प्रशासन को अपने हाथ में ले सके चाहे इसके लिए उन्हें संविधान के साथ धोखाधड़ी ही क्यों न करनी पड़े।

महोदय, जो कुछ किया गया है यह और कुछ नहीं बल्कि कर्नाटक के लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है, और मुझे यकीन है कि कर्नाटक के लोग पर्याप्त रूप से अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे और इस राज्य के लोगों के साथ देश के अन्य लोग भी इस सरकार को इतिहास के अपरिहार्य कूड़ेदान में फेंक देंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस घृणित कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्र ने आज्ञाकारी राज्यपालों को हथियारों के रूप में प्रयोग किया है और राष्ट्रपति की नवीनतम उद्घोषणा और राज्यपाल के साथ मिलीभगत इस बात का स्पष्ट उदाहरण है।

महोदय, राज्यपाल, राजीव गांधी की चालबाज और पक्षपाती राजनीति की कठपुतलियां बन गए हैं और राज्यभवन साजिशों के अड्डे बन गए हैं और वे इस देश की लोकतंत्र की हत्या और संविधान को नष्ट करने के अड्डे बन गए हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, यह बात मैं प्रधान मंत्री के लिए उनका भाषण लिखने वाले के इस कथन से प्रभावित होकर कह रहा हूं : 'चालबाज पत्रकारिता की कठपुतलियां'।

महोदय, यह उद्घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत जारी की गई है। हमने अभी-अभी सुना है कि श्री भगत संविधान के अनुच्छेद 356 के उद्देश्य की व्याख्या कर

रहे थे और उन्होंने कहा कि जब कभी भी राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत सन्तुष्टि से इन निष्कर्ष अथवा इस निर्णय पर पहुंचता है कि राज्य सरकार अथवा प्रशासन के कार्य संविधान के अनुसार नहीं चलाए जा सकते, तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह अल्पमत और बहुमत का निर्णय अपनी व्यक्तिगत सन्तुष्टि द्वारा कर सकता है। यहां उन्हें सदस्यों की गिनती नहीं करनी होगी। महोदय, इस देश का इतिहास संविधान के अनुच्छेद 356 के जानबूझकर दुरुपयोग के उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार द्वारा नियुक्त किये गए सरकारिया आयोग ने अपने निर्णय में यह कहा है कि 77 मामलों में से केवल 26 अवसरों पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्‌घोषणा को सही ठहराया जा सकता है। यह सिलसिला पंजाब में कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए शुरू हुआ था और उसके बाद बार-बार इसका उपयोग किया गया है। श्री भगत जनता पार्टी के मतभेदों का उल्लेख कर रहे थे। उन्हें शासक दल, सत्ता पक्ष के एक मुख्य प्रवक्ता के रूप में खड़ा किया गया है, जो इस उद्‌घोषणा का समर्थन कर रहे हैं और वह केवल जनता पार्टी के मतभेदों की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्‌घोषणा को तथाकथित रूप से सही ठहराना जबकि राजनीतिक दलों में मतभेदों का इससे कोई लेना देना नहीं है।

2.00 म० प०

महोदय, उसे उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। वह उसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में क्या हो रहा है? बिहार में क्या हुआ है? वह बिहार विधान सभा में बजट पास नहीं कर सके हालांकि कागजों में उनके पास पर्याप्त बहुमत है; अपने आन्तरिक मतभेद को निपटाने के लिए उन्हें सदन की बैठक स्थगित करनी पड़ी···**(व्यवधान)**

श्री राम स्वरूप राम (गया) : यह पार्टी का अन्तरिक मामला है।

सोमनाथ चटर्जी : उस स्थिति में क्या जनता दल के मसले पार्टी का आन्तरिक मामला नहीं है।

महोदय, संविधान विरोधी कार्यों का बीज इस देश में राज्यपालों की नियुक्ति के तरीके द्वारा बोया गया है? आप देखिए कि राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार की जा रही है। यद बदनाम और हारे हुए राजनीतिज्ञों का आश्रयस्थल बन गया है। महोदय, श्री वेंकट सुब्बैया हमारे अच्छे मित्र हैं। वह पिछले दो या तीन सदनों से यहां थे किन्तु उनके हार जाने पर उनका पुनर्वास किया जाना था और यह ठीक ही कहा गया था "संसद का हारा हुआ उम्मीदवार अब कर्नाटक राज्य का शासक है।" विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्य मंत्री के साथ कोई औपचारिक मशवरा भी नहीं किया जाता और विपक्ष शासित राज्यों में जानबूझकर विवादस्पद व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है ताकि वहां परेशानी पैदा की जा सके। हमने यह देखा है। आप कितने उदाहरण चाहते हैं? आपने श्री ए० पी० शर्मा को वहां क्यों भेजा? आपने परेशानी पैदा क्यों की? वह वहां पर खड़े तक नहीं हो सकते। एक राज्यपाल जिसे वहां परेशानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, संसद वापस आने को मशगूल है। रात के अंधेरे में मुख्य मंत्री तक को सूचित किए

बिना उन्हें यहां आने के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ी, यह काम तो राज्यपाल करते हैं। नाम भरने की वह अंतिम तारीख थी, इसीलिए···(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव को राज्यपाल के रूप में बिहार भेजा गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल का दर्जा सुनिर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों के कार्यों और उनकी भूमिका के बारे में कई निर्णय दिए हैं। राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के एजेंट नहीं हैं; राज्य पाल केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अन्तर्गत काम नहीं करते; राज्यपाल अपने कार्य केन्द्रीय सरकार के मार्गनिदेश के अनुसार नहीं करते; यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं किन्तु देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के**जैसा व्यवहार करते हैं। भारत की समेकित निधि का गठन इस देश के लोगों पर कर लगाने के लिए किया गया है।

2.03 म० प०

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं)

अब यदि राज्यपाल केन्द्र के आदेश पर कार्य न करें तो क्या हो ? आप देखिए कि आज राज्यपाल की सम्पूर्ण संस्था किस प्रकार कार्य कर रही है और किस तरह इसका उपहास और निन्दा हो रही है और यह इस देश में विपक्ष शासित सरकारों को अस्थिर बनाने का तरीका बन गया है। हमने देखा है कि इस देश में विभिन्न सरकारों ने आन्तरिक मतभेद निपटाने के लिए किस प्रकार से राज्यपालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि आप सरकारिया आयोग की रिपोर्ट देखें, तो इसमे पता चलता है कि किस प्रकार से राज्यपालों का राजनैतिक प्रयोजनों तथा सत्ताधारी पार्टी के आन्तरिक मामले निपटाने के लिए किया जाता है। इस देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और आप इस बात स बहुत खुश और गर्वित अनुभव करते हैं। वह अब लगातार 1977 की घटनाओं के बारे में बोल रहे थे। हमने उनका समर्थन नहीं किया। किन्तु आपने उसका उदाहरण दिया है। आपने 1980 में इसका अनुकरण किया और भारी पैमाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यदि जनता सरकार ने 1977 में कोई ऐसा कार्य किया जो उचित नहीं था तो क्या सरकार का बहुमत जानने का प्रयत्न किए बिना 1989 में श्री वेंकट सुब्बैया द्वारा की गई कार्यवाही उचित है। श्री गोस्वामी ने ठीक ही कहा है कि उस स्थिति में इन्दिरा गांधी सरकार 1969 में ही चली जानी चाहिए थी। इसके पास सम्पूर्ण बहुमत नहीं था। महोदया, अब यदि आप रिपोर्ट देखें तो अजीब बातें हुई हैं। कोई भी बच्चा जिसमें थोड़ी-सी भी समझ है वह यहां प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से बेहतर काम कर सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति इस तथाकथित रिपोर्ट पर सही तरीके से या जिम्मेदारी की भावना से कार्य कर सकता है। उन्हें हस्ताक्षरों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने हस्ताक्षरों की जांच किस प्रकार की है ? क्या उन्होंने यह स्वयं की है। क्या उन्होंने किसी हस्तलेखन विशेषज्ञ की सहायता ली है ? नहीं। उन्होंने विधान सभा के सचिव के माध्यम से किया है। क्या उन्होंने विधान सभा के सचिव की सेवाओं का इस्तेमाल करने से पूर्व कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की ? नहीं। इसलिए,

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

यह चोरी से, अनधिकृत रूप से, विधान सभा के अध्यक्ष की पीठ पीछे किया गया। मैं जानता हूं कि वह किस प्रकार से अप्रसन्न और परेशान हैं। मैं केवल यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि राज्यपाल की संस्था के माध्यम से राजनैतिक लाभ उठाने के लिए विभिन्न चीजों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया। मैं यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह होती कि इसे 27 अप्रैल तक अनुमति दी जाती। उन्होंने लम्बी अवधि के लिए नहीं कहा केवल 27 अप्रैल तक के लिए कहा जो परसों है। उस दिन विधान सभा बुलाई जाने वाली थी। अब राज्यपाल महोदय कहते हैं, "नहीं"। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया है। उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 27 अप्रैल को विधानसभा की बैठक बुलाने के अनुरोध पर क्या ध्यान दिया? क्या यह एक जिम्मेदाराना कार्यवाही है? क्या यह एक राज्यपाल के लिए उचित और जिम्मेदाराना कार्यवाही है। क्या राज्यपाल ने यह कार्य ईमानदारी से किया? मुझे सरकारिया आयोग की सिफारिशें पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकारिया आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन बहुत ही कम अवसरों पर लगाया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उन्होंने भी नहीं पढ़ी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। सिफारिश में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन बहुत ही कम अवसरों पर तथा मुख्यतः उस समय लगाया जाना चाहिए जब राज्यपाल सभी संभव उपायों तथा सरकार बनाने के सभी अवसरों की छानबीन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि बहुमत का अभाव है तथा अन्य किसी सरकार का ऋण भी नहीं किया जा सकता तो भी वर्तमान सरकार को चुनाव होने तक कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। यह आयोग की सिफारिशें हैं। श्री बी० आर० भगत ने यह कहने की कोशिश की है "ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिश कानून नहीं हैं। सरकारिया आयोग ने कोई नया कानून बनाने की सलाह तो दी नहीं है। सरकारिया आयोग ने तो केवल संविधान के उपबन्धों का विश्लेषण किया है।"

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है जिसमें जजों ने कहा है कि एक सरकार के बहुमत और अल्पमत का पता लगाने का परीक्षण केवल सभा पटल पर किया जा सकता है। किन्तु वह ऐसा नहीं करेंगे। यही हुआ है। हम दूसरे अधिक सत्ता के दुरुपयोग के बारे में नहीं सोच सकते। यह और कुछ नहीं बल्कि इस देश के संवैधानिक उपबन्धों को जानबूझकर दी गई चुनौती है।

दल-बदल विरोधी कानून का क्या हुआ? इतने जोर-शोर से दल-बदल विरोधी कानूनी पास करने का क्या आधार था। यह कानून बड़े जोर-शोर से बनाया गया था। क्या यह किसी को इस बात की अनुमति देता है कि वह राज्यपाल को लिखे कि "मैं सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहा हूं और राज्यपाल इस पर कार्यवाही कर सकता है?" यदि कुछ सदस्य राष्ट्रपति को लिखें कि उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को अपना समर्थन देना बन्द कर दिया है, तो क्या राष्ट्रपति उस पर ध्यान देंगे। **(व्यवधान)**

सवाल यह है कि यदि इसकी अनुमति है तो दल-बदल विरोधी कानून में क्या है? इसमें यह उपबन्धित है कि किसी भी व्यक्ति को उनकी सरकार गिराने के प्रयोजन से सदन के भीतर

उनकी पार्टी या सरकार के विरुद्ध वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वास्तव में इसी की अनुमति दी जा रही है। जो बात वह सदन में नहीं कर सकते, सदन के बाहर वह उसकी अनुमति दे रहे हैं। वास्तव में यही कुछ हो रहा है। कानूनी रूप से उन्हें सदन के भीतर सरकार के विरुद्ध वोट देने का अधिकार नही है। अब उन्हें राज्यपाल द्वारा राजभवन में सरकारी धन से शाही सम्मान दिया जा रहा है। राज्य के लोगों से कर के रूप में लिया गया धन इस देश में षडयंत्रों और कानून का उल्लंघन करने के लिए खर्च किया जा रहा है। इस दल-बदल विरोधी कानून के पीछे क्या तमाशा था ?

अब विलय की बात हो रही है। किसी ने बताया कि उन्होंने उस रात टी० वी० में एक प्रायोजित समाचार देखा जिसमें बताया गया था कि चूंकि उन्हें जनता दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया था इसलिए, उन्हें दल-बदल विरोधी कानून की सीमा के भीतर नहीं लाया जा सकता। मैं नहीं जानता कि क्या हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उसका हवाला दिया। किन्तु कानून अत्यन्त स्पष्ट है। यदि कोई विलय हुआ है और वह विलय कर्नाटक में सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो विलय की गई पार्टी के सम्बन्ध में कानून के सभी उपबन्ध लागू होंगे। उसी प्रकार के उपबन्ध लागू होंगे जैसे विलय किए गए दल ने उसे अपना उम्मीदवार खड़ा किया है।

दल-बदल कानून की उपेक्षा की गई है। सरकारिया आयोग की उपेक्षा की गई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधिवेत्ताओं ने कहा है कि संविधान को इस तरह कार्यान्वित करना होगा। संवैधानिक उपबंध का सही अर्थ यही है और सदन ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सरकार के समर्थन या विरोध का निर्णय होता है। ऐसा निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की गणना या पत्रों के आधार पर नहीं किया जा सकता है तथा यहां यह भी आरोप लगाया गया है कि एक हस्ताक्षर जाली थे। यह कौन निश्चित करता है ? कृपाया देखिए, उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसमें बहुत मजेदार बात लिखी गई है :—

> "मैंने विधान सभा के सचिव से हस्ताक्षरों की जांच कराई और उन्होंने विधान सभा के रजिस्टरों में विधायकों द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की जांच के बाद बताया..."

इससे जनता दल के सदस्यों की संख्या कम हुई है। अतः वहां मन्त्री परिषद का बहुमत नहीं है। संविधान के अनुसार यह उचित नहीं है कि राज्य पर ऐसी मन्त्री परिषद का शासन हो, जिन्हें सदन में बहुमत भी प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार का होना अनुचित है जिसे सदन में बहुमत भी प्राप्त नहीं है। किन्तु इसका निर्णय सदन में नहीं किया जाता। उन्होंने कहा—

> "मुझे यकीन है कि राज्य में इस समय विद्यमान परिस्थितियों से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता।"

उन्होंने कहा है कि एक ही पत्र के आधार पर उन्होंने यकीन कर लिया है। तत्पश्चात् उन्होंने पत्र की समाप्ति के बाद 'पुनश्च' द्वारा यह सूचित किया "नहीं, मैं अभी भी इसका समर्थन करता हूं।" यह आश्चर्यजनक है। यह इस देश की जनता का अपमान है कि राज्यपाल यह कहें "नहीं, हम इस पत्र पर विचार नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा था :

"सात में से किसी भी विधायक ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि उन्होंने पत्र पहले लिखा था।"

किन्तु, यदि पहले लिखे गए पत्र का कुछ महत्व है तो बाद में लिखे गए पत्रों का महत्व क्यों नहीं है ? इसका क्या कारण है ? तत्पश्चात् उन्होंने कहा है कि इसका प्रमाण है कि पत्र उन्होंने दबाव में आकर लिखे हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है। उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिली ? क्या उनकी इनमें से किसी के साथ मुलाकात हुई थी। क्या उनके पास इस बात का सबूत है ? यह सदेहास्पद है। यह भी कहा गया कि विधायकों की खरीद फरोख्त जारी है। उन्हें किसने बताया है ? क्या राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देव गौड़ा ने यह सूचना उन्हें दी है ?

राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त जारी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि राज्यपाल को इस खरीद-फरोख्त की जानकारी है तो वह क्या करने जा रहे हैं, वह क्या कर सकते हैं ? उन्हें मुख्य मन्त्री को सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना होगा। वह वहां विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए नहीं हैं। वह वहां की सरकार और सत्तारूढ़ दल के नैतिक संरक्षक नहीं हैं। वह संवैधानिक कर्ताधर्ता हैं, जिनके अधिकार बहुत सीमित हैं तथा वे अधिकार भी सुपरिभाषित और स्पष्ट हैं। सरकार ने जिस रिपोर्ट पर कार्यवाही की है, वह हैरानी में डालने वाली है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें भी उन्होंने मुख्यमन्त्री के कार्यालय में अधिकारी को यह नहीं लिखा कि वह बहुमत सिद्ध करने के लिए सभा की बैठक बुलाएं। इस तरह से इस देश के एक राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को बिना सोचे-विचारे अचानक बर्खास्त कर दिया गया है, उसे भंग किया गया है और इस देश की जनता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब क्या कहा जा रहा है ? यह कहा गया है कि घोटाले हुए थे, उनके टेलीफोन टेप किए गए थे और वहां कुप्रबंध था तथा श्री मधु लिमये ने इस बारे में कुछ कहा है। क्या इन्हीं बात से इसका निर्णय होगा कि क्या एक विशेष राज्य का संचालन निर्वाचित सरकार करेगी अथवा नहीं, क्या राज्य उस विशेष सरकार द्वारा चलाया जाएगा या नहीं, यद्यपि उसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त है ? क्या इन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ? यदि ऐसा है तो ऐसी सरकार को इस देश में एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार और घोटालों के ऐसे कितने मामले हैं, जिनके बारे में इस सरकार ने जिक्र तक नहीं किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : इसमें बंगाल लैंप का घोटाला भी शामिल है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, बंगाल लैंप का मामला भी शामिल है। महोदया, उन्होंने बंगाल लैंप का जिक्र किया है। हमने बंगाल लैंप से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इसका निर्णय वहां की जनता करेगी। उन्हें यहां यह प्रयास करने दीजिए। हम देखेंगे कि तब क्या होता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : वह समय तो आने दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वह वायदा कर रहे हैं कि समय आने पर वे ऐसा करेंगे । **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : बंगाल लैंप के बजाय दिल्ली में फैले अंधकार की चिंता कीजिए । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यही कारण है, तो हमें देखना होगा कि इस देश में कितनी कांग्रेस सरकारें एक दिन के लिए भी सत्ता में रह पाती हैं ।

महोदया, दूसरे पक्ष के मेरे मित्र ने कई बार संविधान के निर्माता श्री बी० आर० अम्बेडकर के बारे में झूठे आंसू बहाए हैं । उस दिन हमने टेलीविजन पर उनके बारे में प्रसारित किए गए कई कार्यक्रम देखे । उन्होंने भी इस देश में अर्ध-संघात्मक राजनैतिक ढांचे के बारे में ध्यानपूर्वक सोच-विचार किया था । क्या यह अर्ध-संघीय ढांचे के सिद्धांतों के अनुरूप है कि राज्य सरकार अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए केन्द्र में सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के समर्थन पर निर्भर करेगी ? क्या राज्य सरकार के बने रहने की अवधि का निर्णय उनके कहने से लिया जाएगा ? मैं जानता हूं कि इस सरकार को सुधारा नहीं जा सकता है । जनता अपना निर्णय देगी । इस बात का निर्णय केवल जनता ही करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है । भविष्य के बारे में, इस देश में किसी को कोई संदेह ही नहीं है । इसका परिणाम सर्वविदित है । कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के राजनैतिक फायदों की पूर्ति के लिए जान-बूझकर असंवैधानिक कार्य किया गया है । वहां स्थिरता और राजनैतिक नैतिकता लाने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि वहां के राज्यपाल को तुरन्त हटाया जाये ताकि भविष्य में इस तरह संविधान के दुरुपयोग की और घटनाएं न हों ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वह चाहें तो आप उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अपमान वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि चूंकि हमने श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना है अतः वे हमें भी इसी प्रकार का सहयोग दें ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप किससे कह रहे हैं ? क्या आप श्री जयपाल रेड्डी से कह रहे हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं आप सबसे कह रहा हूं । हमने दिखा दिया है कि आप जो कुछ बोलते हैं, हम उसे सहन कर सकते हैं । अतः आपको भी ऐसा ही करना चाहिए । अपने विद्वान मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनने के बाद मुझे सचमुच निराशा हुई है । मैंने सोचा था कि वह पहली बार राजनैतिक दल के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बोल रहे हैं । मुझे उसमें कोई सार नजर नहीं आया । वह एक राजनैतिक दल के प्रवक्ता के रूप में अथवा उन्हीं बातों को कह रहे हैं । दूसरे, मैंने सोचा था कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, वह कुछ संगत बात कह रहे थे । मुझे उसमें कोई सार नजर नहीं आया । मैं नहीं जानता कि पक्ष या विपक्ष के मित्रों को मेरी यह बात गलत लगेगी कि उन्होंने एक गलत मामले की वकालत की है । उन्होंने यह भी कहा

हैं कि राज्यपाल नैतिकता का संरक्षक नहीं है। मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि तब कोई नैतिकता रह ही नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने नैतिकता का प्रश्न से ही बात शुरू की। उन्हें अपने दिल में झांकना चाहिए। हम ही लोग नैतिकता और मूल्यों पर आधारित राजनीति आदि की बात कह रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि उनके विचार से देश में उनके अलावा किसी और में भी नैतिकता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यदि हम लोकतांत्रिक हैं और हम इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमें सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर चलना चाहिए, तकनीकी बातें नहीं उठानी चाहिए। और वे ये देख रहे हैं ......**(व्यवधान)**

ठीक है, आप तकनीकी मुद्दों के बारे में बोलिए। जब भी आप तर्क देते हैं तो यही कहते हैं कि समय आने पर लोग निर्णय करेंगे और हम भी यही बात कहते हैं। सममुच, निर्णय तो जनता ही करेगी। निर्णय हमेशा जनता ने ही लिया है। भारत की जनता का भले ही वे किसान हो या श्रमिक या निर्धनतम लोग एक सद्‌गुण यह है कि जब कभी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने निर्णय लेने में अपनी समझदारी ही दिखाई है। हमने उनके निर्णय के आगे अपना सिर झुका दिया है। धैर्यवान बनें। जनता के निर्णय की प्रतीक्षा करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट): श्री वैंकटसुबैया यही तो भूल गए हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी थोड़ी कृपा कीजिए। मैं नहीं जानता। मुझे दुःख है। मैं आपको यह बता दूं कि उनमें से कोई भी अन्दर से प्रसन्न नहीं है। वे सब इसे मानते हैं। मेरे प्रिय मित्र श्री दण्डवते सहित जो कि सच्चाई जानते हैं, वे बहस जारी रखने के लिए बहस कर रहे हैं। **(व्यवधान)** कृपया व्यवधान न डालें। मैंने उनसे अपील की है। कृपया इस ओर से ऐसा न करें। मुझे एक बात की खुशी है। लक्ष्य श्री वैंकटसुबैया हैं। जो कुछ राज्यपाल ने लिखा है व्यवहारतः सरकार ने उसी बात के लिए अपनी सम्मति दी है। बस। वे उसे उछालना चाहते हैं। अन्यथा, बोफोर्स का मुद्दा समाप्त हो गया है, ठक्कर आयोग का मुद्दा समाप्त हो चुका है। मुझे नहीं पता कि वे कहां जाएंगे। **(व्यवधान)** यदि यह समाप्त नहीं हुआ है तो मुझे खुशी है क्योंकि जनता के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ऐसा मुद्दा जारी रखना चाहते हैं जो कि संगत नहीं है। आप उसे जारी रखिए। अन्ततोगत्वा, निर्णय जनता को ही लेना है। मेरा कोई झगड़ा नहीं है। जो कुछ आपके पास है आप उसे जारी रख सकते हैं। मैं इस बात पर झगड़ा नहीं करूंगा। मैं इस पर विवाद भी नहीं करूंगा। किन्तु इस सारी कथा में मैं समझता हूं कि मेरे वरिष्ठ मित्र और हमारे नेता श्री वीरेन्द्र पाटिल कल बहुत बढ़िया बोले थे। उन्होंने जो कुछ हुआ था उसे पूरी तरह अभिव्यक्त किया और आज श्री भगत ने भी वहां जनता दल सरकार की स्थिति के बारे में, कि यह वर्ष 1983-85 और 1985 से आगे किस प्रकार चली, कुछ हद तक बताया। वर्ष 1983 में कर्नाटक की जनता का निर्णय भिन्न (संदर्भ) परिस्थिति में था। उन्होंने यह सोचा था कि परिहर्तन करने से हो सकता है ये लोग अच्छा कार्य करेंगे। वर्ष 1983 से 1985 तक उन्होंने सोचा कि वे कुछ कर रहे हैं। किन्तु जैसा कि श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कल कहा तत्कालीन मुख्य मंत्री वर्ष 1985 में जनता के सामने गए और यह कहा कि उन्हें परेशान किया गया, उन पर बहुत अधिक दबाव डाला गया क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था और उसे

बहुत से लोगों पर निर्भर होना पड़ा। हर व्यक्ति, चाहे यह भारतीय जनता पार्टी हो या सी० पी० एम० हो या अन्य कोई पार्टी हो, कुछ न कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए वह स्थायी प्रशासन नहीं दे सके। इसके बाद कर्नाटक की जनता ने इस आशा से कि यह सरकार अच्छा कार्य करेगी उसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा अपना निर्णय दिया।

मेरे विचार में, मुझे उन सबको बंगलौर बुलाना चाहिए। मैं उन्हें राज्य में कहीं और जाने की तकलीफ नहीं दूंगा। किन्तु कृपया कम से कम बंगलौर आइए और स्वयं देखिए; इतना काफी है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इसे जेल के अन्दर तथा बाहर से देख चुके हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप वहां केवल छोटे से कार्य के लिए जाते हैं, जब वहां कुछ गड़बड़ हो; और हमेशा असफल होकर लौटते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपात स्थिति के दौरान मैं बंगलौर जेल में दो वर्ष तक रहा।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया अब आइए। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं आपका हवाई अड्डे से ही स्वागत करूंगा। कृपया वहां कुछ समय बिताइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम आपसे केवल इतना अनुरोध करते हैं, कि आप इन्हें दोबारा जेल मे न भेजें। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्योंकि आप सफल सिद्ध नहीं हो पाए। वह आपसे अधिक शालीन हैं। आप हमारे साथ थे। आप अधिक चालाक बनना चाहते हैं और यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपमें अधिक ज्ञान है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह मेरे खिलाफ निन्दात्मक टिप्पणी दे रहे हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे पता है कि मैं प्रो० मधु दण्डवते की कितनी इज्जत करता हूं। किन्तु श्री जयपाल रेड्डी मेरे पुराने और युवा मित्र हैं। हम साथ-साथ थे। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हममें से बहुत से लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि और अधिक कहने के लिए कुछ है ही नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी जिस बात का हवाला दे रहे थे मैं उसके अन्तिम भाग की बात करूंगा। यह विधायकों की खरीद फरोख्त आदि की कार्यवाही से संबंधित राज्यपाल के पत्र के बारे में है। आज क्षितिज पर सबसे नया सितारा, अवतार, हमारे सदन के सदस्य श्री वी० पी० सिंह हैं। ये सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। वह पार्टी के अध्यक्ष हैं। किन्तु अपनी ही सरकार को बचाने आन्दोलन का समर्थन करने में नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है? वह कहां हैं? कम से कम उन्हें तो यहां उपस्थित रहना ही चाहिए। वह जनता दल के अध्यक्ष हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जनता दल के अध्यक्ष की हैसियत से वह जनता के बीच में थे।

सभापति महोदय : वह विचलित नहीं हो रहे हैं; मैं क्या कर सकता हूं? श्री शरीफ जारी रखें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे विश्वास है, हम जानते हैं कि वह कहां है। वह अपनी जगह पर पहुंच गए हैं।

श्री वी० पी० सिंह ने जनता दल द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त की कार्यवाही को यह कहकर उचित ठहराया कि कांग्रेस (इ) भी ऐसा कर रही थी। आप कहते हैं कि तुलना न करें। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कोई अपनी बात कहिए। आप हमेशा उद्धरण देते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : श्री सोमनाथ चटर्जी आपने ऐसे व्यक्ति, श्री अम्बेडकर, का जिक्र किया जिन्होंने लोकतंत्र के लिए महान योगदान दिया। वह कांग्रेस पर फबती कस रहे थे कि कांग्रेस ने इतनी अम्बेडकर जयन्ती मनाईं। जनता दल ने भी जयन्ती मनाई जिसमें कर्नाटक राज्य जनता दल के अध्यक्ष श्री पी० रचैया, जो हाल ही की सरकार में मंत्री थे, ने यह कहा था कि यदि कर्नाटक में दलितों पर अत्याचार जारी रहा तो वह यह निर्णय लेंगे कि उनका सत्तारूढ़ दल में कोई स्थान नहीं है। इससे कर्नाटक की स्थिति के बारे में पता चलता है। वे यह कह रहे हैं कि राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें राज्यपाल ने बहकाया है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जिस दिन श्री वेंकटसुबैया ने कार्यभार ग्रहण किया था और जिस दिन तक इन लोगों ने अपनी सरकार गिराई तब तक वहां कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। पहले मुख्य मंत्री या जो मुख्य मंत्री चले गए या कोई भी मंत्री या ऐसा कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया। वस्तुत: श्री वेंकटसुबैया को यह शिकायत थी कि हम लोग उनसे मिलने नहीं गए। हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि राज्यपाल का जीवन राष्ट्रपति के जीवन की भांति होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप केवल दिल्ली से ही फोन करते हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसा आपके कार्यकाल के दौरान उस समय किया गया था जब आप सरकार में थे न कि हमारे कार्यकाल के दौरान। कुछ भी हो, श्री सोमनाथ चटर्जी जोड़-तोड़ की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। दुर्भाग्य से श्री सोमनाथ चटर्जी, मेरे विचार में अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिएं। आज हमारे देश में एक नई प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। किसी न किसी कारण से कहीं-कहीं किसी राजनीतिक पार्टी को किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से लाभ मिल गया और इस प्रकार जो कोई व्यक्ति राज्य का मुख्य मंत्री बन जाता है वह देश का प्रधान मंत्री बनने का स्वप्न देखने लगता है। आप कितने प्रधानमंत्री रखेंगे? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कितने लोग आपकी बात मानते हैं? क्या आप एक दूसरे को सहन करने के लिए तैयार हैं? आपने एक ही राज्य में अपने कार्य से यह साबित कर दिया है कि आप इस देश के लिए क्या करेंगे। आपको वर्ष 1977-80 में अवसर मिला था। आपने जो कुछ किया था वह आज संगत नहीं है क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम वह सब उद्धृत करें। ठीक है। हम वह सब उद्धृत नहीं करेंगे। यदि आपने कोई गलती की है तो मैं वह

गलती नहीं करूंगा । किन्तु कभी भी यहां तक कि आज भी आपने इसे छोड़ा नहीं है । ठीक भी है—आपके लिए ऐसा उचित है आप एक वकील की भांति कार्य करते हैं जो किसी अपराधी के खिलाफ हर चोज प्रयोग करता है । वह किसी भी अपराधी को बचाने का प्रयास करता है और उसके पक्ष में कार्य करता है । जो लोग अपराधी हैं उन्होंने कर्नाटक राज्य को बरबाद किया है, और उन्होंने ही कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई है। दलितों ने आंसू बहाए और उन्होंने बददुआएं दीं । और हो सकता है उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप ही इन लोगों ने अपनी सरकार स्वयं गिरा ली । इस कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी या राज्यपाल या कोई भी व्यक्ति इच्छुक नहीं था । इससे क्या फर्क पडता है । अगले तीन या चार दिन या अगले कुछ महीनों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप लोगों को संगठित क्यों नहीं करते हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : प्रिय मित्र इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । लोगों को संगठित करने की आवश्यकता आपको है । आप यहां आते हैं। जनता तो अपनी मर्जी की मालिक है । लोग इतने सहज हैं । इसकी आवश्यकता नहीं है **(व्यवधान)**

श्री जयपाल रेड्डी, आपको इसमें ही सन्तोष मिलता है । आपको और कहीं नहीं मिलेगा । आप युवा लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं···**(व्यवधान)**

ठीक है, अपको वहां होने का एक फायदा मिल गया । आपको चिल्लाने के बहुत अवसर मिलते हैं । यह सब ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि कम से कम इसके बाद, आप आपने मामले के लिए कहीं भी किसी न्यायालय में तर्क दे सकते हैं, आप किसी का भी मामला ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में बात करते हैं। हम किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं, हमारी कुछ धारणा, वचनबद्धता, कुछ विचारधारा, कुछ नीतियां और कुछ कार्यक्रम हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदया, क्या मुझे माननीय सदस्य की आयु जानने की अनुमति है ?

प्रो० मधु दण्डवते : शासकीय गुप्त बात अधिनियम में इसकी अनुमति नहीं दी गई है ।

सभापति महोदय : इसका पता लगाने के लिए आप 'संसद सदस्य परिचय' नामक पुस्तिका में देख सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं केवल उनकी आयु जानने के लिए इच्छुक था । यह एक गोपनीय मामला है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह परिवर्तनीय है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या इसे उसकी बाहरी गतिविधियों के संदर्भ में समझना होगा । ···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं अपने अन्य बहुत से बोलने वाले मित्रों के रास्ते में नहीं आना चाहता हूं। हमें नैतिक मूल्यों के प्रति कुछ पवित्रता रखनी चाहिए। यदि आप वास्तव में लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं, हमें जीवन की वास्तविकता के अनुसार चलना चाहिए, वही वास्तविकता है। तकनीनी कारणों की आड़ लेने के प्रयास न कीजिए। सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा और लोगों को इसमें विश्वास नहीं रहा। इसी वजह से सरकार आज नहीं रही है, और वे खुद मरे हैं। इसमें हमारी भूमिका नहीं रही है। हम केवल इतना कहते हैं कि इस निर्णय को लेने में राज्यपाल बहुत ही दुखी थे। यह निर्णय उनकी पसन्द का नहीं है। मैं श्री वेंकट सुब्बैया को अच्छी तरह जानता हूं। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अभी आए हैं, वह एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रहे हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र की काफी लम्बे समय तक सेवा की है। कोई भी उनके विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता। एक भद्र पुरुष के प्रति उनका यह कठोर रुख होगा। उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है, इसलिए उन्हें परिस्थितियों का शिकार नहीं बनना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक अच्छे व्यक्ति ने इस प्रकार गलत काम किया है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आपके साथ रहकर बहुत से लोग खराब हो गए हैं। कृपया याद कीजिए, वर्तमान मुख्य मंत्री को हटाने और उसके बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बिठाने का यह एक स्थानीय प्रयास था जिसने आपको आत्महत्या करने पर मजबूर किया, जिसने कर्नाटक के लोगों को राहत पहुंचाई। मैं कर्नाटक के राज्यपाल का धन्यवाद करता हूं और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं जिसने राज्यपाल के न्यायोचित निर्णय को स्वीकार किया और जिसने कर्नाटक के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं का आदर दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि 21 अप्रैल को, मैंने इसी तरह के निन्दा प्रस्ताव को रखने की अनुमति मांगी थी। दुर्भाग्यवश, उसे उसी दिन के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। अतः महोदया, शुरू में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि जबकि हममें से बहुत से लोगों ने सरकार के विरुद्ध 21 अप्रैल को निन्दा प्रस्ताव रखने के लिए हमारे ऊपर जोर दिया था, तो मैंने अपने प्रस्ताव में शब्दों को बहुत ही सावधानीपूर्वक रखा था। मैंने विधान सभा को भंग करने का उल्लेख नहीं किया था, मैंने सरकार को बर्खास्त करने का उल्लेख नहीं किया था, मैंने केवल यह कहा था हम मुख्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने में कर्नाटक के राज्यपाल के स्पष्ट रूप में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की निन्दा करना चाहते हैं और मैं यह भी चाहता था कि राज्यपाल को पद से हटाया जाए।

अतः यह आवश्यक रूप से पहले से अधिकृत कार्यवाही थी और मैं यह सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ऐसा पूर्वोदाहरण रहा है। दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश, मैं ऐसा व्यक्ति रहा हू जिसने तीन राज्यपालों के विरुद्ध प्रस्ताव सभा में रखा है। सौभाग्यवश, वे स्वीकार कर लिए गए थे।

मैं इस सभा को वर्ष 1984 की बात बताना चाहता हूं जब एन० टी० आर० की सरकार

को बर्खास्त कर दिया गया था। वैकल्पिक मुख्य मंत्री के रूप में किसी और का नाम लिया जा रहा था। लेकिन, वास्तव में वह हमारे लिए सौभाग्यशाली था, केन्द्र ने एक भारी भूल की और सरकार ने भी एक भारी भूल की। उन्होंने विधानसभा को भंग नहीं किया। वे इस बात से आश्वस्त थे कि वैकल्पिक मुख्य मंत्री बना लेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इस सभा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पर बहुत गर्मागर्म बहस हुई थी। यहां बहुत गर्मागर्म बहस हुई थी। पूरे दिन, दोनों पक्षों ने बहस में रुचि ली थी। मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था लेकिन संपूर्ण देश में प्रदर्शन और बैठकें हुई थीं और संपूर्ण देश में इतना शक्तिशाली सार्वजनिक मत बन गया था, ऐसा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्यपाल के कारण नहीं बल्कि देश में जनमत के दबाव के कारण ऐसा हुआ था, श्री एन० टी० रामाराव विजयी होकर वापस आए। यह देश में लोकतंत्र की जीत थी। जनमत से ऐसा वातावरण पैदा हुआ था। ऐसा इसलिए संभव हुआ था क्योंकि, फिर भी हमने मामले पर चर्चा की, विधानसभा को भंग नहीं किया गया था।

हम इस बात के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि 21 तारीख को यदि हमने इस पर चर्चा की होती और इस मामले पर वाद-विवाद किया होता तो हमने इस सरकार का पर्दाफाश कर दिया होता हमने इसके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया होता और हमने यह बात देश की जानकारी में लाई होती कि जनता दल सरकार को अस्थिर करने के लिए यहां षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो कुछ भी संसद में होता, उसकी बाहर आवाज गूंजती और जो कुछ बाहर होता, तो राजभवन में उनकी आवाज गूंजती और निश्चित रूप में इसको रोका जा सकता था। मैं अध्यक्ष के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं बल्कि अपने विवेक से, उन्होंने यह निर्णय लिया कि क्योंकि यह घटना नहीं हुई है, वह इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देंगे। मेरे कुछ साथियों ने इस बात का उल्लेख किया था कि एक बार यदि विधान सभा को भंग कर दिया जाता है और सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, तब इसके बाद उसके ऊपर चर्चा करने में क्या समझदारी है। हम संसद की आवाज को उठाना चाहते हैं। यह बराबर की शक्ति है यह लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है और यहां तक कि राज्यपाल जैसे कार्यपालक के लिए हम संसद के माध्यम से, जो कि देश में सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है, जनमत द्वारा उस पर दबाव डालने का प्रयास करना चाहेंगे। यह हमारा भावी कार्यक्रम था।

महोदया, मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई थी—वह हमारे लिए एक सबक है और कर्नाटक में हुई घटना हमारे लिए, भविष्य के लिए एक सबक है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में नारायणपुर में कुछ घटना हुई थी। उससे कथित रूप से अत्याचार हुए थे। श्रीमती गांधी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था श्री संजय गांधी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और प्रेस सम्मेलन में उन्होंने यह वक्तव्य जारी किया था कि "ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।" बाद में नारायणपुर में अत्याचारों के आरोपों के आधार पर उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। विधान सभा को भंग कर दिया गया था। सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस(इ.) सत्ता में आई। कांग्रेस(इ.) सरकार के अधीन नारायणपुर में कार्यरत अत्याचारों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की गई थी। गैर-

कांग्रेस(इ.)सरकार द्वारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में शासित कांग्रेस (इ.)सरकार द्वारा निर्मुक्त किए गए आयोग ने यह निर्णय दिया था कि नारायनपुर में अत्याचारों के आरोप सही नहीं थे। लेकिन उस समय तक झूठे आरोप के आधार पर, विधान सभा को भी भंग कर दिया गया था। नई सरकार वहां पहले ही आ गई थी और देश में ऐसा कोई संवैधानिक मामला नहीं है कि जो लोग मारे गए थे उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से जीवित किया जा सकता था। उनके परिणामस्वरूप, विधान सभा भंग हो गई थी, सरकार भी गिर गयी थी और सरकार की नैतिक वचनबद्धता भी समाप्त हो गई थी क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा था कि वे पुरानी सरकार को वापस नहीं ला सकते और वे विधान सभा को भी वापस नहीं ला सकते। उससे भविष्य के लिए पूर्वोदाहरण बन गया था। इसी वजह से विगत में ऐतिहासिक घटना को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, हम इस संसद के अधिकार का, इस संसद की आवाज का, इस संसद की शक्ति का और इस संसद के विवेक का उपयोग करना चाहते थे जिससे राज्यपाल पर जनता का दबाव डाले जाने का प्रयास किया जाता और उसे सही रास्ते पर लाया जाता। यह समय की मांग थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने महान मित्र श्री वीरेन्द्र पाटिल को बहुत ही ध्यान से सुना है। महोदया, केवल इसलिए क्योंकि लोग पार्टी बदल लेते हैं, हम अलग-अलग कार्य-क्रमों के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। मैं जानता हूं कि उनके साथ मेरे जो भी राजनीतिक मतभेद हों, मैंने उनके साथ कामरेड के रूप में कार्य किया था, एक पार्टी के सदस्य के नाते मैंने चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अभियान में उनके साथ एक समर्थक के रूप में कार्य किया था। यहां तक कि आज भी जबकि मैं जनता दल में हूं, जहां तक उनकी सत्यनिष्ठा का संबंध है, मै उसके लिए अंगुली नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि एक आदमी के नाते मधु दंडवते और वीरेन्द्र पाटिल अलग-अलग पार्टियों में हो सकते हैं लेकिन उस मामले के लिए हमें एक दूसरे की सत्यनिष्ठा को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उससे लाभ नहीं उठाना चाहता। इसीलिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का प्रश्न ही नहीं है लेकिन जबकि उसने एक अच्छे वाद-विवाद के लिए कुछ मुद्दे उठाए हैं, मुझे उनकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

श्री भगत ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। उसके संदर्भ में, बहुत-सी बातें उठानी होंगी। दुर्भाग्यवश, हमने चालबाजी की राजनीति देखी। मैं कर्नाटक में चालबाजी की राजनीति की ओर आता हूं जिसके परिणामस्वरूप बाद में राजभवन में ऐसी स्थिति पैदा हुई।

महोदया, हम आपके साथी हैं। हम संसद सदस्य हैं। महोदया, संसदीय कार्य मंत्री, कम से कम इस सभा में कार्य सूची प्रस्तुत करने में हमारे साथ राजनीति न खेलें। आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ स्थितियों में केवल बहुमत द्वारा···

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? कार्यसूची में कोई भी चालबाजी नहीं की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे स्पष्ट करने दें। आपकी समझ इतनी अधिक नहीं है कि इससे

पहले कि मैं कुछ कहूं आपको यह समझ में आ जाय।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं चाहती हूं कि आप बात को स्पष्ट करें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपकी समझदारी की पूरी इज्जत करता हूं लेकिन यह इतनी अधिक नहीं है कि इससे पहले कि मैं कुछ स्पष्टीकरण आपको दूं, महोदया आप उसे समझ लें।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी आपको अच्छी तरह से जानता हूं।

महोदया, मुझे ये मुद्दे स्पष्ट करने हैं क्योंकि मैंने इस संसद में उनका जिक्र किया है। मैंने कई बार कहा था कि वह इस तरफ दल बदलने के लिए नहीं आती हैं बल्कि हमसे परामर्श करने आती हैं। सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बातचीत होती है। हम कतिपय प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हैं। हम कार्यसूची में कतिपय मदों के परिवर्तन तथा अक्सर आम सहमति द्वारा सभा की कार्यसूची में फेरबदल को स्वीकार करते हैं। ये परम्पराएं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई हैं और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों द्वारा अभी तक इनका आदर किया जाता है। कोई भी संसद, कोई भी संसदीय कार्य केवल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। कतिपय मदों को प्राथमिकता देने के लिए जो कि कार्यसूची में नहीं है और कभी-कभी उसके लिए आपको इस बात की आवश्यकता होती है कि कुछ नियमों में ढील दी जाये, आपको न केवल आपकी पार्टी बल्कि सारी सभा के सहयोग की आवश्यकता होती है और हमने वह सहयोग दिया है।

महोदया, उस रोज एक सदस्य द्वारा उप मंत्री से पूछताछ की गई थी—मुझे खेद है, उपाध्यक्ष महोदय से, मैं उपाध्यक्ष महोदय का पद नहीं घटाना चाहता हूं—कि क्या सभा की बैठक 6 म० प० के बाद भी चलेगी। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सोमवार तक सभा की कार्यवाही 6 बजे के बाद जारी नहीं रहेगी। कई सदस्य, जिनके शनिवार और रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्रों और कहीं और राजनैतिक काम थे 6 म० प० पर राज्य सभा की कार्यवाही छोड़कर चले गये। मैं स्वयं एक अच्छे कार्य के लिए बिहार गया जहां एक महान शहीद को याद किया गया जो स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद हुए थे। जब उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 6 म० प० के बाद कार्यवाही जारी नहीं रहेगी तो हमने इसे सत्य मान लिया था और हमने सोचा कि हम जा सकते हैं। लेकिन आपने 6 म० प० के बाद उस दिन इतना संवेदनशील मुद्दा उठाने और इतनी महत्वपूर्ण उद्घोषणा करने का निर्णय लिया। इसे पहले लाया जा सकता था ताकि हम कतिपय स्पष्टीकरण मांग सकते। हम इस पर तत्काल कतिपय प्रस्ताव देख सकते थे। हममें से कुछ ने उस घटना के बाद कहा होता कि हम 12 बजे तक बैठेंगे लेकिन हमें निन्दा प्रस्ताव की अनुमति दी जाए। लेकिन 6 बजे के बाद हमारे जाने के बाद कार्यवाही का समय एक के बाद एक तीन बार बढ़ाया गया था। महोदया, कार्यकारी अधिकारियों का कार्यकाल भी तीन बार कभी नहीं बढ़ाया जाता। फिर अन्त में जब केवल तीन विपक्षी सदस्य उपस्थित थे तो यह उद्घोषणा की गई थी।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : पांच विपक्षी सदस्य थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है । द्रौपदी के बगैर भी पांच पांडव वहां थे ।

डा० कृपासिंधु भोई : आप द्रोणाचार्य हैं । और वह लघु शीर्ष भी उपस्थित थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष के केवल पांच सदस्य उपस्थित थे क्योंकि उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष के शब्दों का भरोसा किया । वे अगले रोज के अपने कार्यक्रम को पूरा करना चाहते थे और उन्होंने दिये गये आश्वासन पर विश्वास किया ।

श्री० एस० जयपाल रेड्डी : महोदया, डा० भोई ने मेरे बारे में कुछ कहा था । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा ।

डा० कृपासिन्धु भोई : यह एक अच्छी बात थी । मैंने कहा था कुछ लघुशीर्ष सहित, पांच विपक्षी सदस्य थे ।

प्रो० मधु दंडवते : खैर हम जीव विज्ञान की भाषा को नहीं समझते हैं । शायद पशु-चिकित्सक ही इसे जानते हैं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या पशु चिकित्सक मनुष्य नहीं हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे दुख है । मैंने आपका जिक्र नहीं किया था । मैंने सोचा कि यह उनसे संबद्ध है ।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहती हूं । प्रो० मधु दंडवते और विपक्ष के अन्य सदस्य कल से इस बात का राग अलाप रहे हैं कि सभा का समय बढ़ाया गया था···

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदया, यह विचार नहीं था, यह सच था ।

श्रीमती शीला दीक्षित : ठीक है, यह सच था और इससे कोई इन्कार नहीं है । लेकिन विचार भी तथ्य हो सकते हैं ।

श्री एच० ए० डोरा : कितनी आश्चर्यजनक धारणा है ।

श्रीमती शीला दीक्षित : खैर, वे इस बात का रोना रो रहे हैं कि सभा की कार्यवाही का समय उनसे परामर्श किये बगैर ही बढ़ा दिया गया था । प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार से हम सभा की मंशा का उन सदस्यों से परामर्श करके पता लगाते हैं, जो सभा में उपस्थित होते हैं और फिर हम कार्यसूची में परिवर्तन करते हैं । हो सकता है कभी-कभी हमें विधान विशेष प्रस्तुत करना हो या कभी-कभी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा होनी हो । इसलिए कार्यवाही के क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है । उस दिन भी सभा में सदस्य उपस्थित थे और सभा को बताया गया कि सभा का समय बढ़ाया जायेगा । यदि मुझे ठीक याद है, सदस्यों ने सभा का समय बढ़ाये जाने के लिए मतदान भी किया, जो कि कुछ अभूतपूर्व बात थी । श्री जयपाल रेड्डी मत विभाजन चाहते थे और इसे रद्द कर दिया गया । पांच लोगों ने इसके विरुद्ध मत दिया क्योंकि केवल पांच विपक्षी सदस्य उपस्थित थे । हमसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि हम कांग्रेस (इ) के सभी 400 सदस्यों और विपक्ष के 100 सदस्यों को बुलाते । न ही ऐसा कभी किया गया है । जैसे कि आप

जानते हैं वे सदस्य जो उस वक्त उपस्थित थे ही, सभा का गठन करते हैं। और वे ही निर्णय लेते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदया, मैं संतुष्ट हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित : यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर बार-बार इसका जिक्र नहीं कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदया, मैं आप पर एक अट्टहास करना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 6 म० प० के बाद कोई बैठक नहीं होगी ?

श्रीमती शीला दीक्षित : माननीय उपाध्यक्ष ने अवश्य कुछ कहा होगा। तत्पश्चात सभा ने कुछ और फैसला किया। आप सब जानते हैं कि इसका केवल यही उत्तर है। मैं भी जानती हूं कि आपके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : क्या सभा का समय बढ़ाये जाने के लिए कभी मत विभाजन हुआ है ? यह हमेशा सारी सभा की सम्पति से किया जाता है।

श्रीमती शीला दीक्षित : एक माननीय सदस्य ने मत विभाजन के लिए कहा था। इसलिए मत विभाजन हुआ और पीठासीन अधिकारी ने फैसले को स्वीकार किया था। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदया, क्या आप मेरी बात मानेंगी ? कृपया मुझे गलत न समझें। वह एक संसदीय व्यक्ति हैं। इसी वजह से मैंने उन्हें बात मानने के लिए कहा है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : प्रोफेसर साहब, क्या आप उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : इतना अधीर नहीं होईए। मैं उस बात पर आ रहा हूं। सत्तारूढ़ पक्ष का प्रत्येक व्यक्ति इतना अधीर है। सभापति महोदया, उन्होंने अपना विचार एक वकील की तरह स्पष्ट किया है और मैं इसे ठीक वैसे ही स्वीकार करता हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मैं एक वकील नहीं हूं। मैंने कभी भी कानून नहीं पढ़ा है। लेकिन तर्क नाम की एक चीज है और मैं समझती हूं कि मैंने थोड़ा यही किया है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है। वह वकील नहीं हैं। वह केवल एक संसदीय मंत्री हैं। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने कानूनी स्थिति, प्रक्रिया संबंधी स्थिति और तकनीकी स्थिति को स्पष्ट किया है। मैं उन्हें केवल उसी बात पर विचार करने के लिए कहूंगा जो उन्होंने यहां मौखिक रूप से कही है। और जब वह घर जायें तो वह अपनी आत्मा से पूछें कि क्या वह इस तरह के समायोजन से, जो उन्होंने इस सभा का समय बढ़ाने के किए किया है, संतुष्ट हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैने शुक्रवार को अपनी अन्तरात्मा से सलाह ली। इस पर सलाह लेने के लिए मुझे वापस घर नहीं जाना है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, मैंने सोचा कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।

सभापति महोदय : प्रो० दंडवते, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

प्रो० मधु दण्डवते : हां महोदया। अन्ततः, ऐसे प्रत्युत्तर ही तो संसद में जान फूंकते हैं। जब ऐसी सौम्य महिला हस्तक्षेप करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है।

सभापति महोदया, श्री वीरेन्द्र पाटिल और कई अन्य सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं परन्तु वे प्रासंगित नहीं हैं। उनका अपना महत्व है और उनका अपना वजन है। इसलिए, मैं केवल एक विशेष पहलू को लूंगा जो कर्नाटक में संवैधानिक संकट पर हो रही बहस के लिए बहुत प्रासंगिक है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बहस का उल्लेख करना चाहता हूं जो संविधान सभा में हुई थी और मैं डा० अम्बेडकर द्वारा स्पष्टीकरण में कहे गये शब्दों को उद्धृत करूंगा क्योंकि उस समय यही मुद्दा उठा था, मैं अपने माननीय दोस्त श्री वीरेन्द्र पाटिल को यह बताना चाहता हूं कि हम राज्य सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में कि यह अच्छा रहा या बुरा, चर्चा नहीं कर रहे थे। हम कर्नाटक में सरकार की स्वच्छता या ऐसी किसी बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे। हम सरकार की आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं कर रहे थे। हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे कि वहां जो सरकार थी वह अच्छी थी या बुरी अथवा सक्षम थी असक्षम थी। इस प्रश्न का संविधान सभा में श्री हृदयनाथ कुंजरू तथा डा० अम्बेडकर जैसे प्रमुख संसदविदों ने वास्तव में पूर्वानुमान लगा लिया था।

3.00 म० प०

यह इस वाद-विवाद के लिए बहुत प्रासंगिक है—अनुच्छेद 356, जो इस समय अनुच्छेद 278 था, के क्षेत्र के बारे में 4 अगस्त, 1949 को जब प्रो० रंगा भी संविधान सभा में उपस्थित थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने अनुच्छेद 356 के क्षेत्र तथा विस्तार के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जो पंडित कुंजरू ने कहा था मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "क्या मैं अपने माननीय दोस्त से एक बात स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूं? क्या अनुच्छेद 278 और 278-क (अब अनुच्छेद 356) का उद्देश्य राज्यों में बेहतर सरकार के लिए राज्य के मामलों में केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करने हेतु सक्षम बनाना है?"

डा० बी० आर० अम्बेडकर, जो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ने कहा : "नहीं, नहीं। केन्द्र को यह अधिकार नहीं दिया गया है।"

पंडित कुंजरू ने कहा : "अथवा केवल तभी जब राज्य में ऐसा कुशासन हो जिससे जन शान्ति को खतरा हो?"

डा० बी० आर० अम्बेडकर ने कहा : "केवल तभी जब सरकार राज्यों की संवैधानिक सरकार के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलती है। चाहे राज्य में एक अच्छी सरकार है या नहीं, यह बात तय करना केन्द्र का काम नहीं है। इस विषय पर मैं बिलकुल स्पष्ट हूं।" उन्होंने इस विवाद का हल कर दिया था। संविधान सभा में डा० बी० आर० अम्बेडकर की पूरी सभा ने वाह-वाही की क्योंकि उन दिनों शाबाशी को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाता था। महोदया, मेरे विचार से मेरी बात सही है। सभा में बहुत अधिक वाहवाही हुई और इससे विवाद

हल हो गया। पंडित जी ने कहा, "यह स्पष्ट है।" यह महत्वपूर्ण बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो रंगा ने भी वाहवाही की थी।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इस पर वाद-विवाद और चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कर्नाटक सरकार के कार्य निष्पादन के गुण और दोष क्या हैं? परन्तु इस पर चर्चा करने के लिए यह अवसर नहीं है। यह राज्यपाल और केन्द्र सरकार का काम नहीं है और जैसा कि डा० अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि यह केन्द्र सरकार का भी काम नहीं है। चाहे यह अच्छी सरकार हो या बुरी सरकार हो, जनता इसका ध्यान रखेगी।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : आप इसे बिना संदर्भ के उद्धृत कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मेरा संदर्भ है। आपका संदर्भ अलग है। मैं आपको सन्तुष्ट नहीं कर सकता। जब तक आप असंतुष्ट नहीं रहते तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे।

इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक संकट के प्रश्न के आसपास मंडराती एक सैद्धान्तिक और एक वैचारिक विवाद है। इसलिए, डा० अम्बेडकर ने यह बार-बार कहा था, चाहे अच्छी सरकार हो या बुरी और चाहे इसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है या नहीं, जनता चुनाव के समय यह बात तय करेगी। जहां तक राज्यपाल तथा केन्द्र का सम्बन्ध है, हमें तभी सुनवाई करनी है जब वहां संवैधानिक प्रावधानों का पालन न किया जाये और वास्तव में केवल तभी जब वहां संवैधानिक संकट पैदा हो जाये। राज्पालों द्वारा संवैधानिक मर्यादा के हनने के मामले रहे हैं। हम राज्यपाल के कार्य से नाराज क्यों थे? मैं आपको यह बात अब बताता हूं। जहां तक विपक्ष का सम्बन्ध है, वर्षों से पार्टी का ध्यान रखे बिना, हमारे श्री वेंकट सुबैया से व्यक्तिगत ताल्लुक हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत-सी गुप्त बातों का आदान-प्रदान किया है। राजनैतिक रहस्यों का नहीं क्योंकि इससे शासकीय गोपनीयता अधिनियम की ओर ध्यान जायेगा। परन्तु एक बार उन्होंने कहा था और मुझे याद है जब वह यहां पांचवीं लोक सभा में मेरे साथ बैठे थे : "प्रो० दण्डवते, मैं बाल-बाल बच गया। मैंने कांग्रेस (ओ) में अपनी सदस्यता जारी रखने का लगभग फैसला कर लिया था।"

श्री संतोष मोहन देव : महोदया, उनका कहना है कि उन्होंने श्री वेंकटसुबैया के साथ गोपनीयता का आदान-प्रदान किया था। महोदय, जब मैं इस मुद्दे पर जवाब दूं उस समय मुझे उन गुप्त बातों का उल्लेख करने की उन्हें अनुमति देनी चाहिए जिनका मैंने श्री वेंकटसुबैया से आदान-प्रदान किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कभी भी आपत्ति नहीं की।

श्री संतोष मोहन देव : क्या यह व्याकुल कर देने वाली बात है?

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें व्याकुल कर देने वाली कोई बात नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : बोलते समय आप बहुत सावधान रहिए। मैं यह कह रहा हूं कि श्री वेंकटसुबैया के बारे में श्री हेगड़े और अन्य लोग जो कुछ कहते हैं उसमें मुझे भी शामिल कर लीजिए। फिर हकीकत सामने आयेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : बिलकुल नहीं। कुछ भी नहीं है। श्रीमान संतोष मोहन देव मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। मैंने जो कहा है आप उसका भण्डाफोड़ कर सकते हैं और मैं घबराहट महसूस नहीं करूंगा। आप विश्वास कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : जो गुप्त बातें आप अभी कर रहे हैं उनका उल्लेख करना ठीक नहीं है। आप अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या कहा है ? आप मेरी बात सुनिए और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुन कर आप लुत्फ उठायेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। ऐसी बातें कहना आपके लिए ठीक नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। महोदया, मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूं जिससे किसी को क्षति पहुंचे।

उन्होंने कहा था, "राजनैतिक स्थिति बदल गई है और मैं बाल-बाल बच गया हूं तथा मुझे यह निर्णय कर लेना चाहिए कि कांग्रेस (ओ) की सदस्यता जारी रखूं या नहीं। परन्तु मैंने सारा प्रवाह देखा था और मैं समझ गया था कि श्रीमती गांधी को देश तथा कांग्रेस में जन सामान्य का समर्थन मिल रहा था। और मैंने समय पर निर्णय ले लिया और मैं कांग्रेस (आई) में शामिल हो गया।"

मैं श्री वेंकटसुबैया के बारे में कोई भद्दा उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यदि मैं लोगों के बारे में भद्दे उल्लेख करके तथा कुछ भण्डाफोड़ करके जो अशोभनीय हो, अपनी राजनीति को चलाऊं तो मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। आप इस बात से निश्चिन्त रहिए। मैं केवल यही कहना चाहता था कि हमने राजनीति के बारे में जो कुछ महसूस किया उस पर हमने हमेशा विचार-विमर्श किया और किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखा। परन्तु जब वह केन्द्र के इशारे पर एक विशेष ढंग से कार्य करते हैं और हम इससे सहमत नहीं हैं – यह व्यक्तिगत रूप से श्री वेंकटसुबैया से मतभेद नहीं हैं—तो हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यदि मेरे पिता ने भी इस ढंग से कार्य किया होता जिस ढंग से श्री वेंकटसुबैया ने किया है तो मैंने मेरे पिताजी के विरुद्ध भी निन्दा प्रस्ताव रखा होता क्योंकि सिद्धान्त महत्वपूर्ण है और दो लोगों के बीच सम्बन्ध महत्वपूर्ण नहीं है तथा मुझे विश्वास है कि राज्यपाल भी आलोचना को उस विशेष स्तर तक ही रखेंगे। फिर क्या हुआ ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्री राम लाल की सरकार का क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। आप कृपया इन्तजार कीजिए। मैं आपको उस समय के आपके रवैये के बारे में भी बतलाऊंगा। मैं प्रत्येक मुद्दे का उल्लेख करूंगा। जब मैं कहता हूं कि जो कुछ श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कहा उस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी देना चाहता हूं। मैं उस मुद्दे को भी लूंगा। कृपया मेरी बात सुनिये। थोड़ी तसल्ली रखिये। मैं कोई मुद्दा छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा **(व्यवधान)**।

मुझमें आपकी तरह वाद-विवाद करने की सामर्थ्य नहीं है।

मैं राजनीतिक संवैधानिक और अन्य बातों के उल्लंघन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो वापसी के पत्र भेजे गये थे। महोदया, क्या आपके राजनैतिक जीवन में कभी ऐसा हुआ है। आप भी कर्नाटक में विधान सभा में महत्वपूर्ण पद पर थीं।

क्या आपको किसी स्थिति या किसी घटना या किसी अनुभव की जानकारी है जब कुछ पत्र भेजे गये हों और उन्हीं से समूची सरकार भंग हो गई हो जो पांच वर्षों तक के लिए बनाई गई थी। जब कतिपय पत्रों के ऐसे परिणाम होंगे तो हर एक अधिकारी इन पत्रों को गम्भीरतापूर्वक लेगा ? 19 पत्र आये थे। उन्होंने तुरन्त ही एक रिपोर्ट केन्द्र को भेज दी, उन्होंने राज्य के मुख्य मंत्री को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं समझी और उसके विचारों को भी जानने का प्रयास नहीं किया। वे आपकी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों के अधीन ऐसा किया वे इस मामले में उनसे चर्चा कर सकते थे। नहीं, उन्होंने यह नहीं किया, उन्होंने मुख्य मन्त्री से पुष्टि नहीं की, मुख्य मन्त्री को सभा में अपने बहुमत का समर्थन और प्रदर्शन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने स्वयं ऐसा करने के लिए कहा था। उनसे कहा नहीं गया था लेकिन उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था। उन्होंने कहा, "मैं 26 अप्रैल की तारीख निर्धारित करता हू" इसलिए सरकार को नीचा दिखाना था और विधानसभा भंग किये जाने की संभावना थी। निष्पक्षता से वह कहते, "मैं 27 तारीख को अपना बहुमत सिद्ध करूंगा" जब श्री वीरेन्द्र पाटिल बोल रहे थे तो मैंने कुछ क्षणों के लिए व्यवधान डाला था। वह मान गये थे। मैंने उन्हें बताया था कि जो मौका जो सदस्य हाथ से निकल गये यह उसके लिए नहीं है, उन्होंने राज्यपाल को बताया था कि वह विधान सभा को 27 तारीख को बुलाना चाहते थे लेकिन अगर वह चाहते तो जल्दी भी विधान सभा बुला सकते थे। जिससे वह सन्तुष्ट हो सके। उन्होंने राज्यपाल को भी बताया कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसे राज्यपाल द्वारा जल्दी भी बुलाया जा सकता था, 27 तारीख से भी पहले। मैं सदन के दूसरे पक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर वह विधान सभा एक या दो दिन पहले बुला लेते तथा बहुमत का प्रदर्शन न होने देते तो क्या आसमान गिर जाता ऐसा नहीं किया गया था, जब मैं यह कहता हूं तो संवैधानिक विधानसभा के वाद-विवादों का समर्थन मुझे प्राप्त है, मुझे सरकारिया आयोग उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन प्राप्त है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं जिससे कि भविष्य में यह एक मिसाल बन जायेगा। श्री बीजू पटनायक द्वारा उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर दायर की गई याचिका पर 27 अक्तूबर, 1973 को उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। इसमें बताया गया है :

> "मंत्रालय की स्थिरता की जांच विधायकों के पूर्ववर्ती और समकालीन आधार से नहीं बल्कि विधान सभा में सदस्यों की गिनती करके की जानी चाहिए।"

यह राजभवन के आरामदायक चैम्बर में नहीं किया गया था, वरन यह विधान सभा में सदस्यों की गिनती करके किया गया था लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि नागालैंड विधान सभा में बिना बहुमत सिद्ध किए राष्ट्रपति शासन लागू करने पर वामुजोने याचिका दायर की थी तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उसी सिद्धान्त का समर्थन किया था। उसी प्रकार का वही निर्णय दिया गया था। अब न्यायालय की मंजूरी का यह हाल है।

मेरे पास राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन से सम्बन्धित लोक सभा

सचिवालय द्वारा प्रस्तुत एवं दस्तावेज है। विधानमण्डल के दस्तावेज से यह जानकारी दी गई है। यह 1989 में प्रकाशित हुआ है। विभिन्न राज्यों में लगभग 18 बार केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया गया था और केन्द्र हस्तक्षेप में कभी-कभी विधानसभा को भंग किया गया था, कभी-कभी निर्गामी मुख्य मन्त्री की सलाह को स्वीकार किया गया था और कभी अस्वीकार किया गया था और कभी-कभी विधानसभा को कुछ समय के लिए विलम्बित भी कर दिया जाता है। इन रिपोर्टों से ऐसा स्वयं स्पष्ट होता है क्योंकि उन्होंने दुर्भाग्य से तालिका दी है। उन्होंने राज्य का नाम दिया है, मुख्य मन्त्री का नाम बताया था, उसने क्या सलाह दी थी सरकार की कार्यवाही क्या थी और आप पाओगे जैसा कि सरकारिया आयोग ने भी कहा था कि बहुत से मामलों में केन्द्र ने आन्तरिक पार्टी हितों के लिए सत्ताधारी दल के हितों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सरकार को बरखास्त किया गया और विधान सभा भंग की गई। ऐसा सरकारिया आयोग ने कहा है। इसलिए उच्च न्यायालय के निर्णयों, परम्पराओं और संविधान सभा के निदेशों की अवहेलना की गयी तथा हमें यह भी लगता है कि यह सब कुछ पूर्व परम्परा को ध्यान में रखकर किया गया।

मैं उस विषय के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूं जिसे यहां उपस्थित माननीय सदस्य तथा श्री वीरेन्द्र पाटिल ने उठाया था। 1977 में जब उत्तर में जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय हुई—

एक माननीय सदस्य : ओह !

प्रो० मधु दण्डवते : आप ओह कह सकते हैं। हमने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमने एक कांग्रेसी के रूप में चुनाव भी लड़ा। उस समय ऐसा कभी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में शत-प्रतिशत सीटों पर विजय हुई हो तथा ऐसी अभूतपूर्व विजय हुई हो। तत्पश्चात मन्त्रिमण्डल ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अनेक राज्यों में सरकारों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : पांच वर्ष।

प्रो० मधु दण्डवते : तदोपरान्त यह मामला उच्चतम न्यायालय में भेज दिया गया। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इस पर प्रकाश नहीं डाला परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के बावजूद भी मैं भूतलक्षी प्रभाव से इसे स्वीकार कर लूंगा···(**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए। विश्वास दिलाने में कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आज भी यही कहता हूं। यद्यपि मैंने यह अपनी परिषद में कहा था परन्तु अब इसे खुले आम कहना चाहता हूं। निःसंदेह 1977 में ऐसी अभूतपूर्व विजय तथा कुछ मामलों में शत-प्रतिशत विजय के बावजूद भी तत्कालीन जनता सरकार ने यह तर्क दिया कि कांग्रेस को राज्यों की सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि हमें ऐसा अभूतपूर्व जनमत मिला है और कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया गया है। और जनता सरकार के शासन के दौरान नौ राज्यों की विधान सभाओं को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मेरे विचार से यह मेरी सरकार की बड़ी भूल थी, मैं इसे मानता हूं, मैं इसका निर्लज्जता से बचाव नहीं करूंगा।

एक माननीय सदस्य : इतने विलंब से ।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां । कोई फर्क नहीं पड़ता । कभी नहीं से विलम्ब भला । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हानिकारक पूर्वोदाहरण प्रस्तुत किया गया है, इससे ऐसे पूर्वोदाहरण बन जायेंगे जो भावी कांग्रेस, भावी जनता दल तथा भावी कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक होंगे। परन्तु यदि हम भारी भूल करते तो···

सभापति महोदय : श्री दण्डवते अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदया, मैंने आपको बता दिया कि इस सरकार में हमारी सरकार की बर्खास्तगी का खतरा है इसलिए मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। यदि आप समय पर ध्यान दें तो आपको यह मालूम पड़ जायेगा कि पूर्व वक्ताओं को अत्यधिक समय दिया गया। फिर भी उसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। यदि आप कहेंगी, "अपनी जगह पर बैठ जाइये" तो मैं 15 मिनट में अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा ।

सभापति महोदय : मैंने कहा, अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास कीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि एक गलती होती है तो क्या हम उस गलती को दोहराएंगे ? उदाहरणार्थ 1975 में श्रीमती गांधी की सरकार ने आपातकालीन घोषणा की थी। यदि जनता दल की सरकार सत्ता में आये अथवा केन्द्र में विपक्षी दलों की संयुक्त सरकार बने तो क्या हम अत्याचारपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे और यह निर्णय करेंगे कि देश में आपातकालीन घोषणा कर दी जाए क्या इसके लिये तर्क देंगे कि 1975 में श्रीमती गांधी ने भी आपातकालीन घोषणा की थी ? क्या यह न्यायसंगत होगा ? गलती की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। इसलिये आज मैं खुलेआम इस सभा में कह रहा हूं। यद्यपि मैं अपनी सरकार की भूल को कानूनी रूप से न्यायसंगत ठहरा सकता हूं परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे हानिकारक पूर्वोदाहरण बन जायेगा और इसे ही दोहराया जा रहा है। सत्तारूढ़ पक्ष के सभी सदस्य उनकी तरफ संकेत कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जनता सरकार के समान होना चाहते हैं जिसने नौ विधान सभाओं को बर्खास्त किया इसलिए हमने भी नौ विधान सभाओं को बर्खास्त कर दिया है। और इसलिए उन्होंने वर्ष 1980 में ऐसा किया हमने वर्ष 1977 में ऐसा किया था। समय अन्तराल और समय परिवर्तन के बावजूद वही कार्यवाही जारी रखी गई। अन्यथा दोनों सरकारों द्वारा समान रूप से भारी भूल की गई थी। और मुझे यह आशा और विश्वास है कि भविष्य में चाहे जनता दल की सरकार हो अथवा कांग्रेस (आई) की, वह गैर-पक्षपाती रवैया अपनायेगी, इतिहास से सबक लेगी और ऐसी भारी भूल नहीं करेगी। हम इस विशेष आचरण को न्यायसंगत ठहराना नहीं चाहते। इसके लिए विभिन्न प्रकार के मानदंड दिए गए हैं। वे कहते है कि कर्नाटक की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक दृष्टि से कर्नाटक डूब रहा था और ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह अपरिहार्य था। दल के सदस्यों के बीच मतभेद और गुटबन्दी थी। क्या उन्हें गुटबन्दी के बारे में बातचीत करना शोभा देता है ? महोदया, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार में कांग्रेस दल के अन्तर्गत क्या घटित हुआ था ? क्या हमें यह पता नहीं चला था कि मुख्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय के बीच विरोध था। क्या यह एक वास्तविकता नहीं है कि यह उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया

गया था कि वे मुख्य मंत्री का समर्थन नहीं कर रहे थे ? क्या यह एक वास्तविकता नहीं है कि राजस्थान, गुजरात और बिहार में कांग्रेस आई विधान मण्डल दलों में इस विरोध के परिणाम-स्वरूप हमारे संविधान के सवैधानिक उपबन्धों के अनुसार इन तीनों राज्यों की विधानसभाओं में बजट पारित नहीं किया जा सकता ? जब आप कर्नाटक की वित्तीत स्थिति और जनता दल में अतिरिक्त कलह और विवाद के बारे में बात करते हैं तो···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वे नैतिकता के बारे में भी बात करते हैं···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : उनके यहां कुछ नैतिक व्यक्ति हैं, हम अनैतिक व्यक्ति हैं। मैं इस बारे में बातचीत नहीं करूंगा। अतः क्या आप आन्तरिक विरोध और गुटबन्दी के बारे में कहते समय अपने भीतर झाकेंगे, यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या घटित हुआ था। उन्होंने विधान मण्डलों के नेताओं और मुख्य मंत्रियों को विधायकों के मतदान द्वारा नहीं बदला था। प्रत्येक बात दिल्ली से प्रेरित की गई थी। ये सभी घटनायें घटित हुई हैं। क्या हम इस आधार पर इसे न्यायसंगत ठहरा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए ? क्या हम यह तर्क दे सकते हैं ? क्या हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की आन्तरिक समस्या, वित्तीय संकट, ऐसी स्थिति जिसमें बजट भी पारित न किया जा सके, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक उचित स्थिति है ? यदि हम ऐसा कहते हैं तो डा० अम्बेडकर द्वारा वर्ष 1949 में संविधान सभा में दिये गये सभी आश्वासन निरर्थक बन जाते हैं और यह एक गलत अवधारणा है।

जहां तक राज्यपालों का सम्बन्ध है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में राज्यपाल की स्थिति के बारे में एक अध्याय दिया गया है। इस मुद्दे पर संविधान सभा में वाद-विवाद हुए हैं और महोदया, मैंने इस बारे में स्वयं भी एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है। उसे पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। जब कभी मतदान के समय भाग्य हमारे अनुकूल होगा, सदन द्वारा इसके बारे में विचार किया जायेगा···(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : भाग्य अनुकूल नहीं होगा।···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतदान और उनकी बात समान नहीं हैं। मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने यह उल्लेख किया है कि राज्यपाल की प्रत्येक नियुक्ति सदन द्वारा अनुमोदित की जाये। मैं यह नहीं कहूंगा कि उनकी नियुक्ति संसद द्वारा की जानी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि इसके लिए एक समिति गठित कीजिए परन्तु राज्यपाल की प्रत्येक नियुक्ति संसद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले कार्यकारी अधिकारी को सदैव यह डर बना रहेगा कि उन्हें संसद का सामना करना है उनके गुणों और अवगुणों के बारे में चर्चा की जायेगी और यदि किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कुछ ठोस मुद्दे हैं तो वे मुद्दे सदन के सामने आ जायेंगे और इसलिए राज्यपाल के पद के लिए किसी नाम का प्रस्ताव करने से पहले कार्यकारी अधिकारी को दस बार सोचना पड़ेगा। आजकल क्या घटित होता है। आजकल हमें यह पता लगता है कि राज-नीति से सेवा-निवृत वे लोग जो कि आन्तरिक राजनीति में भाग लेते थे और हारे हुए उम्मीदवारों

को दुर्भाग्य से राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसा संयोमवश नहीं होता है।

इस विशेष राज्यपाल श्री वेंकट सुबैया के बारे में मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने एक उचित प्रश्न उठाया था परन्तु उनकी बात पर शोर गुल मचा दिया गया। मैं उस प्रश्न को उठाऊंगा। क्या यह एक वास्तविकता नहीं है याद रखिये कि इस समय तक श्री वेंकट सुबैया ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि श्री वेंकट सुबैया ने राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया है ? प्रैस वालों ने उनसे यह प्रश्न बार-बार यह प्रश्न पूछा था कि क्या वे इस बात को स्वीकार करते हैं अथवा इससे इन्कार करते हैं ? उन्होने इस बात से इन्कार नहीं किया। जब वे पहले ही अपना त्यागपत्र भेज चुके हैं तो वे कैसे इस बात से इन्कार कर सकते हैं ? मैं यह नहीं जानता कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। वास्तव में हाल ही में दी गई टिप्पणियों में से उन्होंने यह एक टिप्पणी दी है कि यह उनका व्यक्तिगत और निजी मामला है। एक सरकारी पद एक निजी सम्पत्ति कैसे बन सकता है ? यदि यह बात किसी संयुक्त क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र के बारे में कही जाती तो यह बात मेरी समझ में आती। परन्तु प्रशासन के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच कैसे समझौता हो सकता है ? यह कोई निजी सम्पत्ति नहीं है। यह एक सरकारी पद है। वे संवैधानिक संकट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मेरा मत यह है—मेरा मत गलत भी हो सकता है कि कई स्थानों से यह सूचना मिली है कि क्योंकि उन पर कृपा-दृष्टि नहीं होती इसलिए वे त्यागपत्र दे देते हैं। और फिर उनके त्याग पत्र को लम्बित रखते हुए उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया। वह प्रस्ताव क्या था ? वह प्रस्ताव यह था कि या तो वे कर्नाटक के राज्यपाल बने रहें अथवा कर्नाटक के मुख्य मंत्री कर्नाटक के मुख्य मंत्री बने रहेंगे।

डा० कृपासिन्धु भोई : आप भ्रम में हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मेरी टिप्पणियो को भ्रम कह सकते हैं परन्तु सम्पूर्ण कर्नाटक इसके बारे में बातचीत करता है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। राज्यपाल महोदय ने यह वक्तव्य नहीं दिया है कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। क्या यह उन पर लादी गई विवशता नहीं है ? श्री वेंकट सुबैया के सामने निरन्तर यह खतरा बना हुआ था कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं......

एक माननीय सदस्य : उन्होंने स्वयं त्याग पत्र दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : त्यागपत्र सदैव उस व्यक्ति द्वारा ही दिया जाता है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों की गई जिसमें उन्होंने त्यागपत्र देने की पेशकश की।

वे बहुत से दबावों के बारे में बातचीत करते हैं। मैं यह नहीं जानता कि कैसे इसका वर्णन किया जाता है। राज्यपाल के पद के स्थान पर यदि आप मुख्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तो उसे हार्स ट्रेडिंग कहा जाता है अथवा म्यूल ट्रेडिंग कहा जाता है अथवा किसी अन्य जानवर का वर्णन किया जाता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु ऐसी बात है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अतः राज्यपाल की सहायता करने के लिए इन 19 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कोई भी उल्टा तर्क करने के लिए स्वतन्त्र हैं। परन्तु यह मेरा तर्क नहीं है।

संविधान सभा की बात पर पुनः जाते हुए मैं यह कहता हूं कि श्री एच० वी० कामथ, श्री कुन्जरू, श्री के० टी० शाह ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा, आपातकाल की घोषणा से सम्बन्धित अनुच्छेदों के प्रश्न को उठाया था। इस बारे में काफी चर्चा हुई थी।

डा० कृपासिन्धु भोई : शाह आयोग।

प्रो० मधु दण्डवते : वे के० टी० शाह थे, सम्भवतः आपको यह भी पता नहीं होगा कि वे कौन थे। वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद के प्रतियोगी थे। यह बात आपकी सूचना के लिए है। जिस प्रकार सभी गांधी समान नहीं हैं इसी प्रकार सभी शाह समान नहीं हैं। आप गलत पहचान रहे हैं। जैसे ही हम महात्मा गांधी के बारे में बातचीत करते हैं यह समझा जाता है कि राजीव गांधी के बारे में बातचीत की जा रही है। कोई आदमी क्या महात्मा गांधी जैसा भी हो सकता है .

श्री एच० वी० कामथ तथा अन्य लोगों ने अनुच्छेद 356 और आपातकाल के प्रश्न को उठाया था। मैं डा० अम्बेडकर की बात को उद्धृत करना चाहूंगा, जो कि भविष्य में यह सभी प्रशासकों एवं सांसदों के लिए मार्गदर्शन होगी :

> "मैं इस बात से पूर्णतया इन्कार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग करने अथवा राजनैतिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाने की संभावना है। परन्तु यह आपत्ति संविधान के उस प्रत्येक भाग पर लागू होती है जोकि केन्द्र को प्रान्तों का दमन करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे अनुच्छेदों को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जायेगा और वे अप्रचलित अनुच्छेद बने रहेंगे।"

डा० अम्बेडकर ने यह सपना देखा था कि भविष्य में स्वतन्त्र भारत में ये अनुच्छेद अप्रचलित बन जायेंगे। परन्तु वे इतने अधिक प्रचलित बन गये हैं कि 80 बार केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा चुका है और वर्ष 1975 में आपातकालीन स्थिति लागू की गई थी। अतः उन्होंने जिन अनुच्छेदों को उन्होंने अप्रचलित कहा था वे प्रचलित बन चुके हैं। मुझे यह आशा और विश्वास है कि आपातकालीन उपबंधों और राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बारे में डा० अम्बेडकर ने जो कुछ कहा है वह भविष्य में एक वास्तविकता बन जायेगी।

दलबदल विरोधी कानून के बारे में एक मुद्दा है। इस मुद्दे के बारे में मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की बात से सहमत हूं। मैं टेलीविजन पर महान विद्वानों के वाद-विवाद को सुन रहा था। वे न्याय शास्त्र कानून, संसदीय मामलों और विभिन्न विधानों के बारे में विशेषज्ञ व्यक्ति थे। और उनमें से कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि उन विधायकों पर यह दल बदल विरोधी कानून कैसे लागू हो सकता है जिन्होंने कर्नाटक में दल-बदल की है क्योंकि उन्होंने मूलतः जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और अब वे जनता दल के सदस्य हैं। वे इस बात को भूलते हैं कि सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था। मान्यता प्राप्ति के लिए

जो भी आवश्यक औपचारिकता थी उसे पूरा कर लिया गया था। और इसके बाद ही उन्हें मान्यता दी गई थी।

एक बार विधान सभा में उन्हें जनता दल की तरह मान्यता दी गयी है इसलिए वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जिनका उपयोग मूल जनता पार्टी ने किया था। कोई भी कह सकता है कि यह उन मूल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने जनता पार्टी में अपनी पहचान बनाये रखी है। उदाहरणार्थ मेरे साथी श्री शाहबुद्दीन ऐसा तर्क कर सकते हैं। परन्तु जिन लोगों ने शपथ-पत्र भरे थे उन्होंने अध्यक्ष को सूचित कर दिया था कि वे जनता दल में सम्मिलित हो रहे हैं। जनता दल मान्यता प्राप्त है। अध्यक्ष को सूचित करते हुए उन्होंने कहा, "हम मूलतः जनता पार्टी के हैं और यदि हम इसे छोड़ देंगे तो दल-बदल विरोधी कानून हम पर लागू नहीं होगा।" दल-बदल विरोधी कानून में विलय और विभाजन को मान्यता दी गयी है। यदि आप एक तिहाई से अधिक हैं तो विभाजन की स्वीकृति दी जाएगी और यदि आप दो तिहाई से अधिक हैं तो विलय की स्वीकृति दी जाएगी। दो तिहाई से अधिक बहुमत के आधार पर जनता पार्टी और लोक दल के विलय की स्वीकृति दी गयी और इसलिए जनता पार्टी दल बना था·· (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदया, क्या मैं स्पष्टीकरण के लिए निवेदन कर सकता हूं।

जिन लोगों ने राज्यपाल को पत्र लिखे थे उन्होंने यह नहीं कहा कि वे दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जनता दल और जनता पार्टी का एकीकरण अखिल भारतीय स्तर पर हुआ था। उदाहरणार्थ मेरे पास कुछ जगह अधिक विधायक नहीं हो सकते हैं तथा किसी विशेष जगह पर कोई विधेयक नहीं हो सकता है परन्तु यदि जनता पार्टी और लोक दल के एकीकरण से यह अखिल भारतीय दल बना है तो उसकी पहचान बनी रहेगी और वह हर जगह काम करेगी। इसलिए यदि कोई कहता है कि दल-बदल विरोधी कानून बिल्कुल लागू नहीं होता है तो मुझे इन महान विधिवेत्ताओं के विधायी ज्ञान पर तरस आता है जो इस कानून की गलत व्याख्या करते हैं।

महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपकी उत्सुकता देख रहा हूं तथा मैं अध्यक्ष पीठ के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता। इसलिए मैं 'अन्त में' कहता हूं। मैं आपको एक बार की बात बताना चाहता हूं, पांचवीं लोक सभा में जब श्रीमती कौल अध्यक्ष थीं तो जब वह घंटी बजाना शुरू करतीं तो मैं प्रत्येक बार 'अन्त में' कह देता और जब मैंने 'अन्त में' कहा तो उन्होंने अंगुली हटा ली। मैंने ऐसा चार बार किया तो अन्त में श्रीमती कौल ने कहा, "प्रोफ़ेसर, आप प्रत्येक बार 'अन्त में' कहते हैं और आप अगला मुद्दा उठा लेते हैं।" मैंने कहा, "महोदया, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं तथा हमारा नियम हमें बताता है कि प्रत्येक बात समाप्त करने के बाद अगली बात कहने से पहले निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार निष्कर्ष निकालता रहा।" परन्तु अब मैं ऐसी चालाकी नहीं करूंगा। मेरे यह कहने के बाद श्रीमती कौल बहुत हंसीं और तब मैंने कहा, "सभापति महोदया, आपकी मुस्कराहट के कारण मैं पन्द्रह मिनट का और समय लूंगा।" उन्होंने मुझे पन्द्रह मिनट

का समय दिया। मैं आपका लाभ नहीं उठाऊंगा। आप भी कम सौम्य नहीं हैं परन्तु मैं इसका लाभ नहीं उठाऊंगा। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वास्तव में अन्तिम बात कह रहा हूं कि इस देश में संसदीय प्रणाली है तथा बाहर जनता है, महात्मा गांधी और जय प्रकाश नारायण जैसे लोगों ने इस देश को संदेश दिया है। उन्होंने संसदीय प्रणाली का सम्मान किया तथा संसद और विधान सभा के बाहर जनता का भी सम्मान किया। गांधी जी और जय प्रकाश नारायण हमेशा कहते थे कि जब कभी समस्या पैदा हो, संदेह हो तथा आपको प्रतीत हो कि विधान सभा उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है तो आप फिर चुनाव करा सकते हैं। महोदया, सभा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली में सत्ता इस सभा में है इसके अतिरिक्त सत्ता बाहर जनता के पास भी है इसलिए जब हमें संसद में पर्याप्त दिशा नहीं मिलेगी तो हम जनता से दिशानिर्देश और सहायता चाहेंगे तथा जनता की शक्ति से हम कर्नाटक में हुए अन्याय का बदला लेंगे। आप हमें गिराने के लिए सरकार का उपयोग करेंगे तो हम जनता के पास जायेंगे और उसकी अनुमति और संघर्ष से आगामी चुनावों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम आपका नामनिशान मिटा देंगे।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदया, मैं कल से दोनों पक्षों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। यह गम्भीर मामला है। हम विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस सम्मानित सभा में गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते को यहां उपस्थित होना चाहिए। श्री दिनेश गोस्वामी के संकल्प में उल्लेख किया गया है :

> "कि यह सभा राज्य के मुख्य मंत्री को विधान सभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिए अवसर दिए बिना राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के सुस्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार की निंदा करती है और कर्नाटक के राज्यपाल को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग करती है।"

यह बड़ा गम्भीर मामला है कि राज्यपाल की कार्यवाही की निन्दा की जा रही है और उन्हें उनके पद से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस पर असावधानीपूर्वक विचार-विमर्श नहीं कर सकते। यदि राज्यपाल ने संविधान के उपबंधों के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो हमें उनकी निन्दा बिना किसी हिचकिचाहट के करनी चाहिए। अब स्थिति यह है कि इस सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हमें राज्यपाल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करना है तथा हमें यह देखना है कि राज्यपाल ने किन परिस्थितियों में यह कार्यवाही की है। अतः इन दो बातों का निर्णय किया जाए।

3.31 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अब हम राज्यपाल की कार्यवाही का निर्णय करेंगे। एक पक्ष ने उन्हें दोषी ठहराया है और दूसरे पक्ष ने उनका बचाव किया है। हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए और यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उन्होंने सही कार्य किया है अथवा गलत। यदि उन्होंने गलत कार्य किया है

तो हम जान जायेंगे कि उन्होंने ऐसा किन परिस्थितियों में किया या उन्होंने सही कार्य किया है तो हम जान जायेंगे कि उन्होंने किन परिस्थितियों में अच्छा कार्य किया है। इसलिए सभा को इन बातों पर विचार-विमर्श करना चाहिए। अनुच्छेद 356 में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें कहा गया है :

> "कि यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा···"

इसका उल्लेख कहीं नहीं हुआ है कि सभा में बहुमत प्रदर्शन किया जाए। अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि यदि संविधान के उपबंधों का उल्लंघन होता है तथा राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं करती तो तदनुसार राष्ट्रपति कार्य कर सकता है। यह सवैधानिक उपबंध है। जहां तक उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है, कुछ निर्णयों में उन्होंने कहा कि इसका सभा में प्रदर्शन किया जाए। हमें एक बात पर विचार करना चाहिए। हमें इसमें अन्तर करना है। यदि सरकार का बहुमत है परन्तु फिर भी उसे बर्खास्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाए? यदि बहुमत नहीं है तो क्या किया जाए? मैं एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। 1977 में जब जनता सरकार केन्द्र में थी तो उन्होंने उन 9 राज्यों की बहुमत वाली सरकारें बर्खास्त की थीं। यह ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुमत न हो। मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त का दल इस कार्यवाही की निंदा कर रहा है क्योंकि मैंने यह वाद-विवाद में देखा है। उन दिनों स्वर्गीय श्री भूपेश गुप्ता ने जनता दल की कार्यवाही की निंदा की कि उन्हें ऐसा करना चाहिए तथा उन्होंने तत्कालीन सरकार को उस समय की घटनाओं के बारे में चेतावनी भी दी। इसका संसद के तथाकथित सदस्यों ने समर्थन किया। श्री लालकृष्ण अडवानी, जो सरकार के महत्वपूर्ण नेता थे, ने इसका समर्थन किया, श्री सोमनाथ चटर्जी समेत अन्य नेताओं ने भी इसका समर्थन किया जो आज वैधानिक स्थिति के बारे में बातें करते हैं। तब उन्हें क्या हुआ था? 1977 में मैं भी विपक्षी दल का सदस्य था। 1977 से 1979 तक वह चुप क्यों रहे? तब उनके वैधानिक ज्ञान का क्या हुआ? उन्होने कोई बात क्यों नहीं की? जनता द्वारा प्राप्त बहुमत की सरकार को क्यों बर्खास्त किया गया? तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह स्थिति पैदा हो गयी है। हम सब चिल्ला रहे हैं कि गलत कार्य हुआ है। उस समय जो कुछ किया गया वह सैद्धान्तिक नहीं है। अब आपने क्या किया? हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि संवैधानिक औचित्य के अतिरिक्त किसी अन्य बात पर विचार-विमर्श मत कीजिए। और हमें उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल तो विधेयक से कार्य करता है और शिकायत मिलने पर निष्कर्ष निकालता है कि क्या सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। उसके कई स्रोत हैं। इन स्रोतों से उन्हें जानकारी मिल जायेगी। राज्यपाल ने किस आधार पर सभा भंग की?

क्या परिस्थितियां हैं? क्या वह कानून और व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय स्थिति और संविधान के भंग होने के संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं? जब हम संविधानिक औचित्य के बारे

में बात कर सकते हैं ? मेरा निवेदन है कि, हमें माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान दिलाना होगा कि राज्य में व्याप्त स्थिति की समीक्षा किए बिना तथा राज्यपाल की निंदा करने के पहले, स्थिति की जायजा कर लें, और मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यह बताने जा रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ है। मैं वहां कांग्रेस का भूतपूर्व अध्यक्ष था। मैं वहां 13 महीने के लिए था। उस समय क्या हुआ था ? मैं माननीय सदस्यों के हित में उसका ब्यान करूंगा।

दूसरे मुद्दे पर आते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या 21 अप्रैल को उनका बहुमत था, दिनांक 19 और 21 के बीच क्या राज्यपाल ने बहुमत के संबंध में उचित निर्णय लिया था। अब अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि, 'नहीं, उनका बहुमत था।' मूल प्रश्न पर आते हुए हमे यह देखना है कि क्या राज्यपाल ने हस्ताक्षरों की जांच के बाद उचित निर्णय लिया। दिनांक 19 अप्रैल को कर्नाटक के राज्यपाल को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें विधान सभा के एक माननीय सदस्य ने लिखकर अपना समर्थन वापस लिया था। उस समय जनता दल की क्षमता 111 थी। यह क्षमता घटकर 92 हो गयी। उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा है कि "हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं।" तब राज्यपाल को क्या करना था ? उन्होंने हस्ताक्षरों की जांच की। राज्यपाल के हस्ताक्षर परीक्षण के अधिकार के प्रश्न पर ध्यान देने के पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में जनता दल को स्वीकृति देते समय दल के सभी सदस्यों ने राज्यपाल को एक शपथ-पत्र दिया था। इन शपथ-पत्रों की राज्यपाल द्वारा जांच की गयी थी। हमारे कांग्रेस दल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें इसकी जांच का कोई अधिकार नहीं है, और इसका निर्णय सभा पटल पर होना चाहिये। लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षरों की जांच की और इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि की। उस समय, उसमें कोई गलत नहीं था। उस समय क्या हुआ ? कर्नाटक में विपक्ष के सभी नेताओं ने राज्यपाल की इस कार्यवाही की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने संविधान की मर्यादा रख ली और उन्हें इसकी जांच का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। लेकिन उस समय कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि, "वह ऐसा नहीं कर सकते।" अब जब उसी राज्यपाल से जनता दल.के 19 विधायकों ने लिखकर अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की तब राज्यपाल ने उनके हस्ताक्षरों की जांच के बाद उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जिसकी जनता दल के अध्यक्ष श्री बी० रचैया, जो उस समय एक अन्य मंत्री भी थे, न पत्र द्वारा इसकी परिपुष्टी भी की थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि उस पत्र में उनके विधायकों ने राज्यपाल को लिखकर अपना समर्थन वापस लेने की मांग की थी। [लेकिन राज्यपाल ने 19 अप्रैल को कार्य निष्पादित नहीं किया। राज्यपाल ने कुछ दिन इंतजार किया। उन्होंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उन्होंने हस्ताक्षरों की जांच की या तो किसी व्यक्ति से या सचिवालय द्वारा करवाकर वह इस निर्णय पर पहुंचे कि यह हस्ताक्षर सही हैं। आप चाहे जहां कहीं भी रहो, यह हम सभी के लिए एक अच्छा सबक है। इस बीच क्या हुआ हैं। खरीद फरोक्त शुरू हो गयी, एक कीमत निश्चित कर दी गयी। इसकी सूचना न केवल समाचार-माध्यमों द्वारा दी गयी अपितु इसकी जानकारी कर्नाटक के चार करोड़ लोगों को भी इसकी जानकारी है। जब यह शुरू हो गया, तब राज्यपाल ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं यह बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हू। यह हम सभी के लिए एक सबक है। प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए और अगर यह शुरू हो जाता है तो प्रजातंत्र का क्या होगा। मैं प्रो० मधु दण्डवते और श्री इन्द्रजीत

गुप्त का आदर और सम्मान करता हूं। वे लोगों के प्रतिनिधि हैं। अगर खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है और हम किसी और के द्वारा खरीद लिए जाते हैं—चाहे हम पक्ष में हों या विपक्ष में—तो प्रजातन्त्र का क्या होगा। क्या प्रजातंत्र उन्नति करेगा? हमारा नैतिक मूल्य क्या होगा। हम मूल्यों पर आधारित राजनीति की बातें कर रहे थे। हम कुछ समय इस पर विचार करें कि क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्या राज्यपाल द्वारा ऐसी चीजों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या हम ऐसी चीजों का समर्थन करेंगे? हमारे आने वाले इतिहास का क्या होगा, क्या हमारी भावी पीढ़ी इस बात के लिए हमारी प्रशंसा करेगी, क्या भावी इतिहास हमारे क्रिया-कलापों की सराहना करेगा? क्या हम भावी पीढ़ी द्वारा दोषी नहीं ठहराये जायेंगे? ऐसी परि-स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? राज्यपाल ने ठीक ही कहा, "नहीं, यह काफी नहीं है।" यह पहले भी हो चुका है। आपकी सूचनार्थ, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब कुछ हुआ था। उस समय का विपक्षी दल जो जनता दल था, कोशिश कर कुछ अन्य सदस्यों को राज्य सभा के सदस्यों के वोट के लिए खरीदना चाहा था और उन्हें धन भी दिया गया था जो कि बाद में विधान सभा के समक्ष रखा गया था। क्या ऐसा इस पक्ष या उस पक्ष के द्वारा किया जाना चाहिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप समझते हैं कि लोकतंत्र कायम रहे, तो चाहे यह हमारे साथ हो या आपके साथ, क्या राज्यपाल ने ठीक किया या फिर गलत, यह सोचना आपका काम है। मेरे विचार से राज्यपाल ने ठीक किया है। इसका हम सभी के द्वारा—चाहे वह इस पक्ष के हों या विपक्ष के, राज्यपाल की प्रशंसा की जानी चाहिए, और अगर इसकी अनुमति दी गई तो मेरे विचार से आज के बाद कोई भी मुख्य मन्त्री ठीक से अपना कार्य नहीं कर सकता है और अगर मुझे मंत्रीपद सौंपा गया तो केवल वहां दल होगा। अगर मुझे किसी स्वायत्त संस्था का अध्यक्ष पद सौंपा गया तब मैं वहां काम करूंगा। मेरा दल वहां होगा। अन्यथा यह वहां नही होगा। क्या हमें इसकी स्वीकृति देनी चाहिए या फिर इसे समाप्त नही करना चाहिये, यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। महान शक्तियां दोनों ही ओर विद्यमान हैं। इस पर गम्भीरता से विचार करें। हमें इसे सरलता से नहीं ले सकते हैं।

अब यह पता करना कि क्या हुआ था, और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? श्री दंडवते इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। श्री जयपाल रेड्डी भी उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसा किसने किया?

श्री एच० ए० डोरा श्रीकाकुलम : आप उत्तरदायी हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : अगर आप मेरे वक्तव्य को देखें जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और श्री बीरेन्द्र पाटिल भी वहां मौजूद थे तो मैंने उसमें कहा था लेकिन हमने सरकार नहीं बनाई। मैंने साफ-साफ कहा था कि "हम ऐसा नहीं करेंगे और मैंने अपने दल के किसी भी व्यक्ति से मिलने से मना कर दिया था।" कोई भी व्यक्ति मुझसे मुलाकात नही कर पाया। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब मैंने कहा था कि हमें उनकी ओर से कोई मदद नहीं चाहिए। अगर हमें सत्ता चाहिए तो वह लोगों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। श्री दंडवते ने समाप्त करते हुए कहा था कि वे हमारे मालिक हैं। उन्हें बार-बार गलती करने दीजिए। उन्हें अपना निर्णय करने दें। उन्होने बस यही कहा था। लेकिन क्या हुआ? इसके लिए कौन उत्तर-दायी है? ऐसा किसने किया है? मैंने बस यही कहा है। यह आप लोगों के द्वारा नहीं किया गया

है। कोई अन्य व्यक्ति है। इन कौरवों की सेनाओं में, एक दुर्योधन और एक शकुनी उपस्थित हैं। इसमें शकुनी कौन है ? वह ऐसा क्यों कर रहा है ? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? वह क्यों आपके दल का सर्वनाश करना चाहता है ? मेरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि मुझे आप पर दया आती है।

श्री एच० ए० डोरा : आप जो कुछ कहना चाहते हैं, बेझिझक बोलिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे आप पर क्यों दया आती है, वर्ष 1983 में हम लोग बुरी तरह पराजित हुए थे। वह एक नकारात्मक निर्णय था। हमने भारी भूल की थी। लोगों ने इसको पसन्द नहीं किया था। हमें सत्ता से बाहर कर दिया। उस समय वहां की जनता सरकार को बहुमत नहीं था और वे उसे प्राप्त करने तथा अपना बहुमत बनाये रखने के लिए संघर्षरत थे। दिसम्बर, 1984 के संसदीय चुनावों में हमें भारी बहुमत मिला। कुल 28 स्थानों में से हमें 24 स्थान प्राप्त हुए। तीन महीने के अन्दर लोगों ने जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया। वह एक सकारात्मक निर्णय था। वह एक नकारात्मक निर्णय नहीं था और लोग आपके दल को मजबूत नाना चाहते थे। वर्ष 1985 के उपरान्त वहां के मुख्य मंत्री घमंडी और भ्रष्ट हो गये। वर्ष 1985 के बाद तो प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प हो गई। तब मैंने कर्नाटक राज्य का दौरा किया और वहां 1800 बैठकें कीं। मैंने लोगों को और जनता दल के कार्यकर्ताओं को जाकर यह बताया कि वे भूल कर रहे हैं; और इससे राज्य की बदनामी होगी···(व्यवधान) मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। दुर्भाग्यवश क्या हुआ ? आपके दल में एक के बाद एक गलतियां होती रहीं···(व्यवधान)। आपके सूचनार्थ, मैं नाटक नहीं कर रहा था। कुछ माननीय सदस्य ऐसा कर रहे थे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : वह ऋण मेलों में व्यस्त थे।

श्री जनार्दन पुजारी : पिछले दो दिन से जब अन्य सदस्य भाषण दे रहे थे तो मैंने किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं की थी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 349 का उल्लेख करूंगा जो यह कहता है—

"जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य"—

(दो) किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा;

(नो) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, सीत्कार नहीं करेगा, या बाधा नहीं डालेगा और जब सभा में भाषण दिये जा रहे हों तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा···,'

मैं यह दावा नहीं करता कि मैं एक विशेषज्ञ हूं। मैं तो मात्र एक सदस्य हूं। मैं वैसा दावा नहीं करता हूं। लेकिन साथ ही साथ, मुझे अपनी भावना को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। आपने जैसा कि अवलोकन किया होगा मैंने कभी भी सदस्य के भाषण के दौरान व्यवधान नहीं डाला है। अतः मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे वक्तव्य को शांतिपूर्वक सुना जाए। मैं उनसे और अन्य वरिष्ठ सदस्यों से मेरा वक्तव्य सुनने का आग्रह करता हूं। हमें अन्य लोगों को गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिएं। जब [illegible] मुद्दा उठा रहा था तो क्या हुआ

था ? राज्य को खराब स्थिति में ले जाया गया। सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जिले का एक आठ रुपये का चेक बाउंस हो अस्वीकार होकर वापस भेज दिया गया। सरकार आठ रुपये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। इस राज्य की ऐसी दयनीय स्थिति थी। राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी थी। आपके सूचनार्थ, मैं 1986 से जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने उनसे कुछ वित्तीय अनुशासन बरतने का आग्रह किया था···(व्यवधान)। इसलिए अब आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान दिया हो तो आपको याद होगा कि मैंने मुख्य मंत्री और अन्य सदस्यों से वित्तीय अनुशासन बरतने का आग्रह किया था और गलत तरीके अपनाने के लिए मना किया था। तब आपने कहा था कि यह धन लोगों का है। आज, आपने कहा है कि यह व्यर्थ खर्च किया जाना चाहिए। मैं इसके सम्बन्ध में पहले से ही कह रहा था पर किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे सुनने से इंकार कर दिया था। 'दि टेलीग्राफ' में श्री मधु लिमये ने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि उस समय के मुख्य मंत्री ने कर्नाटक की जनता को निचोड़ लिया। यह उनके दल के लोगों के द्वारा ही कहा गया था। इतना ही नही, पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति के बारे में क्या कहना है ? उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या किया है ? वे हतोत्साहित थे ? उन्हें किसने डूटाया ? उन्हें किसने बदनाम किया ? कांग्रेस दल या साम्यवादी दल अथवा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बात नहीं है। कुछ दिनों पूर्व तक साम्यवादी दल तथा भा० ज० पा० के लोग– मेरे जिले में भी साम्यवादी दल तथा भा० ज० पा० के लोग हैं—यह बात कर रहे थे कि यह सरकार हटायी जानी चाहिए। वे लोग ऐसा कह रहे थे। भा० ज० पा० और साम्यवादी दल भी इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं।

एक अन्य बात जो आज तक के इतिहास में नहीं हुई है, वह वार्तालाप का टेप किया जाना है। किसने ऐसा किया था ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रो० मधु दंडवते ने अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया है। वार्तालाप टेप करने का कार्य किसने किया था ? श्री गुरुपदस्वामी, जो कि एक माननीय सदस्य हैं और राज्य सभा के एक आदरणीय नेता हैं, उनकी बातो को किसने टेप किया था ? श्री देव गौडा के वार्तालाप एवं श्री अजीत सिंह के वार्तालाप को किसने टेप किया था ?

प्रो० मधु दण्डवते : यही कारण है कि आपने विधान सभा को भंग कर दिया।

श्री जनार्दन पुजारी : जी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके राज्य में क्या होता रहा है। इन सब बातों द्वारा ही इसमें सहायता मिली है और राज्यपाल तो वहां हैं ही। संवैधानिक प्रधान होने के नाते उन्हें सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

और जहां तक आंतरिक कलह का संबंध है, तो बात यह है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जबकि झगड़ा नहीं हुआ हो। अन्ततः परिणाम क्या हुआ ? व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो न कोई सरकार थी और न कोई प्रशासन। यह स्थिति थी और इसकी शुरूआत उस समय हुई और वहां उनका बहुमत भी नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि उनके पक्ष के विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और राज्यपाल ने इसकी जांच की। उन्होंने इन सारे कारकों को ध्यान में

रखा। और इसके अलावा उन्हें कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। उन्हें फिर क्या करना चाहिए था ? उन्होंने विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर दी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे एक गलत व्यक्ति हैं। आप उनके बारे में क्या कहते रहे हैं ?

आप कहते रहे हैं, "वह एक अच्छे राज्यपाल हैं। वे हमारे मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसे राज्यपालों को वहां होना चाहिए और हम सिर्फ ऐसे राज्यपाल ही चाहते हैं। और यदि केन्द्र सरकार उन्हें तंग करेगी तो हम आंदोलन करेंगे।" ऐसा किसने कहा था ? पुजारी ने नहीं बल्कि मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा है। ऐसे राज्यपाल को क्या हो गया ? अब आप कहते हैं, "लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई।" अब आप यह सारी बातें कह रहे हैं। कृपया ऐसा मत करें। **(व्यवधान)**।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री वीरेन्द्र पाटिल ने श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने उनकी सहायता की थी, के विरुद्ध चुनाव लड़ा था।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब जहां तक माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी के तर्कों का संबंध है मैंने उनसे भी यह कहा है कि उन्हें इसे लागू किये जाने का विरोध करना चाहिए था। श्री दंडवते आज कार्यवाही की निंदा कर रहे हैं। यह कार्यवाही आज नहीं की गई थी। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। राज्यपाल का कथन सही है। उन्हें नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है। लोकतन्त्र की हत्या कर देनी चाहिए। इस उद्देश्य से ही उन्होंने विधान सभा भंग कर दी। अब प्रश्न यह है कि क्या यह कार्यवाही पहले कर दी गई है। प्रश्न यह है कि क्या हमारे प्रधान मंत्री ने ऐसा किया है। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, माननीय सदस्य श्री दंडवते और श्री सोमनाथ चटर्जी ने बिहार में हुई घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ-साथ वहां परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न रही हैं। बिहार के किसी भी विधायक ने राज्यपाल को इस आशय का पत्र नहीं लिखा कि वे अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि वहां का मामला आंतरिक है। लेकिन यहां राज्यपाल को पत्र लिखा गया था। **(व्यवधान)**

मैंने वहां अपने सदस्यों के रवैये का समर्थन नहीं करता हूं।

4.00 म० प०

मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सदस्यों में अनुशासन की भावना होनी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ था ? क्या आप इसे पसंद करते हैं ? आपने कहा कि व्यवहारिक रूप में उन्होंने लोकतन्त्र को समाप्त कर दिया, उसका खात्मा कर दिया। हम कह सकते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक बार में ही 30 सदस्यों को मन्त्रिमंडल से निकाल दिया। जब कभी भी यहां मंत्रिमंडल में परिवर्तन होता है और किसी व्यक्ति को किसी मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय का पद भार दिया जाता है तो आप बहुत रोष प्रकट करते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता कहे जाने वाले लोगों ने वहां कोई आवाज क्यों नहीं उठायी ? उन्होंने ऐसा नहीं किया है। कल आपके दल के लोग सत्ता के लिये यदि दल बदलना चाहें तो क्या आप उन्हें बढ़ावा देंगे ? अब इसका निर्णय करना आपके जिम्मे है।

यहां तो इस प्रकार की बात नहीं है।

नागालैंड में भी यही बात हुई थी। हमारे दल के लोगों ने भी दल बदलने की कोशिश की। फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की भी कोशिश की गयी थी लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 'नहीं'। इस विधान सभा को भंग कर दिया जाये और हमें पुन. चुनाव कराने चाहिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : चार दिनों तक राज्यपाल राजधानी में नहीं गये थे।

श्री जनार्दन पुजारी : लेकिन अन्त में हुआ क्या ? अन्त में विधान सभा भंग कर दी गयी थी। किसी भी दल को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि आपने उन्हें विधायकों की खरीद फरोख्त की इजाजत दे दी होती तो क्या होता ? प्रधान मंत्री ने इससे इन्कार कर दिया।

मिजोरम में क्या हुआ था ? हमने चुनाव कराने को कहा। नागालैंड में भी वही बात हुई थी। हमने बहुमत प्राप्त किया। लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है। इसका परीक्षण यहां भी हमें करना चाहिए। कर्नाटक के लोगों के समक्ष हमें जाना चाहिए। उनके सामने हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए और फिर निर्णय उनके जिम्मे छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। चार करोड़ कर्नाटक वासियों की मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसकी पूर्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि लोग स्वयं निर्णय न करें। वे अपना निर्णय देने जा रहे हैं।

वे हमें इस बात का पाठ पढ़ायेंगे कि हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। यह बात सिर्फ हमारे या आपके पक्ष के लिये ही नहीं है। हमें सिर्फ सत्ता की चाह नहीं है अपितु हमें कर्नाटक के लोगों को यह बात दिखानी है कि राजनीतिज्ञ सत्ता लोलुप लोग नहीं हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक के लोग हमें पाठ पढ़ायेंगे। यही कारण है कि मैंने कहा कि यह पाठ सिर्फ आपके लिये नहीं है बल्कि यह हमारे लिये और सारे दल के लिये एक शिक्षा है। यदि अनुशासन या नैतिक मूल्य अथवा औचित्य नहीं बरकरार रखे जाते हैं तो इसका वही नतीजा होगा। यही कारण है कि हमें चुनाव का सामना करना चाहिए। हमें जनता के बीच जाना चाहिए। आप अपने विचार उनके सामने पेश करें और हम लोग अपने विचार पेश करेंगे और अन्ततः मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के लोग जनता दल को मत नहीं देंगे तथा भारी बहुमत से हमारी विजय होगी। इस पूरी बात का यही अन्तिम परिणाम होगा।

मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने बहुत ध्यानपूर्वक श्री पुजारी, जो कि कर्नाटक राज्य के वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक हैं, को बातों की सुना ! दुर्भाग्यवश, जो कुछ हो चुका है, उसके सम्बन्ध में उनकी बातों में मैंने बहुत अधिक सम्बद्धता नहीं पायी ! मुझे विश्वास है कि यह सरकार इसलिए अपदस्थ नहीं की गई है कि यह अयोग्य थी या आर्थिक दृष्टि से भ्रष्ट थी या फिर इसका प्रशासन ठीक नहीं था या इस सरकार में कोई भ्रष्ट व्यक्ति था—ये सब बातें राज्यपाल द्वारा नहीं कही गयी हैं। ये सब असंगत बातें हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरी बातों को नहीं समझा। मैंने यह कहा है कि वहां बहुमत समाप्त हो चुका था और राज्यपाल

इस निर्णय पर पहुंचे कि सत्ता पक्ष ने बहुमत खो दिया है अतः विधान सभा भंग किये जाने के आदेश दिये गये थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप उस बात पर ही दृढ़ रहें तो हम उसका भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप तो "एलाइस इन ब्लंडर लैंड" और न जाने ऐसी क्या-क्या बातें कह रहे हैं कि सरकार अनेक गलतियां कर रही थी और आपने उन्हें 'कृपया गलतियां न करें' आदि कह कर चेतावनी दी थी ! क्या आपने यह सब नहीं कहा ? मैं यह कह रहा हूं कि इस बहस में ये सब बातें पूर्णतय असंगत हैं। विगत कुछ वर्षों में हेगडे मंत्रिमंडल की उपलब्धियों से मेरा दल पूर्णतया संतुष्ट नहीं था, यद्यपि हम उनका समर्थन कर रहे थे और अनेकों बार हमने खुल कर अनेक बातों की आलोचनायें भी की थीं। यहां तक कि कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर हमारा सरकार से विरोध भी हो गया था ! उदाहरण के लिये मैं आपको बता सकता हूं कि श्रम नीति के प्रश्न को लेकर सरकार जिस ढंग से श्रमिकों के आन्दोलनों, हड़तालों आदि को निपटा रही थी, हमारा उनसे विरोध हो गया था। कभी-कभी तो श्री हेगडे के साथ हमारा बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। मैं उन सब तर्कों को पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं जिसका बयान हमारे सहयोगियों ने बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया है। मैं उन सब तर्कों से सहमत हूं। लेकिन उन सब बातों को पुनः दुहराने की आशा कृपया मुझसे न करें। मुख्य बात यह है कि विधायकों का निर्वाचन विधान सौध के लिए किया गया था अथवा राजभवन के लिए किया गया था। वे किस जगह के लिए चुने जाते हैं ? वे किसके प्रति उत्तरदायी है—विधान सौध के लिये या राज भवन के लिये ? इस प्रश्न का समाधान सिर्फ कर्नाटक के सम्बन्ध में ही नहीं किया जाना है। यह तो सिद्धान्त की बात है। विगत कालों में अनेकों बार इस कारण संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई हैं और भविष्य में भी वैसी स्थिति आ सकती है। वे राजभवन को प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। वे विधान सौध के प्रति उत्तरदायी हैं जहां के लिए लोग उन्हें निर्वाचित करके भेजते हैं। यही बात मुख्य है। यह तर्क करना ठीक है कि "कृपया संविधान का वह अनुच्छेद हमें दिखायें जहां इस बात का जिक्र है कि बहुमत का परीक्षण हमेशा सभा में ही किया जाना चाहिए।" संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यह एक तथ्य है। लेकिन क्या यही तरीका है जिसे कांग्रेस दल उपबन्धों को लागू करने के लिये कार्यान्वित करना चाहता है, क्या इस प्रकार से ही संविधान का विकास किया गया है ?

श्री० एच० एन० नन्जे गौडा : सिर्फ पत्रों के आधार पर ही राज्यपाल ने जनता दल सदस्यों की संख्या निर्धारित की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने जो किया है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आन्तरिक रूप से दल में क्या हो रहा है मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं···(**व्यवधान**)···एक विधायन, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन 19 पत्रों को राज्यपाल के पास ले गये और अब ऐसा बताया गया है कि राज्यपाल ने हस्ताक्षरों की जांच की।

श्री जी० देवराय नायक : वे जनता दल के विधायक हैं। वे कांग्रेस (इ) के विधायक नहीं हैं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपको अपने दल द्वारा 20 पत्रों को किसी के पास ले जाने का

अधिकार मिला हुआ है ? आप कौन हैं ? वे कौन हैं ? मुख्य बात यह नहीं है। वे सही पत्र भी हो सकते हैं। मैं इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि संघीय संविधान और संघीय नीति सुस्थापित परिपाटियों पर निर्भर करती हैं।

कुछ सुस्थापित मानदण्ड और सुस्थापित परिपाटियां हैं। मैं जानता हूं कि आज हमारे समक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसे एक विशिष्ट पृष्ठभूमि में देखना होगा। कश्मीर में फारूख अब्दुल्ला सरकार और राज्यपाल श्री जगमोहन के साथ जो कुछ हुआ हमारे पास उसका उदाहरण है। हमारे पास आन्ध्र प्रदेश का उदाहरण है। श्री राम लाल द्वारा श्री एन० टी० रामाराव की सरकार भी उसी तरीके से बर्खास्त कर दी गई थी। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कभी न हुआ हो। हम जानते हैं कि यह सब कैसे होता है। सवाल यह है जैसा कि श्री पुजारी ने कहा कि हम सभी को सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों को सबक सीखना चाहिए और यह देखें कि भविष्य में कुछ ऐसा न किया जाए जिसे इस प्रकार से चुनौती दी जा सके। किन्तु यहां क्या हुआ ? सभा की बैठक 27 तारीख के लिए पहले ही बुलाई जा चुकी है। क्या राज्यपाल मुख्य मंत्री को यह सलाह नहीं दे सकते थे कि 27 तारीख अभी बहुत दूर है आप कृपया बैठक जल्द बुलाएं। और मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह बैठक जल्द बुलाएंगे। जब मेरे मित्र श्री जाफर शरीफ, जो इस समय यहां उपलब्ध नहीं हैं, यह मश्वरा दे रहे थे कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए, तो क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यपाल द्वारा सब्र के कौन से मापदण्ड अपनाए गए ? क्या वह दो या तीन दिन और इन्तजार नहीं कर सकते थे। क्या हो जाता ? क्या आसमान गिर जाता ? मान लो यदि वह वास्तव में ही अपना बहुमत खो बैठते तो इसका अर्थ होता कि अल्पमत सरकार 26 तक वहां रहती··· (व्यवधान) आप लोग इस प्रकार के मूल्यों को अपना रहे हैं और मुझे इस बात का खेद है। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है कि इसमें वर्तमान कांग्रेसी ही नहीं भूतपूर्व कांग्रेसी भी शामिल हैं। यह एक वास्तविकता है। **(व्यवधान)** जी हां, यह एक अत्यन्त दुखद टिप्पणी है जो जानबूझकर की गई है कि इस देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : आप ऐसा नहीं कह सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुशरान जी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे खेद है। मुझे याद है बहुत साल पहले इस सदन में, श्री यशवंतराव चव्हाण ने पहली बार "आया राम गया राम" शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह "आया राम गया राम" राजनीति इस देश में नई नहीं है। "आया राम गया राम" राजनीति में यह भी माना जाता है कि इन आया रामों और गया रामों को कुछ धन भी दिया जाता है।

अन्यथा यह सब कैसे होता। **(व्यवधान)** महोदय, आप कृपया उनसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें। नियम यह भी कहते हैं कि किसी सदस्य को किसी दूसरे के स्थान से जाकर नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में वह मंत्री महोदय की सीट है। उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। **(व्यवधान)** कृपया सदन के नियमों का पालन करें··· **(व्यवधान)** मैं किसी दूसरे सदस्य के स्थान पर जाकर नहीं बैठता। आप किसी अन्य सदस्य के स्थान पर क्यों बैठे हैं ? **(व्यवधान)** वह बहुत कनिष्ठ सदस्य हैं और मेरे से कनिष्ठ हैं। मैं उनसे केवल मजाक कर रहा हूं।

महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है किन्तु सच्चाई यह है कि इस बारे में कुछ सुस्थापित मापदण्ड और परिपाटियां हैं और यदि संघीय संविधान में सम्पूर्ण ढांचे का पालन करना है तो यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे चलेगा?

अध्यक्षों के सम्मेलन नियमित रूप से होते हैं जिसकी अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं। हम इसका रिकार्ड देखते हैं। उन्होंने समय-समय पर इस प्रश्न पर भी विचार किया है। उन्होंने क्या कहा है? बहुमत की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी द्वारा राज्यपालों की समिति का गठन किया गया था। राज्यपालों की समिति ने इन मामलों पर विचार किया है। यह सब रिकार्ड में है। आप कृपया इसे देखें। वह केवल संविधान में लिखे पर नहीं अड़े रहे। किन्तु, अपने अनुभव से, अपनी सूझ से भी वह कुछ निर्णयों पर पहुंचे हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी है। किन्तु, सरकार इसे लागू करने या स्वीकार करने को बाध्य नहीं है। यह सत्य है। आखिरकार इस आयोग की स्थापना इसी सरकार द्वारा की गई है। इस आयोग की स्थापना किसने की है? इस आयोग की स्थापना हमने नहीं की और न ही हमने अध्यक्ष के रूप में श्री सरकारिया का चयन किया। यह इसी सरकार ने किया वह क्या कहते हैं? बहुत से लोगों को सुनने के पश्चात उन्होंने साक्षियों की लम्बी सूची दी है, जिन्होंने उनके समक्ष साक्ष्य दिया है, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारें, बहुत से न्यायविद, वकील, बहुत से राजनैतिक दल शामिल हैं। तभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है।

उन्होंने कहा है और मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "राज्य सरकारों ने एक मत से यह सुझाव दिया है कि इस प्रश्न का फैसला कि क्या किसी सरकार ने विधान सभा में बहुमत खो दिया है, सदन में ही होना चाहिए और मुख्य मन्त्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए।"

जब विधान सभा सत्र में हो तो सदन में बहुमत का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है।

> "....किन्तु जब विधान सभा सत्र में न हो तो राज्यपाल विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं (अर्थात सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित एक या अधिक पत्र या उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनके हस्ताक्षर विधान सभा के सचिव द्वारा सत्यापित होने चाहिए) कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है।"

श्री सरकारिया ने एक प्रश्न भी उठाया है। क्या कोई राज्यपाल इसी स्थिति में सदन में बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए बिना अपने विवेकानुसार सरकार बर्खास्त कर सकता है:

> "नीरस कानून की बात छोड़ भी दें तो संविधानिक रूप से भी राज्यपाल तब तक मन्त्रि परिषद बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक विधान सभा सदन में अविश्वास प्रकट न कर दे। उसे मुख्य मन्त्री को जल्द से जल्द सभा की बैठक बुलाने की सलाह देनी चाहिए। यदि मुख्य मन्त्री राज्यपाल की सलाह नहीं मानता तो राज्यपाल सरकार के बहुमत की जांच के सीमित प्रयोजन से विधान की बैठक बुला सकता है।"

अब इस बारे में भी काफी विवाद है कि कितना समय दिया जाना चाहिए क्योंकि एक दलील

दी गई थी कि यदि बहुत अधिक समय दिया जाता है तो इस खरीद फरोख्त, आया राम गया राम के धन्धे को अनावश्यक रूप से बढ़ावा मिलेगा जिससे वातावरण और खराब होगा। वह आगे कहते हैं :

"सरकार के लिए अनिश्चितता की लम्बी अवधि से राजनैतिक और प्रशासनिक कदाचार बढ़ेगा। इसके साथ ही इस बात पर भी बल दिया जाता है कि मुख्य मन्त्री अनावश्यक रूप से कम अवधि के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करे तो इससे असन्तोष होगा और परिहार्य आलोचना होगी कि राज्यपाल ने जल्दबाजी और पक्षपात किया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राज्यपाल की राजनैतिक विदग्धता, अनुभव की जरूरत होती है।"

"सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि विधान सभा की बैठक एक उचित समय के भीतर जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। उचित क्या है यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जब तक कोई अत्यन्त आवश्यक कार्य न किया जाना हो, तीस दिन का समय आम तौर पर सही रहेगा..."

यहां तीस या साठ दिन का प्रश्न ही नहीं था। विधान सभा की बैठक 27 तारीख के लिए पहले ही बुलाई जा चुकी थी। राज्यपाल द्वारा श्री बोम्मई को यह सलाह दिया जाना कि बैठक जल्द बुलाई जाए, उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर था, क्योंकि उद्देश्य यह रहा होगा कि सभा की बैठक में बहुमत का परीक्षण किया जा सके।

मेरे विचार से हम इस सिद्धांत के सभी प्रकार के अपवादों की ईजाद नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं तो हम जानबूझकर एक राजनैतिक संकट उत्पन्न करने के दोषी होंगे।

जनता दल के भीतर क्या हो रहा था, मेरे पास उसकी कोई सफाई नहीं है। वह निन्दनीय था ? किन्तु जैसा कि वह कहते हैं वह उनका आन्तरिक मामला है। यदि उनकी पार्टी इस तरह से काम करती है तो हम यह उम्मीद नहीं करते कि उनके राजनैतिक विरोधी इसका लाभ नहीं उठाएंगे। यह एक साधारण-सी बात है। मैं यह भी आशा नहीं करता कि केन्द्र, एक ऐसी गैर-कांग्रेसी पार्टी की आन्तरिक फूट का लाभ नहीं उठाएगा, वह निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे और यही कुछ हुआ। किन्तु इससे यह तथ्य कैसे बदल जाता है कि राज्यपाल को जिन मापदण्डों और परिपाटियों का पालन करना चाहिए था, नहीं किया। यही बात है। उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो सम्पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है, पक्षपातपूर्ण है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी यहां एक अल्पमत सरकार चला रही थीं। उस अवधि के दौरान मैं भी सभा का सदस्य था। कांग्रेस दल में फूट पड़ने के कारण ही श्रीमती इन्दिरा गांधी को बहुमत खोना पड़ा था। उस समय श्री वेंकट सुब्बैया इस सदन में कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य थे। उस समय किसी ने भी, यहां तक कि श्री वेंकट सुब्बैया भी उस सरकार की संविधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी और इसे बर्खास्त करने की मांग भी नहीं की क्योंकि इसका बहुमत नहीं था, वह सरकार कुछ समय तक दूसरे दलों के समर्थन से चलती रही।

यहां कर्नाटक में भी बहुत से अन्य निर्दलीय लोग थे, कोई नहीं जानता था कि वह किसका समर्थन करेंगे और किसका नहीं। इन सब बातों का परीक्षण सदन में होना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केन्द्र को जल्दी थी। यह चुनाव वर्ष है और चुनावों से पहले अधिक से अधिक गैर-कांग्रेसी सरकारों का निपटाया जाना आवश्यक था और श्री वेंकट सुब्बैया एक आज्ञाकारी कठपुतली सिद्ध हुए। इस संबंध में और कोई बात नहीं है, इस बारे में कोई रहस्य नहीं है। यह सरकार बहुत निकम्मी, अकुशल, सर्वाधिक भ्रष्ट और झूठे दावे करने वाली हो सकती है। उन्होंने अहंकार की बात भी की है। मैं नहीं जानता कि जनता और मन्त्रियों के अहं को कैसे मापा जाए। किन्तु किसी भी सरकार को हटाने के ये कारण नहीं हैं। यहां तक कि राज्यपाल भी इसका दावा नहीं करते। अब हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, जो पूरे देश में विवाद का मामला बन गया है। यह किसी सरकार की अच्छाई नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल ने आज सुबह काफी बातें कहीं। मेरे ख्याल से वह कभी जनता दल के नेता रहे हैं। उन्होंने चिकमगलूर से श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बड़ी बहादुरी दिखाई थी। मैं यह कह रहा हूं कि अंततः लोगों की स्थिति बदलती है। **आया राम गया राम** लोकोक्ति का उच्चारण इस सभा में सबसे पहले श्री यशवन्तराव चव्हाण ने किया था और उसके बाद यह एक बहुत ही आम लोकोक्ति हो गयी।

प्रो० मधु दण्डवते : और उन्होंने इस पर अमल भी किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, उन्होंने स्वयं इस पर अमल भी किया। मूल्यों पर आधारित बातें कहने का फायदा ही क्या है? यह गलती का प्रश्न नहीं है, यह सत्ता के लिए लड़ने का प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : महोदय, मेरे लिए स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं कर्नाटक में जनता पार्टी का अध्यक्ष था किन्तु मैं जनता पार्टी के नाम पर कभी भी निर्वाचित नहीं हुआ। मैं कांग्रेस (ओ) के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सभा में था और जब मैं जनता पार्टी में था तब मैंने चिकमगलूर का चुनाव केवल इसलिए लड़ा था क्योंकि मैं अनु-शासन की भावना और दिल्ली से जारी इन निदेशों और आदेशों से बंधा हुआ था कि मुझे उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब किसी एक विशेष दल के सदस्य को उस पार्टी की ओर से निदेश दिए जाते हैं, और यदि वह उस निदेश का उल्लंघन करता है तो उसका अर्थ है वह अनुशासनहीनता दिखा रहा है। मैं जनता दल का प्रतिनिधि कभी भी नहीं चुना गया और इसीलिए मेरे द्वारा पार्टी बदलने और मुझ पर आया राम-गया राम का आरोप होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री वीरेन्द्र पाटिल की बात सही है क्योंकि उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी ने हराया था और वह दल बदलू की भांति पुनः कांग्रेस पार्टी में नहीं गए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं जबकि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ तो इसका एकमात्र कारण यह था कि जनता पार्टी में विभाजन हो रहा था। जब 1979 में जनता पार्टी विखंडित हो गई तब मैं पुनः अपनी मूल पार्टी में शामिल हो गया। मैं नहीं समझता कि यह दल-बदल है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : सभा के समक्ष यह मुद्दा नहीं है । उन्होंने मात्र व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है । उन्होंने इतना ही कहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने जो कुछ कहा है उसे उन्होंने गलत समझा है मैंने उन पर चिकमगलूर में चुनाव लड़ने का आरोप अथवा दोष नहीं लगाया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब कांग्रेस दल में फूट पड़ रही है, उन्हें अब पार्टी बदल लेनी··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर, जो भी है, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता । इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और मेरे विचार से इसका एक मात्र कारण यही है कि सब लोग, यह देश, समाचार-पत्र आदि समझते हैं कि कर्नाटक में विशेष परिस्थितियों में जो कुछ हुआ यह कोई एक नया मामला नहीं है क्योंकि वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी को आंतरिक अशांति और फूट का सामान करना पड़ रहा था । यह पूरे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इसका संबंध बहुत बड़े और विशिष्ट मामले से है और वह मामला यह है कि केन्द्र तथा उन राज्यों के बीच क्या संबंध होना चाहिए, जहां केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा शासित नहीं है तथा राज्यपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए । यह भी एक भिन्न मामला है कि राज्यपाल को कार्य कैसे करने चाहिए तथा राज्यपाल किसे बनाया जाए । ठीक है, मैं उस बारे में कहने नहीं जा रहा हूं । किन्तु निश्चय ही मैं यह सोचता हूं कि सरकारिया आयोग ने यह स्पष्ट परम्परा बनाने का प्रयास किया है कि जहां तक संभव हो केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के किसी सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । इससे कई तरह के विवाद खड़े हो सकते हैं और लोगों को निष्पक्ष निर्णय मिलने में बाधा पहुंच सकती है तथा इन सब बातों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है जो कि राज्यपाल के पद के लिए वांछनीय नहीं है ।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है वह बहुत निन्दनीय है । दोनों ही बातें भर्त्सना करने योग्य हैं । उस पार्टी में जो कुछ हो रहा था वह भी निन्दनीय था । किन्तु वह उन 19 लोगों के बारे में जानने के बहुत इच्छुक थे जिनके पत्र राज्यपाल के पास ले जाए गए थे किन्तु उन 9-10 लोगों के बारे में वह कुछ जानना नहीं चाहते थे जिन्होंने अपना पहले दिया गया निर्णय. वापिस ले लिया था और वे अपने दल में वापिस आना चाहते थे । कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा हो सकता है । मैं नहीं समझता कि इससे कुछ फर्क पड़ता है । आपका कहना है कि कोई व्यक्ति इसके लिए 7-10 लाख रुपये दे रहा था । यह सब निन्दनीय और निराशाजनक है । इस बारे में आपका क्या विचार है कि इस देश की जनता की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? कोई सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाता है और पुन: यह कहता है कि वह पहले वाले ही दल में वापिस आना चाहता है । ठीक है, पैसा तो दोनों ही पक्षों की ओर से दिया जा सकता है । फिर किस मानदंड के आधार पर आप इसका निर्णय करेंगे ।

महोदय, मैं यह बात दोहराते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि यह मामला सांवैधानिक औचित्य का है । राज्यपालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विधायकों का निर्वाचन विधान सभा के लिए होता है और उनका निर्वाचन राज भवन के लिए नहीं किया जाता । उनके भाग्य का निर्णय विधान सभा में किया जाता है न कि राज्यपाल के भवन में । राज भवन में

राज्यपाल का बैठक कक्ष अथवा कार्यालय ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वह विधायकों या मंत्रियों के भाग्य का निर्णय कर सकता हो। इसका निर्णय विधान सभा में करना होगा, जिसका चयन उस राज्य की जनता द्वारा किया गया है। अतः यह देखने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि मानदंड का उल्लंघन न हो और सभा का सम्मान किया जाए तथा इसका निर्णय सभा में लिया जाए कि कौन व्यक्ति किस पक्ष में है। लगभग 3-4 दिन यह कार्य जारी रहा। अतः या तो आप इस बात से डरते थे कि हो सकता है कोई अन्य उन्हें अधिक पैसा देगा और वे फिर दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे। इससे कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ता। इतिहास में बहुत-सी अल्पमत सरकारें रही हैं। क्या हो जाता? जब उन्हें विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाया जाता तो अपना बहुमत सिद्ध कर सकने के कारण उनकी सरकार गिर जाती। उन्हें उस समय बर्खास्त कर दिया जाता तो बाद में कोई भी नही करता। अब हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि यह सब राजनीतिक जोड़-तोड़ और पहले से सोची हुई कार्यवाही थी। राज्यपाल ने स्वतंत्र रूप से कार्य न करके अपितु किसी के इशारे पर कार्य किया है। इसीलिए यह प्रश्न उठा है। अतः हम राज्यपाल की निंदा करना चाहते हैं और इसीलिए हमने उन्हें बर्खास्त करने की मांग के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मुझे प्रो० दण्डवते और श्री इन्द्रजीत गुप्त दोनों ही के भाषण सुनने का मौका मिला। मैं कहूंगा कि यद्यपि वे अलग-अलग राजनैतिक दलों से संबद्ध हैं। उन्हें हमेशा ही एक प्रभावशाली प्रवक्ता माना गया है। और मैंने उनके तर्कों को सदा ही सुनने और समझने का प्रयास किया है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : लेकिन आपको उनकी बात कभी अच्छी नहीं लगी।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने कहा है कि मैंने उनके तर्कों को हमेशा ही समझने का प्रयास किया है। क्या आपको इस पर आपत्ति है कि मैं उनकी बात समझने का प्रयास करूं। मैं आपके प्रति कठोर होना नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों के साथ परेशानी यह है कि आप लोग न तो स्वयं को समझते हैं और न ही आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको समझें। मैं एक बात के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त की सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल के भीतर जो कुछ हो रहा था उनकी भी भर्त्सना करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है। मैं उनकी बात को गलत तरीके से उद्धृत नहीं कर रहा हूं। अब मैं इस मामले की मुख्य बात के बारे में कहूंगा।

उन्होंने अपने मामले के बारे में केवल एक ही तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल के भीतर जो कुछ हो रहा था, वह निन्दनीय था। निश्चय ही उन्होंने स्वयं कहा कि वहां की सरकार अच्छी थी या बुरी, इसका कोई महत्व नही है। किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि उनका अपना ही दल कर्नाटक सरकार की पुरजोर आलोचना कर रहा था, जिसका अभिप्राय यह है कि वहां जो सरकार विद्यमान थी वह ठीक ढंग से, संतोषजनक तथा अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर रही थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप इस विशेष मानदंड को अपनाएं तो किसी भी राज्य में कोई भी कांग्रेस (आई) सरकार एक दिन भी टिक नहीं पाएगी।

श्री एच० के० एल० भगत : अब आप उठकर अपनी ही बात में संशोधन क्यों कर रहे हैं ? आपने पहले जो कुछ कहा, उससे पीछे क्यों हट रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं।

श्री नारायण चौबे : वह अपने कथन से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी बात संगत और सही है।

श्री एच० के० एल० भगत : चौबे जी, मैं नहीं समझता कि श्री इन्द्रजीत गुप्त को आपकी वकालत की जरूरत है। (**व्यवधान**)

संभवतः, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है कि उसका अर्थ यह है कि ये सब बातें असंगत हैं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल में जो कुछ हो रहा था, वह असंगत था। क्या सतारूढ दल में हो रही घटनाओं के कारण ही उन्होंने अपना बहुमत खो दिया ? उनके विचार से वह भी असंगत है। श्री इन्द्रजीत गुप्त का ठोस मुद्दा यह है कि बहुमत सदन में ही सिद्ध किया जाना चाहिए था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्यथा राज्यपाल को यह कैसे पता चलता कि वे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए ?

श्री एच० के० एल० भगत : साथ ही उन्होंने यह भी कहा "मेरे अन्य मित्रों ने कुछ तर्क दिए हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए तर्कों का भी वह समर्थन करते हैं। प्रो० मधु दण्डवते ने बहुत से तर्क दिए थे, जो श्री इन्द्रजीत गुप्त के विचार से असंगत थे। मैंने स्वयं प्रो० दण्डवते को यह कहते हुए सुना है कि वहां पर सरकार पूरी तरह से ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने कहा था, "मैं इन सभी बातों का समर्थन करता हूं।"

श्री एच० के० एल० भगत : प्रो० दण्डवते, इस सम्बन्ध में, मेरी आपके साथ गहरी सहानुभूति है। आपके जनता दल के अलावा, आपके नेशनल फ्रंट के अलावा आपके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने तत्कालीन जनता पार्टी, जोकि अब जनता दल में बदल गई है, के विभिन्न ग्रुपों के बीच फिर से विलय कराने के बारे में भी प्रयास किया है। आपने व्यक्तिगत रूप में उनमें फिर से विलय कराने के लिए प्रयास किया था। यदि आप स्पष्ट रूप से मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूं कि एन० टी० आर० अथवा देवी लाल की शैली में जनता दल बनाने से प्रयास करने से, आपने कर्नाटक में अपनी सरकार को समाप्त कर लिया। यह एक सच्चाई है। कर्नाटक में जनता दल बनाने के इन प्रयास से आपकी पार्टी में दरार पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप आपके कई सदस्य आपकी पार्टी छोड़ गए हैं। अपने हाथों को हिलाकर इसका खण्डन करने से आप सच्चाई को नहीं बदल सकते। अब कुछ नहीं किया जा सकता। सच्चाई, सच्चाई है। सच को गले से उतारना हमेशा कड़वा होता है। मैं कहता हूं कि जनता दल बनाने के आपके प्रयास में आपने अपनी सरकार को समाप्त कर दिया। यह एक बात है। मुझे नहीं मालूम आप कितना कुछ और नष्ट करने जा रहे हो। मेरा अपना विचार है कि आप जनता दल और नेशनल फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन इसके साथ ही, आप

सरकार को समाप्त कर रहे हो । ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी बुनियाद ही नहीं है··· (व्यवधान)

मैं प्रो० दण्डवते जैसे वरिष्ठ सदस्य से इस प्रकार के आंखों देखे हाल के वर्णन को जारी रखने की आशा नहीं कर सकता हूं । मुझे आशा है कि आप मेरी बात को सुन सकते हैं । हम काफी देर से आपकी बात को सुन रहे थे । मुझे आशा है कि अब आप शांत रहेंगे । इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि यदि जो कुछ भी इंद्रजीत गुप्त कहते हैं वह प्रासंगिक है तब जो कुछ प्रो० मधु दण्डवते कहते हैं वह अप्रासंगिक बन जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ऐसा कहते हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कृपया इसे फिर से कहिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : आप योग्य युवा व्यक्ति हैं और मुझे यकीन है कि आप इसे समझ सकते हैं । मुझे अपनी समझ शक्ति में विश्वास है । मेरे प्रिय मित्र, यह कहा जा रहा है कि हमने गभीर गलती की है । प्रो० दण्डवते ने कहा है कि ऐसा काम करने से हम इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे । हमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हम कर्नाटक के लोगों के हाथों से और देश में कहीं भी समाप्त हो जाएंगे । यही बहस का मुख्य विषय है । यदि ऐसी बात है और यही आपका असली मूल्यांकन है तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में कम से कम मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए । क्या आप इसके बारे में मन ही मन प्रसन्न हैं ? नहीं हैं । आज, आप एक बहुत ही डरे हुए राजनीतिक दलों में से एक हैं क्योंकि आपको डर है कि आपके लिए कोई अवसर नहीं हैं । नकली नावें जिन्हें लोग अवसर के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं अथवा कागज के भुरभुरे टुकड़े कभी कार्य नहीं करेंगे । जनता दल बन नहीं पाया है । यह बनने की प्रक्रिया में ही टूटता जा रहा है । यह स्वाभाविक रूप से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा । यही बात नेशनल फ्रंट के मामले में है । मैं आपको विभाजित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं । मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं । मैंने बाहर श्री इन्द्रजीत गुप्त का मूल्यांकन पढ़ा है ।

मैं उन लोगों में से हूं जोकि प्रायः कभी-कभी उचित रीति से और कभी-कभी अनुचित रीति से अपनी बात को अपने तर्कों द्वारा जारी रखते हैं । मैंने उनका मूल्यांकन देखा है । मुझे सी० पी० आई० (एम०) के श्री सैफुद्दीन चौधरी के मूल्यांकन का पता है । हमारे बारे में आपके मूल्यांकन को भी मैंने पढ़ा है ? मैंने नेशनल फ्रंट और जनता दल के बारे में आपका मूल्यांकन पढ़ा है । मैं जानता हूं कि मेरा मूल्यांकन क्या है । आप जो सोचते हैं और अन्य ऐसी बातों के बारे में मैं जानता हूं । कठिनाई यह है कि आप कहते हैं ये सभी बातें अप्रासंगिक हैं । यह भी अप्रासंगिक है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, श्री आर० के० हेगड़े की सरकार, जो कि मेरे व्यक्तिगत मित्रों में से एक हैं, और जो कि प्रधान मंत्री पद के लिए लम्बी लाइन में थे, उनकी सरकार, विवादों, शिकायतों, घोटालों, भ्रष्टाचारों, अर्क घोटालों, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को बीच में टेप करना, कथित भूमि संबंधी धोखाबाजी और ऐसी बहुत-सी बातों में फंस गई थी ? क्या आप नहीं सोचते कि इन सभी बातों की वजह से यह सरकार गिर गई थी ? क्या आप इसे उचित ठहराते हैं ? नहीं ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता दल सरकार अपने ही कारण से

गिर गई है। अब मैं उन 19 लोगों और उनके प्रयोजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इन्दिरा गांधी द्वारा अल्पमत सरकार चलाने का उदाहरण देकर इसी तरह की समान बात बताने का प्रयास किया था। स्पष्ट रूप से वह समान बात बहुत ही भ्रामक है। **(व्यवधान)**

मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कृपया शान्ति रखिए। मैं अपनी बात को जारी रख सकता हूं। **(व्यवधान)** कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है। यह समान बात पूरी तरह से भ्रामक है। यहां यह सरकार बहुमत के साथ चलाई जा रही थी। 19 सदस्यों द्वारा समर्थन वापस ले लिये जाने के बाद, सरकार अल्पमत में रह गई। वास्तव में सरकार किसी दल-बदल की वजह से बहुमत से अल्पमत में नहीं बदल गई थी। यह ऐसा मामला नहीं था जहां कुछ कांग्रेस के लोग उसे छोड़ गए हों अथवा ऐसी कुछ बात हुई हो।

अब श्री इन्द्रजीत गुप्त उस समान बात को दोहराने में पूरी तरह गलती पर हैं। यहां तक कि जब सरकार चल रही थी, कुछ अन्य पार्टियां भी जिसमें उनकी अपनी पार्टी शामिल थी, खुलेआम, मौखिक रूप से हमें समर्थन दे रही थीं। हमने अल्पमत को पकड़ा, जो भी हो, लेकिन यह उन जैसा मामला नहीं है, यह एक ऐसा मामला नहीं था जिससे कांग्रेस सदस्यों ने बहुमत से अपना समर्थन वापस ले लिया हो। आपका समान उदाहरण देना पूरी तरह से भ्रामक है। अब आप अल्पमत के बारे में बात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हमें बताइये कि बहुतम अल्पमत कैसे बन गया ?

श्री एच० के० एल० भगत : इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप इस चाल के बारे में जानते हैं जिसे आप एक चाल के रूप में ले रहे हैं, आप जानते हैं कि इसमें आपको बिल्कुल फायदा नहीं होने जा रहा है। क्यों ? आप धीरे-धीरे डूब रहे हैं क्योंकि आप इसी लायक हो। राजनीतिक दल इस तरह नहीं बनाए जाते हैं भले ही 40 वर्ष हो गए हों—मैं श्री ए० के० सेन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वह मेरे बहुत ही आदरणीय पुराने साथी हैं, उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। अतः मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस (इ०) के विरुद्ध कोई राजनीतिक पार्टी और ग्रुप नहीं बनाया गया है। क्यों ? इन 40 वर्षों के दौरान, हमने देखा कि आप लोगों ने इसके लिए कभी भी गम्भीरता से और ईमानदारी से प्रयास नहीं किया है। अन्तिम क्षणों में जब एक वर्ष के आस-पास चुनाव नजदीक होते हैं, उनसे पहले विपक्ष की एकता, यह सहयोग और उस सहयोग की बात करना शुरू करते हैं। जब आपने 1977 में चुनाव जीता था, आप यहां एक मंत्री के रूप में बैठे थे। आप श्री वीरेन्द्र पाटिल के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे थे। क्या आप इस बात को भूल गए हैं ? आप हमें लोकतंत्र पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था, जब वह इस सभा में आई थीं—आप यहां, सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, और आपमें से अधिकतर जो अब वहां विपक्ष में बैठे हैं, आप यहां सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे। आपने उन्हें निष्कासित कर दिया था। क्या हमें आपसे लोकतंत्र के बारे में सीखना होगा ? क्या यह सच नहीं है ? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दो गलतियां मिलकर एक चीज ठीक हो जाती है, और मैं यह नहीं कहता कि यह गलत

है। मैं एक मिनट में उनके वाद-विवाद के मूल प्रश्न की ओर आता हूं। क्या यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारों का उनका सदन में शक्ति परीक्षण किये बिना उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है? जब आप इस सरकार में थे, तो आपने 1977 में हमारी सभी कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। क्या आपने ऐसा नहीं किया था? आपने ऐसा किया था। जबकि हम पूर्ण बहुमत में थे और एक भी मामले के बारे में कोई सन्देह नहीं था, तो आपने ऐसा किया। मैं यह नहीं कहता कि आपमें बदले की भावना होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह भ्रम व्यक्त किया है कि अन्य सरकारों को बर्खास्त किये जाने की संभावना है और कांग्रेस का मनसूबा ठीक नहीं है और उसकी इन सरकारों को बर्खास्त कर देने की योजना है। मैं उनकी आशंका का स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। मैं सरकार की ओर से उन्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इस सरकार का ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई योजना नहीं है। इस संबंध में आपको और आपकी राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के बारे में नहीं बल्कि अपने स्वयं के बारे में चिन्ता करनी चाहिए। वामपंथी मोरचे में आपको कुछ चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, वामपंथी मोरचे में वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है यद्यपि हम सभी जानते हैं कि वहां अन्दर ही अन्दर क्या पक रहा है। यह हमसे छुपा नहीं है।

आप हमारी संस्कृति की, कांग्रेस संस्कृति की और कांग्रेस के व्यक्ति क्या कर रहे हैं आदि-आदि बातें करते हैं। आप जानते हैं कि आपके प्रति मेरी सहानुभूति है, मेरी वामपंथी मोरचे के प्रति सहानुभूति है। मुझे इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में कहने दीजिए। मुझे यह मान लेने में कोई झिझक नहीं है। यहां तक कि आपकी संस्कृति बदलती हुई दिखती है। यहां तक कि वामपंथी मोरचे की संस्कृति बदलती हुई प्रतीत होती है। हम हर रोज इनके बारे में समाचारपत्रों में पढ़ते हैं। मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा हूं वह उसे समझते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त के वाद-विवाद का बल इस बात पर है कि यदि राज्यपाल मुख्य मंत्री को विधान सभा में अपनी शक्ति परीक्षण की अनुमति दे देते तो आकाश न गिर गया होता। वह अपने वाद-विवाद से राज्यपाल के साथ हुई बैठक सरकारिया आयोग आदि को आधार बना रहे हैं।

अब मैं इसे सिद्धान्त के रूप में लेता हूं कि राज्यपाल को विधान सभा में होने वाले बहुमत शक्ति परीक्षण की अनुमति देनी चाहिए। प्रथम दृष्टि में तो यह आकर्षक लगता है। क्या यह व्यवहार्य है? क्या यह ठीक है। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूं। मैं इस मामले पर थोड़ी देर में बात करूंगा। सिद्धान्ततः क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि इस देश में उत्पन्न हुई या भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी स्थितियां एक ही जैसी हैं या एक ही जैसी होंगी? नहीं। स्पष्टतः नहीं। जब स्थितियां एक जैसी होती हैं तो क्या आप सभी स्थितियों के लिए एक ही जैसा हल ढूंढ सकते हैं? नहीं।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं किया गया? सरकारिया आयोग की ऐसी अनेक सिफारिशें हैं जिनका आप उद्धहरण दे सकते हैं और जो आपको ठीक भी लगती हैं। सरकारिया आयोग की अनेक सिफारिशें ऐसी भी हैं जो आपको ठीक नहीं लगती हैं और जिनका आप विरोध करते हैं। क्योंकि सरकारिया आयोग ने ऐसा कहा है इसलिए आप कहते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। और आप कहते हैं कि आसमान नहीं गिर जाता।

अब मेरे विचार में इस सदन में इस तथ्य पर किसी ने भी विवाद नहीं खड़ा किया कि 19 लोग सरकार के विरुद्ध थे। यह तथ्य निर्विवाद है। यहां तक कि सदन में यह दावा नहीं किया गया कि कांग्रेस को किसी बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यदि श्री बोम्मई ने कोई दोष लगाया है, यदि अन्य किसी ने कोई दोष लगाया है तो उन्होंने जनता पार्टी, उनके गुट, उनके संघर्ष पर दोष लगाया है। और कहा है कि ये लोग ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। सबूतों की तो बात ही क्या है कांग्रेस को इस उद्देश्य के लिए दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि कांग्रेसी लोग इतने चालाक नहीं हैं जितने कि आप उन्हें समझते हैं। और मैं, जैसा आप समझते हैं, उतना बेवकूफ नहीं हूं। यह आपकी अपनी ही करामात है और आप इसे जानते भी हैं। आपने शुरू से ही इसके लिए प्रयास किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हुआ क्या? वास्तव में वे आरम्भ से ही विभिन्न समूहों को जनता दल में परिवर्तित करने और उन्हें इकट्ठा की बात सोच रहे थे और इसके स्वाभाविक परिणाम सामने आ गए। क्योंकि, आप मिलाने का प्रयास कर रहे थे किन्तु मिलाने में सफल नहीं हो सके। आप ऐसी सम्भावना उत्पन्न करना चाह रहे थे जो स्वयं में असम्भव थी। मैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपको यह बता दूं, मुझमें राजनीतिक समझ है, कि यह आपके अन्त होने की शुरूआत है। आप हमें अगले होने वाले चुनावों में बाहर फेंकने का स्वप्न ले रहे हैं। आपने कहा है कि हम इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे। समय दूर नहीं है। सामान्य चुनावों का समय दूर नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप पहले ही अपने अस्त की ओर बढ़ रहे हैं। **(व्यवधान)** आप नहीं, हमारे विरोध करने के बावजूद भी आप तो आ ही सकते हैं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं दण्डवते जी। **(व्यवधान)** किन्तु आपकी पार्टी और आपके मित्र संभवतः न आ सकें। मैं आपका आदर करता हूं। मैं महाराष्ट्र गया था। मैं जानता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से बहुत सक्षम हैं। आप उस पार्टी का नेतृत्व करने वाले अच्छे आदमी हैं। यह महत्वपूर्ण है। **(व्यवधान)** नहीं, नहीं। मैं उनका आदर करता हूं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।

अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जहां तक आपकी पार्टी का संबंध है, आप कल्पना कीजिए, आप देश को क्या दे रहे हैं? आप देश को विभिन्न समूहों का मिश्रित रूप, केन्द्र में एक मिली-जुली सरकार दे रहे हैं।

मेरे मित्र, आपके पास जयप्रकाश नारायण थे। मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं हुआ। आप उसके अनुयायी थे। **(व्यवधान)** कृपया रुकिए। सच्चाई कड़वी होती है। आप कुछ देर के लिए और कम से कम परिवर्तन के लिए इसका समर्थन क्यों नहीं कर सकते हैं। कम-से-कम परिवर्तन के लिए इसका समर्थन कीजिए। ये वाक्य मेरे नहीं हैं। श्री जयप्रकाश नारायण अंत निराशाजनक रहा। परिणाम आपके सामने है। (व्यवधान)

आपको भारी बहुमत मिला, आपके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी और आप बुरी तरह से ढह गए क्योंकि इस बहुमत की कोई नींव नहीं थी और आप आज भी बिना किसी आधार के चल रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह आपसे खुश थे?

श्री एच० के० एल० भगत : यदि आप यह सोचते हैं कि कांग्रेस से हमारे कुछ मित्र आपके

साथ हैं और यदि आप यह सोचते हैं कि वे लोग आधार (नींव) हैं तो यह कांग्रेस की ही प्रशंसा है। आपके ग्रुप में जिन लोगों का कोई आधार नहीं है वे आपको कोई आधार नहीं दे सकते।

अब मैं जो कह रहा हूं वह यह कि श्री माधव रेड्डी बहुत ही अच्छे पुराने कांग्रेसी हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह पुराने समाजवादी हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : उनके मुख्य मन्त्री भी इस बात की गोहार कर रहे हैं कि कांग्रेस (ई) उसकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। क्या एन० टी० आर० को कोई अन्य व्यक्ति अस्थिर कर सकता है? वह खुद ही काफी हैं; वह स्वयं ही ऐसा करते हैं। **(व्यवधान)** एन० टी० आर० स्वयं ही बहुत बड़ा अस्थिरताकारक हैं।··· **(व्यवधान)** मेरे मित्र यह बात संगत है। आपके पतन का यही कारण है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आपका अन्त आने वाला है। उनके पास एक और जनता दल नेता है··· **(व्यवधान)** श्री देवी लाल जी, वह यह सब काम कर सकते हैं। देवी लाल का कार्य करने का ढंग (शैली) न केवल उन्हें समाप्त कर देगा बल्कि आपको पूर्णत: समाप्त कर देगा ···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें कर्नाटक आने दें।

श्री एच० के० एल० भगत : यह कर्नाटक है। दण्डवते जी क्या आप ईमानदारी से यह विश्वास करते हैं कि श्री देवी लाल का कर्नाटक की घटना में कोई हाथ नहीं है? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? श्री देवी लाल हर जगह अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। श्री देवी लाल क्या हैं? वह जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनका कर्नाटक की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। उनका श्री चन्द्रशेखर की कार्यवाहियों से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका श्री वी० पी० सिंह द्वारा किए जा रहे कार्यों से भी कोई संबंध नहीं है। उनका आपसे भी कोई संबंध नहीं है। ···**(व्यवधान)** दण्डवते जी, आपने पुनर्मिलन कराने का प्रयास किया और आप असफल रहे, किसके कारण? क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : आपके कारण···**(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : हमारे कारण नहीं। यदि आप हमारे कारण असफल हुए हैं तब आप भविष्य में भी हमेशा असफल होते रहेंगे। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सभी बातें बहुत ही संगत हैं। आपको कर्नाटक जैसे राज्य में इतना भारी बहुमत मिला··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : आप विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : दण्डवते जी क्या आप जनता दल से सम्बद्ध नहीं हैं? क्या यह विषय नहीं है? क्या श्री देवी लाल जनता दल से सम्बद्ध नहीं हैं? क्या श्री चन्द्रशेखर जनता दल से सम्बद्ध नहीं हैं?···**(व्यवधान)** क्या बोम्मई जनता दल से सम्बद्ध नहीं हैं? क्या श्री एन० टी० आर० जनता दल से सम्बद्ध नहीं हैं? यदि आप सब असम्बद्ध हैं तो सम्बद्ध कौन है?··· **(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि आपकी स्थिति पूर्णत: अप्रासंगिक है। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वाली आपकी राष्ट्रीय पार्टियां···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : हम उनके भाषण की प्रशंसा करते हैं और हम अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं···(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : अब आपके पैर उखड़ने के बाद आप क्षेत्रीय सम्पत्ति (राजनीति) से अमृत (लाभ) पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वे अमृत दे सकती हैं? नहीं, वे अमृत नहीं दे सकती है। यह आपके गलत विश्लेषण का परिणाम है। आप स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं···(**व्यवधान**) मैं जो कुछ कह रहा हूं वह पूर्णतः संगत है। विपक्ष के अत्यधिक प्रतिभाशाली (योग्य) सांसद श्री मधु लिमये ने कहा है···(**व्यवधान**) देश की अधिकांश प्रेस (समाचार पत्र) जिन्होंने राज्यपाल की कार्रवाई की आलोचना की है, क्या उनमें से किसी ने भी आपको छोड़ा है ?···(**व्यवधान**) राज्यपाल की कार्रवाई की जो सबसे अधिक बुरी आलोचना की गई है उसमें कहा गया है कि जनता दल ने स्वयं ही ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। समाचार-पत्रों के अधिकांश सम्पादकों ने, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, जो कुछ महसूस किया वही लिखा और हम प्रेस के साथ हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी प्रेस स्वतन्त्र है··· (**व्यवधान**) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इंडियन एक्सप्रेस संगत है ? क्या आप इसका उत्तर देंगे ?···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आपके लिए तो बहुत संगत है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह कह रहा हूं कि क्या यह संगत है ? यदि यह संगत है तो श्री इन्द्रजीत गुप्त पूर्णतः गलत हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रो० मधु दण्डवते सामान्यत: अपना सन्तुलन नहीं खोते हैं किन्तु आज वह अपना सन्तुलन खो रहे हैं।

अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात पर आ रहा हूं कि उन्होंने यह कहा कि यदि राज्यपाल उन्हें सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दे देते तो आसमान नहीं गिर जाता ? क्या आप इस सिद्धान्त को स्वीकार कर सकते हैं कि किसी भी मुख्य मन्त्री को केवल विधान सभा में ही अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जाएगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां।

श्री एच० के० एल० भगत : आप ऐसा कहते हैं। आपने स्वयं ऐसा नहीं किया।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : क्या वह यह कार्य बाजार में करेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : जंगा रेड्डी साहब मैंने आपकी अपनी सरकार के बारे में आपके भाषण पढ़े हैं। हमने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया है और न ही हम ऐसा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं जानता हूं कि आप वहां श्री माधव रेड्डी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके और आपकी पार्टी के विचारों को जानता हूं। यदि कल को श्री एन० टी० आर० स्वयं ही अपनी सरकार गिरा दें तो क्या इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा ?

4.56 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, यह राज्यपाल की सन्तुष्टि का प्रश्न है। यदि यह सन्तुष्टि है तो शुरू में ही उन्हें यह पता लग गया था कि 19 विधायक बाहर चले गए हैं। एक तरीका यह है कि यदि वे स्वयं यह कहते हैं कि ठीक है सदन में आकर इस बारे में निर्णय लीजिए तो यह बहुत अच्छा तरीका होता। संभवतः आप फिर भी उनकी आलोचना ही करते क्योंकि प्रो० मधु दण्डवते, आलोचना करना आपका स्वभाव और आदत है। आप यहां किसलिए उपस्थित हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : निश्चित रूप से ऐसा ही है।

श्री एच० के० एल० भगत : निश्चित रूप से आपकी यह बात ठीक है कि आप यहां आलोचना करने के लिए हैं। फिर भी आप दोष ही निकालते। राज्यपाल ने यह सोचा कि 19 सदस्य बाहर जा चुके थे। उन्होंने यह कहा कि यदि वे इसकी अनुमति दे देते तो इसका परिणामस्वरूप विधायकों की खरीद-फरोख्त शुरू हो जाती। आप कहते हैं कि आपका अनुयायी मूल्यों पर आधारित राजनीति का समर्थन करता है। जब आप यहां उपस्थित हैं तो सभी अनुयायी मूल्यों पर आधारित राजनीति का समर्थन करते हैं और उनमें से कुछ लोग यहां उपस्थित भी हैं। परन्तु जब वे बाहर जाते हैं तो वे मूल्यहीन राजनीति के समर्थक बन जाते हैं। अब मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या एक सप्ताह अथवा 10 दिनों के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त जारी नहीं रही ? राज्यपाल महोदय सन्तुष्ट हैं। यदि उन्होंने अति शीघ्र ही उपचारात्मक कार्यवाही की है तो क्या आपको उनकी ईमानदारी पर शक करना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा है छह दिन पहले आप यह सोचते थे कि राज्यपाल महोदय उचित कार्यवाही कर रहे थे और उन पर दबाव नहीं डाला जा रहा था। आपने राज्यपाल महोदय की प्रशंसा की थी। और इसके 7 दिन बाद आपने उसी राज्यपाल की निन्दा की थी। आपकी कौन-सी बात संगत है ? आप हमें राजनैतिक नैतिकता सिखा रहे हैं ? क्या हमें आपके दल से राजनैतिक नैतिकता सीखनी है ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप स्वयं इसका नमूना हैं। आपको यह सीखने की जरूरत नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे बहुत-सी बातें सिखा सकते हैं परन्तु राजनैतिक नैतिकता नहीं सिखा सकते। मैं यह नहीं कहूंगा कि हम परिपूर्ण हैं। मैं यह कभी भी नहीं कहूंगा कि हम परिपूर्ण हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि आप हमारा विकल्प नहीं हैं। हम यहां अपनी सकारात्मक शक्ति के बल पर हैं। इसी सकारात्मक शक्ति के बलबूते पर हमारा अस्तित्व कायम है। सम्पूर्ण देश में न्यूनाधिक रूप से हमारा राजनैतिक और भौतिक अस्तित्व है। श्री इन्द्रजीत गुप्त के वामपंथी मोर्चे को हमसे कुछ प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए हैं। केरल में भी आपको हमारे दल से 1 प्रतिशत मत अधिक प्राप्त हुए हैं। देश के कोने-कोने में हमारा अस्तित्व है। विभिन्न चुनावों का रुख भी यही दर्शाता है कि आपका अस्तित्व नहीं है। आप किन्हीं समाचार-पत्रों के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि आम जनता आपका समर्थन करती है परन्तु इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अवसरवादी हैं और आपका कोई

कार्यक्रम अथवा नीतियां नहीं हैं। हमारा केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है अपितु हमारे दल का राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम है। हमारा दल एक ऐसा दल है जिसके नेतृत्व को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हैं। इसीलिए हम यहां विद्यमान हैं। आपका अस्तित्व इसीलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि आपमें ये गुण नहीं हैं। मुझे आपसे सहानुभूति है।

5.00 म० प०

मैं जानता हूं कि आप यह अनुभव करते हैं कि यह आघात आपके नये प्रयासों के लिए घातक सिद्ध होगा। मैं आपको यह बता दूं कि आप दल गिराने की बात छोड़िए, हम आपको नया दल बनाने ही नहीं देंगे। आपने उसका परिणाम देख ही लिया है। जनता दल बनाने के प्रयास में आपने अपने दल को समाप्त कर दिया है···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वे राजनैतिक दलों के जैविक विकास की बात कर रहे हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं समझता हूं क्या प्रो० मधु दण्डवते और मैं अब यही बात सोचने के लिए रह गए हैं। अतः महोदय, मैं समझता हूं कि उद्घोषणा को समर्थन देने की आवश्यकता है, उसे समर्थन दिया जाना चाहिए और यह प्रस्ताव असंगत है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, हमारी केन्द्रीय सरकार, कांग्रेस सरकार के लोग हमेशा इस बात की फिक्र में रहते हैं कि किस प्रकार से किस विपक्षी गवर्नमेंट को गिराया जाए।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी का मेम्बर भी उधर चला गया।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमने उस मेम्बर को डेढ़ साल पहले अपनी पार्टी से निकाल दिया था, आपको मालूम नहीं। आपका आल इण्डिया रेडियो है, इसलिए बी०जे०पी० को बदनाम करने के लिए इस तरह से कहा जाता है। अपने उस मेम्बर को डेढ़ साल पहले एन्टी-पार्टी एक्टिविटीज की वजह से अपनी पार्टी से निकाल दिया था। आप लोग अपनी पार्टी से नहीं निकालते और रेडियो पर बोलते हैं, टी०वी० पर बोलते हैं कि हमारी पार्टी का मेम्बर उधर चला गया क्योंकि श्री एच० के० एल० भगत का रेडियो है, श्री राजीव गांधी का रेडियो है, टी० वी० है।

एक माननीय सदस्य : और श्री के० के० तिवारी का है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अभी तो श्री तिवारी के पास यह नहीं आया है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा कोई आदमी नहीं गया।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 27 तारीख को जब बोम्मई जी अपना बल प्रदर्शन एसेम्बली में करना चाहते थे, तो एक हफ्ते में क्या आसमान टूटने वाला था और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने जो कहा है, वह ठीक कहा है। अगर संविधान के अनुसार आप सरकार को गिराना चाहते थे, तो जिस वक्त बोम्मई जी ने अपनी मेजोरिटी खो दी थी, तो क्यों नहीं देव गौड़ा को सरकार बनाने के लिए बुलाया, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री रचैया को सरकार बनाने के लिए बुलाया। आप जानते हैं कि जिस वक्त श्री मोरारजी देसाई ने अपनी मेजोरिटी खो दी थी, तो उन्होंने

श्री वाई० बी० चव्हाण को बुलाया और बाद में श्री चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए बुलाया। श्री चव्हाण के रिफ्यूज करने के बाद श्री चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। उसी प्रकार से श्री वेंकटसुबैया भी उनको बुला सकते थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्य किसके माफिक थे और किसके खिलाफ थे, इसकी परीक्षा विधान सभा में ही होगी, बाहर नहीं होगी। आप जानते हैं कि 1984 में जिस वक्त श्री राम लाल ने श्री एन० टी० रामा राव को निकाल कर एकदम श्री भास्कर राव को मुख्य मंत्री बना दिया था, तो उनको सलाह दी थी कि एक महीने के अन्दर वे अपना बल निरूपण करें मगर वे बल निरूपण नहीं कर सके। अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर देखकर अगर गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब सेटिस्फाई होते हैं, तो इस तरह से सरकार गिराना उचित नहीं है। आपने जो कर्नाटक में किया, वह अन्य प्रदेशों में भी करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कर्नाटक के प्रभाव का अभी आपको पता नहीं चलेगा, वह तो चुनाव में पता चलेगा। 27 अप्रैल को विभिन्न दलों ने निश्चय किया है कि राज्यपाल के अधिकारों का जो इस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ आन्दोलन किया जाएगा। आप लोगों ने मिजोरम में लाल डेंगा को अपना बहुमत रहते हुए मुख्य मंत्री बनाया था लेकिन बाद में उनको हटना पड़ा और असम में भी आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल में गोरखा लैंड के लिए भी आपने कोशिश की लेकिन उसमें आप फेल रहे और अब बोड़ो आन्दोलन उचका रहे हैं। इस प्रकार उचका कर आप देश की अखण्डता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कांग्रेस वाले और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को गिराने की आप कोशिश मत कीजिए। आप सत्ता से कुछ अलग रहने की भी कोशिश कीजिए। आपने केवल सत्ता में रहना ही सीखा है। विरोधी दल रहकर, विरोधी दल के नाते कुछ कंस्ट्रक्टिव, निर्माणात्मक, रचनात्मक सुझाव देकर विरोधी दलों की सरकार को बढ़ाने की कोशिश करना आप लोगों का कर्त्तव्य है। मगर आप चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सरकार को गिरावें। इसीलिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे। आंध्र की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। आपके केन्द्र के एक मंत्री ने दो-तीन दिन पहले अपने बयान में यह बताया था कि संविधान का विरोध हो रहा है। वेंगलराव जी ने बता दिया था कि संविधान के विरोध में क्या हो रहा है। राज्य में संविधान का विरोध हो रहा है। जैसा दण्डवते जी ने बताया कि हमें पता नहीं चला कि आने वाले दिनों में संविधान में क्या होने वाला है। पंजाब में भी क्या आने वाला है।

मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान के विरुद्ध कुछ हो रहा है। लेकिन आप इस प्रकार के माध्यम से यह सब नहीं करिये। आप जनता के सामने जाइये, जनता से वोट मांगिये। आपने जो मधु दंडवते जी के दल की सरकार को वहां गिराया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक साल बाद फिर बोम्मई सरकार बनेगी, आपकी सरकार टूटेगी। कर्नाटक में आपके प्रति जो सहानभूति थी वह बोम्मई सरकार को गिराने के बाद खत्म हो गई। आपके प्रति सहानुभूति अब नहीं रही है। इस तरह का काम करके आप जनता की सहानुभूति अपने प्रति खो रहे हैं।

वहां गवर्नर साहब को चाहिए था कि वे संविधान के माफिक काम करते। अगर वे समझते थे कि जनता दल की सरकार का बहुमत नहीं रहा तो वे देव गौड़ा को निमंत्रण देते, कांग्रेस पार्टी के लीडर को निमंत्रण देते। अगर वे भी सरकार बनाने से इन्कार करते तो गवर्नर रूल लागू

करते। मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जनता पार्टी के देव गौड़ा को या कांग्रेस पार्टी के नेता को क्यों नहीं निमंत्रण दिया? अगर बोम्मई सरकार ने मेजोरिटी खो दी थी तो दूसरे विरोधी दलों के नेताओं को निमंत्रण देना लाजमी था। यह आचार और व्यवहार है। इसलिए गवर्नर को कर्नाटक से बाहर निकालने का मधु जी ने, माधव रेड्डी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करते हुए राष्ट्रपति की उद्घोषणा का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ओस्कर फर्नान्डीज** (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के लिए सरकारी प्रस्ताव के समर्थन में और कर्नाटक के राज्यपाल के आचरण के बारे में प्रस्ताव के विरोध में अपने मत व्यक्त करता हूं। मैं एक लम्बा राजनैतिक भाषण देने का इच्छुक नहीं हूं।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया है कि कर्नाटक सरकार बदनाम हो रही थी परन्तु वे कहते हैं कि उस सरकार को स्थिति सुधारने के लिए 2-3 दिन का समय नहीं दिया गया। मैं उस मुद्दे का उत्तर देना चाहूंगा।

'संडे आबजर्वर' के प्रैस संवाददाता को दिये श्री रामकृष्ण हेगड़े के साक्षात्कार से उनकी योजनायें और कूटनीतियां सामने आ चुकी हैं। इस प्रश्न के उत्तर में, कि क्या उस परिस्थिति में दल बदल विरोधी कानून लागू होगा अथवा नहीं, श्री रामकृष्ण हेगड़े ने सकारात्मक उत्तर दिया था। उनके प्रैस साक्षात्कार का मूल अर्थ यह था कि सदन में सरकार के शक्ति परीक्षण की जांच से पहले ही वे सदस्य अयोग्य सिद्ध हो चुके होंगे और इसलिए उन अयोग्य सदस्यों की संख्या को घटाकर भी सरकार का बहुमत आसानी से कायम रहेगा। ऐसा दृष्टिकोण कानून के विरुद्ध है।

उनकी वास्तविक योजना यह थी कि विधानसभा से अपना समर्थन वापस लेने वाले उन 19 सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए अध्यक्ष के पद का उपयोग करने के लिए समय मांगा जाए। फिर वे विधान सभा के सत्र का नाटक रचना और अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते थे। यदि उन्हें समय दिया जाता तो अध्यक्ष के पास जाकर उन 19 सदस्यों को हटाने के नाटक को वास्तविक रूप दे दिया जाता। प्रैस संवाददाता को दिये गये श्री आर० के० हेगड़े के उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है।

महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं दिनांक 23 अप्रैल, 1989 के 'दी संडे आब्जर्वर' से उद्धृत करना चाहूंगा। श्री हेगड़े के सामने यह प्रश्न रखा गया था :

> "आपने यह कहा है कि दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया गया है क्या आप इस बात की व्याख्या करेंगे?"

श्री हेगड़े द्वारा यह उत्तर दिया गया था :

---

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

"जब मुख्य मंत्री महोदय विश्वास मत प्राप्त करना चाहेंगे तो ये सदस्य भी विधान-सभा में उपस्थित होंगे चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। और तब वे सदस्य पार्टी के विरुद्ध मतदान करेंगे जिन्होंने बोम्मई सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तब उन्हें तुरन्त ही निकाल दिया जायेगा...।"

वे कहते हैं कि अपने समर्थन को एक बार वापस लेने के तुरन्त बाद ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। फिर क्या घटित होता है? कर्नाटक सरकार गिरानी पड़ेगी। वे कहते हैं कि उनके द्वारा अपना समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर जायेगी; उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और उसके बाद श्री बोम्मई को बहुमत प्राप्त होगा। यह कैसे होगा? जब सदन में सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है तो वे तुरन्त ही उन सदस्यों को अयोग्य घोषित करेंगे और सदन में कम सदस्यों की उपस्थिति के आधार पर श्री बोम्मई को बहुमत प्राप्त होगा। श्री हेगड़े ने यह उत्तर दिया है। वास्तव में वे विधान सभा की बैठक होने से पहले ही सभी सदस्यों को अयोग्य घोषित करना चाहते थे और फिर वे यह कहते कि यह सदन की वास्तविक संख्या है और सदन में हमारा बहुमत है। श्री हेगड़े द्वारा दिये गये उस प्रश्न के उत्तर से यही बात जाहिर होती है।

एक माननीय सदस्य : फिर दल-बदल विरोधी कानून किसलिए है?

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : उन्होंने दल अथवा सरकार से नहीं बदली है। उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वे स्वयं अपने सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : यह प्रश्न नहीं है। मैं एक तकनीकी मुद्दे पर हूं। (**व्यवधान**)

श्री सी० जंगा रेड्डी : वे दूसरा नेता चुन सकते हैं।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : महोदय, मैं पूर्ण रूप से एक तकनीकी मुद्दे पर हूं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि एक विधायक यह कहता है कि मैं अपने दल का समर्थन नहीं करता हूं, तो यह क्या है? इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है?

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : मैं एक तकनीकी बात कह रहा हूं। यदि वे यह कहते कि हम अपने दल से त्यागपत्र दे रहे हैं तो यह समझा जाता कि उन्हें दल से निकाल दिया गया है। कृपया इस मुद्दे का स्पष्टीकरण कीजिए। यदि वे अपने दल को छोड़ देते तो उन्हें सदन से निकाल दिया जाता। उन्होंने दल से त्यागपत्र नहीं दिया है। उन्होंने केवल अपना समर्थन वापस लिया है। (**व्यवधान**) उन्होंने ऐसा नहीं किया है। (**व्यवधान**)

कर्नाटक के लोग जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ है। अब वे विधान सभा भंग होने पर आनन्द मना रहे हैं। चूहा मृत पड़ा है और उससे चारों ओर दुर्गन्ध फैल रही है। अब प्रश्न यह है कि उसे तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए अथवा 3 दिन बाद हटाया जाना चाहिए। बुद्धिमानी यही है कि सड़े हुए चूहे को तुरन्त ही हटा दिया जाना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय ने ठीक यही कार्य किया है। राज्यपाल महोदय ने स्थिति को समझ लिया था कि सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है और इसीलिए उन्होंने बिलकुल न्यायसंगत ढंग से सदन को भंग करने की सिफारिश की।

अपने साहसपूर्ण निर्णय के लिए राज्यपाल महोदय की प्रशंसा की जानी चाहिए। हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनावों में कर्नाटक के लोगों ने पर्याप्त रूप से यह दिखा दिया है कि वे अपने दल को प्राथमिकता देते हैं अथवा कांग्रेस (आई) को प्राथमिकता देते हैं। हाल ही में हुए चुनावों में उत्तम कार्य निष्पादन के लिए श्री आर० के० हेगड़े ने स्वयं कांग्रेस (आई) को बधाई दी है। अब हमें जनादेश के लिए लोगों के पास जाना चाहिए। जनता ही सबसे अच्छी निर्णायक है और वह ही इसका उचित उत्तर देंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, शुरू में ही मैं आपका इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने हस्तक्षेप करने के लिए मुझे अवसर दिया है। माननीय गृह मंत्री कल अन्तिम उत्तर देंगे। आज वह दूसरे सदन में हैं इसलिए वह नहीं आ सकते हैं। यह वाद-विवाद काफी रोचक था। सत्तारूढ़ पक्ष के लोग राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को न्यायोचित ठहराना चाहते थे, विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को असंवैधानिक ठहराने की कोशिश की है। विपक्ष द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सभा को सूचित किए बिना और विधायकों को सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिये बगैर राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन घोषित करने की सिफारिश करना वांछनीय था। इस पक्ष के कुछ सदस्यों और मंत्रिपरिषद के मेरे कुछ साथियों ने जिन्होंने इसमें भाग लिया, सदस्यों की संख्या के बारे में कतिपय आंकड़े रखे। वर्ष 1977 में, जब दिल्ली में जनता सरकार सत्ता में थी, उस समय हुई घटनाओं के बारे में उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए और उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी ही परिस्थितियों में तत्कालीन राज्यपाल और केन्द्र सरकार ने जो कार्यवाही की थी वह अब की गई कार्यवाही के ही समान था। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि राज्य सरकार को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाता, वह सरकार नहीं गिरती। श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह बात उठाई कि बिहार में क्या कदम उठाये गये हैं जहां हमारे विधायकों ने भी वहां के नेतृत्व को चुनौती दी है और वहां की स्थिति ऐसी है। अब राज्यपाल ने किस वजह से फैसला किया? राज्यपाल की रिपोर्ट 19 तारीख को आई जिसके पश्चात् 20 तारीख को एक अन्य सन्देश आया। यही प्रश्न यहां उठाया गया है किन परिस्थितियों में राज्यपाल ने यह फैसला लिया कि वहां खरीद फरोख्त जारी थी। अब यहां एक तर्क दिया जाता है कि खरीद फरोख्त होने के बावजूद राज्यपाल को संविधानिक उपबंधों का पालन करना चाहिए था तथा उन्हें कर्नाटक में जो चल रहा था उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। राष्ट्रीय प्रैस और क्षेत्रीय प्रैस ने साफ-साफ कहा था कि दुर्भाग्य से विधायकों का एक वर्ग वहां खरीददारी की वस्तु बन गया है और उनके दाम घट-बढ़ रहे थे और पार्टी के अन्दर वे राज्य में अपनी निष्ठा का सौदा कर रहे थे जोकि आधारभूत रूप से 1985 में मूल्य आधारित राजनीति से सत्ता में आई है।

महोदय, मैं राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसे सभा पटल पर रखने के बाद कर्नाटक के बारे में प्राप्त एक सन्देश की जानकारी सभा को देना चाहता हूं। विधायकों और भूतपूर्व मंत्रियों ने कैसा व्यवहार किया? महोदय, यह सन्देश 20 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हुआ था जिसे हम सभा को नहीं बता सके क्योंकि यह बाद में आया था। यह भूतपूर्व मंत्री द्वारा राज्यपाल को मिलने के पश्चात् व्यक्तिगत रूप से दिया गया पत्र था। भूतपूर्व मंत्री श्री बासवप्पा राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से मिले और यह बात स्पष्ट की कि उनसे उनका एक रोज पहले का पत्र दबाव में लिया गया

था और जिसके सम्बन्ध में प्रो० मधु दंडवते ने कहा था कि यह समर्थन वापस लेना है। उन्होंने उन्हें निम्नलिखित पत्र भी दिये :

> "महामहिम, राज्यपाल, कर्नाटक, राजभवन, बंगलौर। महोदय, कल मैंने आपको एक पत्र दिया था जिसमे यह कहा गया था कि मैंने श्री एस० आर० बोम्मई की सरकार को दिए समर्थन को वापस ले लिया है। यह स्वागतपूर्ण कार्य है कि आप इस पर संविधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन बाद में श्री एस० आर० बोम्मई के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने कल मुझ पर दबाव डाला और···"
>
> "मुझ पर एक भिन्न पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। हो सकता है वह पत्र भी उन्होंने आपको भेजा हो। लेकिन आज इस समय भी मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने श्री एस० आर० बोम्मई की सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया है और मेरा पहला फैसला आज इस वक्त भी बरकरार है।"

वहां इस तरह दबाव डाला जा रहा था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह एक मिनट के लिए मेरी बात मानेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या राय है। यदि सभा में उन्होंने मुख्य मंत्री का समर्थन किया है तो क्या आप उस पत्र की वजह से उनके समर्थन को अनदेखा कर सकते हैं ? यही मुद्दा है। यहां ये असंतुष्टों की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन सभा में, विधान सभा में, माना कि वे जो असंतुष्टों के रूप में जाने जाते हैं सरकार का समर्थन करते हैं, तो क्या उसे अनदेखा किया जा सकता है ? यही मुद्दा है।

श्री संतोष मोहन देव : विपक्ष का मुद्दा यह है कि इस बात के बावजूद कि विधायकों के एक समूह ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, इसके बावजूद कि विधान सभा के सदस्यों के एक समूह ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, इसके बावजूद कि उसी समूह के कुछ संसद सदस्यों ने बाद में वह पत्र वापस ले लिया है, राज्यपाल को मुख्य मंत्री को सभा में एक अवसर देना चाहिए था।

अब राज्यपाल का दावा यह है कि जो स्थिति पैदा हो गयी है वह सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। तमिलनाडु के बारे में हमारा क्या अनुभव है ? वहां क्या हुआ है ? राज्यपाल ने एक अवसर दिया था। लेकिन वहां सदन के भीतर लड़ाई हुई थी। सदन के अन्दर पुलिस बुलाई गई थी। यह बहुत समय पहले की बात नहीं है। आपको इसे देखना चाहिए।

माननीय सदस्य, प्रो० मधु दंडवते ने कहा था लोग उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया राज्यपाल द्वारा दिये कारणों में इन्हें नहीं जोड़ें। राज्यपाल ने कतिपय कारण दिये हैं, आप यहां से कुछ अन्य स्पष्टीकरण नहीं जोड़ सकते हैं। आप कैसे जोड़ सकते हैं ? **(व्यवधान)** आप राज्यपाल की रिपोर्ट से बंधे हैं। आप उसमें नहीं जोड़ सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : वह अधिनियम और संविधान से भी बंधे हैं।

महोदय, मूलत: उनकी विधान सभा सदस्य संख्या 139 थी। जब इसका नाम जनता पार्टी से जनता दल रख गया तो उनकी सदस्य संख्या 112 थी। बाद में इन 19 सदस्यों के समर्थन

वापस लेने से वे 99 रह गये। इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा तर्क-वितर्क नहीं किया गया है। वे कह रहे हैं, "हमें अपने समर्थकों को वापस खरीदने का एक अवसर दीजिए।" इस पर राज्यपाल सहमत नहीं हुए थे।

मैं अतीत की बात करना चाहता हूं। 1977 में क्या हुआ था। 1977 में जब कुछ कांग्रेसी विधायकों ने सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन वापस लिया तो तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स राज्यपाल के पास गये। उस वक्त दिल्ली में जनता शासन था और उनके राज्यपाल वहां थे। राज्यपाल ने कहा था, "नहीं मैं विधान सभा का सत्र शुरू होने की प्रतीक्षा नही करूंगा। विधान सभा का सत्र उस स्थिति विशेष के पैदा होने के केवल 3 दिन बाद शुरू होने वाला था अर्थात विधान सभा 3-1-1978 को समवेत होनी थी। आप जानते हैं कि तत्कालीन राज्यपाल ने क्या लिखा। यह वैसी ही स्थिति थी जो आज उठ खड़ी हुई है। राज्यपाल ने लिखा था :

> "यह बात हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र, सत्यापित पत्रों और मेरे समक्ष विधान सभा सदस्यों के शारीरिक रूप से उपस्थित होने तथा अपनी इच्छा को स्वतन्त्र रूप से व्यक्त करने के बाद स्थिति को पूरी तरह से समझने पर पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है कि 109 विधायकों ने वर्तमान सरकार पर अविश्वास प्रकट किया है। अतः सरकार अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुकी है। विभिन्न विशेष बातों को देखते हुए जोकि बताई जा चुकी हैं सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं लगता है। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी वैकल्पिक सरकार बनाना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में यह स्थिति साफ-साफ उभर आयी है जिसमें इस राज्य की सरकार को संविधान के उपबन्धों के मुताबिक आगे शासन नहीं करने दिया जा सकता है।"

उस वक्त आपकी पार्टी, जो जनता सरकार के रूप में केन्द्र में थी, ने उन्हें समर्थन दिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने समर्थन नहीं दिया था।

श्री संतोष मोहन देव : क्या आपने कोई आवाज उठाई थी। प्रो० मधु दंडवते एक अनुभवी और बहुत मंजे हुए सदस्य हैं और उमर के लिहाज से, कार्यनिष्पादन, गुण और योग्यता के लिहाज से आदरणीय हैं। उन्होंने इस सभा में कहा था कि बहुत भारी भूल हो गयी है। आप इस भूल को क्यों दोहराते हो? क्या मैं जान सकता हूं कि प्रो० मधु दंडवते ने रेल दुर्घटना के दौरान इस्तीफा दिया था? उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया गया था। इस समय क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्या उन्होंने मंत्रिमंडलीय बैठक में अपना विरोध प्रकट किया था? नहीं, मैंने इस पर गौर किया है। मंत्रिमंडलीय बैठक में असंतुष्टता वाली कोई बात नहीं हुई।

प्रो० मधु दण्डवते : आप ध्यान दें कि मंत्रिमंडलीय कार्यकरण में असंतुष्टता वाली कोई बात नहीं होती है। अपने प्रधान मंत्री से पूछिये क्या ऐसी कोई असंतुष्टता वाली बात है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं यह जानता हूं। यही मैं कह रहा हूं। आपका असंतोष तो जनता तथा प्रैस के लिए है। वास्तव में, जो वह कहते हैं, करते नहीं हैं। उन्होंने उस वक्त जो कुछ कहा था वह उन्होंने सभा में नहीं कहा था। आज वह निर्भीक होने की कोशिश कर रहे हैं। उन के जैसे संसद सदस्य का ऐसा करना बहुत अनैतिक है। उन्होंने श्री वेंकट सुबैया की कुछ टिप्पणियों

को उद्धृत किया है। मैं उनकी टिप्पणियों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सभा में कई मर्तबा एक समाचार पत्र विशेष को बाईबल के रूप में उद्धृत किया है और इस पर अध्यक्ष महोदय ने इस सभा में कतिपय वाद-विवाद और चर्चा की अनुमति दी है। इस समाचार पत्र के सम्पादकीय में क्या कहा गया है और क्या जानकारी दी गई है? शायद उन्होंने वह लेख नहीं पढ़ा है। अथवा यदि उन्होंने पढ़ा है तो वह इसे बिलकुल ही भूल गये हैं। उस सम्पादकीय का उल्लेख उनके सामने आसानी से किया जा सकता है। "द इंडियन एक्सप्रेस" में कहा गया है :

> "सरकार को जनता पार्टी के लोगों ने ही गिराया है। यह पहला पाठ है जिसे लोग भविष्य में याद करेंगे : उन्होंने 4 वर्ष पहले कांग्रेस (इ) को छोड़ कर किसी अन्य पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया था : उस पार्टी ने फिर विश्वासघात किया है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार 1979 में इसने विश्वासघात किया था।"

उसमें यह कहा गया था। सभा में तथा बाहर कई बार यह मूल्यांकन किया गया है। केवल यही नहीं :

> "इस घटना में दूसरा पाठ हेगड़े तथा दण्डवते के लिए है : महीनों तक जैसा कि चन्द्रशेखर और अन्य लोगों ने एक के बाद एक चाल खुले रूप से चली, जिसमें बस यही संकोच उन्हें था कि ये महान पुरुष जोड़-तोड़ से इसलिए बचते रहे कि पार्टी टूटने से बच जाए।"

उसमें यह कहा गया है। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता और उन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी जिक्र किया है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि खरीद फरोख्त का क्या प्रमाण है। मैं आपका ध्यान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लिखित एक समाचार पत्र की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कहा था? समाचार पत्र में उन्होंने कहा था, "कांग्रेस ने विगत में विधायकों की खरीद फरोख्त की है हम अब कर रहे हैं।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने यह किया है। आप उनके शब्द कैसे उद्धृत कर सकते हैं?

श्री संतोष मोहन देव : यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। यदि कांग्रेस ने गलत काम किया है तो जनता दल को भी वही काम क्यों करना चाहिए?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : जब राज्यपाल ने रिपोर्ट दी तो वह अपने संवैधानिक अधिकार में बिलकुल सही थे।

सभा में एक अन्य प्रश्न उठाया गया था। आपने सभा की अवधि क्यों बढ़ाई और राष्ट्रपति शासन की घोषणा सभा में क्यों लाये जिसे सभा पटल पर गृह मंत्री ने रखा था? बार-बार

विपक्ष ने कहा है कि जब कोई महत्वपूर्त निर्णय लिया जाता है तो सभा की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। हमने सोचा कि शनिवार और रविवार को अवकाश है और यदि यह समाचार टेलीविजन पर आता तो वे कहते कि हमें सूचित क्यों नहीं किया गया?"

महोदय, आप पीठासीन थे। आपने सभा का समय बढ़ाया था। अखिरकार, हमने सोचा कि देश के सबसे बड़े संसदीय मंच, इस सभा को सूचित कर देना चाहिए। आप इसे इस दृष्टिकोण से लीजिए। यदि हमने राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में इस सभा को सूचित नहीं किया होता तो उन्होंने आपत्ति की होती।

अब हमने आपको विश्वास में ले लिया है। हमने सभा को सूचित कर दिया है। मध्याह्न भोजन के बाद आप लोगों में से कितने लोग सभा में उपस्थित रहते हैं? कभी-कभी आप केन्द्रीय कक्ष में बैठते हैं। फिर आप अपने घर चले जाते हैं। फिर वे कहेंगे, "हमें सूचना नहीं दी गई।" मैं प्रो० दण्डवते को दोष नहीं दे सकता। वह कह रहे हैं, "मैंने मालूम किया। और इसके इसके बारे में मालूम नहीं हुआ। इसलिए, मैं चला गया।" उन्हें कहने के लिए एक मुद्दा मिल गया है। वह चले। गये परन्तु सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। बल्कि, सरकार ने इस मुद्दे विशेष की जानकारी सभा को देकर इसका सम्मान किया है और इस प्रकार सरकार ने किसी को भी अन्धेरे में नहीं रखा है। छुपाने की कोई बात नहीं की क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया गया था और भारत के राष्ट्रपति ने एक निर्णय लिया है। हमने इसकी घोषणा की है।

महोदय, दूसरी बात यह उठाई गई है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, मैं इस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझे इस मामले में शामिल कर लिया है। उस दिन अपराह्न 3-30 बजे जब एक सदस्य ने वास्तव में इस मुद्दे को उठाया तो मैंने उसे बता दिया था कि 6 बजे सभा स्थगित हो जायेगी क्योंकि इसके बाद इसका समय नहीं बढ़ाया जायेगा। परन्तु जब 5.45 बजे सदस्यगण सभा का समय बढ़वाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकता हूं? यह केवल सभा ही तय कर सकती है। इस मुद्दे पर मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, अधिकांश विपक्षी सदस्यों ने 6 बजे तक सभा में बैठने की परवाह नहीं की यद्यपि वे इस मुद्दे को उठा रहे थे···(व्यवधान) यदि वे यहां बैठे होते तो उन्हें इस बात की जानकारी होती। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, श्री दिनेश गोस्वामी, श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट तथा विभिन्न सिफारिशों को उद्धृत किया है। सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यह भी एक सिफारिश है जो सरकारिया आयोग ने की है। इस पर संसद के दोनों सदनों—लोक सभा तथा राज्य सभा में वाद-विवाद किया जा चुका है। रिपोर्ट पर परामर्शदात्री समिति में अच्छी तरह बहस हो चुकी है। इसके पक्ष तथा विपक्ष में विचार थे। इस मामले में सरकार बहुत स्पष्ट है। जब सरकारिया आयोग ने निर्णय ले लिया है, उसे केवल उदाहरण के तौर पर ही लिया जा सकता है। यह

सिफारिशों में से एक है और ऐसा आधार नहीं हो सकता जिस पर सरकार निर्णय लेगी··· (**व्यवधान**) मैंने किसी की बात को व्यवधान नहीं डाला है। मेरा उत्तर समाप्त हो जाने के बाद, यदि वे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं जवाब दूंगा।

महोदय, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को उद्धृत किया गया है। कई माननीय सदस्यों ने उस ढंग का हवाला दिया है जिस ढंग से सरकार राज्यपाल नियुक्त कर रही है। महोदय, श्री वेंकट सुबैया इस सभा के सदस्य थे। वह एक मंत्री थे। वह उनके अच्छे मित्र थे। वह चुनाव हार गये। उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। श्री दिनेश गोस्वामी ने कहा है कि राजनैतिक नेता नियुक्त किये जा रहे हैं; इस मामले में सरकारिया आयोग नहीं आना चाहिए। मैं श्री मधु दण्डवते और श्री सोमनाथ चटर्जी को जनता शासन के दौरान की गई राज्यपालों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने किस प्रकार के राज्यपालों की नियुक्ति की थी? क्या कोई राजनैतिक नेता थे?

श्रीमती शारदा मुखर्जी आन्ध्र प्रदेश में राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। श्री के० सी० अब्राह्मने श्रीमती शारदा मुखर्जी के स्थान पर आये। ऐसा जनता शासन के दौरान किया गया अर्थात् 1977-80 के दौरान। श्री ए० आर० किदवई बिहार के राज्यपाल थे। इसलिए, श्रीमती शारदा मुखर्जी वहां थीं। श्री गोविन्द नारायण कर्नाटक में थे। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूं···(**व्यवधान**) उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। उन्हें जवाब देने दीजिए। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? श्री गोविन्द नारायण सिविल सेवा अधिकारी रहे हैं। एक सिविल अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भेजा गया था। श्री टी० एन० सिंह पश्चिम बंगाल में थे। वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। केरल में श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस बात पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। हम उस प्रक्रिया पर आपत्ति कर रहे हैं जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव : मुझे खुशी है कि उन्हें आपत्ति नहीं है। इस बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाना चाहिए···(**व्यवधान**) उन्होंने इस पर आपत्ति नहीं की है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पर भी आ रहा हूं। मैं नहीं जानता कि वह उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। श्री एन० एन० वांछू तथा श्री सी० एम० पोंचा मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, महाराष्ट्र में श्री सादिक अली थे। क्या वह एक राजनीतिज्ञ हैं? मैं इस बारे में नहीं जानता। पंजाब में श्री जयसुख लाल हाथी राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे। राजस्थान में श्री रघुकुल तिलक राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। तमिलनाडु में यह पद श्री प्रभुदास पटवारी के पास था। उत्तर प्रदेश में श्री जे० डी० तपासे राज्यपाल के पद पर थे। पश्चिम बंगाल में श्री टी० एन० सिंह राज्यपाल थे। जब वे कुछ कहते हैं तो उन्हें अपनी यादाश्त ताजा रखने की कोशिश करनी चाहिए कि दो वर्ष की अल्पावधि में जब वे देश की बागडोर सम्भाले हुए थे, उन्होंने क्या किया था···(**व्यवधान**) यह कहना गलत है कि कांग्रेस कुछ कर रही है। बात यह है कि सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं।

इस मसले पर सरकार द्वारा सभी पक्षों के लोगों को सुनने के बाद निर्णय लेना है। इस पर राष्ट्रीय प्रेस में भी चर्चा हो चुकी है। जब सरकार कोई निर्णय लेती है तब आप सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन को उद्धृत कर सकते हैं। यदि आप मात्र बहस के लिए इसे उद्धृत करना चाहते हैं तो यह अलग बात है। सरकारिया आयोग की खामियों को यहां नहीं उठाया जाना चाहिए। सरकार ने बिल्कुल वैसा ही किया है, जैसा कि 1977 में देवराज उर्स की सरकार के साथ किया गया था। राज्यपाल ने संविधान की धाराओं के अनुरूप निर्णय लिया है। श्री दण्डवते बाहर जा रहे हैं। वह अन्य बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है और सदन के बाहर जा रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी और कुछ अन्य सदस्यों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा नागालैंड पर लिए गए निर्णय को उद्धृत किया है। यह निर्णय दो न्यायाधीशों द्वारा लिया गया था जिसमें एक दूसरे से सहमत नहीं था।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : इस मुद्दे पर नहीं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। फिर इसे तीसरे जज के पास भेज दिया था। इससे पहले कि तीसरे न्यायाधीश कोई निर्णय ले पाते उच्चतम न्यायालय में एक विशेष रिट याचिका दायर की गई और मामला वहां अटका पड़ा है। गुवाहाटी न्यायालय के निर्णय को इस समय उद्धृत करना ठीक नहीं है। इस तरह से आप संसद को गुमराह कर रहे हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : ऐसा मत कहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि मैंने कहा मैं एक के बाद एक प्रेस रिपोर्ट को पढ़ सकता हूं। प्रेस ने आलोचना की है कि सरकार इंतजार कर सकती थी और प्रेस ने यह भी कहा है कि जनता सरकार की आपसी लड़ाई, जो नेतृत्व और पार्टी के नाम बदलने और मंत्रिमंडल के विस्तार से शुरू हुई, के कारण ऐसा हुआ है। एक मुद्दा उठाया गया है जो कि वाजिब मुद्दा है जिस पर राज्यपाल को कदम उठाना चाहिए। मैं सहमत हूं। यह मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निर्णय पर पहुंचने के लिए वाजिब मुद्दा है कि 19 सदस्यों को अपना समर्थन क्यों वापस लेना पड़ा, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी। आपने इस स्थिति का निर्माण स्वयं ही किया है। एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का मुख्य मन्त्री के साथ 20 तारीख को एक होटल में गर्मागर्म बहस हुई, उन्होंने सोचा कि आखिरकार उनके लोगों को शामिल किया जायेगा और सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सके। मेरे कई साथियों ने अपने विचार सरकार की कार्यप्रणाली, उनके आदर्श, उनकी स्थिति के बारे में प्रस्तुत किए हैं, यह कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया गया है जिससे कि जब अगले चुनाव हों तो प्रशासन पर हमारा नियन्त्रण हो। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह प्रशासन पर नियन्त्रण रख कर चुनाव नहीं कराते हैं। यदि हमने ऐसा किया होता तो हम तमिलनाडु के चुनाव जीत जाते। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब राष्ट्रपति शासन के होते हुए कांग्रेस चुनाव हारी है। हम इसमें विश्वास नहीं करते। जो वह कहते हैं वही वह करते हैं। जब मैं पश्चिम बंगाल गया तो मैं जानता था उन्होंने यह कैसे किया। उन्होंने लोगों को मारने की

कोशिश की, उन्होंने राजनैतिक दलों को समाप्त करने की कोशिश की और उन्होंने नगर प्रशासन पर नियन्त्रण की कोशिश की। यही वह यहां कह रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया होता तो हम तमिलनाडु के चुनाव जीत चुके होते।

दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि हम राष्ट्रपति शासन जारी रखने की कोशिश करेंगे। हमारे नागालैंड और मिजोरम में लिए गए निर्णयों के अनुसार हम पर कोई फैसला कीजिए। दोनों ही राज्यों में हमने छह महीने पूरे होने से पहले ही चुनाव करा दिए। हम इस सदन के समक्ष समय बढ़ाने के लिए नहीं आये। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह गवर्नर और उनके प्रशासन को चुनाव-आयोग के साथ विचार-विमर्श करके इस बारे में समीक्षा करती है। तभी निर्णय लिया जा सकता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि चुनाव होंगे या नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह शीघ्र चुनाव चाहते हैं और दूसरे सदस्य भी चुनाव चाहते हैं। यह इस सदन की इच्छा है कि यह संदेश वहां की सरकार के पास पहुंचे।

दूसरी बात जो विपक्ष ने यहां दुबारा उठाई है। वह यह है कि हमने कुछ सरकारों को बर्खास्त करने का सिलसिला बनाया हुआ है। कुछ कहते हैं हरियाणा, कुछ कहते हैं असम, मैंने आज के "टाईम्स आफ इंडिया" में यह प्रेस रिपोर्ट देखी थी जिसमें कि असम के मुख्य मन्त्री ने कहा था "अगली बार यहां।" श्री वी० पी० सिंह ने भी कर्नाटक में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए घोषणा की थी कि अगली बारी असम की है। मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की इच्छा नहीं रखते हैं—चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या गैर कांग्रेस सरकार। लेकिन यदि संवैधानिक व्यवस्था ठप्प पड़ जाती है—यहां तक कि कांग्रेस शासन में पंजाब में दरबारा सरकार को हटाया गया था और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था—हमने संविधान के अनुसार निर्णय लिया, हम राजनैतिक जरूरतों के हिसाब से निर्णय नहीं लेते हैं।

नागालैंड में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यदि असम या हरियाणा या आन्ध्र प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती है जब संवैधानिक व्यवस्था ठप्प पड़ जाती है तो इसके लिए हमें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हम इन सभी गैर-कांग्रेसी सरकारों से अपील करेंगे कि वह यह देखें कि उनकी सरकारें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं जिससे कि उनके विधायक यहां वहां न जायें।

हमारे विधायक भी जाते हैं, लेकिन उनकी प्रधानमन्त्री और कांग्रेस अध्यक्ष के प्रति निष्ठा पर किसी के द्वारा शक नहीं किया जाता। जी हां, एक लोकतांत्रिक पार्टी में हम उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। बिहार में एक भी विधायक राज्यपाल के पास नहीं गया और न ही उसने यह कहा कि वह सरकार से अपना समर्थन वापिस लेता है। लेकिन यहां 19 विधायकों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया। पश्चिम बंगाल में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भूतपूर्व मन्त्री अपनी भावना न व्यक्त कर सके उसे जिनेवा भेज दिया गया। हम ऐसा नहीं करते। हम उन्हें पार्टी में बने रहने की और अपनी बात कहते की अनुमति देते हैं।

मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि राज्यपाल श्री वेंकट सुब्बैया ने भारत के संविधान के अनुसार कार्य किया है। कभी भी—राष्ट्र में कहीं भी—चाहे वह जनता समय में या कांग्रेस के

समय में, जिस भी राज्यपाल ने संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत सरकार को बर्खास्त किया है उसकी आलोचना नहीं हुई। इस आलोचना के विषय में, जी हां, संसद को यह अधिकार है जैसाकि अध्यक्ष ने अनुमति दी है। लेकिन यह उचित नहीं होगा कि यह कहा जाये कि राज्यपाल ने एक पार्टी विशेष की मदद के लिए ऐसा किया।

इससे दो महीने पहले यही राज्यपाल मुख्य मन्त्री और कर्नाटक में जनता दल के अन्य सदस्यों के लिए यह एक आदर्श राज्यपाल थे। तत्पश्चात् भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि यह एक बहुत अच्छे राज्यपाल हैं, उन्हें जारी रहना चाहिए वह उन्हें वापिस भेजने नहीं देंगे। उस समय भी उन्होंने संविधान के अनुरूप कार्य किया था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी क्या सोचेगी। उन्होंने संविधान के अनुसार कार्य किया। आज भी उन्होंने संविधान के अनुसार ही कार्य किया है। इस प्रकार उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी वफादारी संविधान के प्रति है और किसी पार्टी विशेष की तरफ नहीं चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में।

मैं जोरदार शब्दों में विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्यपाल के प्रति कहे गये शब्दों की भर्त्सना करता हूं जिन्हें सदन में अपने बचाव करने का कोई अवसर नहीं है। मैं गृह राज्य मन्त्री के रूप में सरकार की तरफ से बोलता हूं, मैं वहां राज्यपाल की कार्यवाही को उचित समझता हूं और जो कुछ भी राज्यपाल या उनकी कार्यवाही के विषय में कहा गया है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं।

श्री दण्डवते व अन्य अनुभवी राजनेताओं को यह शोभा नहीं देता। मैं यह जरूर कहूंगा कि श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त अपनी आलोचना में शिष्ट थे। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन जब आप राज्यपाल के बारे में बात करते हैं...**...तो यह माननीय सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं कीजिए।

श्री सन्तोष मोहन देव : अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्री कल अन्तिम उत्तर देंगे। बोम्मई सरकार का गिरना 1977-79 में केन्द्र में जनता अनुभव का दोहराना ही है। जनता एक राजनैतिक जमवाड़ा है बिना किसी विचारधारा या सिद्धान्त के। यह हमेशा ही सत्ता के भूखे और अपना उल्लू सीधा करने वाले राजनेताओं का जोड़ रहा है और यह दुबारा कर्नाटक में साबित हो गया है। लोगों को इस दल की जानकारी होनी चाहिए जो फिर उभरते हुए राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अपने आपको पेश कर रहे हैं, एक दल जिसमें सात होने वाले प्रधानमन्त्री शामिल हैं।

इसलिए दुबारा मैं यह कहूंगा कि मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वालों को बधाई दूंगा और मैं विपक्ष को बधाई दूंगा कि वह कुछ ऐसे मुद्दे सामने लाये जिन पर वाद-विवाद की आवश्यकता थी।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यहां सरकारिया आयोग की बात असंगत है। आयोग की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार नहीं किया गया है। अत: उस रिपोर्ट को उस राज्यपाल की कार्यवाही के लिए मार्गनिर्देश के रूप में नहीं लेना चाहिए जिसका बार-बार उल्लेख किया जा रहा है। मैं पुनः यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट न केवल न्यायसंगत थी अपितु उसके बाद एक सन्देश भी दिया गया था जिसे मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं कि कर्नाटक में विधायकों की खरीद-फरोख्त हुई थी···(**व्यवधान**) अत: राज्यपाल महोदय की कार्यवाही उचित थी। यदि श्री हाजी मस्तान पश्चिमी बंगाल में जाकर सभी विधायकों को खरीदने का प्रयास करते हैं तो क्या राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वे जाकर हाजी मस्तान से यह कहें कि आप आकर सरकार बनाइये। राज्यपाल को ऐसी गतिविधियां रोकनी चाहिए। वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि विरोधी पक्ष और तत्कालीन सत्तारूढ़ दल द्वारा इस बात को स्वीकार किया जा चुका है, जैसा कि आस्कर फर्नान्डीज ने उल्लेख किया है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त जारी थी और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। और राज्यपाल ने यही कार्य किया···(**व्यवधान**) अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से संसद की उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए सदन की बैठक को बढ़ा दिया गया था। आपने भी इसमें सहयोग दिया परन्तु कुछ सदस्यों ने इस बारे में आपत्ति की और मत विभाजन द्वारा समय को बढ़ा दिया गया। यदि ये सदस्य अब यह निर्णय लेते हैं कि भविष्य में प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हमें सदन के समय को नहीं बढ़ाना चाहिए तो उन्हें ऐसा आपके, माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सामने कहना चाहिए। यह बात केवल इसी विषय के लिए लागू नहीं होती है। यह बात बहुत से अन्य महत्वपूर्ण विषयों के लिए है···(**व्यवधान**) वे जो कुछ कहते हैं वह असंगत है।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपकी कार्यवाही का पूर्णतया समर्थन करता हूं। हमें आपका पूर्ण विश्वास है कि आप सदन के समय को बढ़ायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि हमें इस सदन की कार्यवाही को 7 बजे तक बढ़ा देना चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय : 7 बजे तक तो सामान्य समय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम बहुमत के अनुसार निर्णय नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति पहले ही यह निर्णय दे चुकी है कि सम्पूर्ण सत्र के दौरान हमें 7 बजे तक बैठना है। अब यह बात आप पर है कि आप 7 बजे तक बैठना चाहते हैं अथवा उससे पहले ही जाना चाहते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम 7 बजे तक बैठने के लिए सहमत हैं।

श्री बिनेश गोस्वामी : मुझे आशा है कि अब मुख्य उत्तर नहीं दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर कल दिया जायेगा। सहमति के अनुसार सदन की बैठक 7 बजे तक होगी। अब श्री पीयूष तिरकी भाषण दे सकते हैं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, इस प्रस्ताव के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं समझता हूं कि संसद सर्वोपरि है और इसकी शक्ति सर्वोच्च है। संसद सर्वोपरि है और इसी प्रकार राज्य विधान सभायें भी सर्वोपरि हैं। संसद में हमारे अपने नियम हमारा मार्ग-निर्देश करते हैं और अध्यक्ष महोदय हमारे मुखिया हैं। सदन की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष महोदय करते हैं। इसी प्रकार राज्य विधान सभाओं का संचालन भी उनके अध्यक्ष ही करते हैं। कर्नाटक के इन 19 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा। अत: विधान सभा में राज्यपाल महोदय को क्या कार्यवाही करनी पड़ती है? मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। चाहे सदन में सरकार अल्पमत में हो अथवा बहुमत में परन्तु यदि कोई सदस्य त्यागपत्र देता है तो वह सामान्यत: संसद के अध्यक्ष के पास जाता है। अब यह राज्यपाल कौन होता है? संसद अथवा विधान सभा में सरकार के अल्पमत अथवा बहुमत के होने के बारे में कौन निर्णय कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय संसद में सरकार के अल्पमत अथवा बहुमत में होने का निर्णय नहीं कर सकते, इस कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय वहां हैं। अत: मैं समझता हूं कि आरम्भ से अन्त तक सम्पूर्ण प्रश्न ही गलत है। राज्यपाल महोदय को उन पत्रों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, जो उन्हें भेजे गए थे। उन्हें उन पत्रों को अध्यक्ष महोदय के पास भेजना चाहिए था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और यह उनकी गलत कार्यवाही थी। यहां जनता दल की कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई थी। मुख्य बात यह है कि राज्यपाल की कार्यवाही के कारण विधान सभा को भंग किया गया है, जो कि सर्वोपरि है। राज्यपाल को सदन में अल्पमत अथवा बहुमत के बारे में निर्णय करने अथवा जब तक मुख्य मंत्री अथवा अध्यक्ष न कहे तब तक किसी भी सरकार को नियुक्त करते अथवा बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।

यदि अध्यक्ष महोदय अथवा मुख्य मंत्री यह सुझाव देते हैं अथवा राज्यपाल से लिखकर यह अनुरोध करते हैं कि यह सरकार अल्पमत में होने अथवा सदस्यों की खरीद-फरोख्त की वजह से नहीं चल सकती, केवल तभी उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय, मुझे यह आशंका है, जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि केन्द्र में कांग्रेस (आई) सरकार को यह डर है कि आगे आने वाले चुनाव में हार जायेंगे। अत: वे किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? वे प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आगामी चुनाव में उनकी सहायता हो सके। संभवत: 40 वर्षों की स्वतन्त्रता ने हमारे लोगों के अन्दर कुछ बुद्धिमत्ता, कुछ ज्ञान और कुछ परिपक्वता ला दी है। अत: आप चाहे जो भी प्रशासनिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें, मैं समझता हूं कि आगामी चुनावों में उससे आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी।

सदन के सदस्य जब दल बदलते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को पत्र नहीं लिखते अपितु वे अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखते हैं। यदि मेरी बात गलत है तो महोदया शीला दीक्षित उसे ठीक करेंगी। अत: वहां क्या घटित हो रहा था। यह आशंका है और मैं समझता हूं कि यह आशंका उचित है कि राज्यपाल को इसके लिए प्रेरित किया गया था। क्योंकि वे वहां के अध्यक्ष महोदय

को अपने प्रभाव में नहीं ला सकते इसीलिए दिल्ली से किसी व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया है। राज्यपाल केन्द्र के किसी व्यक्ति का एजेण्ट था और उन्हें उकसाया गया या इसीलिए उन्हें वह मिले थे। उस पत्र को किसने लिखा है? इस बात को सिद्ध नहीं किया गया है। परन्तु भारत के लोगों को यह जानकारी हो जाएगी कि उसे किस व्यक्ति ने उकसाया है, किसलिए उकसाया है और इस कार्यवाही से देश को क्या लाभ हुआ है। अतः इस मुद्दे का निर्णय भविष्य में हो जाएगा।

सभी वक्ताओं ने जनता दल अथवा कांग्रेस अथवा कुछ निर्दलीय व्यक्तियों को दोष दिया है और मैं इस बात की जांच नहीं करूंगा। हम संविधान और संसद की सर्वोपरि शक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। संसद के सदस्य यहां उपस्थित हैं। किसी भी सरकार को बर्खास्त करने से पहले संसद में चर्चा की जानी चाहिए और संसद को यह निर्णय लेना चाहिए कि राज्यपाल को क्या करना है अथवा उस सरकार को क्या करना है। यह निर्णय संसद द्वारा किया जाना चाहिए। अतः मेरा सुझाव यह है कि संसद अथवा विधान सभा की सर्वोच्च शक्ति का आदर किया जाना चाहिए क्योंकि वह उच्चतम न्यायालय अथवा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से भी सर्वोपरि है। और इस संबंध में संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष महोदय की शक्ति को नहीं छीना जाना चाहिए। वह केवल एक एजेण्ट है और उसकी सर्वोपरि शक्ति नहीं है। एक एजेण्ट के रूप में कार्य करने के लिए उसे संसद अथवा विधान सभा द्वारा कुछ शक्तियां दी गई हैं।

सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्यों और मन्त्रियों ने यह कहा है कि कर्नाटक सरकार अपने ही कारनामों से बरबाद हुई है। मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय को भी अपने ही कारनामों से बरबाद हो जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, 19 अप्रैल को राज्यपाल ने राज्य के दस्तावेज के रूप में एक पत्र भेजा और उसके बाद में दिनांकित टेलेक्स भेजा जो तथ्यों की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। तथा ये राज्यपाल के कार्यालय की गरिमा से मेल नहीं खाती। पत्र के एक प्रमुख भाग में संविधान के संगत अनुच्छेद का ज्यों का त्यों उल्लेख किया गया है। इससे उन कारणों का पता नहीं चलता जिनके आधार पर उन्होंने कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय किया है। उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि उन्हें इन 18 विधायकों के पत्र कब मिले। उन्होंने इसका भी जिक्र नहीं किया है कि क्या उन्होंने मुख्य मंत्री के साथ कोई विचार-विमर्श किया था अथवा नहीं। उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि उन्होंने इन विधायकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया था। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने यह निर्णय क्यों किया। पत्र में यह भी नहीं बताया गया कि क्या उन्होंने वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया है जिसमें सभा के अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी होंगे। उन्होंने राष्ट्रपति को सभा में अन्य छः दलों अर्थात कांग्रेस (आई०), जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एम० ई० एस० और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में भी सूचित नहीं किया है। यह सच है कि कांग्रेस (आई०) की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि क्या मुख्य मंत्री ने उनसे अपने प्रस्तावित सत्र तक कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध

किया था। उन्होंने मुख्य मंत्री के साथ हुई बातचीत का कोई हवाला नहीं दिया है जो एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन्होंने विधान सभा का सत्र समय से पहले समाप्त करने के लिए मुख्य मंत्री के निवेदन को क्यों अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस तथ्य की जानकारी नहीं दी है कि सभा की बैठक प्रत्येक राजनीतिक दल के समर्थन, विरोध और तटस्थता पर निर्भर करती है और इनसे सरकार के कार्य की सम्भावना का पता लगता है। इसलिए सरकार को यह पत्र मिलने पर राज्यपाल से कुछ स्पष्टीकरण मांगने चाहिए परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया।

मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यपाल के इस अपर्याप्त पत्र को, उसके बारे में आगे कोई पूछताछ किये बिना, पर्याप्त क्यों मान लिया। सरकार की बर्खास्तगी के लिये राष्ट्रपति का सन्तुष्ट होना आवश्यक है इसके लिए अकेला यह पत्र ही पर्याप्त नहीं है। यह समस्या मूलत: सभा के विश्वास पर है। जैसा कि श्री दिनेश गोस्वामी ने बताया कि सभा के विश्वास को बहुमत के समर्थन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह सच है कि सभा के विश्वास की बात है तो इसकी सभा में ही जांच की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सभा में इन पांच दलों की तीन स्थितियां हो सकती थीं इसलिए 15 दल संयुक्त होने से 15 परिस्थितियां पैदा हो गयीं, राज्यपाल इन सभी राजनैतिक दलों के व्यवहार का अनुमान नहीं लगा सकते थे।

जहां एक जनता पार्टी का सम्बन्ध है, बोम्मई सरकार को बचाया जा सकता था, उसे गिराया जा सकता था परन्तु इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, यह हमारा विशेषाधिकार था।

6.00 म०प०

मैं समझता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री के कार्य, श्री बोम्मई की अयोग्य सरकार, कर्नाटक का वित्तीय संकट तथा आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस (आई०) और जनता दल को इनका क्या लाभ होगा, ये बातें बिल्कुल भी संगत नहीं हैं। महोदय, एक बात अर्थात विधान सभा की इच्छा संगत है परन्तु इसकी परीक्षा नहीं की गई है। जहां तक जनता पार्टी का सम्बन्ध है, हम सहायता देने के लिए तैयार थे यदि जनता पार्टी की समझ में आ जाता तो वे सहायता के लिये औपचारिक अनुरोध करते। जनता पार्टी ने केन्द्र राज्य अथवा विधानसभा स्तर पर कभी भी सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया। इससे राज्य का अत्याचार स्पष्ट होता है इससे बोम्मई सरकार को परेशानी हुई। तथ्य यह है कि कुछ व्यक्तियों ने कर्नाटक में अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिये थे और सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे क्योंकि वह समझते थे कि राज्य और सरकार में स्थिरता लाने के लिये यह अनिवार्य है। इसलिए मैंने बताया कि बोम्मई सरकार अपने ही दल के उन सदस्यों द्वारा जन्य परिस्थितियों की शिकार हुई है जिन्होंने सोचा कि 110 सदस्यों में से 34 सदस्यों का मंत्री होना पर्याप्त नहीं हैं तथा सभी 110 सदस्यों को मंत्री होना चाहिए। यह इन विरोधी बातों के कारण गिर गयी।

मैं दुख के साथ कहता हूं कि संविधान की शब्दावली के अनुसार राज्यपाल की कार्यवाही तथा सरकार बर्खास्तगी की घोषणा उचित है परन्तु यह संविधान की भावना के विपरीत है। इससे राज्यपाल के पद की गरिमा कम हुई है। राज्यपाल ने इस ढंग से कार्य किया है जैसे कि

वह दिल्ली में बैठे अफसरों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हों। केन्द्र सरकार ने ऐसे कार्य किया है जैसे यह इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। यह इस बात का इन्तजार कर रहा था कि राज्यपाल का पत्र विशेष डाक से प्रेषित किया जाए। जैसा कि मैंने कहा, केन्द्र ने किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास नहीं किया।

कानूनी और संवैधानिक प्रश्न के अतिरिक्त एक नैतिकता का भी प्रश्न है। नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में नैतिक आयाम भी होना चाहिए। मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा के कारण विधायकों की खरीद फरोख्त हुई—मैं अपने साथी श्री अय्यपू रेड्डी से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि विधायकों की खरीद फरोख्त चुनावों के समय पक्ष प्रचार के समान नहीं हो सकती—यह गड़बड़ी धन शक्ति की मदद से अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है जिसकी हम 100 वर्षों से आलोचना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें समय का महत्व था। विधान सभा को नीलामी कक्ष में बदलने की कोशिश की गयी। राजनैतिक दल को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने का प्रयास किया गया जिसमें समय के साथ-साथ प्रत्येक शेयर का मूल्य लाखों में बढ़ रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री को प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते विधान सभा भंग कराने या नये चुनाव कराने के बजाए अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में सरकार का कानूनी रूप से कार्य करने के बावजूद भी यह सरकार की पथभ्रष्टता, अनैतिकता और अभद्रता होती। मैं यह अनुभव करता हूं कि कर्नाटक में बोम्मई सरकार के गिरने से जनता की इच्छा को प्रबल बनाने के लिये प्रतियोगिता स्थल तैयार हो गया है तथा उपाध्यक्ष महोदय मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्त में जनता की इच्छा की ही विजय होगी।

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, जिस विषय के बारे में मेरे साथियों ने कहा है मैं उसके सम्बन्ध में कोई बात नहीं कहूंगा। मैं केवल यही कहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार न्यायसंगत है तथा इस विशेष संदर्भ में माननीय सदस्यों द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल के आचरण की आलोचना करना किस प्रकार उचित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 225 सदस्यों की कर्नाटक विधान सभा में जनता पार्टी के 139 सदस्यों का पूर्ण बहुमत था इसलिये उन्होंने सरकार बनायी। परन्तु विलय के बाद इसकी सदस्य संख्या 111 रह गई, सरकार बनाने के लिए 113 भी नहीं रही। इसके केवल 111 सदस्य थे जो बहुमत के आधे से भी कम थे। इसलिए कानून के अनुसार जनता दल सरकार नहीं बना सकता था। राज्यपाल ने कभी उनसे विधान सभा में बहुमत प्रदर्शित करने के लिए नहीं कहा इसलिए उनकी सरकार बन सकी। उन्होंने उन्हें सत्ता में बने रहने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले सभा को भी संबोधित किया। उस समय उनके कार्य की प्रत्येक राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार पत्र और सम्पूर्ण देश में प्रशंसा हुई। जब राज्यपाल ने कर्नाटक में जनता दल की सरकार को इसका बहुमत न होने के बावजूद भी, कार्य करने की अनुमति दी थी तब विपक्षी सदस्यों ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि मुख्य मंत्री दावा करते कि जनता निर्दलीय सदस्य जनता दल का समर्थन कर रहे हैं तो राज्यपाल उनसे इसे प्रदर्शित करने के लिए कहते। परन्तु इसके लिए राज्यपाल ने कभी नहीं कहा। उस समय राज्यपाल के कार्य पर आपत्ति न करने का कारण था कि उनके लिए उपयुक्त था और उनकी सरकार को कार्य करने का अधिकार प्राप्त था। इसलिए उस समय उन्होंने राज्यपाल की भूमिका की प्रशंसा की।

परन्तु थोड़े दिनों में क्या हुआ ? जब 19 विधायकों ने अपने समर्थन वापस ले लिए तो संविधान के अनुसार राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी। राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के आधार पर मैं स्पष्ट करूंगा कि उनका आचरण किस प्रकार उचित है। संविधान सभा में राज्यपाल की भूमिका के बारे में चर्चा के दौरान प्रारूप विधेयक पेश करते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा था कि राज्यपाल को अपने कार्य मंत्रिमंडल की सलाह से करने चाहिए। लेकिन उन मामलों में जहां सलाह प्राप्त नहीं हुई या जहां सलाह को कुछ कारणवश जो राज्यपाल ही बेहतर जानते थे, स्वीकार नहीं किया गया वहां उन्हें अपने विवेकानुसार कार्य करना था। यही संविधान सभा में भी कहा गया। यही राज्यपाल की भूमिका है। मैं यहां डा० अम्बेडकर के उन शब्दों को जो उन्होंने 1 जून, 1948 को संविधान सभा के वाद-विवाद में पृष्ठ 502 पर कहे थे, उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था—

> "यह विवेकपूर्ण शक्तियां केवल राज्यपाल को दी गई हैं और राष्ट्रपति को नहीं।"

डा० अम्बेडकर द्वारा दिया गया इसका कारण यह है "कि हमारे भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्र के अधीन कार्य करना होता है क्योंकि हर हालत में केन्द्र का मजबूत होना अनिवार्य है। यही एक कारण है कि राज्यपाल को कुछ चुनी हुई परिस्थितियों में अपने विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है।" इस प्रकार उन्होने इसे विस्तार-पूर्वक समझा दिया। जब धारा 174 पर चर्चा हो रही थी, यह विस्तारपूर्वक समझाया गया है कि राज्यपाल को किस प्रकार अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मैं सही हूं तो एक प्रावधान है जिसके अनुसार राज्यपाल समय-समय पर सदन की बैठक बिना छह माह की अन्तर्वाधि के भी बुला सकता है। तब अनेक विद्वान सदस्यों ने सवाल उठाया कि क्या सदन का बुलाया जाना विवेकपूर्ण अधिकार है, या संवैधानिक प्रक्रिया जो कि केवल मंत्रि परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। तब डा० अम्बेडकर ने कहा कि यह संवैधानिक कार्य है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है क्योंकि यदि राज्यपाल को बिना सरकार की सलाह के सदन की बैठक बुलाने का अधिकार दे दिया गया तब सरकार द्वारा सदन की कार्यवाही को रोका जा सकता है। इसलिए यह कार्य केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं। लेकिन उस स्थिति में जब सरकार छह महीने तक सदन की बैठक बुलाने की राज्यपाल को सलाह नहीं देती, तब राज्यपाल अपने विवेकानुसार सरकार को बर्खास्त कर सकता है क्योंकि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही। यही संविधान में भी कहा गया है। इसीलिए यही एक ऐसा मुद्दा है जहां राज्यपाल अपने विवेक-पूर्ण अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यही यह कार्य है जो कर्नाटक के राज्यपाल ने सदन को भंग करने का अनुमोदन करते हुए इस्तेमाल किया।

एक और प्रावधान है और वह है अनुच्छेद 164 जिसमे इस बात का प्रावधान है कि "मंत्रीगण सरकार की इच्छानुसार अपने पद पर बने रहेंगे।" यह प्राविधान भारतीय संविधान में भी है।

मैं वही उद्धृत कर रहा हूं जो डा० अम्बेडकर ने बताया :

"इच्छानुसार से हमारा तात्पर्य यह रहा है कि वहां जहां मंत्रिमंडल बहुमत खो चुका हो इच्छानुसार नहीं लागू होगा। जिस क्षण मंत्रिमंडल सदन का बहुमत खो देता है, यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति इच्छानुसार मंत्रिमंडल को भंग कर देंगे।" इसलिए यही डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा की वाद-विवाद में समझाया था।

इसलिए यहां एक मामला है जहां राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उन्हें पता चला कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। सदन को बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्य मंत्री को कहना कोई आवश्यक नहीं है। जब 19 विधायक स्वयं राज्यपाल के पास गए और उन्होंने सरकार को अपना समर्थन वापिस लेने के पत्र भी दिए तो क्या राज्यपाल के लिए निर्णय लेने के लिए यह पर्याप्त नहीं है ? मैं बात को समझ सकता था यदि यह प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस (आई) के विधायकों के नेतृत्व में गया होता इसमें शक की क्या गुंजाइश है ? आपको उन विधायकों पर, जिन्होंने पत्र दिए हैं, उनकी विश्वसनीयता और असलियत पर शक करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में विधायकों ने स्वयं अपनी इच्छानुसार सरकार को दिया गया समर्थन वापिस लिया है। इसमें राज्यपाल क्या कर सकते हैं ? इसलिए उन्होंने विधान सभा भंग करने की सिफारिश की थी।

इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि मुख्य मंत्री श्री बोम्मई को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। यहां यह कहा गया है और मैं उद्धृत करूंगा, "राज्यपाल का यह भी कार्य है कि वह राष्ट्रपति से विधान सभा भंग करने की सिफारिश करे यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि मंत्रिमंडल भ्रष्ट तरीके अपनाकर, रिश्वत और राजनैतिक रूप से पीड़ित करके विधान सभा में बहुमत प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।"

यही अनुदेश संविधान सभा की वाद-विवाद में भी दिए हुए हैं।

इस बारे में कई सदस्यों द्वारा काफी कुछ कहा गया है कि यदि श्री बोम्मई को अवसर दिया जाता तो आसमान नहीं गिर जाता। क्या इसका यह मतलब है कि भ्रष्टता, रिश्वतखोरी आदि जारी रहें ? नहीं यह राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन की स्वच्छया कायम रखने के लिए ऐसा नहीं होने दें। यह संवैधानिक नैतिकता है। यहां राज्यपाल ने सही तरीके से कार्य किया और सिवाय विधान सभा भंग करने के अनुमोदन के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था।

सरकारिया आयोग की मुख्य मंत्री को अवसर दिये जाने की सिफारिश के बारे में काफी कुछ कहा गया है। शायद यह वाद-विवाद सरकारिया आयोग के ध्यान में नहीं रहा। यदि उन्हें यह प्रावधान मालूम होता उदाहरणर्थ वाद-विवाद में जो कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के बर्ताव के बारे में कहा गया है तो मुझे विश्वास है यदि उन्हें इसकी जानकारी होती तो उन्होंने ऐसी सिफारिश कभी न की होती।

इसलिए मैं कहूंगा कि जिन परिस्थितियों में राज्यपाल को कार्यवाही करने को कहा गया वह पूर्णतया न्यायसंगत थी और कोई संकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता।

*श्री बी० एस० बसवराजु (टुमकूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे कई साथियों ने कर्नाटक राज्य विधान सभा को भंग किए जाने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का समर्थन करता हूं।

दुर्भाग्यवश विपक्षी दलों के किसी भी सदस्य ने जनता दल की अन्यायपूर्ण, अनैतिक और भ्रष्ट कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं किया।

जनता दल सरकार 1983 में कर्नाटक में सत्ता में आई थी। उनका नारा था मूल्यों पर आधारित राजनीति। कर्नाटक के भोले-भाले लोगों ने इसकी प्रशंसा की और उन्हें वोट दिया। लेकिन कर्नाटक में जनता दल की कार्यवाहियों ने न केवल कर्नाटक को अपितु समूचे राष्ट्र को शर्मिन्दा किया है।

जैसा कि श्री नायकर ने कहा वहां संवैधानिक संकट था। जनता दल शासन में वहां कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद था। मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में बहुत धन इकट्ठा कर लिया। हमें उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि को पूरा करने में कम-से-कम 50 वर्ष लगेंगे। मुझे विस्तार में जनता दल के कुशासन को बताने में कम-से-कम 10 घण्टे लगेंगे क्योंकि मेरे पास कम समय है, मैं अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

शुरूआत से ही जनता दल सरकार संकट में थी। वर्ष 1984 और 1985 में कई घोटालों का पता चला और श्री राम कृष्ण हेगड़े के पास इस्तीफा देने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इन बातों के बावजूद हमारे प्रधान मंत्री ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। असलियत में उनकी सरकार को कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करने दिया गया। राष्ट्र यह जानता है···**

उच्च न्यायालय ने इन आरोपों की पुष्टि की है। उन्होंने अपने ही पुत्र के खिलाफ एम० डी० की एक सीट के बारे में लगाए गए आरोपों के लिए खुद ही एक आयोग स्थापित किया। उन्होंने जानबूझकर···**···यह विवरण इंडियन एक्सप्रेस में छपा है।

कर्नाटक उद्योगों, कृषि और अन्य कई मामलों में एक अग्रसर राज्य रहा है। दूसरे राज्यों के लिए यह एक आदर्श राज्य रहा है। लेकिन आज कर्नाटक की क्या स्थिति है?

कर्नाटक में नये उद्योगों के स्थापित करने के नाम पर वह अनिवासी भारतीयों से संपर्क स्थापित करने के लिए सारे विश्व मे गये। बंगलौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से अनिवासी भारतीयों को काफी बड़ी भूमि दी गई···**···करीब 12½ हजार एकड़ भूमि सहकारी आवास समितियों को दी गई और···**···मैसूर के निकट मधुबन जमीन को इसी तरह बेच दिया···**··· उस समय भी वह मंत्रिमंडल में थे।

इस सदन में विपक्षी दल के सदस्य सदन में ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन को पटल पर रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जी० वी० के० राव की रिपोर्ट का क्या हुआ? कर्नाटक

* मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सरकार की एक आई० ए० एस० अधिकारी की रिपोर्ट विधान सभा पटल पर रखने की हिम्मत नहीं हुई। रेवाजीत् घोटाले से···**···9 से 15 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। यह भूमि बंगलौर शहर के बीचों-बीच स्थित है और यह रामकृष्ण हेगड़े के सबसे नजदीकी और प्यारे परिवारिक सदस्य को अलाट कर दी गई। कर्नाटक पर्यटन निगम ने 39 एकड़ कब्जे में ली। एक श्री हेगड़े को इसमें से 14 एकड़ भूमि एलाट की गई और उससे 14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। एक अर्क निर्माता और ठेकेदार को प्रति वर्ष 350 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे थे।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपने साथियों के खिलाफ लोक आयुक्त की नियुक्ति की। इससे पता चला है कि जनता दल में कितना आपसी मतभेद था। हमने उनके मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने खुद ही अपनी कबर खोदी है। इन दिनों हम मूक दर्शक बने रहे। श्री बी० कृष्ण राव के निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मदेश्वर कॉपरेटिव शुगर मिल और गोवरी बिदनूर कॉपरेटिव शुगर मिल को बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया।

श्री एस० एम० गुरड्डी : महोदय, क्या वह कर्नाटक सरकार के भंग किए जाने पर बोल रहे हैं या···

श्री जी० एस० बासवराजू : एम० एल० सी० और राज्य सभा चुनावों के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त का काम स्वतंत्र रूप से हुआ। एन० जी० ई० एफ० के शेयर घोटाले के बारे में सब जानते हैं। एन० जी० ई० एफ० राज्य को 10 करोड़ रुपये से अधिक लाभ दे रही थी। ए० ई० जी० कम्पनी के साथ मिलने के बाद···**···मंत्री और उनके बेटों को इस मामले में लाखों रुपये मिले। इस संबंध में मुझे वकील से नोटिस प्राप्त हुआ है और मुझे अभी इसका उत्तर देना है। स्थानान्तरण के लिए 25,000 रुपये रिश्वत थी और रोके रखने की कीमत 50,000 रुपये थी।

जिन 19 लोगों ने राज्यपाल को लिखा था उनमें से बहुत से लोग भूतपूर्व मंत्री थे। दो भूतपूर्व मंत्रियों के बीच मतभेद बढ़ता गया और परिणामस्वरूप सरकार गिर गई। जनता पार्टी के एक अनुभवी (पुराने) नेता श्री एस० निजलिंगप्पा और एक दूसरे प्रमुख नेता श्री के० वी० शंकर गौड़ा ने कहा कि जनता दल सरकार के पतन के लिए श्री बोम्मई और श्री राम कृष्ण हेगड़े जिम्मेवार हैं। श्री हेगड़े के कार्यकाल के दौरान एक भी सिंचाई परियोजना शुरू नहीं की गई। न ही जनता पार्टी के शासन काल में किसी उद्योग की स्थापना की गई। उन्होंने कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या कर दी। उनके शासन काल के दौरान किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वह श्री बंगारप्पा जैसे कांग्रेस (ई) के नेताओं पर आरोप लगाते रहे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, यह क्या, वह···**···

श्री जी० एस० बासवराजू : वह···**···क्या वह घोटाले पर शर्मिन्दा नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे अनुमति नहीं देता। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आरोप रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री जी० एस० बासवराजु : महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आरोप क्यों लगा रहे हैं।

श्री जी० एस० बासवराजु : महोदय, ये आरोप नहीं हैं। ये तो तथ्य हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वो बातें रिकार्ड में नहीं जानी चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : आचार्य जी, यह रिकार्ड में नहीं आएगा।

श्री जी० एस० बासवराजु : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से यह वाद-विवाद सुन रहा हूं···**(व्यवधान)**

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : लगातार···**(व्यवधान)**

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : चाहे वह लगातार हो या रुक-रुक कर, जो कुछ सदस्य कह रहे हैं मैंने उसे निश्चित रूप से समझ लिया है···**(व्यवधान)** यदि इसका मानदण्ड भ्रष्टाचार ही है तब तो आपकी सरकार को पहले जाना चाहिए था···**(व्यवधान)** मैं दोहराता हूं कि यदि इसका मानदण्ड भ्रष्टाचार ही है तो आपकी सरकार को पहले जाना चाहिए···**(व्यवधान)**

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : हम जनता का निर्णय स्वीकार करेंगे। विपक्ष कोई निर्णय नहीं देगा। निर्णय जनता करेगी। हम जनता का निर्णय स्वीकार करेंगे···**(व्यवधान)** हम कर्नाटक में चुनाव कराएंगे···**(व्यवधान)**

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं भी ठीक यही सोचता हूं कि कर्नाटक में भी लोगों को ही निर्णय लेना चाहिए था न कि राज्यपाल को।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर के सदस्यों ने ऐसी बातों का समर्थन किया है जो कि असमर्थनीय है। यह बात उनके भाषणों में व्यक्त किए गए विचारों से सिद्ध होती है। यदि दूसरी ओर के माननीय सदस्य वह कहने में रुचि रखते हैं जो कि उन्होंने किया है; जो अभी श्री बासवराजु ने कहा; तब तो श्री बोम्मई को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इस बात को कहने के लिए यही मंच है। आज हम खास तरीके से उस बात को छोड़ रहे हैं जिस पर विधान सभा में वाद-विवाद होना चाहिए था और विधान सभा के विशेषाधिकार का भी अधित्याग कर रहे हैं। इसलिए यदि सरकार के कार्य, क्या श्री बोम्मई भ्रष्ट थे; क्या उन्होंने अनिवासी भारतीयों को भूमि दी थी आदि ऐसे मामले हैं जिनकी चर्चा विधान सभा में की जानी चाहिए थी···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, यदि श्री बोम्मई को उनके विश्वास प्रस्ताव, जिसे वह विधान सभा में

प्राप्त करते, में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जाती तो कांग्रेस (इ) इन सभी मुद्दों को उठा सकती थी। वे बहुमत को समझा सकते थे और उसके खिलाफ मत डाल सकते थे। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि श्री बोम्मई भ्रष्ट थे या नहीं या उन्होंने अर्क के ठेके या अनिवासी भारतीयों को भूमि दी थी या नहीं या चीनी की कॉपरेटिव (मिलों) से धन कमाया था या नहीं आदि बातों की चर्चा करने का यह मंच नहीं है। जिस विषय का सम्बन्ध विधान सभा से है हम उसका अधित्याग करके उस पर यहां संसद में चर्चा नहीं कर सकते। हम यहां इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राज्यपाल की कारंवाई ठीक थी या नहीं···(**व्यवधान**)

प्रारम्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 1977 और 1980 में दोनों बार मैंने जनता सरकार द्वारा की गई कारंवाई और बाद में कांग्रेस (इ) द्वारा की गई कारंवाई का इसी सदन में विरोध किया था जो कि रिकार्ड में है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी गलत कार्य को यह कहकर दोबारा करना कि दूसरी सरकार ने भी ऐसा ही किया था मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हम सभी नैतिक आचरणों और मूल्यों के गिरते स्तर की बात करते हैं। सबसे पहले हम यह निश्चित करें कि: क्या हम यहां इन नैतिक मूल्यों को अपनी राजनीति में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आए हैं? क्या हम यहां कुछ मूल्यों को बनाए रखने के लिए आए हैं? या क्या हम कोई कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया था? इस तरह तो आप किसी की हत्या करें, इसलिए मैं भी हत्या करूं और इसलिए आप दोबारा किसी की हत्या करें। क्या यह ऐसा तर्क है जिसके सहारे हम चल सकते हो? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है।

कुछ मिनट पहले इस ओर से मेरे साथी श्री शाहबुद्दीन बोले थे। भाषण देते समय उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जनता पार्टी ने अपना इरादा नहीं बनाया था। उन्होंने कहा, "हम इस सरकार को गिरा भी सकते थे और उठा भी सकते थे।" श्री शाहबुद्दीन के इस वक्तव्य से राज्यपाल की रिपोर्ट पर कुछ प्रकाश डालता है। राज्यपाल को यह मानने का कोई अधिकार या यह उसका कार्य नहीं है कि जनता पार्टी जनता दल का समर्थन नहीं करेगी। और श्री शाहबुद्दीन ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 पर कहा है: "श्री एस० आर० बोम्मई की अध्यक्षता वाले जनता दल से अपना समर्थन वापस लेकर।" उन्होंने जनता दल से अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि वे बोम्मई सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, मेरा तात्पर्य कर्नाटक में बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार से है। यह भी संभव है कि ये सदस्य उनकी पार्टी के किसी दूसरे नेता का समर्थन करते। उन्होंने केवल यह कहा था कि वे बोम्मई सरकार का विरोध करते हैं।

हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1982 में हरियाणा में क्या हुआ था जब श्री भजन लाल ने सरकार बनाई थी। हम यह भी जानते हैं कि वर्ष 1984 में जब श्री नदेल्ला भास्कार राव ने सरकार बनाने का प्रयास किया था तब क्या हुआ था। दोनों ही अवसरों पर राज्यपाल ने श्री भजन लाल और श्री भास्कर राव को बहुमत के लिए विधायकों को तोड़ने और सरकार बनाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। मुझे इस तथ्य की भी जानकारी है कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल उन केन्द्रीय मंत्रियों में से एक थे जो उस समय हैदराबाद में मौजूद थे जबकि श्री भास्कर राव ने वहां की बागडोर संभाली थी। किन्तु श्री बोम्मई ने स्वयं ही केवल 7 दिन

का समय मांगा था। संभवतः वह इस अवधि को घटाकर दो या तीन दिन कर देते। किन्तु ऐसा नहीं होना था।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या आप जानते है कि श्री राम लाल कहां हैं ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं यहां श्री राम लाल का प्रतिवादी नहीं हूं। श्री राम लाल जैसे पहले थे हो सकता है वैसे ही अब भी हों। मैं यहां यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि वह अब अच्छे आदमी बन गए हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने श्री राम लाल का उपयोग किया था।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : माननीय मन्त्री जब बोले थे, तो उन्होंने कई उदाहरण दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता सरकार ने भी राजनीति लोगों को राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि राजनीतिक लोगों को राज्यपालों में रूप में बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि किन्हीं रिपोर्टों में यह कहा गया है कि राजनीतिक लोगों को राज्यपालों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केवल यह कहा था कुछ प्रतिष्ठित लोगों को, अन्य विश्वसनीयता वाले लोगों को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए।

मुद्दा यह है कितने राज्यपालों ने संविधान के इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है जो कि संभवतः संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसका व्यापक दुरुपयोग किया गया है? इस अनुच्छेद का सबसे पहले दुरुपयोग छठे दशक में शुरू-शुरू में 1951 में शुरू किया गया था जब पंजाब में सरकार को बर्खास्त किया गया था। इसके बाद, इसका दुरुपयोग 1954 में किया गया था। इसका बार-बार दुरुपयोग सातवें दशक में किया गया और उसका अत्यधिक दुरुपयोग आदि दशक में किया गया। जब इसने संक्रामक रूप ले लिया है और यह स्थानिक रोग बन गया है। जब तक कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं रोका जाता, तब तक हमारे संविधान के संघीय स्वरूप का बिल्कुल कोई अर्थ नहीं होगा। मेरे माननीय मित्र जो यहां बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वे इसके बारे में विचार करें, क्या वे देश के संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं अथवा नहीं। मैंने देश के संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की शपथ ली है और ऐसी ही शपथ मेरे विपक्षी मित्रों ने भी ली है। राज्यपाल का पद जोकि संविधान की व्यवस्था के कारण है वह भी संविधान के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रपति को भी संविधान की मर्यादा बनाए रखनी होगी। वह भी इसके प्रति वचनबद्ध हैं। कोई भी व्यक्ति संविधाम से ऊपर नहीं है।

विपक्ष के कई मित्रों ने राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि वह वफादार व्यक्ति है तो उसका मोहरे की तरह उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास दिल्ली में आती है, और उस पर मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति, मन्त्रिमण्डल की सलाह पर ही अध्यादेश पर हस्ताक्षर करता है।

1977 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ और आन्ध्र में क्या हुआ, कई अन्य राज्यों में क्या हुआ उसको छोड़कर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि तब और अब की स्थिति में

कई एक अन्तर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इसी सरकार ने और प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने बहुत ही धूमधाम से इस सदन में यह दल-बदल विरोधी विधेयक रखा था। इस सदन में दल-बदल विरोधी विधेयक क्यों रखा गया था? दल-बदल विरोधी विधेयक को पारित कराने के उद्देश्य और कारण क्या थे? इसमें सदस्यों की खरीद-फरोख्त को रोकना था। सदस्यों की खरीद-फरोख्त का मतलब क्या है? किसी एक पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुने जाने वाले सदस्यों को उस पार्टी विशेष को छोड़ने से रोकना···(**व्यवधान**)

श्री वीर सेन : धन के विचार के लिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : धन अथवा जो भी हो···(**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना मस्तिष्क श्री विजय नवल पाटिल को उधार नहीं दे सकता, मुझे इसके लिए खेद है। वह इसको नहीं समझ सके।

उसी दल-बदल विरोधी विधेयक में, ये वे ही लोग थे जो उसमें दो खंड छूट के लाए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि यदि एक तिहाई से अधिक सदस्य दल-बदल करते हैं, चाहे वह धन के लिए हो अथवा सत्ता के लिए, तो यह विभाजन माना जाएगा न कि दल-बदल। मुझे आशा है कि उन्हें भी यह याद होगा। और ये वे ही लोग थे जो यह खण्ड भी लाए थे कि यदि एक तिहाई से अधिक सदस्य पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो वे सीधे ही किसी अन्य पार्टी में विलय हो सकते हैं, चाहे यह सत्ता के लिए हो अथवा धन के लिए। यह बात कहीं पर नहीं कही गई है कि यदि एक तिहाई सदस्य धन अथवा सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो यह एक विभाजन नहीं होगा। न ही यह कहा गया है कि यदि एक तिहाई से अधिक सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, चाहे वह धन अथवा सत्ता के लिए हो, तो उसे उनमें विलय होना नहीं माना जाएगा। मुझे आशा है कि मैं सही कह रहा हूं। यदि वे चाहें, वे उनके प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को पढ़ सकते हैं और इसके लिए सभी ने अपने डैस्क थपथपाए थे।

अब प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल किसी अन्य अनुच्छेद का सहारा लेकर संविधान के किसी एक भाग को समाप्त कर सकता है। दसवीं अनुसूची आज संविधान का अभिन्न अंग है। क्या राज्यपाल उनके प्रति वचनबद्ध हैं अथवा नहीं? क्या राष्ट्रपति उनके प्रति वचनबद्ध हैं अथवा नहीं? क्या ये केबिनट मन्त्री जिन्होंने राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश की है दसवीं अनुसूची के प्रति वचनबद्ध है अथवा नहीं?

19 सदस्यों के हस्ताक्षरों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उनके विचार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है, उसके बारे में वाद-विवाद था कि क्या जिस तरीके से हस्ताक्षरों की पहचान भी की गई है वह तरीका ठीक या अथवा नहीं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था अथवा इन्हें भेज देना चाहिए था। मेरा मुद्दा यह है कि जब 19 अथवा 17 उनकी संख्या जो भी हो, जब उन्होंने समर्थन वापस लिया, उससे पहले विलय थे—परिणामस्वरूप जनता दल बन चुका था, जैसा कि दसवीं अनुसूची में व्यवस्था है जिसे उस सरकार द्वारा इस सदन में पुरस्थापित किया गया था और पारित किया गया था। अब कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जनता दल को मान्यता दिए जाने के बाद और जब एक तिहाई से कम विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा, यहां तक कि यदि हस्ताक्षर सही थे अथवा यदि वे स्वयं वहां व्यक्तिगत रूप से

उपस्थित हुए, इस तरह के पत्र अथवा इस तरह की अपील को देखते हुए राज्यपाल के क्या अधिकार हैं ? दल-बदल विरोधी विधेयक से ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है ? जब कुछ विधायक अथवा संसद सदस्य राज्यपाल को लिखते हैं अथवा राष्ट्रपति को लिखते हैं और उसमें वे कहते हैं कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं, ऐसा वे विधायक अथवा एक संसदविद होने के नाते अपनी क्षमता में करते हैं। उसके बाद की गई कार्यवाही से किसी राज्य विशेष अथवा संसद में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी जैसा भी मामला हो, उसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। अब गलत तरीकों से अथवा ऐसे तरीके से यदि राज्यपाल एक-तिहाई से कम विधायकों द्वारा लिखे गए पत्र को ध्यान में रखकर कल विधान सभा को भंग करने की सिफारिश करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूर्वोदाहरण स्थापित कर देने के बाद क्या होगा यदि एक तिहाई से कम संसद सदस्य राष्ट्रपति के पास जाएं और उन्हें बताएं कि वे श्री राजीव गांधी के प्रति अपना समर्थन वापस लेते हैं तो क्या आप संसद को भंग कर देंगे ? अथवा आप विधान सभा के लिए कोई एक तरीका अपनाएंगे और संसद के लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे ? यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण है।

श्री विजय एन० पाटिल : आप हस्ताक्षर कराने का प्रयास कीजिए। आप नहीं करेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह प्रयास करने अथवा प्रयास न करने का प्रश्न नहीं है। ये पूर्वोदाहरण हैं जो बाद के समय के लिए होंगे।

श्री संतोष मोहन देव : हम आपसे 50 हस्ताक्षर लाने के लिए कहते हैं। आप नहीं ला सकते।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इसमें प्रयास करने अथवा न करने का प्रश्न नहीं है। आप इस प्रश्न को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मेरा मुद्दा एक तकनीकी मुद्दा है। ठीक है, कल हमारी सरकार आ सकती है। कल हमारे 300 संसद सदस्य हो सकते हैं और क्योंकि आप उनमें से 50 को अपने पक्ष में कर सकते हो और उन्हें राष्ट्रपति के पास ले जाएं और कहे कि "हम इस सरकार का समर्थन नहीं करते", क्या आप उस सरकार को गिरा देंगे ? क्या राष्ट्रपति ऐसा कर पाएंगे ?

श्री राजेश पायलट : यह अलग पार्टी नहीं है। यहां पार्टी वही है जिसने ऐसा किया है। यह किसी अन्य पार्टी द्वारा की गई पहल अथवा ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें यहां अन्तर है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : श्री पायलट, जब मैं यह कहता हूं कि आप ले सकते हैं, मेरा अक्षरशः यह अर्थ नहीं कि आप ले सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप प्रायः 50 संसद सदस्यों से ऐसा करवा सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं अथवा यहां तक कि वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। अतः महोदय, दल-बदल विरोधी विधेयक की दसवीं अनुसूची की कोई परवाह नहीं की गयी है। जहां तक दसवीं अनुसूची का सम्बन्ध है, यह उसका अन्तिम सहारा रहा है। दल-बदल के बारे में और सदस्यों की खरीद-फरोख्त के बारे में बोलने का उनका क्या नैतिक अधिकार रह गया है ? खरीद फरोख्त क्या है ? खरीद फरोख्त, जैसा कि मैं समझता हूं, जैसाकि इसे तब माना जाता था कि जब आप किसी सदस्य को किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से अलग करने का प्रयास करते हो। दल-बदल विरोधी विधेयक को पुरस्थापित करने के पीछे उद्देश्य

यह देखना था कि सदस्य एक राजनीतिक पार्टी में ही रहे। राजनीतिक पार्टी के नेता को भी अपने सदस्य अपने साथ रखने का अधिकार है। आप अपने राज्य में क्या करते रहे हैं जब श्री जगन्नाथ मिश्र वहां आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था? आपकी सरकार के लिए वहां खतरा था और आपने उसे वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। यदि कोई आपके लिए कठिनाई पैदा करता है, आप उसे यहां ले आए और उसे यहां मन्त्री बना दीजिए। ठीक है, जब वह यहां असफल हो जाता है, तब आप उसे कहीं पर मुख्य मन्त्री के रूप में भेज देते हैं। क्या यह खरीद फरोख्त नहीं है? खरीद फरोख्त का अर्थ केवल धन देना ही नहीं होता है। ऐसा सत्ता के लिए भी हो सकता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : अब खरीद फरोख्त को समझाने के लिए आपको श्री विजय एन० पाटिल से अक्ल उधार लेनी होगी।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, जो लोग खरीद-फरोख्त में लगे हुए हैं वे ही इसे समझेंगे मेरी समझ में यह नहीं आया। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं रही है। हमने कहीं भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1980 में, गोवा में जब श्री प्रताप राजे वहां तत्कालीन मुख्य मन्त्री थे, तो सभी विधायक और संसद सदस्य बड़े पैमाने पर दल-बदल करके सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। अतः सत्ता पार्टी द्वारा कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए और गैर-कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में अस्थिरता पैदा करने के लिए राज्यपाल के पद का उपयोग किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से राज्यपाल यही कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल के पद की हैसियत इतनी कम हो गई है कि वह सत्ताधारी पार्टी के घरेलू नौकर की तरह हो गई है। महोदय, मैं श्री वेंकट सुब्बैया के सम्बन्ध में किसी तरह की व्यक्तिगत चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन, महोदय, आप जानते हैं कि जनता दल को मान्यता दिए जाने के बाद, श्री वेंकट सुब्बैया को यहां बुलाया गया था और यहां पर उनको लताड़ा गया था। उसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। अब उस विषय का इस विशेष स्थिति में अलग ही तरह का महत्व है क्योंकि यह सिर पर तलवार लटकने जैसा मामला था। तब उन्हें यह रिपोर्ट देने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। अतः मैं अपने संविधान के संघीय स्वरूप को नष्ट करने के लिए बार-बार केन्द्रीय सरकार और मन्त्रिमण्डल को स्पष्ट रूप से दोष देता हूं। अतः केवल श्री वेंकट सुब्बैया पर ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार पर भी मैं संविधान को विकृत करने, उसे बिगाड़ने और उसे उससे खिलवाड़ करने तथा दसवीं अनुसूची को नष्ट करने तथा राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता हूं। अतः केवल श्री वेंकट सुब्बैया ही नहीं बल्कि फौरन ही इस सरकार को भी सत्ता छोड़ देनी चाहिए।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। उनका प्रमुख मुद्दा यह था कि बोम्मई सरकार को विधान सभा में अपना बहुमत दिखाने का अवसर क्यों नहीं दिया गया।

महोदय, इस मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य तकनीकी बातों से अधिक प्रबल हैं। जब वर्ष 1985 के चुनाव के बाद यह सरकार बनी थी तो उनके कुछ ग्रुप बन गये थे और श्री देव गौड़ा के

नेतृत्व में 27 सदस्यों का एक ग्रुप उन्हें छोड़कर चला गया। दूसरे, जब उन्होंने जनता पार्टी को जनता दल में परिवर्तित किया तो उस समय भी कुछ लोग बाहर चले गये थे। इसके परिणाम-स्वरूप उनके सदस्यों की संख्या 111 रह गई और तब 19 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस लेते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा। राज्यपाल ने उनके हस्ताक्षरों की संविधान के उपबंधों के अनुसार जांच की और यह पाया कि उन लोगों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तब राज्यपाल महोदय के पास विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के अलावा और क्या चारा रहता ? यदि राज्यपाल मुख्य मंत्री को सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की इजाजत देते तो सौदेबाजी, विधा-यकों की खरीद-फरोख्त शुरू हो जाती जिसे श्री हेगड़े ने स्वयं स्वीकार किया है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इस मामले में कोई खरीद फरोख्त की गई थी तो उन्होंने कहा कि हां श्री कल्याण राव मालकेरी, जिन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा था, के त्यागपत्र के बाद विधायकों की खरीद-फरोख्त शुरू हुई। प्रेस के लोगों के साथ हुई बातचीत में उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्रों श्री इन्द्रजीत गुप्त और प्रो० मधु दंडवते ने यह क कि यदि उन्हें सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जाती तो कोई भी बात घटित नहीं होती। किसी भी तकनीकी अथवा वैधानिक बात का अनुपालन सदैव नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। बिना नैतिकता के किसी भी तकनीकी बात अथवा किसी भी कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार हमारा ढांचा संवैधानिक है। लोगों ने हमारा चुनाव किया है। यदि हम उनकी आशा के अनुसार कार्य नहीं करते तो सरकार को स्वैच्छिक तौर से त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान में कारगर उपबंधों की व्यवस्था की गई है। इस विशेष मामले में मुख्य मंत्री महोदय अपना बहुमत खो चुके हैं और उनकी पृष्ठभूमि पूर्णतया भिन्न है। केवल यह बात नहीं है कि उन्होंने अपना समर्थन वापस लेते हुए पत्र लिखा है अपितु इस बात का भी स्पष्ट प्रमाण है कि वे लोग वापस नहीं आयेंगे। यदि वे लोग वापस आते भी हैं तो वे केवल पक्षपात, भ्रष्टाचार अथवा किसी अन्य तरीके से ही वापस आयेंगे जोकि हमारे लोकतांत्रिक हित के लिए अच्छी बात नहीं है और ऐसा संविधान के सामान्य उपबंधों के अनुसार नहीं होगा। यह बात बिलकुल स्पष्ट है। श्री बोम्मई ने भी यह कहा है कि जनता पार्टी उनकी सरकार को गिरा रही है। यदि सरकार नहीं गिराई गई तो इससे राष्ट्रपति शासन के लिए रास्ता खुल जायेगा। अतः जनता दल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति शासन की आशा कर रहा था। वे लोग कमजोर थे और वे अपने ही कारनामों से बरबाद हो गये। उनके लिए यह संभव नहीं था कि वे उन सभी विधायकों को वापस ले आते जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत राज्यपाल के सामने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।

इसके अलावा वर्ष 1985 के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हेगड़े, जो कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे उनसे लोगों को और हमें भी कुछ आशा थी। वे प्रत्येक कार्यवाही के लिए न्यायिक आयोग के पास गये। परन्तु जब उच्चतम न्यायालय ने बोटलिंग मामले में उनके विरुद्ध निर्णय दिया तो उन्होंने अपना पद छोड़ने का नाटक किया परन्तु उन्होंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। अतः अस्थि-रता उनके द्वारा ही शुरू की गई। उनमें भ्रष्टाचार और पक्षपात अंतर्निहित थे। ये बातें व्यवस्थित,

नियमित और नियतकालिक थीं और उनको इसकी संभावना नजर आ रही थी। इन सभी बातों के बावजूद उन्होंने अपने आपको ठीक नहीं किया। अतः यदि सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाता तो भी उसका अस्तित्व कायम नहीं रहता। इसके अलावा इनको सत्ता में लाने वाले कर्नाटक के लोगों को उनसे कुछ आशा थी क्योंकि उनके दल में श्री राम कृष्ण हेगड़े जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। हमने यह सोचा था कि वे बेहतर कार्य करेंगे। परन्तु यह हैरानी और दुख की बात है कि वहां गलत बातें घटित हुईं। उनका खजाना खाली था और वहां ये बातें घटित हुईं। अब जो बातें वहां घटित हुई हैं वे बातें कर्नाटक सरकार के इतिहास में पहले कभी घटित नहीं हुई थीं। उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य श्री बासवनप्पा ने भी राज्यपाल को लिखे गये पत्र में हस्ताक्षर किये थे और उन्होंने यह कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल को बधाई दी। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत विरोधी दल एक गलत बात के लिए तर्क दे रहे हैं और निश्चित रूप से वे इसमें असफल होंगे।

अनुभवी राजनीतिज्ञ श्री वेंकट सुब्बैया, जिन्हें संसदीय जीवन का काफी अनुभव है, जो कि वहां राज्यपाल हैं, के सामने इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। परन्तु उन्हें गलत ढंग से दोष दे रहे हैं। पहले जब एक दल को दूसरे दल में बदल रहे थे तो उस समय वे अच्छे व्यक्ति थे और आपने उनकी प्रशंसा की थी। इसके बाद वे बुरे व्यक्ति बन गये और उन पर आपके सभी कल्पित आरोप लग जाने चाहिए। अतः राज्यपाल ने उचित और न्यायसंगत कार्यवाही की है। उन्हें आश्वस्त होने के लिए परिस्थितियां बहुत सशक्त थीं और उन्हें सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति देने का कोई कारण ही नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज अथवा कल एक अल्पसंख्यक सरकार अल्पसंख्यक सरकार ही है और राज्यपाल ने जो कुछ किया है वह न्यायसंगत है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह मुद्दा है कि क्या सरकार को बर्खास्त करने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने की राज्यपाल महोदय की कार्यवाही उचित थी अथवा नहीं। मुझे इस बात का खेद है कि संसद में सभी प्रकार की असंगत बातें कही जा रही हैं। मैं केवल एक सांसद हूं। बहुत से अन्य लोगों की भांति मैं एक महान सांसद नहीं हूं। परन्तु मुझे इस बात पर हैरानी हुई थी कि दूसरे पक्ष के बहुत से वरिष्ठ सदस्य असंगत बातें कह रहे थे। मुझे इस बात की हैरानी थी कि क्या मैं देश के सर्वोच्च विधानमण्डल में उपस्थित था अथवा किसी निगम अथवा किसी गली की सभा में उपस्थित था। कुछ सदस्यों ने इस सम्पूर्ण मामले को एक चुनाव सभा में परिवर्तित कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्य की बात थी।

अब दूसरे पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों, विशेष रूप से मेरे राज्य कर्नाटक के कुछ सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि कर्नाटक के लोग खुश हैं। मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूं। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने के तुरन्त बाद, 12 घंटे के अन्तर्गत ही बंगलौर में एक सभा आयोजित की गई थी। यह एक विशाल सभा थी और हाल ही के वर्षों में बंगलौर में ऐसी सभा कभी नहीं हुई है। मैं उसका एक प्रत्यक्षदर्शी था! मैं वहां उपस्थित था। क्या आप समझते हैं कि वहां के लोग खुश हैं? नहीं। राष्ट्रपति की उद्घोषणा का विरोध करने के लिए वहां बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। मुझे वास्तव में इस बात की हैरानी है कि एक अनुभवी और पुराने कांग्रेसी—यद्यपि संभवतः वे

अच्छे राज्यपाल नहीं हैं—उन पर इस प्रकार की सिफारिश भेजने के लिए दबाव डाला गया है। अन्यथा क्या आप यह समझते हैं कि केवल एक सदस्य द्वारा पत्र प्रस्तुत करने से—सभी 19 सदस्य वहां उपस्थित नहीं थे—वे ऐसी···

श्री जी० देवराय नायक (कनारा) : क्या वे सदस्य कांग्रेस के थे अथवा जनता दल के ?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : केवल एक सदस्य द्वारा पत्र प्रस्तुत करने पर राज्यपाल महोदय को न केवल रजिस्ट्रर से बल्कि सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों की जांच करनी चाहिए थी और उन्हें उन सभी लोगों को वहां बुलाकर, क्योंकि वे सभी लोग वहां उपस्थित थे, यह पूछना चाहिए था कि क्या उनके हस्ताक्षर सही/असली थे। ऐसा इसलिए करना चाहिए था क्योंकि एक-दो सदस्य ने सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य दिया है कि उनके पत्र जाली हैं और उनके हस्ताक्षर सही नहीं हैं। आप भी यह जानते हैं कि उनमें से बहुत से सदस्य पीछे हट गये हैं। अतः राज्यपाल ने अचानक ही खरीद-फरोख्त के बारे में निर्णय लिया। मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने यह खरीद-फरोख्त का निर्णय कैसे लिया। जब 19 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया तो उनकी खरीद-फरोख्त दूसरी ओर स होनी चाहिए थी। अतः राज्यपाल ने बहुत जल्दबाजी में कार्यवाही की है।

राज्यपाल द्वारा एक और गलत कार्यवाही की गई थी और मुझे यह विश्वास है कि श्री सन्तोष मोहन देव मेरी इस बात से सहमत होंगे। उन्होंने हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट अथवा पत्र को तुरन्त उसी दिन भेज दिया। परन्तु जब अगले दिन मुख्य मंत्री महोदय ने उन्हें बुलाया तो राज्यपाल द्वारा उन्हें अन्धेरे में रखा गया। उन्हें इन बातों के बारे में रिपोर्ट को भेजने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। राज्यपाल द्वारा प्रैस सम्मेलन को सम्बोधित किये जाने के बाद और राज्यपाल द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद ही मुख्य मंत्री को रिपोर्ट भेजे जाने के बारे में पता चला। क्या किसी राज्य के राज्यपाल और मुख्य मंत्री के बीच ऐसा सम्बन्ध होना चाहिए ? यह सब ठीक था। सब कुछ भली प्रकार चल रहा था। यह सच है। हमने उन्हें बधाई दी थी क्योंकि उन्होंने एक बार दबाव महसूस किया था। परन्तु दुर्भाग्य से इग मामले में हमने यह निर्णय लिया है कि उन्होंने दबाव में आकर हार मान ली थी। अन्यथा संभवतः वे ऐसा कार्य नहीं करते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका सही तरीका क्या होना चाहिए था ? बहुत से सदस्यों ने उचित तरीके के बारे में बातचीत की है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। सामान्य व्यक्ति भी यह सोचता है कि यदि राज्यपाल एक-दो दिन के लिए इन्तजार करते अथवा वे मुख्यमंत्री महोदय को इसके बारे में कहते जो निर्धारित समय से पहले भी विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए तैयार थे। मुख्यमंत्री महोदय ऐसा करने के लिए तैयार थे। परन्तु राज्यपाल ने उन्हें ऐसा करने का अवसर ही नहीं दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले श्री वीरेन्द्र पाटिल ने यह कहा था कि "हम अस्थिरता उत्पन्न करने नहीं जा रहे हैं।" मैं इसका विश्वास करता हूं। परन्तु वे अपने कारनामों के कारण ही बरबाद हो जायेंगे। आपको ऐसी अनुमति देनी चाहिए थी। आपने जल्दबाजी क्यों की ? आपने बहुत जल्दबाजी में कार्यवाही की। राज्यपाल के रिपोर्ट भेजने से पहले ही आप उद्घोषणा करने के लिए तैयार थे। सब कुछ पहले ही तैयार रखा गया था। आप केवल राज्यपाल की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे थे। आपने तो राज्यपाल की उद्घोषणा के अन्तराल को भी नहीं भरा है। मैं यह आरोप लगाता हूं कि केन्द्र सरकार ही इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है। कर्नाटक के श्री ओस्कर फर्नान्डीज मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा था, "हम चुनावों के लिए

तैयार हैं। चुनाव दो महीने के भीतर हो जाने चाहिएं।"

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : उनके मुख्य मंत्री ने गलती की है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : जी नहीं। यदि गलती की गई है तो मैं बचूंगा नहीं। आप उसके लिए मुझे दण्ड दें। यदि मैंने कोई गलती की है तो मैं कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं।

यदि सरकार का विचार सही कार्य करने का था तो उन्हें उद्घोषणा और अन्य बातें लानी चाहिए थीं और उन्हें इसकी अग्रिम सूचना देनी चाहिए थी। किन्तु उन्होंने गुप्त रूप से शुक्रवार रात को 8.00 बजे जब यहां कोई भी मौजूद नहीं था यह कार्य किया। श्री सन्तोष मोहन देव ने कुछ कारण बताए हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कानूनी तौर पर आप ठीक हो सकते हैं। संयोग से मैं भी यहां मौजूद था। विपक्ष के एक या दो सदस्य उपस्थित थे। किन्तु यह कोई तरीका नहीं है। इस प्रकार की उद्घोषणा के लिए आपको कुछ अग्रिम सूचना देनी चाहिए थी। आप सीमा शुल्क छूट के लिए भी यह कह कर अग्रिम नोटिस देते हैं कि फलां-फलां मंत्री द्वारा फलां-फलां समय पर फलां-फलां प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इससे यह पता चलता है कि आपके मन में कोई पाप था।

इस मामले में संघ सरकार ने राज्यपाल को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और उस पर रिपोर्ट भेजने के लिए दबाव डाला। उन्होंने उनसे किसी भी तरह हस्ताक्षर भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करने जा रहे हैं। इसमें किसी न किसी प्रकार की दुर्भावना निहित थी।

इसलिए, मैं उद्घोषणा का विरोध करता हूं और साथ ही मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि निर्धारित समय समाप्त हो गया है। किन्तु अभी केवल दो और माननीय सदस्यों को बोलना है। यदि आप सब सहमत हों तो हम आधे घंटे का समय बढ़ा सकते हैं और इस चर्चा को आज ही समाप्त कर सकते हैं। केवल दो माननीय सदस्यों को बोलना है। आप कल क्या करेंगे ? मैं इस चर्चा को आज ही समाप्त करना चाहता हूं। हम प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दे सकते हैं। हम आधे घंटे का समय बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि यदि चर्चा पहले ही समाप्त हो जाती है तो अच्छा है।

अब प्रो० पी० जे० कुरियन बोलेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मैं केरल राज्य से निर्वाचित सदस्य हूं। कर्नाटक हमारा पड़ोसी राज्य है। सभी जानते हैं कि कर्नाटक में सरकार के गिरने का कारण जनता दल में ही उत्पन्न हुआ संकट है।

7.00 म० प०

मेरे मित्र श्री कृष्ण अय्यर ने यह पूछा था कि सदस्यों ने वहां जनता दल सरकार के कुशासन का जिक्र क्यों किया। इसका सीधा-सा कारण है। यदि जनता दल में मतभेद या

असम्मति थी तो इसका कारण कर्नाटक राज्य में कुशासन था। चूंकि विधायकों में मतभेद था इसलिए उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखे जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल ने केन्द्र को रिपोर्ट भेजी। इसलिए कर्नाटक राज्य की सरकार के पतन का मुख्य कारण वहां का कुशासन ही है, अत: यह सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब हम कर्नाटक सरकार के पतन की बात करते हैं तो हम कर्नाटक सरकार के कुशासन का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते।

महोदय, अनेक सदस्यों ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों का इस प्रकार हवाला दिया जैसे कि यह कोई स्वीकृत दस्तावेज हो। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में मतभेद है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी उन सदस्यों में से एक हूं जो सरकारिया आयोग की बहुत-सी सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्य शामिल हैं। जब संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है तो उसके अनुसार राज्यपाल सरकार के बहुमत से सन्तुष्ट होना चाहिए। यह राज्यपाल की वैयक्तिक सन्तुष्टि का प्रश्न है कि राज्यपाल बहुमत का पता लगाने के लिए कौन-सी विधि अपनाता है? यहां, सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की है कि बहुमत का परीक्षण केवल सदन में ही किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग का ऐसा मत है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। जिन लोगों का मत यह है मैं उनका आदर करता हूं। किन्तु इसका निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल को इससे भिन्न मत रखने से कोई नहीं रोक सकता। संविधान में भी राज्यपाल के लिए भिन्न मत रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखना यह है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने सुसंगत कारंवाई की है या नहीं। प्रश्न यह है। एक महीने पहले भी यही प्रश्न उठा था। कांग्रेस पार्टी श्री बोम्मई के समर्थन का सदन में परीक्षण कराना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती थी। किन्तु, तब राज्यपाल ने अपना स्वतंत्र निर्णय लिया। राज्यपाल ने पत्रों पर भरोसा किया। उन्होंने हस्ताक्षरों पर भरोसा किया।

श्री बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने का निर्णय लिया और उस सरकार को सत्ता में बने रहने दिया। उस समय सभी विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल की कारंवाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने संविधान की मर्यादा को बनाए रखा, तब वह एक आदर्श राज्यपाल थे। कुछ अखबारों ने तो यहां तक छापा था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की नाराजगी के कारण राज्पाल ने त्यागपत्र दे दिया है उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल ने त्यागपत्र दिया है तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें अपने पद पर बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल का समर्थन करते हैं। उन्होंने राज्यपाल की बहुत प्रशंसा की। तब भी राज्यपाल ने स्थिति के अनुसार ही निर्णय लिया था। एक महीने बाद, उसी राज्य में उसी राज्यपाल की हस्ताक्षरों के आधार पर वैसा ही निर्णय लिए जाने पर आलोचना की गई। उन्होंने विधान मंडल पार्टी के सचिव के द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद ही कारंवाई की। एक माह के भीतर ही उसी राज्यपाल ने वही विधि अपनायी। उन्होंने सुसंगत रूप से कारंवाई की। उन्होंने अपना निर्णय लिया। उन्होंने संविधान की सही व्याख्या की। इस प्रकार, एक माह के भीतर ही जब उन्होंने यह निर्णय लिया, जो विपक्ष के लिए असुविधाजनक है, तो वे रंग बदल गए। एक माह के भीतर ही अब वे यह कहते हैं कि बहुमत का निर्धारण करने के लिए हस्ताक्षर ही काफी नहीं हैं और बहुमत का परीक्षण सदन में किया जाना चाहिए।

प्रिय मित्र श्री कृष्ण अय्यर जी क्या यह दोहरी नीति नहीं है । मैं आपका बहुमत आदर करता हूं । मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप सज्जन पुरुष हैं । मैं आपका बहुत आदर करता हूं । किन्तु मैं विनम्रतापूर्वक यह तो कहूंगा कि आप उसी राज्यपाल के निर्णय को नहीं पचा सके । यदि यद दोहरी नीति नहीं है तो और क्या है ? श्री इन्द्रजीत गुप्त यहां नहीं हैं । किन्तु फिर भी मुझे एक बात कहनी है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था । इसीलिए, मैं बोलना भी चाहता हूं । उन्होंने कहा था : "र ज्यपाल ने 19 विधायकों के हस्ताक्षर स्वीकार किए ।" इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया कि 19 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर भेजे थे । राज्यपाल ने हस्ताक्षर स्वीकार किए । उन्होंने यह भी कहा कि कुछ घण्टे बाद या एक दिन बाद उनमें से सात सदस्यों ने पत्र पर किए गए अपने हस्ताक्षरों से मुकर जाने में पत्र भेजे । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, हालाकि वह यहां मौजूद नहीं हैं कि पत्रों पर किए गए ये हस्ताक्षर भी समान हैं और इन्हें अन्य हस्ताक्षरों की भांति ही माना जाना चाहिए । मेरे विचार में यह राजनीतिक रूप से अनैतिक है क्योंकि जब सत्तारूढ़ पार्टी में, प्राधिकार में सत्ता में असम्मति है तो वह असम्मति उचित ही होनी चाहिए । इसीलिए आप कहते हैं कि उन जन मोर्चा नेताओं की असम्मति, जिन्होंने असम्मति प्रकट की थी और जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और दल से बाहर चले गये थे, उचित है । मान लीजिए श्री आरिफ मोहम्मद खां या अन्य कोई सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से निकल गए हैं उन्हें यदि 46 घण्टे में ही कांग्रेस पार्टी खरीदने में सफल हो जाती है तो वह असम्मति उचित नहीं है । वापस आने का अर्थ यह हुआ कि सत्ता के पक्ष में अपना ईमानदार निर्णय वापस ले लिया गया । पहले प्रकार की असम्मति ईमानदारी की असम्मति है और इसे सत्ता के पक्ष में अपने हस्ताक्षर वापस लेने वालों के समान नहीं माना जाना चाहिए । ईमानदारी की असम्मति और दबाव में आकर या बाध्य होकर अपना नाम वापस लेने में बहुत अन्तर है । यह कौन नहीं जानता है कि सात विधायकों ने दबाव या बाध्यता के कारण नाम वापस लिए थे ? हम नहीं जानते ।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : इसीलिए उन्होंने विधान सभा बुलाने का अनुरोध किया था ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे मित्र डा० दत्ता सामन्त कहते हैं कि उन्हें विधान सभा को बुलाना चाहिए था । किसे बुलानी चाहिए ? आप कहते हैं कि राज्यपाल को तीन या पांच दिन और इन्तजार करना चाहिए था ताकि विधान सभा में मतदान कराया जा सकता । जो राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट है वह ऐसा कैसे कर सकता है ? हमारा संविधान क्या कहता है ? वह कहता है कि यदि राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि विधान सभा में बहुमत नहीं है तो उसे उस सरकार को कार्य करने देने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है । यदि वह सरकार को और अधिक समय तक बने रहने की अनुमति देता है तो मैं यह आरोप लगाता हूं कि राज्यपाल दूसरी ओर का पक्ष ले रहा है क्योंकि वह इस बात से सन्तुष्ट हो गया है कि सदन में बहुमत नहीं है । जिस समय 19 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया था, जिस समय राज्यपाल को वह पत्र प्राप्त हुआ था और जिस समय राज्यपाल ने हस्ताक्षरों की सत्यता को सत्यापित कर लिया था उस समय राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हो गया था कि बोम्मई सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, इसके बाद मंत्री परिषद बर्खास्त की जानी चाहिए । यदि फिर भी राज्यपाल उस सरकार को बने रहने की अनुमति देता है तो इसका अर्थ है राज्यपाल भी बोम्मई को विधायक खरीदने का

अवसर दे रहा है। क्या आप यह कहते हैं कि राज्यपाल जोकि संवैधानिक प्राधिकारी होता है वह उस तोड़ जोड़ का पक्षकार बने ? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि उन्होंने बोम्मई सरकार को ओर आगे कार्य करने की अनुमति दी होती तो वह उस जोड़-तोड़ का पक्षकार होता। इसी प्रकार की स्थिति है।

माननीय मंत्री महोदय ने उसका उल्लेख किया है। सन् 1977 में जब श्री देवराज उर्स ने अपना बहुमत खो दिया था तब सदन की बैठक शुरू होने में केवल तीन दिन शेष रह गये थे। श्री देवराज उर्स तत्कालीन राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण के पास गये और कहा कि मैं तीन दिन में सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ ? केन्द्र में उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं थी। यहां जनता सरकार सत्तारूढ़ थी और उस राज्यपाल ने देवराज उर्स मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और उन्हें तीन दिन के भीतर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया। यह करने के पश्चात् आपकी परंपरा यही रही है, जनता पार्टी या जनता दल किस तरह से राज्यपाल की कार्यवाही की आलोचना कर सकते हैं जिन्होंने केवल अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है ? वे ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह राज्यपाल की भर्त्सना या उन्होंने उनके पद से हटाये जाने से संबंधित प्रस्ताव बहुत ही अनैतिक है। आप अपने अतीत को भूल रहे हैं।

राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में मंत्री महोदय ने सरकार की स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। मैं जानता हूं कि केरल से महान व्यक्ति स्वर्गीय श्री के० सी अब्राह्म को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। अव्वल दर्जे के राजनीतिज्ञ होते हुए 1969 की कांग्रेस विभाजन में जिससे कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर) बनी, श्री के० सी० अब्राह्म ने कांग्रेस (ओ) का समर्थन किया, जो बाद में जनता पार्टी बनी। इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्यपाल बनाया गया। यह एक अलग बात है कि उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन जनता शासन में सारे राज्यपालों की नियुक्ति न केवल राजनैतिक आधार पर की गई थी अपितु इनाम के तौर पर की गई थी। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए।

आप प्रत्येक मामले को लीजिए। यहां तक कि आपने केरल के राज्यपाल के बारे में भी जिक्र किया है। यदि आप इतिहास देखें तो पायेंगे कि प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति बतौर इनाम की गई। अतः जनता पार्टी या जनता दल जो भी हो, का यह कहना कि कांग्रेस राज्यपाल पर नियंत्रण रख रही है या कांग्रेस राजनैतिक राज्यपालों की नियुक्ति कर रही है ठीक नहीं है। मैं इस तरह के दोहरे मापदण्डों को नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री वी० पी० सिंह के बयान से उनके दोहरे मापदण्ड की बात बहुत स्पष्ट है। श्री वी० पी० सिंह, जो मूल्यों पर आधारित राजनीति को मानते हैं, ने क्या कहा है ? उनके वक्तव्य को स्टेट्समेन जैसे पत्र ने प्रकाशित किया है, जो कांग्रेस का पत्र नहीं है। इससे हमेशा कांग्रेस की आलोचना की है। यहां कहा गया है जी हां हम खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही थी। हम खरीद-फरोख्त क्यों न करें ? यदि आप चाहें तो मैं उद्धृत कर सकता हूं।

इनके द्वारा अपनाये गये दोहरे मापदण्ड को देखिये। जब कांग्रेस पर आरोप लगाते वक्त वह सदन में मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं। लेकिन जब उनकी अपनी समस्याएं

आती हैं तो वह कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया है या वह सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। विपक्ष, जनता दल द्वारा इस तरह के दोहरे मापदण्डों को अपनाने की वजह से ही कर्नाटक में जनता दल सरकार का पतन हुआ। उनके लिए कोई आंसू नहीं बहा रहा है। यह उनकी अपनी करनी है। वह चाहते थे कि जनता-दल सरकार गिरे। कम से कम उनके दल में तो घर के भेदी छुपे हुए थे लेकिन पिछले चार सालों के कुप्रशासन के कारण न केवल जनता अपितु विधायक भी असंतुष्ट थे। हर कोई चाहता था कि सरकार गिरे और आपने इसका रास्ता तैयार किया। यह कांग्रेस नहीं है जिसने आपकी सरकार को गिराया। आपने खुद ऐसी परिस्थितियों का निर्णय किया। आपके अन्दर के असंतोष ने ऐसी स्थिति पैदा की। इस बारे में किसी को शक नहीं है कि 19 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अपना समर्थन वापिस लिया इसलिए इसका दोष आप खुद अपने ऊपर लीजिए।

मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। प्रो० दण्डवते ने कहा कि जनता इसका फैसला करेगी। जी हां जनता इसका फैसला करेगी आप इसे चुनावों में देखेंगे। वह जानते हैं कि सन् 1977 की जनता पार्टी, जनता दल इस मामले के लिए कोई दल नहीं है जो टिकाऊ सरकार बना सके। उन्होंने जनता को धोखा दिया है। ये सब सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं। इतने सारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री मौजूद हैं। कर्नाटक में यह ज्यादा मुख्य मंत्रियों का सवाल है। श्री हेगड़े, श्री बोम्मई को सह नहीं सकते हैं। इतने सारे प्रधान मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के साथ आपका अन्त निकट है यही मैं कह रहा हूं, इसलिए राज्यपाल को हटाने के प्रस्ताव की मैं भर्त्सना करता हूं और मैं सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का, जो राष्ट्रपति की कार्यवाही का अनुमोदन करता है, समर्थन करता हूं।

डा० दत्ता सामन्त (दक्षिण-मध्य बम्बई) : महोदय, कर्नाटक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। यह अनैतिक और असंवैधानिक है और मैं आगे यह कहूंगा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। यह लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। इस सरकार को क्या नैतिक अधिकार है कि वह अन्य राज्यों की नैतिकता पर विचार करे? हमने सदन में बहुत सारे घोटालों पर चर्चा की है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था, चीनी मिलों के मामले में यहां तक कि महाराष्ट्र के संसद सदस्यों ने उनकी काली करतूतों की वजह से धरने दिये हैं। इस तरह भ्रष्टाचार और विधायकों की खरीद-फरोख्त राष्ट्र में एक गैर जरूरी चलन बनती जा रही है और तकरीबन सारे राजनीतिज्ञ, सत्ता में बैठे लोग और कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल है। मैं नहीं समझता कि कर्नाटक सरकार की सारी बुराईयों की यहां चर्चा किया जाना जरूरी है। यह एक चुनी हुई सरकार है। मारकोस सरकार जनता द्वारा चुनी गई थी और इस तरह जनता ही उसे हटा सकती थी। राज्यपाल को कम से कम छह महीने या कुछ भी अवधि इंतजार करना चाहिए था। महोदय, आपको प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। यह कहा गया है कि कई सदस्यों को जनता दल द्वारा जनता पार्टी से उसमें आने के लिए फुसलाया गया जिसके लिए कुछ अनैतिक तरीके अपनाये गए। और उन्हें अब इसका अहसास है। यह इस सरकार कांग्रेस (आई) आला-कमान का सुनियोजित षडयन्त्र था कि कर्नाटक सरकार को गिराया जाए। मैं आरोप लगा रहा हूं। यह उस पत्र का सार/तत्व है जो माननीय मंत्री महोदय ने जारी किया था : "जनता दल से 18 सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने मुझे लिखा था कि उन्होंने बोम्मई

सरकार को दिया गया अपना समर्थन वापिस ले लिया है। मैंने विधान सभा सचिवालय से दस्तखतों की पुष्टि की।" यह उस पत्र का सार है। मैं समझता हूं यह एक मनगढंत वक्तव्य है। एक अच्छी सरकार इस तरह का वक्तव्य क्यों देगी उन्होंने प्रत्येक सदस्य को बुलाकर इसकी पुष्टि क्यों की ? उन्होंने श्री बोम्मई को बुलाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्यों नहीं कहा ? उन 18 सदस्यों को पेश नहीं किया गया। जब विधायकों की खरीद-फरोख्त हो रही हो तो क्या यह राज्यपाल का कर्त्तव्य नहीं बन जाता कि इस बात की पुष्टि करे कि उनका वास्तव में ऐसा आशय है या नहीं ? मेरी श्रमिक संघ में अपनी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को सदस्यता के लिए हस्ताक्षर करने होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं इसलिए राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि 7 विधायकों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया है। मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें भी कहा गया है विधायकों की खरीद-फरोख्त चल रही है और हालात खराब हो रहे है और 7 सदस्यों ने यह जल्दबाजी में किया। राज्यपाल को यह सब कैसे पता चला ? माननीय मंत्री महोदय ने इस पत्र का हवाला दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने भूतपूर्व मंत्री के बारे में पत्र पढ़ा था आप वहां उपस्थित नहीं थे।

डा० दत्ता सामन्त : नहीं। यह मंत्री का प्रतिवेदन नहीं है। समाचार-पत्र में 18 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने और वहां विधायकों की खरीद-फरोख्त जारी होने का समाचार प्रकाशित हुआ है। जब जनता पार्टी से जनता दल बनाया गया था तो यह कुछ दबाव से हुई और अब वह यह कहते हैं कि इसी दबाव के कारण 7 विधायकों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया। वह सभी गतिविधियों को देख रहे हैं और आगे वह यह महसूस करते हैं कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के कारण स्थिति और खराब हो सकती है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि राज्यपाल के स्तर वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा मनगढ़न्त वक्तव्य जारी किया जाएगा और ऐसे वक्तव्य को देखने के बाद सरकार इतनी तत्परता से कार्यवाही करेगी। मैं सरकार को सलाह दूंगा। मैं उनके पिछले रिकार्ड के आधार पर कह सकता हूं कि वह अच्छे आदमी हैं। मुझे सदन में उनके द्वारा दिये गए भाषणों की जानकारी है कि किस तरीके से सरकार की जिम्मेदारियों आदि के बारे में उन्होंने बात की। मैं आपको इन सबके बारे में नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि आप इसके लिए मुझे समय नहीं देंगे। आपने उन्हें सी० बी० आई० के अफसर के रूप में कार्य करने की विशेष शक्तियां दी हैं क्योंकि उन्होंने दबाव में आकर विधायकों की खरीद-फरोख्त करने जैसी कई बातें कही हैं। क्या उनके पास कोई प्रशासनिक तंत्र था ? क्या यह पता लगाना राज्यपाल का कार्य है कि राज्य में क्या कुछ हो रहा है या तो आप उन्हें सी० बी० आई० अफसर बना दीजिए या स्काटलैण्ड यार्ड का जासूस, इसके लिए वह उपयुक्त हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की टिप्पणियों पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है ? उस दिन आपने कहा राज्यपाल ने दबाव में कार्य किया। जब आपके आलाकमान गुजरात गए, मैं नहीं जानता आप गए थे या फोतेदार गए थे, वह उनके समक्ष अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 45 विधायक पेश नहीं कर सके। कांग्रेस विधायको ने पुलिस और आलाकमान से शिकायत की कि यदि वे अपने प्रतिनिधियों से मिलने जाते तो राज्य के मुख्य मंत्री की पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करती या पिटाई

करती अथवा गिरफ्तार कर लेती। आप घोटालों की बात करते हैं। इससे आपकी नैतिकता स्पष्ट होती है। आप जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है। विधान सभा का सत्र दो बार स्थगित किया गया जो राज्यपाल ने बुलाया था। इसका क्या कारण है? उन्होंने आपके निर्देशों के अनुसार कार्य किया। क्योंकि आपके विधायकों ने धमकी दी कि वे विधान सभा के बजट सत्र में अविश्वास का प्रस्ताव रखेंगे। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह दल-बदल नहीं है? जनता पार्टी के बारे में आप जो कुछ कह रहे हैं यह उससे बुरा है। परन्तु तथ्य यह है कि राज्यपाल आपके हैं।

नागालैंड में जब कांग्रेस में दल-बदल हुआ तो आपने विधायकों को सौदेबाजी से वापस लेने के प्रयास किये। जब वह नहीं माने तो आपने उन्हें धमकाया जब विधान सभा का सत्र बुलाया गया तो आपने सोचा कि वे आपका विरोध कर सकते हैं इसलिए आपने विधान सभा भंग कर दी। विगत चार वर्षों से आप राज्यपाल को इस सरकार की कठपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। राज्यों की सरकार गिराने के लिए आप अपनी इच्छानुसार उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए आपकी ऐसी कार्यवाही अनुचित और संविधान के विपरीत है।

मैं विगत चार वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं। टेलीविजन और रेडियो पर क्या हो रहा है? कैसे समाचार दिये जाते हैं? श्री निजलिंगप्पा कहते हैं कि ऐसा एक वर्ष पहले किया जाना चाहिए था। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी बात करता है। श्री सुब्रह्मण्यामण्यम स्वामी इस सरकार के सरकारी प्रवक्ता लगते हैं। उन्हें टेलीविजन पर विपक्षी नेता के रूप में नहीं बल्कि यह कहते हुए तीन बार दिखाया गया कि संविधान के अनुसार कार्यवाही की गई है। मेरी सलाह है कि आप उन्हें कांग्रेस सरकार का प्रवक्ता बना दीजिये। मेरे विचार से वह कोई दूसरा महत्वपूर्ण पद नहीं संभाले हुए हैं। रेडियो पर आपको तीन व्यक्तियों श्री के० एन० सिंह, श्री आस्कर फर्नान्डीज और श्री पी० एन० शुकुल ने सर्टीफिकेट दिये हैं। श्री शुकुल कहते हैं कि राज्यपाल ने संविधान के अनुसार कार्य किया है। यह सब क्या हो रहा है? वे जनता के समक्ष आपकी कार्यवाही को न्यायसंगत ठहराने के लिए ऐसा करते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि निर्वाचित सरकार को गिराकर सत्ता में आने के लिए ऐसी अविचारित कार्यवाही का प्रतिफल आप पर ही पड़ेगा।

तमिलनाडु में क्या हुआ? आपने अत्यधिक धन खर्च किया परन्तु क्या फल मिला? आंध्र प्रदेश और पंजाब में क्या हुआ? आपने जिन सरकारों को बर्खास्त किया है वे अधिक बहुमत से पुन: सत्ता में आई हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यदि आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो दो महीने से अधिक चुनाव मत टालिये। आपको अप जवाबने में हमें बताना चाहिए कि आप शीघ्र ही चुनाव करायेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि आप जनता की भावनाओं का कुछ सम्मान करते हैं।

मैंने श्री वीरेन्द्र पाटिल का भाषण सुना। मैं नहीं जानता कि आप अपना स्तर नीचा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री हेगड़े विधान सभा में कुछ दिनों के लिए ही उपस्थित थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सभा में कितने दिन उपस्थित रहते हैं? मैं उनसे कभी आशा नहीं करता कि वे हर समय यहां उपस्थित रहें। उन्हें दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए आप अपनी असलियत क्यों दिखा रहे हैं?

कर्नाटक में संविधान के विपरीत कार्य किया गया है। यह लोकतंत्र की हत्या है और मैं उसकी निन्दा करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, इस चर्चा में अनेक आरोप लगाये गये हैं। परन्तु हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्षी मित्रों में कोई नेता नहीं है। जो कांग्रेस छोड़ देता है अथवा निकाल दिया जाता है वह विपक्ष का नेता बन जाता है। कर्नाटक में जनता दल ने सोचा था कि जनता पार्टी से जनता दल में बदलकर उन्हें कम से कम एक राज्य मिल जायेगा जहां उनका शासन होगा। लोक सभा के चुनावों में श्री उन्होंने केन्द्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए सोचा था। परन्तु यह सपना साकार नहीं हुआ और कर्नाटक में जनता दल की सरकार गिर गई। इसमें राज्यपाल ने कुछ नहीं किया यह उनके कार्यों का परिणाम है। राज्यपाल की कार्यवाही के फलस्वरूप वहां की भ्रष्ट राजनीति समाप्त हो गई है।

वे भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं परन्तु कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है। परन्तु विधायक जो अब नहीं रहे हैं उन्होंने उस निर्णय के बावजूद भी, मुख्यमंत्री का समर्थन किया है। अपने त्यागपत्र के बाद भी उन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली। लेकिन अन्ततः टेलीफोन टैपिंग के घोटाले के कारण उन्हें हटना पड़ा। जब श्री सुब्राह्मयामण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति ने उन पर खुलेआम आरोप लगाया तो श्री हेगड़े ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिये कि वह न्यायालय में मुकद्दमा दायर करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने बदनामी के लिए श्री सुब्राह्मयामण्यम स्वामी के विरुद्ध मुकद्दमा किस न्यायालय में दर्ज किया। जब उच्च न्यायालय ने निन्दा की तो उस समय अनेक बातें कही गयीं।

उस समय हमारे मुख्यमंत्री के विरुद्ध महाराष्ट्र में एक मामला चल रहा था परन्तु यह अधिक गम्भीर नहीं था। यह मामला उनकी पुत्री के परीक्षा परिणाम और सत्ता का दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप के बारे में था। आला कमान तथा कांग्रेस पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में न रखा जाए। एन० टी० रामाराव के मामले में भी इसी के सदृश्य स्थिति थी। यद्यपि उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध निर्णय दिया परन्तु श्री पी० उपेन्द्र ने यह कहने का दुस्साहस किया कि यह कांग्रेस की राजनैतिक चाल है। उन्होंने उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं माना। वे भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री किशोर देव की बात सुन रहा हूं जो अपने आपको सुपर कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति समझते हैं। वह हस्ताक्षरों के बारे में कह रहे थे उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल ने इन हस्ताक्षरों पर विश्वास क्यों कर लिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का कांग्रेस (एस) और कांग्रेस (आई) में विभाजन हुआ तब इस सभा में विपक्ष के नेता यशवन्तराव चव्हाण थे। मेरे और कुछ सांसदों के हस्ताक्षरों के बाद श्री स्टीफन लोक सभा में विपक्ष के नेता बन गये। उस समय किसी ने नहीं चाहा कि हम राष्ट्रपति, अध्यक्ष या सभा के समक्ष परेड करें। हस्ताक्षरों पर निर्भर रहना एक संवैधानिक प्रक्रिया है।

श्री कुरियन ने इन लोगों द्वारा अपनाई गई दोहरी नीति के बारे में कहा है। एक महीने में राज्यपाल अच्छे से बुरे हो गये। जब राज्यपाल ने जनता पार्टी से जनता दल बनने की अनुमति

दे दी तो उस समय वह सही थे और संविधान के अनुसार कार्य कर रहे थे। परन्तु जब उन्होंने अपने विवेक से कार्य किया है तो आरोप लगाया कि वह संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम इस दोहरी नीति की अनुमति नहीं दे सकते, मैं इसकी निन्दा करता हूं और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं। मैं सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा पेश संकल्प का समर्थन करता हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कर्नाटक में चुनाव कराने चाहिए और यह प्रदर्शित करना चाहिए कि जनता का रूख क्या है। हमें लोक सभा के चुनावों तक इन्तजार नहीं करना चाहिए। हम जनता को इसी तरह दिखा सकते हैं कि हम संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा हम हमेशा लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं।

7.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 अप्रैल, 1989/6 बैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53